Page No.1

ाजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

ंक 2] अष्टम विधान सभा के द्वितीय सत्र का 17वां दिवस [संख्या 12

| [2

बृहस्पतिवार,

दिनांक 22 सितम्बर, 1977

विधान सभा की बैठक म०पू० 11-00 े विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ ई।

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न। श्री नवरंगसिंह।

श्री मूलचन्द डागा : श्री माधोसिंह कछवाह हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री माधोसिंह।

जोधपुर नगर में अपराधों के मामले

339. श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारत) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा रेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर गर में गत दो माह में कुछ थानों में अपराधों वृद्धि हुई है? अगर हां, तो उनकी रोकाम के क्या कदम उठाये गये?

(2) जोधपुर नगर में गुंडा एक्ट के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों के खिलाफ गत दो माह में कार्यवाही की गई?

(3) क्या यह सही है कि ऐसे मामले स्थानीय प्रशासन के विचाराधीन पड़े हैं? अगर हां, तो कब से? और उन पर कार्यवाही में विलम्ब क्यों हो रहा है?

गृह मंत्री (श्री केदार नाथ): (1) जी हां। अपराधों पर नियन्त्रण हेतु अधीनस्थ अधिकारी द्वारा आई. पी. सी. व गुण्डा एक्ट एवं अभ्यस्त अपराधी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। पुलिस गश्त में भी तेजी लाई जा रही है।

(2) गत दो माह में जोधपुर नगर में तीन व्यक्तियों के विरुद्ध गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की गई है।

(3) जोधपुर जिले के वर्ष 1977 में गुण्डा एक्ट के तहत प्रस्तुत 18 इस्तगासे जिलाधीश, जोधपुर के विचाराधीन पड़े हैं। इनकी प्रति संलग्न है। मामला न्यायालय में है

(इस्तगासे की प्रति के लिये परिशिष्ट संख्या 1 देखें)

श्री माधोसिंह कछवाहा : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की

Page No.2

(श्री माधोसिंह कछवाहा)
कृपा करेंगे कि यह जो गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही हो रही है, जिनकी लिस्ट दी है, तो कौन से सैक्शन के अन्तर्गत कार्यवाही हो रही है ? जो मामले आज पड़े हैं उनके बारे में सैक्शन 3(1) के नीचे कोई कार्यवाही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने की है ?

श्री केदार नाथ : सैक्शन 3(1) के तहत नहीं की है । इनको शीघ्र कार्यवाही करने के लिए कहा गया है । मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो मौजूदा कानून है, उसको इफैक्टिव बनाने के लिए अमेन्डमेन्ट करना जरूरी है और राज्य सरकार उस पर विचार कर रही है ।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्रिमीनल प्रोसीजर कोड की जो धारा 110 है, उसको देखते हुए क्या आप इस गुंडा एक्ट को खतम करना चाहते है या नहीं ? नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री केदार नाथ : खतम करने का प्रश्न नहीं है ।

श्री मूलचन्द डागा : कारण क्या हैं ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : इमर्जेन्सी में जितने भी कानून पास हुए हैं उनको आपकी पार्टी के हिसाब से खतम करने की नीति है क्या ?

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत): आप चाहते हैं क्या ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : हम इसमें सहयोग देंगे । संशोधन सामने लाना चाहते हैं क्या आप ?

श्री उपाध्यक्ष: नैक्स्ट । श्री बंशील[ाल] सारस्वत ।

अमेरिका से जोधपुर विश्वविद्यालय को प्रा[प्त] उपकरण

340. **श्री बंशीलाल सारस्वत** (नागौर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बता[ने] की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जादव[पुर] विश्वविद्यालय को भेजा जाने वाला [...] कीमती उपकरण संयुक्त राज्य अमेरि[का] से उपहार स्वरूप भेजा गया गलती [से] जोधपुर विश्वविद्यालय में आ गया था ;

(2) क्या यह सही है कि रजिस्ट्र[ार] ने उक्त उपकरण प्राणि शास्त्र विभा[ग] जोधपुर विश्वविद्यालय को भेजा था [;] यदि हां, तो क्या वह उपकरण जोध[पुर] विश्वविद्यालय में है या जादवपुर विश[्व]विद्यालय को भेज दिया ?

(3) यदि वह वहां उपलब्ध न[हीं] है तो क्या कोई रिपोर्ट आज तक पेश [की] ? यदि हां, तो क्या ?

(4) राज्य सरकार व विश्[व]विद्यालय इस बारे में अब क्या [...] चाहता है ?

शिक्षा मंत्री (श्री ललित किश[ोर] चतुर्वेदी): (1) जी नहीं । उपकरण जा[दव]पुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता गलती [से] चला गया था । वस्तुतः यह उपकर[ण] जोधपुर विश्वविद्यालय के लिए ही था [।] बाद में जोधपुर विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर लिया गया ।

Page No.3

लित किशोर चतुर्वेदी) :

(2) जी हां । उक्त उपकरण प्राणि स्त्र विभाग, जोधपुर विश्वविद्यालय भेजा गया । यह उपकरण जोधपुर विश्व-ालय के प्राणि शास्त्र विभाग में उपलब्ध ।

(3) चूंकि उक्त उपकरण जोधपुर विश्वविद्यालय में उपलब्ध है अतः रिपोर्ट पेश करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री बंशीलाल सारस्वत : क्या मंत्री ोदय आज भी किसी वरिष्ठ पुलिस धिकारी को वहां भेज कर इसको वैरीफाई राने के लिए तैयार हैं ? क्या वास्तव में ाधपुर विश्वविद्यालय में वह उपकरण ौजूद है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वहां र मौजूद है । आप जानकारी दे रहे हैं तो कसी को भेजकर जांच करवा ली जाएगी ।

श्री बंशीलाल सारस्वत : उसकी कोई न्ट्री स्टाक रजिस्टर में मौजूद है ? जो ाथोरिटी विश्वविद्यालय का प्रति वर्ष फिजिकल वैरीफिकेशन करती है, उसने इस सम्बन्ध में कोई ऐतराज किया है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं माननीय सदस्य को यह निवेदन करना चाहता हूं कि गलती से वह उपकरण जादव-विश्वविद्यालय, राजस्थान के नाम से वहां पर चला गया था । वहां से वह मंगा लिया गया है और अब वह जोधपुर विश्व-विद्यालय में है । समय समय पर फिजिकल वैरीफिकेशन होता है । इसका वैरीफिकेशन हुआ है या नहीं, इसकी निश्चित जानकारी मेरे पास नहीं है ।

श्री बंशीलाल सारस्वत : क्या मंत्री महोदय यह बताने का प्रयास करेंगे कि वह उपकरण किस तारीख को आया ? और क्या इसके पूर्व भी रैफ्रीजरेटेड अपरेटस जोधपुर यूनिवर्सिटी में आए हैं ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वह जो रैफ्रीजरेटेड वारबर्ग अपरेटस् है वह जोधपुर विश्वविद्यालय के प्राणि शास्त्र विभाग ने मंगवाया था । वह इंडिया सप्लाई मिशन द्वारा मैसर्स प्रेनीयर साइन्टिफिक, 22 नार्थ मूरी स्ट्रीट, न्यूयार्क से खरीदा गया था ।

श्री उपाध्यक्ष : इफैक्टिव सप्लीमेन्ट्री पूछें । सप्लीमेन्ट्री फॉर दी सेक आफ सप्ली-मेन्ट्री न करें ।

प्रश्न संख्या 341

श्री अब्दुल हादी ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 342

श्री रणजीतसिंह राठौड़ ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री कल्याणसिंह ।

कोषागारों की क्रमोन्नति

343. श्री कल्याणसिंह सांखला (अजमेर पूर्व) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष बीकानेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर व गंगानगर कोषागार को क्रमोन्नत कर के वहां वरिष्ठ कोषागार अधिकारी के पद

(श्री कल्याणसिंह सांखला)
स्वीकृत किये गये थे ? यदि हां, तो क्रमोन्नत करने का क्या आधार था ?

(2) क्या यह सही है कि अजमेर कोषागार को क्रमोन्नत नहीं किया गया जब कि उपरोक्त नगरों के कोषागारों से अजमेर कोषागार का कार्य अधिक है ? यदि हां, तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री आदित्येन्द्र) : (1) जी हां । क्रमोन्नत करने का आधार उक्त कोषागारों में (1) प्राप्त होने वाले विपत्रों की संख्या, (2) मुद्रांकों की बिक्री, (3) आहरण एवं वितरण अधिकारियों की संख्या, (4) पेन्शन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या, एवं (5) कोषागार के अन्तर्गत आने वाले उप-कोषालयों की संख्या का होना था ।

(2) जी हां । परन्तु यह सत्य नहीं है कि अजमेर कोषागार का कार्य अन्य कोषागारों से अधिक है ।

श्री कल्याणसिंह सांखला : उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर जिला काफी बड़ा जिला है । साथ ही अजमेर जिले में पेन्शन के केसेज राजस्थान के किसी भी जिले से कम नहीं हैं । अजमेर की ट्रेजरी में राजस्थान के किसी भी कोषागार से कम काम नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्पेसिफिक प्रश्न करिये ।

श्री कल्याण सिंह सांखला : अजमेर जिले के कोषागार में राजस्थान के अन्य जिलों के कोषागार से कम काम नहीं है, फिर अजमेर जिले के सम्बन्ध में ऐसा क्यों किया गया ?

श्री आदित्येन्द्र : केवल बीकानेर जि[ला] ही ऐसा है जहां पर कि पेन्शनरों की संख्या कम है । बाकी के जितने भी और जिले [हैं] उनमें पेन्शनरों की संख्या ज्यादा है । [उस] समय यह समझ कर कि वहां पर काम ज्या[दा] है और उप-कोषागारों की संख्या ज्यादा [है] इसलिए इन पांच जगहों को सलैक्ट किया गया था ।

श्री कल्याणसिंह सांखला : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि अजमेर जिले को क्रमोन्नत कर[ने] का विचार है या नहीं ?

श्री आदित्येन्द्र : इस समय तो कोई विचार नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट । सुश्री पुष्पा जैन ।

आमेर के ग्रामीण क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य

344. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र आमेर के ग्रामीण क्षेत्र, विशेषकर पश्चिमी क्षेत्र में 10-15 वर्ष में कोई नई सड़क का निर्माण किया गया है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) क्या यह सही है कि इसी क्षेत्र में कालवाड़ से मुंडोता, छोटवाड़ा से निवारू, नींदड़ से जयरामपुरा, राजास से नांगल पुरोहित, रामपुरा डाबड़ी से मोड़ी तक सड़कों के निर्माण की मन्जूरी की गई थी ? अगर हां, तो कितने कितने रुपयों के ठेके मन्जूर हुए थे ? क्या मन्जूरशुदा राशि इन

(सुश्री पुष्पा जैन)

सड़कों पर खर्च कर दी गई है ? अगर नहीं, तो क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या यह सही है कि ये सड़कें जहां तक मंजूर हुई हैं वहां तक पूर्ण रूप से बना दी गई हैं ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ? एवं स्वीकृत राशि का क्या किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(4) क्या यह सही है कि सड़कें बनाने के नाम से इन रास्तों पर पत्थर डाल कर रास्तों को खराब कर दिया गया है एवं अभी भी वे पत्थर रास्ते में देहाती जनता के लिए मार्ग के कंटक बने हुए हैं ? अगर हां, तो क्यों ? एवं क्यों नहीं इन सड़कों को पूर्ण बनाया जा रहा है ? इतनी राशि को मात्र मिट्टी एवं पत्थर डाल कर बेकार क्यों किया गया, जिसका अर्थ-व्यवस्था में कोई उपयोग नहीं हो सका ?

(5) कमानी फैक्ट्री, झोटवाड़ा से खोराबिसल तक रोड निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा कितने पैसे मंजूर किये गये और कितने पैसे खर्च किये गये ? क्या जितना पैसा मंजूर हुआ उस सारे पैसे का सदुपयोग किया गया ? अगर हां, तो सड़क का कार्य पूरा क्यों नहीं हुआ ?

(6) क्या अब इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई सड़क बनाने का विचार है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ? अगर हां, तो कब तक ?

(7) क्या यह सही है कि सिरसी-बेगस सड़क की राज्य सरकार ने संसद के चुनावों से पूर्व 8,00,000 रुपये की स्वीकृति दी थी और टेन्डर व शर्तें आदि भी हो गये थे, किन्तु कार्य चालू करने का उस वक्त आर्डर नहीं दिया गया और बाद में एक लाख रुपये का पुनः टेन्डर हुआ और शेष राशि की स्वीकृति को रद्द कर दिया गया ।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) जी हां ।

(2) चाही गई सूचना सूची (क) सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(3) जी नहीं । कार्य पूर्ण नहीं कराये जाने के कारण प्रपत्र (क) में दर्शाये गये हैं ।

(4) एकत्रित किये गये मैटीरियल को यद्यपि मार्ग के एक ओर रखने का प्रयत्न किया जाता है फिर भी स्थानाभाव के कारण मार्ग पर पड़े हुए मैटीरियल से असुविधा स्वाभाविक है । धनाभाव के कारण सम्पूर्ण एकत्रित मैटीरियल का उपयोग कर सड़क बनाया जाना सम्भव नहीं है । फिर भी जो सड़क न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत की गई थी, उसके लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रस्ताव परिवर्तित बजट में किया गया है एवं कार्य इसी वर्ष प्रारंभ कराये जाने की संभावना है ।

(5) कमानी फैक्ट्री, झोटवाड़ा से खोराबिसल (खरना) तक सड़क निर्माण हेतु अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत 3.60 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति वर्ष 1972-73 में दी गई थी, जिसके अन्तर्गत 0.73 लाख रुपये का व्यय किया गया था किन्तु अकाल राहत कार्यों की अवधि समाप्त होने के कारण अपूर्ण ही छोड़ना पड़ा ।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

(5) इस क्षेत्र में निम्नलिखित सड़कों का कार्य इसी वर्ष चालू करने का प्रस्ताव है:—

क. सिरसी से बेगल

ख. जाहोता अप्रोच सड़क

ग. महापुर निवता सड़क

घ. मुंडोता अप्रोच सड़क ।

(7) जी नहीं। मार्च, 1977 में केवल 1.5 लाख रुपये की ही स्वीकृति प्रदान की गई जिसके अनुसार आवश्यक टैन्डर प्राप्त कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

सुश्री पुष्पा जैन : क्या अतिवृष्टि और बाढ़ से उत्पन्न अकाल राहत कार्यक्रमों के अन्तर्गत इन सड़कों का निर्माण पूरा होगा ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जैसा कि मैंने निवेदन किया था, जो परिवर्तित बजट में राशि होगी उसका उपयोग किया जाएगा । अभी राज्य सरकार ने अकाल राहत कार्य शुरू नहीं किये हैं । बाढ़ग्रस्त इलाकों में काम कराने का निश्चय नहीं किया है ।

प्रश्न संख्या 345

श्री उपाध्यक्ष: नैक्स्ट । श्री अचलाराम ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री बत्तीलाल ।

ग्राम गाठेड़ा के निवासियों के साथ मारपीट का मामला

346. श्री बत्ती लाल (टोडाभीम): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अगस्त, 1977 में ग्राम गाठेड़ा, तहसील नदोती व जिला सवाई माधोपुर के श्री रामधन व श्री गुल्ल मीणा के साथ ग्राम ढहरिया के 10-12 बदमाशों ने मारपीट की एवं उन्हें पूर्णत: जख्मी कर उनके घरों को आग लगा दी?

(2) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में उपरोक्त विषय को लेकर गांव का एक शिष्टमण्डल भी गृह मन्त्री से मिला ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की और क्या आदेश प्रसारित किये ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त केस में जांचकर्ता उप-अधीक्षक, पुलिस, गंगापुर सिटी ने मारपीट करने वाले गुण्डों से पैसे हड़प कर इस केस में कोई कार्यवाही न करने का आश्वासन उन गुण्डों को दिया जिससे कि उन गुण्डों को और प्रोत्साहन मिला?

(4) क्या राज्य सरकार उपरोक्त केस की तफतीश किसी ईमानदार पुलिस आफिसर से कराकर दोषी व्यक्तियों को सजा देने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? क्या दोषी पुलिस अधिकारी, जिसने कि पैसे लेकर केस दबाने की साजिश की है, की भी जांच कराने का इरादा रखती है ?

गृह मन्त्री (श्री केदारनाथ) : (1) जी हां । आठ आदमियों के खिलाफ

(श्री केदारनाथ)

मुकदमा जेर दफा 147, 149, 323 व 447 दर्ज हुआ है और दो आदमियों के खिलाफ उपर्युक्त अपराधों के अलावा 436 आई. पी. सी. का अपराध भी दर्ज हुआ है ।

(2) प्रश्नकर्ता विधायक की सिफारिश के साथ श्री रामधन का एक प्रार्थना-पत्र पेश किया गया था, जिस पर उप-अधीक्षक, पुलिस, गंगापुर को इस मामले में आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने हेतु निर्देश दे दिये गये थे ।

(3) जी नहीं ।

(4) मुकद्दमे से सम्बन्धित सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अनुसन्धान पूर्ण होकर चालान शीघ्र ही पेश किया जावेगा। पुलिस अधिकारी के विरुद्ध पैसे लेने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । अगर इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होगी तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

श्री बत्तीलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो गिरफ्तार कर लिये गये हैं वह छोड़ दिये गये हैं या पुलिस की हिरासत में हैं ?

श्री केदारनाथ: अदालत से जमानत ले ली है ।

श्री मूलचन्द डागा : गृह मन्त्री की बात से यह साबित हो गया है कि यह विधायकों की सिफारिश मानते हैं ।

श्री केदारनाथ : आपका मतलब क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट। श्रीमती नारंगी देवी ।

शाहबाद सम्भाग में हैजे व आंत्रशोथ से मृत्यु तथा मलेरिया प्रकोप को रोकने की व्यवस्था

347. **श्रीमती नारंगी देवी** (किशनगंज) : क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि किशनगंज चिकित्सालय में चार बिस्तरों की स्वीकृति है परन्तु अर्थाभाव व स्थानाभाव के कारण केवल दो ही बिस्तरों की अभी व्यवस्था है ?

(2) क्या यह सही है कि परानिया डिस्पैन्सरी के लिए डाक्टर की स्वीकृति है परन्तु उसकी नियुक्ति अन्यत्र कहीं है और इस डाक्टर का वेतन परानिया डिस्पैंसरी के नाम पर उठाया जाता है ?

(3) क्या यह सही है कि शाहबाद संभाग में हैजे व आंत्रशोथ से 15 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है, और राहतकार्य में अनावश्यक देरी हुई है ? यदि हां, तो मृतक-परिवारों को राज्य सरकार द्वारा कितनी आर्थिक सहायता दी गई है ?

(4) शाहबाद, किशनगंज क्षेत्र में बढ़ते हुए मलेरिया के प्रकोप से जनता को राहत दिलाने के लिए क्या अतिरिक्त व्यवस्था की गई है ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) जी हां, अब तक रोगियों की संख्या को देखते हुए वहां पर दो शैयाएं पर्याप्त थीं । अब जनता

Page No.8

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
की मांग आने पर दो रोगी शैयाएं और भेजी जा रही हैं।

(2) जी नहीं। परानिया डिस्पेंसरी पर पदस्थापित डाक्टर को अन्यत्र नहीं लगाया गया है। उक्त पद के रिक्त रहने की अवधि में बारां स्थित चिकित्सक का वेतन उठाया गया था।

(3) जी नहीं। शाहबाद संभाग में हैजे व आंत्रशोथ से केवल 5 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है व राहत कार्य में कोई विलम्ब नहीं किया गया है। इस प्रकार के रोगों से मरने वालों को आर्थिक सहायता देने का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) शाहबाद, किशनगंज क्षेत्र में मलेरिया के प्रकोप को रोकने हेतु निम्न व्यवस्था की गई है:—

(1) मलेरिया उन्मूलम की संशोधित प्रणाली के अन्तर्गत कोटा क्षेत्र के लिए एक नया पद सृजित कर अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

(2) बुखार की गोली बांटने के लिए 149 डिपो खोले गये हैं। जहां से मलेरिया निरोधक गोलियां दी जाती हैं।

(3) मलेरिया रोग के रक्त की तत्काल जांच हेतु प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक टेक्निशियन की नियुक्ति की गई है।

(4) इस क्षेत्र के अन्तर्गत कीटनाशक औषधि के छिड़काव का प्रथम चरण दिनांक 15-5-77 से शुरू कर दिया गया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): क्या डी.डी.टी. का असर बिल्कुल समाप्त हो गया है?

श्री ओंकार लाल चौहान (अटरू): उपाध्यक्ष महोदय, क्या दवाई का असर कम हो गया है?

एक माननीय सदस्य: आई.एस.आई. द्वारा गलत तरीके से इस दवा का टेस्ट होता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): यह बहुत गलत प्रचार किया जा रहा है। मंत्री महोदय, मेरा निवेदन है कि यह कहना भी गलत है कि मच्छर दवा पचा लेते हैं। राजस्थान में आपको जो डी.डी.टी. प्राप्त हो रही है, उसका सेम्पल तो आई.एस.आई. से मंगवाया जाता है। मैं आपकी जनकारी में यह लाना चाहता हूं कि बी.एच.सी. पाउडर है वह स्टैण्डर्ड के माफिक टैस्ट करा देते हैं। लेकिन असल में वह चीज नहीं होती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके जो ड्रग बैग आते हैं आप उन सभी का टैस्ट करायें। इससे बहुत बड़ा भण्डाफोड़ होगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सारे बैग्स का टैस्ट कराना तो सम्भव नहीं होगा। स्पेसिमैन का टैस्ट करा सकते हैं। स्पेसिमैन का टैस्ट कराया जा सकता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह: बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट हो रही है। स्टैण्डर्ड के माफिक चीज नहीं आती है।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय): मलेरिया से 16 आदमी मरे हैं।

Page No.9

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये।

श्री रतनलाल वर्मा : मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। डी.डी.टी. में कमी नहीं है यह हमारे मंत्री महोदय सदन में कहते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि इसकी छानबीन करायें।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री शिवचरण सिंह (बयाना) : क्या राजस्थान सरकार डी.डी.टी. का प्लाण्ट लगायेगी ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है वह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया है, उस पर हम विचार करेंगे।

श्रीमती नारंगी देवी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि यह आदिवासी क्षेत्र है। क्या मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता देने के बारे में कुछ सोचा गया है ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जो प्रश्न से सम्बन्धित उत्तर था, वह दे दिया गया है।

श्री रावतराम (सुजानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मलेरिया के बारे में क्या सोचा है ? डी.डी.टी पर खर्चा हो रहा है। डी.डी.-टी. को आप एग्जामिन करायें।

श्री उपाध्यक्ष : वह माननीय प्रद्युम्न-सिंह कह चुके हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि डी.डी.टी. में मिलावट है तो असली डी.डी.टी. मच्छरों पर छिड़क कर देखना चाहिए।

श्री बाऊदयाल जोशी (दीगोद) : मैं निवेदन करूंगा कि आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली में एक सुदर्शन भृंगवटी नाम की दवा है। वह निश्चित रूप से मलेरिया के लिये एक पावरफुल औषधि है, इसका प्रयोग किया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री नवलराय बच्चाणी।

अजमेर शहर में यातायात की व्यवस्था

348. **श्री नवलराय बच्चाणी** (अजमेर पश्चिम) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर शहर की यातायात व्यवस्था (सी.टी.एस. बस) सर्विस, टैम्पो, रिक्शा सन्तोषजनक नहीं है ?

(2) क्या इस सम्बन्ध में सुधार करने के लिये राज्य सरकार के सामने कोई योजना विचाराधीन है ?

यातायात मंत्री (श्री केदारनाथ) : (1) जी नहीं।

(2) जी हां। और अधिक आॅटो रिक्शा को अनुज्ञापत्र देने के लिये कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है।

श्री नवलराय बच्चाणी : क्या साइकिल रिक्शा के लिए भी गवर्नमेंट से लाइसेंस दिया जाता है ?

श्री केदारनाथ : जी हां।

श्री कल्याणसिंह सांखला : क्या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने अजमेर में सिटी बस चलाने की कोई योजना बनाई है ? यदि बनाई है, तो वह अभी तक प्रारंभ क्यों नहीं की गई ?

श्री केदारनाथ : 12 परमिट दिये गये हैं।

श्री कल्याणसिंह सांखला : वह तो प्राइवेट बसों को दिये गये हैं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की योजना क्या है?

श्री केदारनाथ : यह योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है। 12 सिटी बसेज को और 162 ऑटो रिक्शा वालों को परमिट दिये गये हैं।

श्री कल्याणसिंह सांखला : अजमेर की बाउन्ड्री लाइन में 28 गांव हैं। क्या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अजमेर में सिटी बसेज के रूप में कोई बस चलाना चाहता है? यदि हां, तो कितने दिनों में चालू कर दी जायेगी?

श्री केदारनाथ : यह राज्य सरकार के विचाराधीन है। आज तो इसका उत्तर कैसे दिया जा सकता है?

श्री कल्याणसिंह सांखला : अजमेर शहर में यातायात की परेशानी हो रही है। प्राइवेट बसेज टाइम पर चलती नहीं हैं।

श्री केदारनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए जिला स्तर पर एक कमेटी बनी हुई है। माननीय सदस्य भी उस कमेटी के सदस्य हैं। उसकी बैठक जब हो उसमें विचार किया जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (मांडल) : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि बसेज की जो व्यवस्था अजमेर के लिये है वैसी ही व्यवस्था क्या दूसरी जगह पर भी राज्य सरकार करने का विचार रखती है? इसी प्रकार से मांडल और भीलवाड़ा के अन्दर भी दिक्कत है।

श्री उपाध्यक्ष : पूरे राजस्थान में ही इस तरह की समस्या है। यह तो जनरल क्वेश्चन है।

नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री काशीनाथ गुप्त।

विज्ञापन की राशि

349. श्री काशीनाथ गुप्त (कुम्हेर) : क्या राज्य मंत्री, जन सम्पर्क यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान सरकार की ओर से इस वर्ष विज्ञपन की राशि का कितना प्रतिशत बड़े समाचार-पत्रों को मिला है और कितना प्रतिशत उन लघु समाचार-पत्रों को दिया गया है जो गांव में पहुंचते हैं और ग्रामीण समस्याओं पर प्रकाश डालते हैं?

(2) जनता सरकार लघु एवं मध्यम वर्ग को पनपाना चाहती है और ग्रामीण क्षेत्रों को महत्व दे रही है इसी दायरे की सेवा करने वाले और आपातकाल में सताये हुए लघु समाचार-पत्रों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये वर्तमान विज्ञापन नीति में क्या परिवर्तन करना चाहती है?

राज्य मंत्री जन सम्पर्क (श्री महबूब अली) : (1) राजस्थान सरकार की ओर से इस वर्ष (अप्रेल, 77 से 31 अगस्त, 77 तक) विज्ञापन की कुल राशि का 33 प्रतिशत बड़े समाचार-पत्रों को दिया गया है तथा 67 प्रतिशत लघु एवं मध्यम समाचार-पत्रों को दिया गया है। चालू वर्ष में विज्ञापन के बजट में रुपये 10 लाख का प्रावधान है।

(2) विज्ञापन नीति में क्या परिवर्तन किया जाय, इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) : यह विचार कब तक पूरा हो जायगा?

(श्री श्योपतसिंह मकासर)
क्या आप भी अभी तक कांग्रेस की नीतियों पर चल रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : यह तो जनरल सप्लीमैन्ट्री क्वेश्चन है।

श्री काशीनाथ गुप्त : बड़े समाचार-पत्रों की संख्या कितनी है और उनको किस आधार पर विज्ञापन दिया जाता है तथा छोटे समाचार-पत्र कितने हैं और उनको किस आधार पर विज्ञापन दिया जाता है ? साथ ही यह भी बतलायें कि बड़े समाचार-पत्रों के लिए आपातकाल में क्या नीति अपनाई गई ?

श्री महबूब अली : रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर्स के अनुसार 50 हजार से अधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र को बड़ा समाचार-पत्र माना जाता है। उनकी संख्या 18 है, बाकी संख्या 212 है।

श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा) : जिन सम्पादकों को मीसा में बन्द किया था उनके विषय में सरकार क्या विचार कर रही है ? दूसरी बात, जिन जिलों में छोटे अखबार निकलते हैं उनको विज्ञापन देने और मान्यता देने के लिए सरकार की क्या नीति है ?

श्री महबूब अली : इस प्रश्न का इससे ताल्लुक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो जनरल क्वेश्चन है, नीति के बारे में।

श्री काशीनाथ गुप्त : उपाध्यक्ष महोदय, फलौदी से 'केसरी' और दूसरे जो ...

श्री महबूब अली : इसके बारे में तो आप लोग ज्यादा जानते हैं कि आपातकाल में अखबारों का क्या रोल था और किस प्रकार के अखबार निकलते थे। क्या आवश्यक बातें थीं उनको निकालने के लिए। 18 अखबार रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर्स के अनुसार बड़े अखबार हैं, जिनका सर्क्यूलेशन 50 हजार से अधिक है उनकी संख्या 18 है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : राजस्थान के अन्दर 50 हजार से अधिक सर्क्यूलेशन वाले समाचार पत्रों की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं ? दूसरा सवाल मेरा यह है कि क्या यह मानकर चला जाय कि ऐसे पत्रों की संख्या राजस्थान में नगण्य है इसलिए जो 33 प्रतिशत खर्चा आप विज्ञापनों पर करते हैं वह सब बाहर के अखबारों को देते हैं ? आपकी जो सूचना है....

श्री महबूब अली : जो सूचना उपलब्ध है उसके अनुसार 50 हजार से अधिक सर्क्यूलेशन वाला अखबार यहां कोई नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसका मतलब यह है कि पैसा बाहर जा रहा है। राजस्थान में जो दैनिक पत्र बीकानेर, जोधपुर वगैरह से निकलते हैं, क्या राज्य सरकार उन अखबारों को संरक्षण देने के लिये नीति में परिवर्तन करेंगे ?

श्री रघुनंदन व्यास (सिरोही) : क्या वर्तमान नीति के अनुसार सभी जिलों के पत्रों को विज्ञापन दिया जाता है ?

श्री महबूब अली : विज्ञापन नीति के बारे में विचार किया जा रहा है। अभी केन्द्र में यह विचार चल रहा है, उसका इन्तजार कर रहे

(श्री महबूब अली)
हैं। राज्य सरकार की मन्शा है कि छोटे पत्रों को अधिक संरक्षण दिया जाय। इस बारे में राज्य सरकार सोच रही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने एक सप्लीमेन्ट्री पूछ लिया है। अब इस पर काफी चर्चा हो चुकी है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : क्या राजस्थान के किसी पत्र को एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया जायगा ?

श्री काशीनाथ गुप्त : इस प्रकार के पत्रों के साथ ज्यादती हुई है।

श्री रतन लाल वर्मा : माननीय मंत्रीजी बतायेंगे कि जिन अखबारों के साथ सरकार ने इमर्जेन्सी के दौरान ज्यादतियां कीं, उनको क्या राहत दी गई है ? जिन लोगों ने ज्यादतियां की क्या उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? जिन लोगों ने जनता पर जुल्म किये थे, क्या सरकार उनके विरुद्ध कुछ कदम उठायेगी ?

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से भाषण देते हैं, तो हम जो सप्लीमेन्ट्री पूछना चाहते हैं वह पूछ नहीं सकते।

श्री काशीनाथ गुप्त : मंत्री महोदय बतायें कि किस कारण से राजस्थान के किसी छोटे अखबार को विज्ञापन नहीं दिया जा रहा है ? जिन दैनिक अखबारों का 50 हजार से अधिक वितरण नहीं होता है वह दैनिक अखबार राजस्थान के किसी कोने में तो जाते ही हैं, क्या सरकार उनके लिये कन्डीशन रिलैक्स करने पर विचार करेगी ?

श्री उपाध्यक्ष : इसके बारे में उत्तर दे दिया है कि विज्ञापन नीति पर विचार कर रहे हैं।

श्री काशीनाथ गुप्त : इस बात के लिये नहीं कहा। राजस्थान के हर कोने में कोई न कोई दैनिक पत्र जाता है।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : जिस वक्त विज्ञापन नीति पर विचार करेंगे, तो आपकी बात पर भी विचार किया जायेगा।

श्री काशीनाथ गुप्त : विज्ञापन की एक-तिहाई रकम बड़े समाचार-पत्रों को दी गई है, आपातकाल में पीड़ित 212 अखबार, जो ग्रामीण जनता के पास पहुंचते हैं, को बहुत कम विज्ञापन दिया है।

श्री महबूब अली : इस पर विचार किया जा रहा है। मैंने आपसे निवेदन किया कि इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : विचार जल्दी करें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब बहुत सप्लीमेंट्री हो चुके हैं। अब और सप्लीमेंट्री नहीं होगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय मुख्य मंत्री ने आमूल-चूल परिवर्तन करने की बात कही, अब तो राजस्थान का हर मंत्री आमूल-चूल परिवर्तन की बात कर रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका तो आमूल-चूल परिवर्तन हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित प्रश्नों की लंबी सूची है, इसलिये मैं उन्हें प्राथमिकता दे रहा हूं।

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री नवरंग सिंह ।

स्थगित प्रश्न

पंचायत समिति, बुहाना के निलंबित कर्मचारी

28. **श्री नवरंग सिंह** (नवलगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पंचायत समिति, बुहाना, झुन्झुनू में 1959 से अब तक कितने कर्मचारियों को कब-कब निलंबित किया गया ? क्या इन कर्मचारियों को निलंबित होते ही निलंबन-पत्र दिया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं दिया गया ?

(2) पंचायत समिति, सूरजगढ़ व बुहाना (झुन्झुनू) में कौन-कौन सी प्राथमिक शालायें बिना विभागीय अनुमति के उच्च प्राथमिक शालाओं की कक्षायें चला रही हैं ? इन शालाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के दाखिले की क्या व्यवस्था की जा रही है ? क्या इस व्यवस्था के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

राज्य मंत्री, पंचायत (श्री कैलाश मेघवाल): (1) पंचायत समिति, बुहाना के निलम्बित कर्मचारियों से संबंधित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है। इन कर्मचारियों को निलंम्बित होते ही निलम्बन-पत्र दिया जाना बताया गया है।

(2) पंचायत समिति, सूरजगढ़ में वर्ष 1974-75 में एक प्राथमिक विद्यालय, देवरोड को बिना विभागीय अनुमति के उच्च प्राथमिक शाला में क्रमोन्नत किया गया था। पंचायत समिति, बुहाना में वर्ष 1973-74 में पाठशाला गुन्त, माकड़ों तथा मुरादपुरा को उच्च प्राथमिक शाला में क्रमोन्नत किया गया था। इन विद्यालयों की स्वीकृति अब शिक्षा विभाग के आदेश संख्या एफ. 10 (17) शिक्षा/ग्रुप 7/69, दिनांक 23-8-77 के द्वारा प्राप्त हो चुकी है। इन शालाओं से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी अपनी-अपनी सुविधानुसार अलग-अलग जगह दाखिला लेते रहे हैं। इन विद्यालयों से उत्तीर्ण किसी विद्यार्थी को अन्य विद्यालयों में दाखिला न मिलने संबंधी कोई शिकायत पंचायत समिति को प्राप्त नहीं हुई है। अतः किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट संख्या 3 देखें)

श्री नवरंग सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि जो कर्मचारी निलंबित किए गए हैं उनसे डिस्पैच रजिस्टर में दस्तखत कराकर निलंबन-पत्र दिया गया ? दूसरे, जो अध्यापक सस्पेंड किये गये हैं उनके लिए बताया गया है कि पढ़ाई का स्तर निम्न होने के कारण निलम्बित किये गये। क्या सर्विस रूल्स के अनुसार उनका पढ़ाई का स्टैंडर्ड लो होने के कारण उनको सस्पेंड कर सकते हैं ?

श्री कैलाश मेघवाल : डिस्पैच रजिस्टर में दस्तखत कराकर उनको निलंबन-पत्र दिया गया है या नही, इस बात की जानकारी मेरे पास नहीं है। किसको किन कारणों से सस्पैंड किया गया है, वह सूची में बताए गए हैं। सूची मैंने सदन की मेज पर रख दी है। अब इस प्रश्न पर शिक्षा विभाग के क्या निर्देश हैं, पढ़ाई का स्तर ठीक न रहने से या नीचे रहने से निलंबित किया जा सकता

(श्री कैलाश मेघवाल)
है या नहीं, इस विषय में मेरे पास जानकारी नहीं है। मैं स्वीकार करता हूं कि शिक्षा विभाग के नियम बने हुए हैं, उनको देखने के बाद ही माननीय सदस्य को जानकारी दे सकूंगा।

श्री नवरंग सिंह : किशनलाल, अध्यापक के लिए दिखाया गया है कि बकरी के साथ बलात्कार के कारण पुलिस केस किया है। पुलिस केस में क्या कार्यवाही हुई ? पुलिस केस बन जाने से ही सस्पेंड करना जरूरी है ?

श्री कैलाश मेघवाल : भारतीय दंड संहिता की धारा 377 से माननीय सदस्य परिचित हैं, उसके अंदर यह भयंकर अपराध नैतिक दुराचारण की परिभाषा में आता है। इस तरह का अपराध बनता है तो निलंबित करना उचित है। पुलिस केस की क्या स्थिति है, मैं सारी जानकारी लेने पर ही माननीय सदस्य को सूचित कर सकूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप तीन सप्लीमेंट्री पूछ चुके हैं।

श्री नवरंग सिंह : पुलिस केस में प्रगति क्या है ?

श्री कैलाश मेघवाल : मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि बकरी के साथ बलात्कार करने पर पुलिस केस बना है। अब उसमें क्या प्रगति हुई......

श्री नवरंग सिंह : हुई भी या नहीं, इसके बारे में भी आप निश्चित नहीं हैं ?

श्री कैलाश मेघवाल : अगर माननीय सदस्य इस कारण प्रश्न को फिर से स्थगित कराना चाहें तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैं जानकारी मंगा लूंगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : जब यह सवाल निलंबन के बारे में पूछा गया है तो आपको इस बारे में जानकारी करनी चाहिए थी। बिना जानकारी के सिर्फ यह कह देना उचित नहीं है कि मुझे मालूम नहीं, उसको सस्पेंड करने का नोटिस दिया गया है या नहीं, आपको जवाब देने के लिये तैयार होकर आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न गृह विभाग से भी संबंध रखता है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : नहीं। कोई भी जुर्म सरकारी अधिकारी करता है तो यह जानकारी विभाग को होनी चाहिए कि पुलिस में क्या कार्यवाही चल रही है ?

श्री नवरंग सिंह : एक और अर्जुनलाल वर्मा ग्राम सेवक है जिसको 22-4-71 को सस्पेंड किया गया। उसमें क्या स्थिति है?

श्री उपाध्यक्ष : हर एक व्यक्ति के लिए आप पूछेंगे तो सप्लीमेंट्री की बाढ़ आ जाएगी, मैं इसको अलाउ नहीं करता।

श्री नवरंग सिंह : वहां का प्रधान करप्ट है। जान-बूझकर सस्पेन्शन्स करता रहता है।

श्री राम करण सिंह (कोटपूतली) : क्या यह सही है कि उक्त प्रधान हर अध्यापक से 100) रु. माहवार बंधनी वसूल करता रहा है और न देने पर सस्पेंड कर देता है ?

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : माननीय सदस्य ने जो अभी प्रश्न किया,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
क्या आपकी ऐसी मान्यता है कि वह प्रधान 100-100 रुपये लेकर ट्रांसफर्स करता है ? यदि आपकी ऐसी मान्यता है तो मैं निश्चित रूप से जांच कराऊंगा।

श्री रामकरण सिंह : इस बारे में राज्य सरकार के पास, संबंधित मंत्री के पास 3 साल से बराबर लिखित में वहां के अध्यापकों के ऐतराज और दरख्वास्तें उपलब्ध हैं, आप रिकार्ड से जांच करायेंगे तो आपको वे कागज मिल जायेंगे और आप चाहेंगे तो मैं भी पेश करूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप इसके बारे में लिखा कर भेजें, मैं अवश्य जांच करवाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री ओंकारलाल चौहान।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 8-9-1977)

ग्राम सेवा सहकारी समिति, सहरोंद में गबन का मामला

45. श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति होल्डर सहरोंद में श्री विश्वनाथ, सरपंच के विरुद्ध आडिट रिपोर्ट के अनुसार गबन करना बताया गया है और उस रकम को श्री विश्वनाथ से शीघ्र वसूल करना बताया गया था ?

(2) यदि हां, तो वह रकम कितनी व किस वर्ष की थी और राज्य सरकार उक्त रकम की वसूली की क्या कार्यवाही कर रही है ?

सहकारिता मंत्री (श्री त्रिलोकचन्द जैन) :
(1) जी हां।

(2) गबन एवं दुरुपयोग की कुल राशि का ब्यौरा संलग्न सूची में अंकित है। कुल राशि रुपये 19,112.86 पैसे है।

गबन एवं दुरुपयोग के बाबत राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियमानुसार जांच करवायी जा चुकी है व धारा 74 के अन्तर्गत 2,480.99 रुपये की डिक्री के आदेश भी पारित हो चुके हैं, किन्तु आदेशों के विरुद्ध न्यायालय अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों में अपील विचाराधीन है।

शेष राशि के लिये राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 128 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट संख्या 4 देखें)

श्री ओंकारलाल चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जो सूची दी गयी है इसमें यह मामला सन् 62, 63, 65 से, 67-68 से चल रहा है और राशि भी कोई कम नहीं है, 19,112 रुपये 86 पैसे। यह पूरी राशि क्यों नहीं आज तक वसूल हो पायी है?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला सबसे पहले सन् 62, 63 और 64 में ऑडिट होने पर सामने आया। फिर यह मामला चलते-चलते रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों को सन् 74-75 में प्राप्त हुआ। इसमें कुल राशि 19,112.86 पैसे है। इसी के बारे में दूसरी शिकायत असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, बारां के द्वारा सन् 68 में की

Page No.16

(श्री त्रिलोक चन्द जैन)

गयी। उसने सभी की जांच की और इसमें गबन व दुरुपयोग का मामला पाया गया। इसके लिये 17-1-69 को आरोप-पत्र जारी हुआ। उसका जवाब 17-11-70 को आया। उसके बाद में उस सरपंच, विश्वनाथ ने उसकी अपील की जो रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों ने 11-1-71 को खारिज की। उसकी उसने सहकारिता मन्त्री को 4-1-72 को अपील की जो कि मन्त्री महोदय द्वारा खारिज कर दी गयी। इसके बाद सन् 74 में रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां ने आदेश जारी कर दिये वसूली के जिसमें 2,480 रुपये 99 पैसे की डिक्री के आदेश पारित किये जा चुके हैं, पर विश्वनाथ ने दिनांक 25-8-75 को इसके लिये स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये थे। यह कार्यवाही सहकारिता अधिनियम की धारा 127 के अन्तर्गत की गयी।

श्री ओंकारलाल चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि 25-8-75 को स्थगन आदेश प्राप्त हो गये, और अभी तक यह केस चल ही रहा है। दो साल हो चुके हैं, उपाध्यक्ष महोदय, अब तक यह राशि वसूल क्यों नहीं की जा रही है ?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : मैंने निवेदन किया ना कि उसने अपील की है और उसकी अपील की सुनवायी हो रही है।

श्री ओंकारलाल चौहान : दो साल निकल गये है, उपाध्यक्ष महोदय, और अभी तक निर्णय नहीं लिया जा पा रहा है, ताज्जुब है।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : उपाध्यक्ष महोदय, रजिस्ट्रार, को ऑपरेटिव के पास काफी तादाद में अपीलें पड़ी हुई हैं। वहां पर कार्यवाही हो रही है। जल्दी ही वसूली के आदेश दे दिये जायेंगे।

श्री ओंकारलाल चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, अपील की है सन् 75 में और आज सन् 77 हो गया। कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ? कब तक वसूली हो जायेगी ? कोई निश्चित अवधि तो बताई जाय। बड़ा भारी गबन हुआ है। दुरुपयोग हुआ है।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, इसके स्थगन आदेश मिले हुए हैं, अपील की हुई है, पर कार्यवाही नहीं हो रही है।

श्री ओंकारलाल चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, सन् 75 से लेकर आज तक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां के पास अपील चल रही है, अब कितना समय और लगेगा ? कौनसी तारीख तक यह पैसा वसूल हो जायेगा ?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला सन् 75 से नहीं यह तो सन् 62-63 से चल रहा है। इसमें एक के बाद एक स्थगन आदेश लेते रहे हैं। यह बात सही है कि निश्चित रूप से कार्यवाही चल रही है। जांच उसके विरुद्ध हो रही है, इसीलिये तो 19,112 रुपये 86 पैसों में से 2,480 रुपये 99 पैसे की डिक्री हो चुकी है और बाकी 16,631 रुपये 87 पैसे रह गये हैं। वह भी जल्दी ही वसूल कर लिये जायेंगे। जांच चल रही है

Page No.17

(श्री त्रिलोकचन्द जैन)

जांच पूरी होते ही वसूल कर लिये जायेंगे। इसमें जो भी अधिकारी दोषी रहे हैं उनके खिलाफ में कार्यवाही की जायेगी।

श्री ओंकारलाल चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, सन् 62 से 77 हो गया है, पूरे 15 वर्ष हो गये हैं, और दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने की तो बात कह दी पर जिस व्यक्ति ने गबन किया है उससे पैसे वसूल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इतना अर्सा हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने बता दिया है कि जल्दी वसूल कर लिया जायेगा।

श्री ओंकारलाल चौहान : पूरे 15 साल हो गये हैं। धन का दुरुपयोग हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : पूरी जानकारी मन्त्री महोदय ने दे दी है, फिर क्या है ?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : मैंने कहा ना कि उसके लिये कार्यवाही हो रही है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि क्या सरकार इस बात के लिये सक्षम है। वह रजिस्ट्रार, को-आपरेटिव सोसाइटीज को डाइरेक्शन दे कि इस मामले को जल्दी ही निपटाया जावे। इसके साथ यह भी आदेश दें कि जितने भी इस प्रकार के गबन-घोटालों के मामले हैं जिनके बारे में स्थगन आदेश प्राप्त कर रखे हैं उन पर जल्दी ही कार्यवाही करें ?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे कई प्रकार के मामले हैं जिनमें स्थगन आदेश संबंधित पार्टियों ने या व्यक्तियों ने ले रखे हैं। उनके लिये आदेश दे दिये गये हैं कि जो अपीलें चल रही हैं उनको जल्दी ही निपटाया जाय।

श्री ओंकारलाल चौहान : आखिर कब तक पैसे वसूल कर लिये जायेंगे ? मन्त्री महोदय कोई निश्चित अवधि तो बतायें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मन्त्री महोदय ने उत्तर विस्तार से दे दिया है।

नैक्स्ट प्रश्न। श्री गिरधारीलाल भार्गव।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 8-9-1977)

वक्फ एवं देवस्थान की सम्पत्ति

50. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (किशनपोल, जयपुर) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में वक्फ और देवस्थान के तहत कितनी राशि के मकान, जेवरात व अन्य चीजें पंजीकृत हैं और यह सम्पत्ति कहां-कहां है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस प्रकार की सम्पत्ति का अभी क्या उपयोग हो रहा है ? क्या राज्य सरकार चाहती है कि इस सब का व्यवस्थित ढंग से उपयोग करने की योजना बनाई जाय ?

देवस्थान मन्त्री (श्री आदित्येन्द्र) : उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में दिनांक 7-9-77 को ही विधान सभा सचिवालय को यह सूचित कर दिया गया था कि इस प्रश्न के उत्तर की सामग्री इकट्ठी होने में

(श्री प्रादित्येन्द्र)

बहुत समय लगेगा, अतः इस प्रश्न को स्थगित किया जाय ।

श्री शिवचरण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें करोड़ों रुपयों के गबन-घोटाले हुए हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : जानकारी प्राप्त होने में समय लगेगा इसलिये स्थगित किये जाने के लिये कहा है ।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत): माननीय सदस्य को यदि कोई जानकारी है कि इसमें करोड़ों रुपयों के घोटाले हुए हैं तो वह हाउस को जानकारी दे दें क्या वह जानकारी देंगे ?

श्री शिवचरण सिंह : हां दूंगा ।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, संजय गान्धी के आगमन पर जो खर्चा यहां किया गया उसके बारे में भी सूचना मांगी थी। आज दो महीने से अधिक हो गये अभी तक तो कोई सूचना नहीं आई।

श्री शिवचरण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1949 में केला देवी और मदन मोहनजी के मन्दिर, जो करोली में हैं, देवस्थान कमिश्नर के पास आये । इन मन्दिरों के करोड़ों रुपयों के जेवरात बम्बई के बाजार में बिके ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह जानकारी दे दीजिये ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न को आपने स्थगित तो कर दिया, लेकिन इसका जवाब इस सैशन में आ जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं पूरी कोशिश करूंगा।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं तो मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, क्या उन्हें यह आशा है कि वह मुझे इस प्रश्न का जवाब इस सैशन में दे देंगे ? यह तो वह मुझे कह दें कि इस सैशन में ही दे देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय, इस प्रश्न का जवाब दे देंगे ।

नैक्स्ट । श्री गोविन्द सिंह ।

स्थगित प्रश्न

लोकराज बहुउद्देशीय सहकारी समिति लिमिटेड, लावा सरदारगढ़

51. **श्री गोविन्द सिंह शक्तावत** (कुम्भलगढ़) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) लोकराज बहुउद्देशीय सहकारी समिति लिमिटेड, लावा सरदारगढ़ (तहसील आमेट) के व्यवस्थापक ने समिति की पूंजी में से कितना रुपया हस्तगत कर रखा है, और इसकी वसूली के लिये राज्य सरकार ने क्या प्रयत्न किया है ?

(2) आमेट कोआपरेटिव लेबर कान्ट्रेक्ट सोसायटी लिमिटेड के सदस्य, श्री गिरवर जोशी, निवासी लावा सरदारगढ़, पंचायत समिति, आमेट ने कब-कब, कितनी-कितनी राशि प्राप्त की और रकम वसूली के संबंध में राज्य सरकार के क्या प्रयत्न जारी हैं ?

सहकारिता मंत्री (श्री त्रिलोकचन्द जैन) : (1) लोक राज वृहत् प्राथमिक

(श्री त्रिलोक चन्द जैन)
कृषि ऋणदायी सहकारी समिति लिमिटेड, लावा सरदारगढ़, तहसील आमेट के व्यवस्थापक द्वारा समिति की पूंजी हस्तगत करने के बाबत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(2) श्री गिरवर जोशी द्वारा विभिन्न तिथियों में अध्यक्ष पद का दुरुपयोग करते हुए समिति की 30,375 रुपये की राशि अनियमित रूप से उठाई गई है । समिति की जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है । पुलिस में केस दर्ज कराने के बाबत निर्देश दे दिये गये हैं ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह कब दे दिये गये हैं ?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : जांच अधिकारी ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उस केस में 13-5-77 को । उसका नोट 2-8-77 के आया और फिर रजिस्ट्रार ने केस पुलिस में दर्ज कराने के आदेश दे दिये हैं ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : पुलिस में 2-8-77 को केस दर्ज कराया या दर्ज कराने के आदेश दिये ?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : यह जानकारी प्राप्त करवा लूंगा ।

श्री गोविन्दसिंह शक्तावत : रकम की वसूली के लिए क्या किया जा रहा है ?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : वसूली की कार्यवाही की जा रही है । मामला पुलिस में दर्ज कराने के आदेश दे दिये गये हैं ।

श्री गोविन्दसिंह शक्तावत : किसानों में जो पैसा बकाया था उसकी वसूली तो उसकी खड़ी हुई फसल नीलाम करके कर ली गयी । इसके अन्दर काफी रुपया बकाया है उसकी वसूली आज तक क्यों नहीं हुई ? इसका क्या कारण है ?

एक माननीय सदस्य : पोलिटिकल प्रेशर रहा होगा । इसलिये नहीं करवा सके ।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : 2-8-77 को यह आया है, जाँच करवा ली है । जल्दी ही तो कार्यवाही कर रहे हैं ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : छोटे किसान और कर्मचारी की तो आपने वसूली कर ली और उसको दुबारा आपने कर्जा नहीं दिया । इस केस में आपने बिना क्लियर किये हुए कर्जा दिया, इसके लिये कौन कौन दोषी है ? बिना क्लियर करे कर्जा दिया । उनको मुल्जिम ठहराइये और उनके अरेस्ट में कार्यवाही करिये ।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : आपके सुझाव का स्वागत है । और कार्यवाही कराऊंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री बिरदमल सिंघवी ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 8-9-197)

53. **श्री रघुनन्दन व्यास** (सिरोही) [श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) की अनुपस्थिति में] : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में इस शिक्षा सत्र से कौन-कौन सी शालायें क्रमोन्नत हुई हैं ?

(रघुनन्दन व्यास)
जिले अनुसार सूची सदन को मेज़ पर रखने की कृपा करें।

(2) इस क्रमोन्नति से इस वर्ष कितने छात्रों ने क्रमोन्नत शालाओं की नई कक्षाओं में प्रवेश पाया और उन्हें क्रमोन्नति लाभ मिला ?

शिक्षा मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी): उपाध्यक्ष महोदय, 350 हायर सैकन्डरी, 400 सैकन्डरी, राजस्थान के कोने-कोने में शालायें फैली हुई हैं। प्रवेश की अभी तक सूची नहीं आ पायी है इसलिये प्रश्न को स्थगित किया जाय।

श्री **उपाध्यक्ष** : स्थगित।

श्री **रघुनन्दन व्यास** : जोधपुर में मंडी हाई स्कूल ऐसा है जिसमें प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या अधिक है।

श्री **उपाध्यक्ष** : स्थगित हो गया है।

नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या 56

श्री जगदीशचन्द्र शर्मा (रतनगढ़) !

(अनुपस्थितः कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 60

श्री हरिश कुमार शर्मा!

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

स्थगित प्रश्न तो पूर्ण हो चुके हैं। जो दूसरे प्रश्न हैं उनको मैं क्रमवार लेता हूं।

श्री अजीतसिंह !

आर. टी. सी. केन्द्र, टोंक

350. श्री **अजीतसिंह** (टोंक) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) टोंक में आर. टी. सी. केन्द्र चालू रखने के क्या कारण हैं ?

(2) यदि आर. टी. सी. चालू ही रखना है तो इसके साथ एस. टी. सी. चालू रखने पर क्या राज्य सरकार विचार करेगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) अंग्रेजी और हिन्दी भाषा के शिक्षकों के अभिनन्दन हेतु टोंक में आर. टी. सी. केन्द्र रखा गया है।

(2) वर्तमान में ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री **अजीतसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, टीचर्स को पढ़ाने की व्यवस्था के लिये यह स्कूल खोला गया था। इसकी उपयोगिता नहीं रही है। इसको रखना ही चाहते हैं तो जब एस. टी. सी. के प्राइवेट स्कूल चलते हैं उसके बनिस्बत एस. टी. सी. केन्द्र ही यहां चालू कर दिया जाय। स्टाफ है, मकान है।

श्री **ललित किशोर चतुर्वेदी** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा विभाग के अध्यापक इसमें प्रशिक्षण लेते हैं, हिन्दी, अंग्रेजी, सब विषयों के अध्ययन अध्यापन में प्रयोग में आती है। उनको रिफ्रेशर कोर्स पढ़ाने की दृष्टि से यह ट्रेनिंग स्कूल चलाया हुआ है। प्रति वर्ष इसमें 7 हिन्दी और 7 अंग्रेजी के अध्यापकों के कैम्प लगाये जाते हैं जिनमें प्रत्येक में 60 शिक्षक उपस्थित रहते हैं। इस कोर्स के पीछे योजना यह है कि जिस विभाग से सम्बन्ध रखने वाले

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

अध्यापक हैं उनको रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी जा सके। जैसा कि माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है, मैं उनके प्रश्न का मूल्य जानता हूं कि एस. टी. सी. स्कूल होना चाहिये। तो हाई पावर कमेटी है उसका कथन यह है कि एस. टी. सी. स्कूल अधिक न खोले जायं। दूसरी बात यह है कि अध्यापकों के अध्ययन-अध्यापन व आवास व्यवस्था एस. टी. सी. स्कूल में होना संभव नहीं है, इसमें रिफ्रेशर कोर्स पढ़ायें यह भी संभव नहीं हो सकता। इसलिये एस. टी. सी. स्कूल इसको हटा कर खोलना संभव नहीं है।

श्री शिवचरण सिंह : क्या प्राइवेट एस.टी.सी. को रिपोर्ट के अनुसार आगे मान्यता नहीं देंगे ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आगे अध्यापकों की संख्या बढ़ेगी और आवश्यकता हुई तो दी जावेगी।

एक माननीय सदस्य : आज जो हैं उनको मान्यता नहीं देंगे?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जो स्कूल पहले से चल रहेहं वे आते हैं उसमें तो नये स्कूलों को मान्यता देने का प्रश्न ही नहीं होता।

श्री शिवचरण सिंह : क्या इसलिये प्राइवेट एस. टी. सी.······

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बहुत सप्लीमेन्ट्री पूछ रहे हैं।

श्री शिवचरण सिंह : प्राइवेट एस. टी. सी. स्कूल में भ्रष्टाचार है।

श्री उपाध्यक्ष : एक ही माननीय सदस्य की मोनोपोली नहीं होनी चाहिये।

श्री शिवचरण सिंह : प्राइवेट एस. टी. सी. में कितने घोटाले हैं यह माननीय मंत्रीजी को मालूम है इस दृष्टि से इसको पूछा है। टोंक में क्या एस. टी. सी., आर. टी. सी. दोनों साथ चलने पर रिफ्रेशर कोर्स का प्रशिक्षण देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाषण मत दीजिये।

श्री शिवचरण सिंह : माननीय मंत्रीजी की जानकारी में नहीं है इसलिये मैं निवेदन कर रहा था कि प्राइवेट एस. टी. सी. स्कूल में बहुत घोटाले हैं। बी. एड. कालेज और एस. टी. सी. में कितने ही घोटाले पहले भी थे और अब पुनः चालू हो चुके हैं, मान्यता का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। जानकारी आ रही है।

श्री चिरंजीलाल गर्ग (पुष्कर) : प्राइवेट संस्थायें चलाते हैं, पैसा लेते हैं बच्चों से तो सरकार क्यों नहीं उनको अपने हाथ में लेती है ?

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : हिन्दी और अंग्रेजी के लिये आपने बताया। उर्दू के लिये घोषणा की है माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, तो उसके लिये भी ट्रेनिंग स्कूल में दें।

(व्यवधान)

श्री माधोसिंह : क्या आपके पास कोई सूची उपलब्ध है कि एस. टी. सी. ट्रेन्ड कितनी की संख्या है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बहुत बड़ी संख्या है ।

श्री अजीतसिंह : प्राइवेट संस्थाओं को मान्यता देना उचित नहीं है ।

श्री अब्दुल अजीज : मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की ....

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये ।

श्री माधोसिंह : कितनी संख्या है ? बहुत महत्वपूर्ण है यह प्रश्न ।

श्री मंजूर अली (सवाई माधोपुर) : उन स्कूलों की लिस्ट आ चुकी है ।

श्री रतनलाल वर्मा : एक क्वेश्चन मेरा है ।

(व्यवधान)

क्या मंत्री महोदय के पास ऐसी सूची है कि एस. टी. सी. ट्रेन्ड कितने अध्यापक बेकार बैठे हुए हैं जिनकी नियुक्ति नहीं हुई है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न अलग से है।

श्री अब्दुल अजीज : मुख्य मंत्री महोदय ने उर्दू के लिये घोषणा की थी ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सदस्यों ने जो सुझावात्मक प्रश्न दिये हैं उन पर विचार किया जावेगा और निर्णय लिया जावेगा ।

श्री रतनलाल वर्मा : कितने ट्रेन्ड अध्यापक हैं जिनको नियुक्ति नहीं मिली है ?

श्री नवरंगसिंह : वस्तुस्थिति यह है कि प्राईवेट संस्थाओं में भयंकर अनियमिततायें हैं और करप्शन है ।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर जिले की बाढ़.. · · · ·

श्री उपाध्यक्ष : मैंने इस विषय में आपसे चैम्बर में ही बात कर ली थी · · ·

श्रीमती श्यामा कुमारी संगर (कपासन) : उपाध्यक्ष महोदय, एस. टी. सी. टीचर्स के बारे में जो करप्शन की बात कही वह न्यायसंगत नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : अब काफी लेट हो गये हैं ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट संख्या 5 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

चोहटन–बारपासर मार्ग पर चलने वाली बसों से यात्रियों को असुविधा

341. **श्री अब्दुल हादी** (चोहटन) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर से चोहटन के बीच राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें चलती हैं ? यदि हां, तो कितनी बसें 24 घण्टे में आती एवं जाती हैं ?

Page No.23

(श्री अब्दुल हादी)

(2) क्या यह सही है कि चोहटन से बारपासर के बीच के मार्ग का अभी तक राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है और इस मार्ग पर परिवहन निगम की बसें नहीं चलती है बल्कि निजी बसें चलती हैं ? यदि हां, तो कितनी बसें चलती हैं ?

(3) क्या यह सही है कि चोहटन से बारपासर तक के मार्ग पर यात्रियों को अधिक भीड़ के कारण बस में बैठने को स्थान नहीं मिलता और समय पर बसों का आना जाना नहीं होता ? यदि हां, तो क्या राज्य पथ परिवहन निगम इस मार्ग पर अपनी बसें चलाने को तैयार है ? यदि हां, तो कब तक इस मार्ग का राष्ट्रीयकरण हो जायगा ?

उत्तर

(1) जी हां । निगम द्वारा बाड़मेर से चोहटन मार्ग पर 16 (सोलह) एकल सेवाएं प्रतिदिन संचालित की जा रही हैं ।

(2) जी हां । निजी सात बसें चलती हैं ।

(3) जी नहीं । ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । निगम द्वारा इस मार्ग के राष्ट्रीयकरण की कोई योजना नहीं है ।

सहकारी उपभोक्ता भण्डार, राम मोहल्ला, जोधपुर का ऑडिट

342. श्री **रणजीतसिंह राठौड़** (ओसियां) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सहकारी उपभोक्ता भण्डार, वार्ड नं. 4, राम मोहल्ला, जोधपुर का आडिट लम्बे समय से नहीं हुआ है ? अगर हां, तो क्यों नहीं तथा 1974 से आज तक सालाना भंडार को कितना मुनाफा हुआ ? मुनाफे की रकम किस बैंक में कितनी जमा है तथा इस भंडार की कार्यकारिणी के कौन-कौन पदाधिकारी हैं व कौन-कौन सदस्य हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि इस भंडार की रकम का दुरुपयोग किया गया है ? अगर हां, तो किसने किया व उसके खिलाफ राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं । इस भंडार का ऑडिट 30-6-76 तक हो चुका है । इस भंडार के लाभ की स्थिति संलग्न सूची में अंकित है ।

मुनाफा की रकम किसी बैंक में जमा न होकर भंडार के कारोबार में लगी हुई है । भंडार की कार्यकारिणी के सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी नहीं । भंडार में वर्ष 73-74 से रकम के दुरुपयोग का कोई मामला नहीं पाया गया है । अलबता ऑडिट रिपोर्ट्स के अनुसार भंडार की राशि लम्बे समय तक व्यवस्थापक द्वारा रोकी गई है, जिसके लिए राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 74 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए निर्देश दे दिये गये हैं ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

महाराजा श्री उम्मेद मिल, पाली में स्वीपरों की नियुक्तियां

345. श्री **अचलाराम** (देसूरी): क्या रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि महाराजा श्री उम्मेद मिल, पाली में दिनांक 27-5-77 के साक्षात्कार के लिये नियोजन कार्यालय से स्वीपर (मेहतर) की मांग की गई थी ? यदि हां, तो इस साक्षात्कार में कितने स्वीपरों को नियुक्ति दी गई ? यदि नहीं, तो उसके बदले में किनको नियुक्ति दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

जी हां। महाराजा श्री उम्मेद मिल, पाली ने स्वीपर के लिए रिक्त स्थान के लिये आशार्थियों के साक्षात्कार हेतु 27-5-77 की तिथि निश्चित की थी जिस पर 7 आशार्थी नियोजन विभाग द्वारा भेजे गये किन्तु इनमें से किसी का चयन नहीं किया गया। नियोजक एक निजी संस्थान के व्यवस्थापक हैं जिन पर नियोजन कार्यालयों द्वारा संप्रेषित सूची में से ही चयन करने की वैधानिक पाबन्दी नहीं की जा सकती। नियोजक ने और किसी को नियुक्ति दी अथवा नहीं, इसका पता नहीं।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 8 सितम्बर, 1977)

राजस्थान टेम्परेन्स सोसायटी को अनुदान के रूप में दी गई राशि

56. श्री **जगदीशचन्द्र शर्मा** (रतनगढ़): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान टेम्परेन्स सोसायटी (जोधपुर) को गत पांच वर्षों में कितनी धनराशि का अनुदान दिया गया और सोसायटी द्वारा कुल कितना खर्चा किया गया ? वर्ष 75-76 एवं 76-77 में विभिन्न मदों में खर्च की गयी राशि का पूर्ण ब्यौरा सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या उक्त संस्था का ऑडिट राज्य सरकार द्वारा करवाया गया ? यदि हां, तो ऑडिट रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करें। यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) राजस्थान टेम्परेन्स सोसायटी (जोधपुर) को गत पांच वर्षों में स्वीकार की गई अनुदान राशि तथा संस्था द्वारा उक्त राशि में से किये गये व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:—

वर्ष	स्वीकृत अनुदान	सोसायटी द्वारा खर्च किया गया अनुदान
72-73	92,100.00	92,100.00
73-74	2,62,000.00	1,92,232.11
74-75	1,92,232.11	2,18,702.82
75-76	10,000.00	53,297.18
76-77	77,000.00	52,936.97
योग . .	6,33,332.11	6,09,269.08

वर्ष 73-74 में स्वीकृत सम्पूर्ण अनुदान राशि संस्था द्वारा खर्च नहीं की गई। इसमें से रु. 69, 767.88 की राशि शेष रह गई जिसे अगले वित्तीय वर्ष 74-75

(श्री आदित्येन्द्र)

में उपभोग करने की अनुमति दी गई। इसी प्रकार वर्ष 74-75 की अवशेष राशि के 43,297.18 रु. को अगले वित्तीय वर्ष 75-76 में उपभोग करने की अनुमति दी गई। वर्ष 75-76 एवं 76-77 में विभिन्न मदों पर खर्च की गई राशि के विवरण हेतु, उक्त वर्षों के समिति के चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा जांच शुदा लेखों की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) जी हां। संस्था के लेखों का ऑडिट स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान द्वारा किया जाता है। वर्ष 72-73, 73-74, 74-75, व 75-76 के लेखों की ऑडिट रिपोर्ट की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री उपाध्यक्ष : जो कार्य-सूची में नेक्स्ट आइटम है, वह आधे घण्टे की चर्चा का है।

आधे घण्टे की चर्चा

ग्राम पंचायत, बासड़ी में हुई अनियमितताओं की जांच व ग्राम पंचायत चोहटन के सरपंच के विरुद्ध जांच

श्री रामकरण सिंह, सदस्य, विधान सभा, बासड़ी पंचायत, कोटपूतली के सरपंच द्वारा की गई कथित अनियमित कार्यवाहियों विषयक प्रश्न संख्या 202(40/ भेड़ मं०) व प्रश्न संख्या 206(44/ भेड़ मं०) के उत्तर, जो दिनांक 15 सितम्बर, 1977 को दिया गया था, से उत्पन्न मुद्दों पर आधे घंटे की चर्चा उठायेंगे।

श्री समरथलाल और श्री प्रद्युम्न सिंह भी आधे घंटे की चर्चा करेंगे। श्री हरजीराम बुरड़क भी वाद-विवाद में भाग लेंगे।

श्री रामकरण सिंह !

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : उपाध्यक्ष महोदय, जब प्रश्न के उत्तर से मुझे पूरी तरह से सन्तोष नहीं हो सका और पूरे राजस्थान में पिछली सरकार के पालतू सरपंच ने जिस प्रकार के घोटाले किये उनके खिलाफ कार्यवाही करने में देरी हो रही है, इसके लिये मैंने आधे घण्टे की चर्चा के लिये निवेदन किया है। एक कहावत गांवों में चालू है कि "पंचायत धन की लूट है लूटी जाये तो लूट, अन्तकाल पछतायेगा जब मंत्री पा लेंगे झूठ", अब मंत्री लोग झूठ पा ही लेंगे क्योंकि मंत्री महोदय अब काफी सक्षम हैं, इसलिये वह झूठ पा लेंगे लेकिन हमारा भी फर्ज है कि हम उनको पूरी जानकारी दे दें।

आपने प्रश्न के उत्तर में बताया कि मार्च, 1974 में पंचायत प्रसार अधिकारी ने कोई अपनी जांच रिपोर्ट दी और आगे आपने बताया कि इसकी कार्यवाही जारी है। तो इतनी लम्बी क्या कार्यवाही है, कि 1974 से आज 1977 तक कार्यवाही जारी रख रहे हैं। दूसरे मई, 1975 में उप-जिलाधीश महोदय से जानकारी चाही तो उन्होंने भी यही जवाब दे दिया कि कार्यवाही जारी है। या तो यह शब्द 'कार्यवाही जारी है' पैट (Pet) बना लिया है या पुरानी परम्परा रही है। मैं तो निवेदन करूंगा कि जैसे पुराने मंत्री महोदयों को इन

Page No.26

(श्री रामकरणसिंह)

अधिकारियों ने बदनाम किया, उसका नतीजा यह है कि वह आज इधर बैठे हैं। उसी तरह से शायद आपको भी इसी तरह का दिन न देखना पड़े। दुबारा 17(4) में कार्यवाही के लिए भी यही कहा कि 'कार्यवाही जारी है'। 1975 से कार्यवाही जारी है। यह जारी शब्द का पूरा विच्छेद करके समझायें कि यह क्या है।

उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत में बहुत बड़े घोटाले हुए, उसके अन्दर बहुत बड़ा फ्रॉड है। 23 अगस्त, 1969 को 1,40,650.24 रु० आपके बताये अनुसार उस सरपंच ने अवैधानिक ढंग से निकाले। पंचायत के नाम से कोई खाता नहीं खोला और अपने खुद के नाम से खाता खोला है जो कि बहुत बड़ा फ्रॉड है। इतना बड़ा घोटाला पंचायत के नियरेस्ट होने के कारण हुआ है कि 100-100 और 150-150 रुपये गज तक में जमीन बिकी, 200 रुपये गज तक में बिकी। उन्होंने किसानों की चाही जमीन लेकर प्लॉट काटे। पंचायत का विकास करना था लेकिन दो सरपंचों ने केवल अपना खुद का विकास किया है, आलीशान मकान बना लिये हैं और 1,500 रु० और 2,000 रु० तक के पलंग उनमें रखे हैं, और अपने खुद के भवन का विकास किया है। पंचायत क्षेत्र का विकास नहीं किया। इसके बारे में जब मैंने प्रश्न पूछा तो आपने बहुत ही माकूल जवाब दिया। शुरू में आपने दिया है, 1969 में 10,570 रुपये का गबन हुआ है। उसके बाद में थोड़े ही दिन बाद 1,25,723 रुपये का गबन हुआ है। थोड़े दिनों बाद 3,357 रुपये का गबन हुआ है। फिर आगे आता है 8,610 रुपये का गबन, फिर 1,730 रुपये का गबन। इससे भी उन्हें तसल्ली नहीं हुई और गबन करते करते बाद में दस दुकानों का निर्माण अपने निजी नाम से करवाया। 10 दुकानों का जो निर्माण-कार्य है उसके लिए भी जांच की जा रही है। आज भी आप यह कहते हैं जब कि वह दुकानें पूरी हो गयी हैं। उनके ऊपर मकान बन चुके हैं और उनको किराये पर दे दिया गया है। उधर निर्माण में घोटाला करके पैसा कमाया, उसके साथ ही साथ ......

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है कि आधे घंटे की चर्चा में आपको ही पूरा समय नहीं देंगे।

श्री रामकरण सिंह : 15 मिनट तो दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय भी जवाब देंगे और आपके दूसरे साथी भी बोलेंगे।

श्री रामकरण सिंह : मंत्री महोदय तो तैयार बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वह इसी समय में ही जवाब देंगे।

श्री रामकरण सिंह : दो-तीन मिनट में समाप्त कर देता हूं।

इसके अलावा उनके कमरे तैयार हो गए। अब किराये में घोटाला हो रहा है। एक जमीन बेची गयी उसमें घोटाला किया। उसके बाद में पंचायत का भवन बनाया गया उसमें घोटाला किया, उसका तो निर्णय हुआ ही नहीं कि किराया के अन्दर घोटाला हो रहा है। कोई भी कार्यवाही हो उसमें घोटाला किया गया है। लेकिन जो पिछली परम्परा

(श्री रामकरणसिंह)

पड़ी हुई है उसके आधार पर शुरू के जो काम हैं उनका निर्णय नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा करीब 12 बीघा पक्की जमीन का अलॉटमेंट किया। आप सोच सकते हैं कस्बे के पास 12 बीघा पक्की जमीन का अलॉटमेंट किया, उसकी भी नीलामी नहीं की बल्कि अपनी मर्जी से कुटम्बियों को दे दी। 12 बीघा जमीन के प्लॉट काटकर बेच दिये यह सबसे बड़ा फ्रॉड है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें गलती केवल सरपंच की ही नहीं है। आपके अधिकारी और कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं और उनकी भी गलती है। जो यह फाइलें दबी हुई हैं उनमें उनका हिस्सा है। उन्होंने पैसे लिये हैं, और गबन में से अपना हिस्सा लिया है, इसलिए उन फाइलों को दबा रखा है और सरपंचों को भी धोखा दिया है। आपके अधिकारियों ने कहा है कि 1972 से फाइलें दबी हुई हैं और उन्होंने रुपया खाया है। आप जानते हैं कि यह फाइलें दबी हुई हैं। यदि आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खतम हो तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लीजिए। मेरा खयाल है कि पूरे राजस्थान के सरपंच उससे सचेत हो जायेंगे और जो बड़े अधिकारी सरपंचों को उत्साहित करते हैं ऐसा काम करने के लिए और उनकी अगुवाई करते हैं और दलाली का काम सरपंचों से करवाते हैं वह एजेन्सी खतम हो जायेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि इतने साल यह फाइल दबी रही चाहे किसी भी जगह दबी रही हो, कलेक्टर के दफ्तर में दबी रही हो, चाहे मंत्री के यहां दबी रही हो। 1972 के अन्दर इसके ऊपर चालान का आॅर्डर है। उस समय के पंचायत मिनिस्टर ने फाइल को दबाया और चालान नहीं होने दिया। इसमें इतना बड़ा फ्रॉड है। यह पूरे राजस्थान की जनता का, सरकार का पैसा है इसलिये जो दोषी हैं उनको सजा दें। केवल सरपंच को हथकड़ी पहनाने से काम नहीं चलेगा, कर्मचारियों का भी चालान करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सरपंच के साथ-साथ वे भी जेल जायें। भ्रष्टाचार को खतम करने के लिये मुख्य मंत्री कहते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि आप दोषी सरपंच और कर्मचारियों का चालान करें तो यह एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा और जनता पार्टी की पूरे राजस्थान के जनमानस के ऊपर अच्छी छाप लगेगी :

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवचरण सिंह।

श्री शिवचरण सिंह (बयाना) : कोटपूतली कस्बे में पूरी छः पंचायतें हैं। धीरे-धीरे उनकी आबादी बढ़ी है। बासड़ी कोटपूतली के पास है वह इस पंचायत में है। सरपंच ने जमीन को एक्वायर करने के बाद प्लाट्स बनाये और प्लॉटों को बेचा। लाखों रुपयों का घोटाला है। जैसा मंत्री जी के उत्तर में स्पष्ट है, माननीय सदस्य के भाषण से साफ है, लाखों रुपयों का घोटाला सामने आया है। ऐसे आदमी के खिलाफ कार्यवाही न हो तो यह समझा जावेगा कि वे इसको दबाना चाहते हैं। मंत्रीजी बहुत चतुर हैं, दोषी व्यक्तियों को सजा दिलाने की कोशिश करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रद्युम्न सिंह :

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, कोटपूतली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आधे घंटे की चर्चा का मुद्दा उठाया है मैं उसका समर्थन करता चाहता हूं।

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
माननीय मंत्रीजी ने कहा है कि आप बड़े योग्य हैं, इस नाते आप अपनी योग्यता का परिचय दें और इसमें जो घोटाला है उसके लिए जल्दी से जल्दी दोषी व्यक्तियों को सजा दिलायें ताकि और लोगों की हिम्मत ऐसा कार्य करने की न हो। जल्दी निर्णय ले लें क्योंकि नये चुनाव आ रहे हैं। ऐसे लोगों को एक्सपोज करना जरूरी है नहीं तो ऐसे लोग चुनाव में आ जायेंगे और फिर आपके लिये समस्या खड़ी करेंगे।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री **हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो आधे घंटे की चर्चा का विषय उठाया है उसमें एक-दो मुद्दों पर बोलूंगा। प्रश्न 206 के उत्तर में जो रिपोर्ट मंत्री महोदय ने सदन की मेज पर रखी थी उसको देखने से मालूम होता है कि सन् 1972 से 1977 तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। पंचायत की जांच रिपोर्ट को देखने से भी गम्भीर आरोपों का पता चलता है। जान बूझकर सरपंच ने पंचायत की जमीन अपने रिश्तेदारों के नाम से हड़प ली और उस पर निर्माण कार्य शुरु कर दिया। इतने लंबे समय तक सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है। जिलाधीश ने भी रिपोर्ट की थी कि निर्माण-कार्य हो जाने पर जमीन खाली करा-ली। परन्तु यह मंत्री महोदय ने दूसरे प्रश्न के उत्तर में जो सूची दी है उसको देखने से मालूम होता है कि जिन पर मामूली आरोप हैं उनको तो निलम्बित कर दिया और जिनके ऊपर गम्भीर आरोप हैं उनको नहीं किया। मंत्री महोदय ने जो कार्यवाही की है उसके अन्दर सही रूप से निर्णय नहीं लिया। पहले भी एक स्टेटमेंट दिया था जिसको देखने से साफ जाहिर होता है कि न्याय की दृष्टि से उनको यह देखना चाहिये था, उनको निलम्बित करना चाहिये था, परन्तु केवल कैंची चलाने के लिए निलम्बित किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह अराई पंचायत के सरपंच के खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं हैं तो भी उसे सजा दी है और बताया है कि उसने पंचायत की जमीन बेच दी। मैं कहना चाहता हूं कि न तो जमीन नीलाम हुई है और न रकम ली है। इसे सरासर गलत सस्पेण्ड कर दिया है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में मंत्री महोदय से यह निवेदन किया था लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसलिये निवेदन करूंगा कि पंचायत चौहटन के सरपंच को निलम्बित करना चाहिये और उसके साथ जो और भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री **मूलचन्द डागा** : बड़े गम्भीर आरोप लगाये हैं आपने।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री अब्दुल अजीज !

श्री **अब्दुल अजीज** (मकराना) : उपाध्यक्ष जी, खास तौर से जो मैंने प्रश्न रखा था उसका मंत्री महोदय ने उत्तर नहीं दिया। यह तमाम बातें अखबारों में छपती हैं तो लोगों को यह महसूस होता है कि मंत्रीजी, जो राज्य की सरकारी मशीनरी के सबसे बड़े अधिकारी हैं, फाइलों को दबाते हैं या किसी के भरोसे रहते हैं। तो इस पर जनता बड़ा अफसोस जाहिर करती है, और आप पर विश्वास खोती है। इस बात के पूरे सबूत आ जाने के बाद कि गलती सरपंच की है तो कोई वजह नहीं रह जाती कि आप उसे निलम्बित न करें। इस प्रकार मंत्रीजी इस मामले को दबाते हैं तो जनता यह समझती है कि सरकार

(श्री अब्दुल अजीज)

में भी ऐसे करप्ट लोग बैठे हैं जो किसी न किसी मतलब से बैठे हैं। मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप पर कोई पर्सनल आरोप नहीं है, लेकिन जनता यह बात सोचती है। जनता इस प्रकार की बात न सोचे इसका आप ध्यान रखें। इस लांछन से बचना चाहते हैं और जनता पार्टी की सरकार को बचाना चाहते हैं तो तुरन्त इसमें कार्यवाही करें।

श्री **उपाध्यक्ष** : अब पंचायत मंत्री उत्तर देंगे।

राज्य मंत्री, पंचायत (श्री कैलाश-मेघवाल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटपूतली से आने वाले माननीय सदस्य का मैं आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस प्रश्न पर आधे घंटे की चर्चा उठाकर पंचायती राज में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में सही स्थिति सदन में रखने का अवसर दिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटपूतली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मैंने प्रश्न के उत्तर में जानकारी दी है कि गबन 1969 में हो चुका था। साधारणतः मैं यह मानता हूं कि जब गबन के आरोपों के बारे में प्राथमिक रूप से जानकारी आ जाय तो मेरा यह मानना है कि भारतीय दण्ड संहिता, जो हमारे देश का फौजदारी कानून बना हुआ है, के अन्तर्गत उसका मामला पुलिस के सुपुर्द किया जाना चाहिये। वह नहीं किया गया है और विभागीय जांच में मामले को उलझाया गया है और 4-5 साल तक विभागीय जांच चलती रही है। आपने जो 3-4 बार शब्द का प्रयोग किया है उसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नियमों के अनुसार प्राथमिक जांच होती है, और उसके बाद स्पष्टीकरण मांगा जाता है। अगर स्पष्टीकरण से राज्य सरकार सन्तुष्ट नहीं हो तो विस्तृत जांच के आदेश दिये जाते हैं। इसमें विशेष परिस्थिति है। जब जांच अधिकारी ने ठीक जांच नहीं की तो फिर जांच आदेश दिये गये हैं। मैं निवेदन करता हूं कि 1974 में सरपंच को निलम्बित कर दिया गया था। कुछ अर्से के बाद सरपंच ने प्रार्थना-पत्र दिया कि राजनैतिक दबाव से सारा कुछ हो रहा है, तो सरपंच के उस निलम्बन आदेश को पुनः स्थगित कर दिया गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह तथ्य इसलिये रखना चाहता हूं कि न केवल यह मामला है बल्कि दर्जनों सरपंचों के मामले हैं जिनके खिलाफ 10-10 प्राइमाफेसी गबन के आरोप सिद्ध हो चुके हैं लेकिन उनको केवल निलम्बित किया गया है। मैं मानता हूं कि यह मामला पुलिस के सुपुर्द किया जाना चाहिये, जैसा कि अन्य केसेज में हुआ है। तत्कालीन मंत्री महोदय या तत्कालीन सरकार भ्रष्टाचार को अवैध संरक्षण देना चाहती थी या यों कहिये कि उनमें अकल नहीं थी, ये दो ही बातें हो सकती हैं....

श्री **मूलचन्द डागा** : भाषा का ठीक इस्तेमाल कीजिये।

श्री **कैलाश मेघवाल** : मैंने कहा है एक नहीं है दर्जनों इस प्रकार के केसेज हैं..

श्री **रतनलाल शर्मा** : हमारे को सांप थोड़े ही सूंघ गया है। हम भी बोलना जानते हैं।

श्री **मूल चन्द डागा** : आप बोलें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय को बोलने दीजिये ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्यों को कि इस पर उत्तेजित नहीं होना चाहिये क्योंकि इस समय यह प्रकरण आया है। मैं ऐसे मामलों में आशंकित रहता हूं। ऐसे 8-10 सरपंचों के प्राइमाफेसी आरोप गबन के सिद्ध हो चुके हैं और उनको विभागीय आदेशों के अन्तर्गत अटकाये रखा हैं,

श्री शीशराम ओला : आपको मना कोई नहीं करता लेकिन अकल शब्द का जो प्रयोग किया गया है, वह ठीक नहीं है ।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं सही पृष्ठ भूमि में इस शब्द का इस्तेमाल इसलिये कर रहा हूं. . . .

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं है। जीरो आवर में प्रश्न पूछने की स्वीकृति नहीं है, आप देख लीजिये नियमों को ।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं तो इसलिये विश्लेषण कर रहा था या तो प्रोत्साहन दिया गया है या फिर सारे तथ्यों को समझने में गलती की गई है ।

श्री मूल चन्द डागा: That is all right.

श्री कैलाश मेघवाल : अगर आप बहुत उत्तेजित होते हैं तो वैसे तो इस शब्द में विशेष बात नहीं है लेकिन फिर भी अगर आपको दुख हुआ है तो वापस ले लेता हूं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सब माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के केसेज में विधि विभाग की राय ले रहा हूं जिनमें प्राइमा फेसी गबन के चार्जेज सिद्ध हो जायं । ऐसे केसेज में विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ होते ही सारी सामग्री सरकार के पास चली जाती है और विभागीय कार्यवाही सक्षम नहीं है । सरपंच के विरुद्ध स्पेशल ऑडिट के आदेश दिये गये हैं, पूरी जांच के आदेश दे दिये गये हैं, और ए. ई. एन. को भेजा गया है । पंचायती राज की जो व्यवस्था है उसके अन्तर्गत फौजदारी कानून में जो अधिकार रहे हैं वे लागू नहीं हैं । इस तरह सारी पत्रावली उसको जाती है जो कार्यवाही करने के लिये सक्षम हो । मैं सदन के माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कम से कम 8-10 ऐसे केसेज पुलिस को सुपुर्द करने के मैंने आदेश दिये है जो प्राइमा फेसी केसेज बने हैं । मैंने इसमें देखा, पुलिस को सुपुर्द करने के आदेश दिये जाने चाहिये लेकिन अब विशेष परिस्थिति यह है कि इस मुकद्दमे से जो सम्बन्धित रिकार्ड है वह कुछ तो कलेक्टर के यहां पड़ा है, और कुछ रिकार्ड सरपंच के पास है । क्योंकि ग्राम पंचायत भंग कर दी गई है और वहां प्रशासन लगा दिया गया है इसलिये कुछ रिकार्ड विकास अधिकारी के यहां पड़ा है । इस तरह तीन जगह रिकार्ड पड़ा है । इसमें लाखों रुपयों का इन्वॉल्वमेंट है और गंभीर आरोप हैं । 7-8 साल से यह मामला दबा पड़ा है, यह मैं मानता हूं । अब माननीय सदस्य सन्तुष्ट होंगे कि इस मामले के आते ही आदेश दे दिये गये थे । मैं निवेदन करना चाहता हूं, जैसा मैंने पहले ही आपके द्वारा निवेदन किया है कि ऐसी पुरानी पत्रावलियां निकालना प्रारम्भ किया है । मुझे 85 दिन राज्य मंत्री बने हुये हैं । इस तरह के काफी मामले हैं, उनको देखने में तो आखिर समय लगेगा और समझने में भी कुछ सम

(श्री कैलाश मेघवाल)

लगेगा। मैंने निश्चित रुप से इस सरपंच के मामले को देखा है। माननीय सदस्यों को मैं यह भी निवेदन कर दूं कि विधान सभा चलने की वजह से व्यस्तता रही है और कार्य अधिक होने से मामलों को देखने में कुछ देरी हुई है। मैंने काफी पुरानी पत्रावलियां देखी हैं। अगर उनमें निलम्बन के आदेश दिये जाने हैं तो निश्चित रुप से दिये जायेंगे और जिस प्रकार का प्राइमा-फेसी केस बनता है उसके अनुसार फौरन कार्यवाही भी की जायगी। जैसे ही समय मिला मैं उनमें सब में कार्यवाही के आदेश दे दूंगा और जिस तरह के भी आरोप होंगे उन सबमें कार्यवाही अवश्य कराई जायगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज माननीय सदस्यों को यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत राज की कुल मिलाकर काफी पत्रावलियां पड़ी हैं जिनमें गबन की शिकायतें हैं, पद के दुरुपयोग के मामलों की शिकायतें हैं। उनको देख कर मुझे आश्चर्य होता है। इतने कम समय मे सारे मामलों में कार्यवाही करने की माननीय सदस्यों को अपेक्षा नहीं करनी चाहिये। मैं माननीय सदस्यों पुनः सूचित करना चाहता हूं कि प्राथमिक चार्ज रिपोर्ट 6–6 साल तक नहीं आयी है। जिन 10–10 गबन के केसेज में विस्तृत जांच के आदेश दिये गये हैं, उनकी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। यह भी सही है कि मुझे समझने में देरी हुई है। सारे सरपंचों की रिपोर्ट मंगवाने की भी बात है, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायतों का आडिट होता है, लेकिन यह आडिट रिपोर्ट विभाग को नहीं दी जाती है, कलेक्टर को दे दी जाती है। विकास अधिकारी को उस रिपोर्ट की कापी नहीं दी जाती है। अब मैं यह आदेश दे रहा हूं कि आखिर भ्रष्टाचार कहां कहां है उसको देखा जाय। यह सारी परिस्थिति इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि बहुत अधिक भ्रष्टाचार पंचायतों में हुआ है।

श्री शिवचरण सिंह : भ्रष्टाचार की आडिट रिपोर्ट तो आडिटर ही देता है। यह वहीं से मामला शुरू होता है।

श्री कैलाश मेघवाल : मैंने जैसा माननीय सदस्यों को सूचित किया है कि सारी व्यवस्था को समझना पड़ रहा है। मैं विश्वास के साथ निवेदन करना चाहता हूं, कि माननीय मुख्य मंत्रीजी की जो घोषणा है कि भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाय तो उस घोषणा के अनुरूप चाहे उसमें किसी भी तरह का सरपंच हो, राजनैतिक संरक्षण के आधार पर किसी भी पार्टी से सम्बन्धित हो, कानूनी प्रक्रियाओं से उसको बख्शा नहीं जायगा। गबन का या अन्य कोई अपराध बनता है तो पुलिस को अनुसन्धान के लिये दे दिया जायगा। पंचायत समिति एवं जिला परिषद का जो अधिनियम बना हुआ है उसके अन्तर्गत किसी भी प्रधान को, सरपंच को या पंच को छोड़ा नहीं जायगा। और राज्य सरकार कार्यवाही करने में पीछे नहीं रहेगी। मैं समझता हूं कि मेरे जवाब के बाद जिन माननीय सदस्यों ने आधे घंटे की चर्चा उटाई है, वे सन्तुष्ट होंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनकी हर वाजिब शिकायत पर सुनवाई करके कार्यवाही की जायेगी।

श्री शिवचरण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कोई क्वेश्चन नहीं। प्रोसीजर देखिये।

श्री शिवचरण सिंह : एक मिनट ।

श्री उपाध्यक्ष : एक भी नहीं, आधा भी नहीं ।

शासकीय वक्तव्य

मेवाड़ टैक्सटाइल मिल की ताला बंदी

श्री उपाध्यक्ष: श्रम मंत्री, मेवाड़ टैक्सटाइल, मिल्स भीलवाड़ा की तालाबंदी के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे ।

श्री केदार नाथ (श्रम मंत्री) : मान्यवर, मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स, भीलवाड़ा के मजदूरों द्वारा सन् 1975 के बोनस एवं कुछ मांगों पर दिनांक 2-8-77 से एक तार की प्रणाली पर आधा उत्पादन करना शुरू किया गया। इसके फलस्वरूप मालिक द्वारा दिनांक 29-8-77 से तालाबंदी की गई। विवाद को सुलझाने के लिए समय समय पर अनेक प्रयास किये गये परन्तु दोनों दलों में समझौता नहीं हो सका। अतः राज्य सरकार ने विवाद पर निम्नलिखित निर्णय लिया है:—

(1) मजदूरों के मांग-पत्र एवं हड़ताल और तालाबंदी के वेतन के प्रश्न को औद्योगिक न्यायाधिकरण को निर्णय हेतु भेज दिया जावेगा ।

(2) औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत आदेश निकाल कर प्रत्येक मजदूर को 250) रु० अग्रिम राशि कारखाना खुलने पर 15 दिन में 2 किश्तों में दे दी जावेगी ।

(3) अग्रिम राशि का एडजस्टमेंट औद्योगिक न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुसार किया जावेगा ।

(4) धारा 10 (क) के अन्तर्गत तालाबंदी एवं हड़ताल प्रोहिबिट कर दी जायेगी ।

श्री **परमानन्द त्रिपाठी भीलवाड़ा के साथ मारपीट के सम्बन्ध में संक्षिप्त टिप्पणी:—** भीलवाड़ा टैक्सटाइल मिल में बोनस की मांग को लेकर जो विवाद मजदूरों में चल रहा था और जिसके कारण दिनांक 29-8-77 को मिल मालिकों ने इस मिल में तालाबंदी कर दी थी उस पर श्री परमानंद त्रिपाठी, इन्टक नेता ने दिनांक 17-9-77 को मेवाड़ टैक्सटाइल मिल के गेट पर एक मीटिंग की । रात को 1 बजे जब श्री परमानंद त्रिपाठी श्री बजरंग लाल अग्रवाल के मकान पर टेलीफोन करने जा रहे थे तो कुछ व्यक्तियों ने उन्हें श्री अग्रवाल के मकान के बाहर खेंच लिया और लाठियों से मारपीट की जिससे उसके सिर व बदन पर चोटें आईं । हमलावरों में 20—25 व्यक्ति बताये गये जिनमें से 19 अभियुक्त के नाम श्री परमानंद जी ने बताये । पुलिस को सूचना मिलते ही एस० एच० ओ० मौके पर पहुंचे और श्री परमानंद को अस्पताल में दाखिल करवाया ।

नामजद अभियुक्तों में से 18 अभियुक्तों को आज तक गिरफ्तार किया जा चुका है जो पुलिस रिमाण्ड पर हैं । बाकी की तलाश जारी है । श्री परमानंद की डॉक्टरी जांच कर 4 चोटें बदन पर आना दर्ज की है । एक्स-रे रिपोर्ट आने पर चोटों की गम्भीरता का पता लग पावेगा । श्री परमानंद इस समय एम० जी० होस्पिटल

(श्री केदारनाथ)
में भर्ती है, और वहां उनका उपचार हो रहा है। डॉक्टरों के अनुसार वे खतरे के बाहर हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में यह नहीं बताया कि किस ट्रेड यूनियन से ताल्लुक रखते हैं, कौन लोग हैं? मंत्री महोदय, आपने जो वक्तव्य दिया है यह बिल्कुल अधूरा है। इससे कोई जानकारी नहीं मिलती है। यह लड़ाई क्यों शुरू हुई? उसकी वजह क्या थी? ये सारी शंकायें हैं जिनका इसमें कोई उल्लेख नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़): माननीय उपाध्यक्षजी, यह तो प्रसन्नता का विषय है कि मेवाड़ टैक्सटाइल मिल लिमिटेड का मामला इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के नीचे ट्रिब्यूनल को सुपुर्द कर दिया गया है। ट्रिब्यूनल से जो कोई भी डिसिजन होगा वह सभी पार्टी को मान्य होगा।

माननीय उपाध्यक्षजी, भारत सरकार ने ट्रिपार्टाइट समझौते के अन्तर्गत अगले छः महीनों की अवधि के लिए औद्योगिक शांति बनाये रखने के लिए सुझाव प्रस्तुत किए। देश के प्रबन्धकों, अलग–अलग मिल के, फैक्ट्रीज के और श्रमिक संस्थाओं को इस सम्बन्ध में सुझाव प्रस्तुत किए थे। राज्य सरकार ने भी 25 जुलाई को औद्योगिक शांति बनाये रखने के लिए और देश का उत्पादन बराबर बनाए रखने के लिए भारत सरकार के इस सुझाव की पुष्टि की थी। लेकिन मुझे बहुत ही दुःख है, उपाध्यक्ष महोदय, मेवाड़ टैक्सटाइल मिल में इस तरह से तालाबन्दी की गई। यह कोई आइसोलेटेड घटना नहीं है। एक रिकोग-नाइज्ड एण्ड रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन आर्गे-नाइजेशन के नेता किसी लेवल पर हों, उन पर कातिलाना हमले का यह कोई आइसो-लेटेड एक्शन नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस सत्र में केवल यही एडजोर्नमेंट मोशन दिया था। बहुत समझ कर इस बात को कह रहा हूं कि आज ट्रेड यूनियन मूवमेंट में अगर राजनैतिक टकराव फैलाने के लिए वहां के संगठनों को प्रजातांत्रिक तरीके से अपनी गतिविधियां चलाने में आतंकित किया जाएगा, मारपीट की जाएगी, घेराव किया जाएगा, तो हिंसा की घटनायें होंगी। 2 अगस्त, 77 से इस मिल को बन्द कराने के लिए लगातार क्या–क्या कार्यवाही नहीं की गई! कइयों के साथ मारपीट करना, उनको धूप में खड़ा करना, उठक-बैठक करवाना और अपमानित करना, इस प्रकार की कार्यवाही वहां तालाबन्दी से पहले 27 दिनों तक लगातार चलती रही है। जो कार्यवाही चल रही थी, यह हिंसक गतिविधि उसकी आखिरी परिणति नहीं है। इसके पीछे प्रश्न यह है कि जिन लोगों ने हड़ताल करवाई, वह अन-रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन ओर्गेनाइजेशन के हैं। जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन ओर्गेनाइजेशन के लीडर हैं मेवाड़ मजदूर संघ जो कि, इंटक की एक ब्रांच है, के नेता परमानन्द त्रिपाठी हैं। वह आज से नहीं हैं, वह फ्रीडम फाइटर रहे हैं। फ्रीडम फाइटर ही नहीं वे एक समाजवादी कार्यकर्ता भी रहे हैं। मेरा दल ही इससे परिचित नहीं बल्कि इस सदन के अधिकांश माननीय सदस्य परिचित हैं कि वे किस प्रकार के व्यक्ति हैं। वे शांति में विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, और ट्रेड यूनियम्स की फ्रीडम और डेमाक्रेसी में

(श्री परसराम मदेरणा)

विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं। हर एक पोलिटिकल पार्टी और ट्रेड यूनियन का जो राइट है, फ्रीडम आफ ट्रेड यूनियन एक्टीविटीज हैं, उसे असर्ट करने के लिए और ट्रेड यूनियन के मैम्बर्स, जो श्रमिक हैं, के हितों के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बराबर उन्होंने कोशिश की है। वे तालाबन्दी के विरुद्ध थे। बोनस के मामले में भी उनकी मांग औचित्यपूर्ण है। इन सब बातों के होते हुए इस मिल में तालाबन्दी कराई गई। तालाबन्दी हुई वह अलग बात है। यहां तक ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, हिंसा की कार्यवाही लगातार चल रही है और आज भी वहां जबरदस्त आतंक है। उन्होंने 17-9-77 को 4 बजे मेवाड़ टैक्सटाइल मिल के गेट पर एक मीटिंग की। इस मीटिंग के अन्दर अधिकांश श्रमिक थे, करीब ढाई हजार में से दो हजार श्रमिक उस मीटिंग में उपस्थित थे। उन्होंने इस प्रकार का वातावरण बनाया कि मिल की तालाबन्दी तोड़नी चाहिए। मेवाड़ मजदूर संघ, जो रिकोग्नाइज्ड संस्था है, उसकी ओर से रीजनेबल मांगें रखीं। उन्होंने प्रबन्धकों से अपील की थी कि तालाबन्दी तोड़ कर उत्पादन कार्य में लगना चाहिए। दूसरी रात को दूसरे के मकान पर 1 बजे, 17 और 18 की दरमियानी रात को उन पर कातिलाना हमला होता है। हमला ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, ट्रेड यूनियन कांग्रेस के लीडर को, एक मजदूर संगठन के सर्वमान्य लीडर को निर्दयतापूर्वक और अमानवीय तरीके से पीटते-पीटते एक किलोमीटर घसीट कर गेट तक ले जाया गया। मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्रीजी भी इस सम्बन्ध में निश्चित तौर पर कुछ न कुछ कार्यवाही करेंगे। इसके कारण मजदूरों में आतंक है। मजदूर संगठन के नेता के साथ इस प्रकार की कार्यवाही की जाती है जिसके द्वारा हिंसा, आतंक और रोष फैला कर के अपनी तरफ के लोगों का, अपने राजनैतिक स्वार्थों का पोषण करने के लिए इस प्रकार की कार्यवाही करने की छूट दी जाती है तो मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र पर यह बहुत बड़ा हमला होगा। मेरी उनसे व्यक्तिगत सिम्पैथी का प्रश्न नहीं है? यह नीति का प्रश्न है कि क्या ट्रेड यूनियन ओर्गेनाइजेशन्स को स्वतंत्रतापूर्वक, निर्भयतापूर्वक अपने-अपने विचारों के अनुसार मजदूरों की उचित मांगों को ले कर के, उनके संगठन को मजबूत कर के और उनकी सामूहिक और ओर्गेनाइज्ड स्ट्रेंथ बना कर के उनके हित में काम करने की स्वतंत्रता रहेगी या नहीं रहेगी? इस हमले के बाद में राजस्थान के मजदूर संगठनों में और राजस्थान की आम जनता में भी इस बात का बहुत बड़ा असंतोष है, विक्षोभ है। जिस दल की ट्रेड यूनियन की यह कार्यवाही है उस तथाकथित यूनियन का नाम जनता मिल मजदूर संघ है जो कि रजिस्टर्ड आर्गेनाइजेशन नहीं है। अफसोस की बात यह है कि वे अपने आपको भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध बताते हैं। मैं यह आपकी मार्फत गृह मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि परमानन्द त्रिपाठी के ऊपर जो हमला किया गया, यह हमला निन्दनीय है, और साथ ही प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों को चेलैन्ज करने वाली बात है। इसके कारण यह डर व्याप्त हुआ है श्रमिक संगठनों में कि जनता सरकार के राज्य में दूसरे संगठन स्वतन्त्रतापूर्वक, बिना किसी भय, आतंक के कार्य कर सकेंगे या नहीं? इस प्रकार की अनेक धारणाएं हैं। यह प्रश्न

(श्री परसराम भवेरणा)

बाधक चिन्ह मेरे दल के सामने ही नहीं, अन्य दलों के सामने ही नहीं बल्कि आपकी पार्टी के कई घटकों के सम्मुख भी है। इस प्रकार से एक यूनियन की गतिविधि चलाने के लिए, राजनैतिक मोटिव की पूर्ति के लिए किसी ट्रेड यूनियन के लीडर को बुरी तरह से मारा-पीटा जावे, उस पर कातिलाना हमला किया जावे, डर और आतंक फैलाया जावे, यह इन यूनियनों को कमजोर करने के लिए आप षड़यन्त्र कर रहे हैं। मैं यह चाहूंगा कि जिन लोगों ने हमला किया है, जो लोग ट्रेड यूनियन को कुचलने के लिए इस प्रकार का षड़यन्त्र करते हैं इसका अनुसन्धान, इन्वेस्टीगेशन अच्छी तरह से करा कर उनको प्रोसीक्यूट करना चाहिए। यह षड़यन्त्र का एक हिस्सा है, कान्सप्रेसी है। अभी तक इनके पास एक्स-रे रिपोर्ट नहीं आई है। उनको जो चोट लगी है, यह चोट ग्रीवियस है या दूसरी तरह की है। क्या उनको किसी औजार से पीटा गया? जिस रास्ते से वे ले गये, क्या यह सही नहीं है कि पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट का बंगला उसी रास्ते पर है? उस रास्ते पर एस० पी० का रेजीडेन्स है फिर भी श्रमिक नेता को मजदूर पीटते हुए ले गए, गेट तक ले गये। दो बजे के आस-पास पुलिस वहां पर आयी, तब आयी जब कि श्री परमानन्द त्रिपाठी बेहोश हो गए। पुलिस ने इस मामले में सतर्कता नहीं बरती है। मारपीट करने के बाद लोग भाग गये। परमानन्द त्रिपाठी बेहोश हो गए, उसके बाद पुलिस आई। इस तरह पुलिस ने अपना कर्त्तव्य निभाने में कोताही की है और प्राम्प्ट एक्शन नहीं लिया गया है। जो लोग अरेस्ट हुए हैं, जिनके नाम परमानन्द त्रिपाठी ने लिए हैं, उन की विटनेंस जल्दी ली जाकर इस केस में सख्ती से कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक साथ आप सब की बात नहीं सुन सकूंगा।

श्री श्योपतसिंह (मकासर) : सिर्फ दो मिनिट बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जो वक्तव्य गृह मंत्री महोदय ने दिया है, उसमें उन्होंने यह कहा है कि चोटों की गंभीरता कितनी है यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी एक्स-रे नहीं आया है। सवाल इस बात का नहीं है। परमानन्द त्रिपाठी के हाथ टूटें या पैर टूटे, इससे कोई गंभीरता नहीं बढ़ेगी। सब से गंभीर बात तो यह है कि परमानन्द त्रिपाठी ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता हैं, हर आदमी को इस बात की जानकारी है, हर एक को ट्रेड यूनियन एक्टीविटीज करने की आजादी है फिर उन पर हमला क्यों हुआ? इस तरह की घटना क्यों हुई? वहां पर लबें अर्से से हड़ताल चल रही थी। उनका भी एक संगठन था। परमानन्द त्रिपाठी खतरे को महसूस करते थे। वे रात को अपने घर पर न सो कर दूसरे के घर पर सोते थे। छिप कर रहते थे। उनको इस बात का अन्देशा था। इस बात की अधिकारियों ने भी चेतावनी दी थी। अधिकारियों को जानकारी थी। उसके बावजूद वहां के 20-25 लोग, एक ग्रुप बना कर आये, बड़ी मस्ती से उनको मारा, त्रिपाठी को खुले तौर पर जाकर पकड़ लिया और इस तरह से उनको ले गये और यह सब से गंभीर बात है। यह अपने आप में गंभीर है। चोटें कितनी

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

गम्भीर है, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है परन्तु गम्भीर बात यह है कि क्या सत्ताधारी दल, जनता पार्टी के नेता का यह फर्ज नहीं था कि यह जो घटना हुई है उसकी निन्दा करें ? मेरे ख्याल से जनता पार्टी के किसी नेता ने इस घटना की निन्दा नहीं की है । यह कोई मामूली बात नहीं है । इस घटना की निंदा न करना गंभीर बात है । परमानन्द त्रिपाठी पर हमला किया गया, मंत्री महोदय को इसकी जानकारी है । उनका अच्छा व्यवहार है । विरोधी पार्टी में भी वे रहे हैं । समाजवादी कार्यकर्ता भी रहे हैं । सारी की सारी इन लोगों को जानकारी है । परन्तु इस एक्ट के खिलाफ कोई भी निन्दा के शब्द नहीं कहे, यह बहुत बुरी बात है । इस तरह से क्या चाहते हैं आप ? हम जिस बीमारी से छूट कर आए, जिस जगह से हम इस जगह पर आए आखिर में क्या हम वैसा ही माहौल पैदा करना चाहते हैं ? क्या इस एक्ट की निन्दा नहीं करनी चाहिए ? निन्दा न करने की वजह क्या है ? तो क्या वे लोग सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं ? उनको संरक्षण मिला हुआ है ? क्या उन्होंने यह समझ कर किया है कि हमारा पक्ष आज सत्ता में है, हमारे लोग सत्ता में हैं ? सत्ता का फायदा उठाते हुए, वहां के संगठन पर हावी होने की नीयत से उन्होंने यह कार्यवाही की है ? भविष्य में इस तरह की घटना न हो, मुख्य मंत्रीजी यहां पर बैठे हैं, उनको इस बात पर बोलना चाहिये और कहना चाहिये, इस घटना की निंदा करनी चाहिए । निंदा नहीं करते हैं तो अल्टीमेटली इस तरह की घटनाएं नहीं रुकेंगी और बढ़ेंगी । इसका कोई इलाज नहीं होगा जिसका अंजाम हमको भुगतना पड़ेगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं मुख्य मंत्रीजी को निवेदन करता हूं कि वे इस पर गंभीरता से विचार कर इसकी रोकथाम करें ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र चौधरी !

(अनुपस्थित)

श्री नूरा !

श्री नूरा (मसूदा) : उपाध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा में जो घटना घटी है, वह मामूली बात नहीं है । त्रिपाठीजी ने एक बड़ी मीटिंग की थी । बड़ी तादाद में उस मीटिंग के हो जाने के बाद विरोधी लोगों ने बौखलाकर, आतंकित होकर, उस मीटिंग की कामयाबी को देख कर एक ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता के ऊपर हमला किया है । यह हमला मामूली नहीं है । पूरे योजनाबद्ध तरीके से, योजना बना कर यह हमला किया गया है । इसमें किसी न किसी बड़े नेता का हाथ है । वे उसको संरक्षण देते हैं । इसका ट्रेड यूनियन में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को अफसोस है । वर्षों से हम ट्रेड यूनियन में हैं, हमारे मुकाबले में नये पैदा होने वाले संगठन अगर हमला करके अपने संगठन को पनपाना चाहें तो मैं समझता हूं कि उन्होंने बेसमझी से काम किया है । इस हमले की जो योजना बनाई है, उसकी पूरी छानबीन की जानी चाहिए । छानबीन करके ऐसे हमलावर लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए । मजदूर क्षेत्र में काम करने वाले लीडर पर हमला हो उसको मजदूर तहरीक में रहने वाले लोग और मजदूर वर्ग इस तरह बर्दाश्त नहीं कर सकता और इससे भड़काव पैदा होगा । भड़काव को शान्त रखने के लिए सरकार की तरफ से कदम उठा कर कार्यवाही

Page No.37

(श्री नूरा)

करनी चाहिए। जनता को भी देखना है, मजदूरों को भी देखना है कि हमला करने वाले लोग गिरफ्तार होते हैं या नहीं, उन्हें सजा देने की कार्यवाही की गई है या नहीं ? यह नहीं किया गया तो मजदूरों में अशान्ति फैलेगी, उत्तेजना बढ़ेगी और मजदूरों में जो असन्तोष फैलेगा उसका असर दूसरी जगह भी पड़ेगा। इस हड़ताल की शुरुआत भीलवाड़ा में ही नहीं जहां-जहां मजदूर जमात काम करती है, वहां होगी। इस प्रकार से संगठन को कुचलने के लिए कोशिश की गई तो यह एक भारी भूल होगी। सरकार को इसे देखना होगा, यह मैं सरकार से निवेदन करूंगा। इस हमले का मैं विरोध करता हूं। मुख्य मंत्री जी को जैसा कि कहा है इस ओर ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार की घटना से राजस्थान के मजदूरों में आतंक की हवा फैली है इसलिये उनको सुरक्षा देने के प्रयत्न करें। यह एक भयंकर घटना है, मामूली नहीं है।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री नरेन्द्रपाल सिंह।

श्री **नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी** (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार इस घटना पर रखे हैं। इतना मैं कह सकता हूं कि परमानन्द पर जो हमला हुआ है वह निन्दनीय एवं शर्मनाक है।

श्री **मूलचन्द डागा** : बात सही है।

श्री **नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी** : मैं जानता हूं, डागा साहब, आपके क्या कार्य हैं। सारे राजस्थान में आप लोग जो करवा रहे हैं वे भी निंदनीय हैं।

श्री **मूलचन्द डागा** : गलती आपकी है। हमारे ऊपर दोष लगा रहे हैं।

श्री **नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी** : आप ऐसे कार्य करते हैं जिससे कि असन्तोष हो। परमानन्द जी को मैं वर्षों से जानता हूं वह काफी दिलेर और संघर्षशील साथी हैं।

श्री **मूलचन्द डागा** : आप क्या जानते हैं ?

श्री **नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी** : आप क्या जानते हैं, मुझे मालूम है। जैसा कि विपक्ष के नेता ने कहा है, जब वह × × × साथ नहीं था तब हमारे साथ था। तब उसको बहुत बार आपने पीटा है। मारा है।

(व्यवधान)

जब चीफ मिनिस्टर × × × मोहनलाल सुखाड़िया था उस समय परमानन्द को सताया था।

श्री **सूरजपाल सिंह** : यह किस प्रकार से बोल रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री **नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी** : मैं इतना ही कह सकता हूं कि श्रम मंत्री द्वारा सदन में कहा है वह सही है।

श्री **शोशराम ओला** : उपाध्यक्ष महोदय, × × × शब्द कहा है। क्या यह संसदीय है ?

श्री **नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी** : हम सभी को बहुत अफसोस है कि परमानन्द के साथ मारपीट की गई है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइण्ट ऑफ आर्डर।

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा रहा है।

× × × शब्द **अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।**

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी: मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो किया गया है वह बहुत ही दुखद है। जिस प्रकार की व्यवस्था के लिए कहा है, अगर वह होती है तो अच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

माननीय सुमित्रा जी।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम है। आप बोलिये।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी गृह मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया है और मजदूर नेता होने के नाते अभी दो वक्तव्य दिये गये हैं, उनमें से जो पहला वक्तव्य है उसके बारे में निवेदन है कि अच्छा होता, सरकार ने जो कदम आज उठाया है, वह एक महीने पहले उठाया होता तो सारी घटना हुई है वह नहीं होती। उपाध्यक्ष महोदय, हड़ताल जब से चली है, तभी हमारी सरकार की जो नीति है उस नीति की घोषणा की होती और जो झगड़ा था, मजदूर और मालिकों के बीच में तो सरकार, मजदूर और मालिक, तीनों बैठकर इस बात पर फैसला करते। अगर यह फैसला नहीं हो पाता तो उस हालत में जो रिकोग्नाइज्ड यूनियन है उनको आगे बढ़ने का अवसर देने की बात होती तो यह दुर्घटना नहीं होती। यह हड़ताल का मामला सरकार के सामने भी आया था और अखबारों के जरिये से भी उठा था। अगर सरकार चाहती तो जो कदम इस वक्त में उठाये गये हैं वे उसी वक्त में उठा लिये जाते तो इस प्रकार की बात नहीं होती। मगर उस बात को लम्बा खींचा गया। इसका असर दूसरी जगह नहीं हुआ, यह अच्छा हुआ। हमारे कहने पर वैसे सरकार ज्यादा कुछ नहीं करती है पर इतना असर तो हुआ कि मेवाड़ टैक्सटाइल मिल में तालाबंदी के बारे में सरकार ने तुरन्त निर्णय ले लिया है। हमारी बात का इतना असर तो जरूर हुआ है कि श्रम मंत्री ने सरकार का फैसला आपके सामने रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, खास तौर पर परमानन्द त्रिपाठी पर जिस प्रकार से हमला किया गया है, मैं समझता हूं कि उसके बारे में खास तौर से कुछ तथ्य नहीं आये हैं। क्या जो उन पर हमला हुआ है वह पूर्व नियोजित हमला था? जैसा कि वक्तव्य में कहा गया है कि कुछ व्यक्ति उनको श्री बजरंगलाल के घर से पकड़ कर ले गये। मैं सदन की जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं कि परमानन्द त्रिपाठी का मकान और बजरंगलाल का मकान एक ही सड़क पर नजदीक-नजदीक है। वह रात को स्टेशन से चाय पीकर अपने घर आ रहे थे। स्टेशन से चार-पांच आदमियों ने उनका पीछा किया। घर के बाहर आये तो उनके घर के बरामदे में भी 10-15 आदमी बैठे हुए थे। तो जो उनके साथ आये वह और बरामदे में बैठे हुए लोगों ने परमानन्द की ओर दौड़ना शुरू किया। परमानन्दजी बजरंगलाल के घर में चले गये। वह मकान बन्द था। उन्होंने उनका मकान तोड़ दिया और उनके गले में रस्सी डालकर उस मकान से लेकर पीछे के गेट तक पूरी तरह मारते-पीटते हुए ले गये। इस सदन के भूतपूर्व सदस्य गोकुल प्रसादजी सारी घटना में साथ थे। उन्होंने यह कहा कि भले आदमी अब तो छोड़ दो। यह तो मर रहा है। अब छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे सिर पर दोष आ जायेगा। इसको गटर लाइन में डालकर चले जाओ। बाद में पुलिस आ गई। पुलिस को बजरंग-

(श्री उमरावसिंह डाबरिया)

लाल के मकान से टेलीफोन कर दिया गया था कि इस प्रकार की घटना हो गई है। इसके बाद जब वह गेट पर बेहोश हो गये तब पुलिस पहुंची। मैं यह कहना चाहता हूं कि उनको इतनी मार पड़ी है कि उनके सिर में चार जगह डेढ़ इंच गहरे घाव हैं। सारी खोपड़ी में 13 टांके आये हैं। कन्धे से लेकर कुहनी तक एक हाथ बिल्कुल सुन्न है। कोई जान हाथ में नहीं है। उनके सारे शरीर में घाव हैं। उनको अजमेर ले गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप खुद मिल कर आये हैं। श्री मनोहरसिंह मेहता, जो इस सदन के सदस्य हैं, उनको देखकर आये हैं। मेरे को इस घटना की खबर उसी दिन साढ़े पांच बजे सुबह मिली। मैंने आई० जी०, होम मिनिस्टर, और होम कमिश्नर से सम्पर्क किया। आई०जी० का पता नहीं, लेकिन होम कमिश्नर ने घटना उसी रूप में बताई जैसी कि मेरे पास खबर आई। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इस तरह से इस राज्य के अन्दर सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले, मजदूरों में काम करने वाले, किसानों में काम करने वाले, राजनीतिक पार्टियों में काम करने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर इस तरह से घातक हमले होने लगे, उनकी जान को खतरा होने लगे, तो मैं समझता हूं कि यह कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। इसलिए भी मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सारी घटना के पीछे जो भी माहौल रहा हो, अब अगर उस वातावरण को खतम कर दिया जाय तो यह एक बहुत अच्छी बात होगी और हमारे प्रान्त में इसका अच्छा असर पड़ेगा। लेकिन उस माहौल को खतम नहीं किया गया तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अशान्ति सारे प्रान्त में फैल जायगी। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मेरी सरकार को और मेरे नेता और गृह मंत्री महोदय को बोलने से पूर्व यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो भी आपकी नीति है उसको दृढ़ता के साथ लागू करें ताकि इस प्रकार की घटनाएं दुबारा नहीं हों। शांतिपूर्वक हमारे कल-कारखाने चलें, प्रोडक्शन में नुकसान नहीं हो, और मजदूरों का किसी भी हालत में नुकसान न हो—इस दृष्टि से जो भी निर्णय मान्य हो उसके अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिए और इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हों। 19 व्यक्तियों की मेरे पास सूचना आई है और भाई परमानन्दजी ने कहा कि उन लोगों के नाम ये हैं, उनमें से कुछ को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अगर यह बात सही है तो उनको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिये। यह बड़ी खुशी की बात है इस सदन के लिए भी, मिल में काम करने वालों के लिए भी और मिल वालों के लिए भी कि आज साढ़े तीन बजे से मेवाड़ टैक्सटाइल मिल फिर से चालू की जा रही है। इसके लिए मैं गृह मंत्री महोदय को और मजदूर मंत्री महोदय को, जिन्होंने देर से ही सही अच्छा कदम उठाया, धन्यवाद देता हूं। जिस प्रकार से श्योपतसिंहजी ने कहा, मैं भी कहना चाहूंगा कि हमारे इस सदन के नेता इस मामले में अफसोस जाहिर करें और इसकी निन्दा करें ताकि इस तरह की घटना हमारे प्रान्त में न हों।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्दजी डागा!

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का हर कार्यकर्ता चाहे

(श्री मूलचन्द डागा)

किसी भी पार्टी का हो, इस प्रकार की जो घटना हुई है उसकी निन्दा करेगा। कोई प्रशंसा इस घटना की मेरे ख्याल से किसी जगह से नहीं हो सकती। मैं एक बात पूछना चाहता हूं गृह मंत्री महोदय जब बयान दें तो उसके बारे में भी बतायें। जो बात अभी अभी ढाबरिया साहब ने कही, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। मैं गृह मंत्री-जी से पूछना चाहता हूं कि आपके पुलिस विभाग ने मुकद्मात किन-किन दफाओं में रजिस्टर किये हैं? इस विषय में आप बिल्कुल मौन रहे हैं। मैं एक बात यह कहना चाहता हूं इस घटना के बाबत आपके सामने जैसा बतलाया उस दिन ही यह माहौल पैदा नहीं हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने नीति अख्तियार की, आपने तरीका अख्तियार किया, मान्यवर, अपंजीकृत संस्थाओं को शह देने का, राजनैतिक प्रभाव को जमाने के लिये जो संस्था रजिस्टर नहीं है ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत, जो एक महीने से बराबर गड़बड़ी कर रही थीं और मजदूरों को परेशानी में डाल रही थी आपने उस संस्था को मदद देने के लिये जो कदम उठाया, मेहरबानी करके उस बात को भी कहियेगा। क्या वह संस्था, जिसका भारतीय मजदूर संघ नाम है, रजिस्टर नहीं हुई है, अमान्य है, अपंजीकृत है? क्या इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत उसका नाम भी रेफर किया गया है या उसके नुमाइन्दों को भी बुलाया गया है? और किन बातों के आधार पर इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत प्रोसीडिंग्स शुरू की गई हैं? मैंने, श्रीमन्, 14 रोज पहले इस बाबत चर्चा की थी। मैंने कहा था और उस समय माननीय सदस्य कौशलकिशोरजी ने भी यह बात कही थी, और आज 14 रोज से यह बात कह रहा हूं कि आपका श्रम विभाग निष्क्रिय हो गया है, उसने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया। इस कारण महीने के बाद यह घटना हुई। क्या कारण है कि जो निर्णय आज आप ले रहे हैं और मिल शुरू कर रहे हैं उस निर्णय को एक महीने पहले या बीस दिन पहले नहीं लिया गया? अगर ऐसा करते तो यह घटना नहीं होती। मैं यह कहना चाहता हूं कि परमानन्दजी को मारने की घटना जो हुई उसके पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। हिंसात्मक कार्यवाहियां पहले भी कई बार हो चुकी है। पुलिस को दफा 107 में जो अधिकार हैं या यह जो गुण्डा एक्ट लागू कर रखा है जिसके द्वारा शान्ति रखना चाहते हैं वह सारे एक्ट कहां गये थे? मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आखिर क्या करना चाहते थे? पुलिस विभाग क्या मजदूरों के क्षेत्र में जाना नहीं चाहता था? जहां हिंसा फैलती है वहां जाना नहीं चाहते थे, कि हम तो वहां नहीं जायेंगे। एक महीने भर तक सारे उदयपुर डिविजन में अशान्ति इसलिए फैली कि न तो पुलिस ने असामाजिक तत्वों को रोका जो हिंसा के बल पर संस्थाएं कायम करना चाहते हैं और न उनके खिलाफ कदम उठाया। आपका पुलिस विभाग निष्क्रिय है, श्रम विभाग निष्क्रिय है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब कभी भी मंत्री महोदय स्टेटमेंट दें तो विस्तृत दें, पूरी बात कहें और एक छोटी सी बात कह कर इस बात को खतम न करें। यह बतलाया जाय कि ट्रिब्यूनल में मामला कब चला जायगा या भेज दिया जायगा और कब तक आप निर्णय ले लेंगे? यह भी बताने की कृपा करें?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

विभिन्न प्रश्न उठाये हैं, उनका उत्तर माननीय गृह मंत्रीजी देंगे। मैं इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि श्री परमानन्दजी त्रिपाठी को मैं भी जानता हूं। जितना माननीय सदस्य जानते हैं, उनसे कम उनके विषय में मुझे भी जानकारी नहीं है। उनके ऊपर जो हमला हुआ वह निश्चित रूप से निन्दनीय है। इसकी जितनी बार निन्दा की जाय थोड़ी है। घटना की पूरी तरह में भर्त्सना करता हूं और सदन के माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस मामले में सरकार निष्पक्ष होकर काम करेगी। जिस समय परमानन्दजी के सम्बन्ध में मुझे दिल्ली में जानकारी मिली गृह आयुक्त के द्वारा उसी उमय उनको कहा कि जिन लोगों ने हमला किया, उनको तुरन्त गिरफ्तार किया जाय और अनुसंधान में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी जाय। किसी भी यूनियन के किसी भी कार्यकर्ता ने यह काम किया हो, उसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जायगा। मैं ऐसा समझता हूं कि इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य आश्वस्त रहें, सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होगा। जिन लोगों ने यह निंदनीय काम किया है, अपराध किया है, उनके साथ अपराधियों जैसा निश्चित रूप से व्यवहार होगा कानूनी कार्यवाही जो हो रही है उसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन अनुसंधान में किसी प्रकार की कमी रहेगी तो अवश्य उस कमी की पूर्ति कराने में सरकार की ओर से प्रयास किया जाएगा।

श्री केदारनाथ : इसमें जो धारायें लगाई गई हैं वे हैं 307, 352, 148, 149, 342....

श्री रघुनाथ विश्नोई : जो माननीय डाबरियाजी ने तथ्य रखे हैं उसके अनुसार 452 के अलावा रात्रि के समय हमला करने के लिये धारा 457 व 480 भी लगाई गई है?

श्री केदारनाथ : जिला प्रशासन ने जो टाइमली, प्रॉम्प्ट और इफेक्टिव एक्शन लिया, मैं समझता हूं यह बहुत बड़ा काम किया है। 1 बजे सूचना मिलती है, 10 बजे एस० एच० ओ० पहुंचता है और 2 बजे परमानंदजी का बयान रिकार्ड किया जाता है। रातों रात 18 तारीख को 8 बजे से पहले जो 19 आदमियों के नाम लिखे जाते हैं जिनमें से 18 आदमियों को गिरफ्तार किया जाता है, इससे ज्यादा प्रॉम्प्टनेस जिला प्रशासन से आप नहीं चाह सकते।

यहां पर कहा गया कि कान्सप्रेसी की जा रही है कि दूसरी ट्रेड यूनियन के जरिए डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग में बाधा पैदा की जाए। हम दो ढाई महीने से आए हैं, विपक्षी सामने बैठे हैं, वे माननीय सदस्य इस बात को मानकर चलेंगे कि सरकार की ओर से किसी को भी न तो पेट्रोनाइज किया गया और न प्रोटेक्शन दिया गया। आंदोलन हुआ, समझौता हुआ, लाक-आउट-लिफ्ट हुआ, हड़ताल कॉल ऑफ हुई। राज्य सरकार का मत है कि एक टेबल पर बैठकर बाइलेटरल टाक्स से अगर विवाद का हल होता है तो ट्रेड यूनियन मूवमेंट में यह एक बड़ी चीज है। इसलिए प्रयास किए गए और डागाजी.......

श्री मूलचन्द डागा : एक महीने, डेढ़ महीने तक रखा गया........

श्री केदार नाथ : इसलिए जितने आंदोलन हुए हैं, राज्य सरकार की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से किसी को गिरफ्तार

(श्री केदारनाथ)

नहीं किया गया । पिछली सरकार और हमारी सरकार के बीच अंतर पैदा हुआ है । राज्य सरकार की ओर से किसी ट्रेड यूनियन को, इंडस्ट्रियल यूनिट को कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया गया न ही दिया जाएगा । यह पिछली सरकार की नीति से बुनियादी डिपार्चर है ।

यहां पर यह भी कहा गया कि सरकार कि ओर से पिटाई का वातावरण, आतंक का वातावरण, भय का वातावरण पैदा किया जा रहा है, । यह बिल्कुल गलत है, फैक्ट्स से दूर है । जिस समय मालूम पड़ा कि पार्शल स्ट्राइक हुई है और लॉक आउट किया गया 29 तारीख को, उससे पहले और बाद हमने लगातार प्रयास किए कि नेगोसिएशन्स किए जायं । सरकार व श्रम विभाग की ओर से और मुख्य मंत्री की ओर से प्रयास किये गये मगर जब हल नहीं हुआ तो राज्य सरकार ने 10 (ए) इन्वोक करने का फैसला किया है । आज तालाबंदी लिफ्ट की गई है, 250) रु० एडवांस राशि दी गई है, वह इसलिए दी गई है कि पिछले 50 दिनों से ये लोग भूखे हैं । इसमें मजदूर का दोष नहीं है । मैंने भी मजदूरों के साथ काम किया है, मैं जानता हूं कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट कैसा होता है, क्या हालात होते हैं । इसलिए जो मजदूर 2 तारीख से पार्शल स्ट्राइक पर रहे और आज तक उनको कुछ नहीं मिला हो अगर भूखे पेट वे वापस काम पर जाते हैं तो न काम करेंगे न सही रिलेशन्स पैदा होंगे, न उत्पादन होगा और न आवश्यक साइकोलोजी पैदा होगी । इसलिए अग्रिम राशि का प्रावधान रखा है ।

यहां पर यह भी कहा गया कि परमानंदजी पर अटैक की निंदा नहीं की गई । इस वायोलेंट एक्शन के लिए जिला प्रशासन से कहा गया । हमारे कहने से जिला प्रशासन सतर्क हुआ । 17 तारीख को ठीक तीन बजे परमानंदजी ने वहां मिल के गेट के सामने मजदूरों की मीटिंग की जिसमें 4-5 सौ आदमी थे । वहां पर उन्होंने कहा कि मालिक की ओर से 100-200 एडवांस दिया जाएगा और कल पहली शिफ्ट में ही लॉक-आउट लिफ्ट किया जाएगा जो काम पर जाना चाहें वे जायं । मीटिंग सफलतापूर्वक हुई । जब परमानंदजी वापस लौट रहे थे तो कोई बाधा नहीं डाली गई । रात को 11 बजे श्री कपूर मैनेजर ने कार द्वारा पिछले गेट से परमानंद को भगाया । तो कुछ गुस्सा, कुछ नाराजगी भी हो सकती है । मैं परमानंद को जानता हूं । उनकी इन्टेग्रिटी, ईमानदारी, उनके काम करने के तरीके में कोई शक नहीं । मैं उनकी तारीफ करता हूं, उनके केरेक्टर व ईमानदारी की तारीफ करता हूं । मगर 11 बजे मजदूर आंदोलन पर हों, हड़ताल पर हों, लॉक-आउट हों, मैं एक साइकोलोजी की बात करता हूं, माननीय श्योप्तसिंहजी, आप लेबर लीडर रहे हैं, भूख हड़ताल जहां हों, 11 बजे रात को पिछले गेट से जाना, मैनेजर कपूर की कार से जाना, क्या शक पैदा करता है ? जब वे निकल गए तो मजदूरों ने पीछा किया, फालो किया 20-25 मजदूर थे । परमानंद किसी के मकान पर टेलीफोन करने जा रहे थे । मजदूरों ने उनको बाहर खींच लिया । कुछ गिरफ्तार किए, एक रह गया । टेलीफोन करते समय वहां घुस गए, पीटकर गिरा दिया । ये फैक्ट्स सही हैं....

श्री मूलचन्द डागा : डिसप्यूटेड हैं ।

श्री केदारनाथ : उनको गिरा दिया जाता है, एस० एच० ओ० आता है, उनको ले जाकर अस्पताल में दाखिल कराता है और उनका बयान रिकार्ड होता है। जब मैनेजर ने कहा जिला प्रशासन से कि 18 तारीख को हम अपना लाक-आउट लिफ्ट करते हैं तो जिला प्रशासन ने कहा कि दोनों दलों में तनाव है, हम एप्रिहेंड करते हैं कि झगड़ा हो जाएगा। फिलहाल लाक-आउट लिफ्ट मत कीजिए। यह भी एक बैकग्राउंड है। मुझसे भी पूछा। मैंने कहा नेगोसिएशन्स जारी है, हम चाहते हैं कि मजदूरों की आपस में राउंड टेबल कान्फ्रेन्स हो, दोनों दलों के नेता बैठें, मैनेजमेंट और लेबर डिपार्टमेंट बैठे, रास्ता निकाला जाए, फिलहाल दो दिन के लिए लाक-आउट लिफ्ट मत कीजिए। मैंने ये इन्स्ट्रक्शन्स दे दिये। उसके बाद यह अनफार्चुनेट घटना हुई। इसलिए इंडस्ट्रियल रिलेशन्स में ऐसी घटनायें नहीं होनी चाहिए।

मुख्य मंत्री ने इस घटना की निंदा की है, मैं भी निंदा करता हूं। कहीं भी कोअर्सिव मेथड यूज हुआ हो, कहीं भी फोर्स या प्रेशर यूनियन लेवल पर हुआ हो चाहे स्माल स्केल इंडस्ट्री हो चाहे लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो, किसी भी फील्ड में हो, हमने निंदा की है और हमेशा इफैक्टिव एक्शन लिया है। जो अब तक पुलिस का रोल रहा है वह आपको मालूम है। सारे नदर्न इंडिया में कितना पीसफुल एटमासफियर यहां रहा है, इंडस्ट्रियल ट्रूस हुई है, समझौते हुए हैं और मजदूरों के हक में फैसले हुए हैं।

टैक्सटाइल इंडस्ट्री में दो दिन हड़ताल हुई, डागाजी, आपको ताज्जुब होगा, 28.50) रु० का इन्क्रीमेंट हरएक को दिया गया। दो दिन हड़ताल में एक दिन का वेतन दे दिया, यह प्रिन्सिपल हमने माना। फिर भी आप कहें कि इंडस्ट्रियल पोलिसी में हम पीछे हैं, तो यह सही नहीं है। हम प्रोग्रेसिव हैं। राज्य सरकार सतर्क है।

यहां यह भी कहा गया कि आइंदा क्या किया जाएगा? अनरजिस्टर्ड यूनियन व रजिस्टर्ड यूनियन का सवाल उठाया। जिस यूनियन ने दो तारीख से पार्शल स्ट्राइक की, सारे मजदूर जिसके पीछे हों, चाहे वह अनरजिस्टर्ड हो, उसकी फोलोइंग के मेरिट्स को मानते हुए उसके साथ नेगोसिएशन्स करना वाजिब था। इसलिए हमने 10(ए) इन्वोक कर दिया। लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि वक्त है जो भी दो दल हैं उनके मुख्य नेता बैठकर बात करें। हम चाहते हैं कि इण्डस्ट्रियल यूनिट्स में समझौते हों, बाइलैट्रल समझौते हों, कलैक्टिव बार्गेनिंग हो, यही एक रास्ता देश के हित में है ताकि इंडस्ट्रियल ट्रूस रह सके। राज्य सरकार दखल देकर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के मार्फत फैसला करवाए, यह हमारी नीति है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : What about majority union ?

श्री केदारनाथ : परमानंदजी इंटक के हैं। पिछली सरकार के दिनों में लाक-आउट नहीं हुआ था। हमने फैसला किया है कि जिस यूनियन की मैजोरिटी है, मैजोरिटी यूनियन के साथ जो एग्रीमेंट हुए हैं पिछली सरकार के द्वारा, हमने उनको आनर किया है और परमानंदजी को एजेंट मानते हुए उनके साथ समझौता करने का फैसला किया है। इडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को रेफर किया है, ट्रिब्यूनल दोनों यूनियन्स को बुलाएगा

(श्री केदारनाथ)

और फिर फैसला देगा । मैं सोचता हूं ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि मालिक व मजदूरों के रिप्रेजेंटेटिव्ज बैठकर बात करें ताकि निपटारा हो जाए, प्रोडक्शन बढ़े, जो कमी हुई है उसकी पूर्ति करें और मिल में सही हालात पैदा हों ।

एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जो भी दफा लगायी गई है उनमें सख्ती से कार्यवाही की जावेगी । इसमें किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जायेगी, कोई पक्षपात नहीं होगा––यह आप अच्छी तरह से समझ लें । इसमें कोई शंका नहीं रखें । किसी प्रकार की ढिलाई राज्य सरकार नहीं बरतेगी । चालान जब पेश होगा उस वक्त पहले स्टेज पर भी कोई मौका उनको नहीं मिलेगा । बस यही मुझे निवेदन करना है ।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय उस यूनियन से बात करते हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है । वह यूनियन जनता पार्टी से समर्थित है । जनता पार्टी की सरकार उसको पनपाना चाहती है इसलिये ऐसा हो रहा है । हम तो यही मतलब समझे ।

(व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने करीब सात रोज पहले एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव अलवर जिले में जो बाढ़ आयी है उसके संबंध में दिया है लेकिन उसके बारे में मुझे कोई सूचना नहीं दी गयी और न ही उस पर अभी तक विचार किया गया है । उसके ऊपर यहां पर कब विचार होगा, इसकी कृपया मुझे जानकारी दें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आज जब सिंचाई विभाग की मांगों पर बहस चले उस वक्त आप उसके बारे में बोल लें ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ का मसला अलग है और सिंचाई विभाग की बात अलग है । अगर मैं सिंचाई विभाग की मांगों पर बाढ़ के बारे में बोलूंगा तो आप यह कहेंगे कि माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव से विषयान्तर हो रहे हैं । आप तो हमें कटौती प्रस्ताव में उस वक्त बांधे रखते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों को मालूम ही है कि आज दूसरे कार्यक्रम भी हैं । अनुदानों की मांगों पर विचार एवं उन पर मतदान है । आप इसके बारे में सिंचाई विभाग के कट मोशन पर बोल सकते हैं ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, वर्षा की वजह से बाढ़ आयी है उससे फसलें तबाह हो गयी हैं । बाढ़ अलग है सिंचाई विभाग का अलग है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप इसके लिये मेरे चेम्बर में आकर बात कर लें । मैंने पहले भी कई बार कहा है कि काल अटेन्शन मोशन्स के बारे में जानकारी करने के लिये आप मुझसे चेम्बर में मिल लें ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : साहब, कभी कभी चेम्बर के बाहर भी मिल लीजिये । यहीं फर्मा दें ।

श्री उपाध्यक्ष : आप मुझ से चेम्बर में बात करेंगे तो पूरी जानकारी आपको मैं दे पाऊंगा ।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक काल अटन्शन नोटिस आपको दिया है । राजस्थान के पांचों मेडिकल कालेजेज में हड़ताल हो रही है उसके संबंध में वह

(श्री मूलचन्द डागा)
उसके बारे में अभी तक कोई मुझे जानकारी नहीं मिली है। इसके ऊपर स्वास्थ्य मंत्री जी कृपया हाउस में एक स्टेटमेन्ट दें।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है, डागाजी, आप तो मुझसे अक्सर मेरे चेम्बर में मिलते ही रहते हैं। मेरे चेम्बर में आप मुझसे जानकारी ले लें।

व्यवस्था का प्रश्न

विधान सभा सत्रकाल उपनिवेशन मंत्री द्वारा सदनेतर घोषणा

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। परसों गोगामंडी का मेला था उसमें हमारे मुख्य मंत्री जी गये थे और हमारे गृह मन्त्री जी भी गये थे जो कि हमारे उपनिवेशन मन्त्री भी है। जैसा कि 'राजस्थान पत्रिका', 'राष्ट्रदूत' और 'यंग लीडर' वगैरह अखबारों में आया है कि गंगानगर जिले में गोगामंडी के मेले पर आयोजित किसान सम्मेलन में गृह मन्त्री ने बताया कि 1970 में इस मांग को लेकर किसानों का व्यापक आंदोलन हुआ था और हमने जेल यातनायें भुगती थीं। अब जनता सरकार ने इस मांग को पूरा करके हजारों काश्तकारों को अदालतों के चक्कर से बचा लिया है। उन्होंने उन काश्तकारों की जमीनें बहाल करने का विश्वास दिलाया जिनकी जमीनें पिछली सरकार ने इस आधार पर रद्द कर दी थीं कि वे नियमित नहीं थी।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब हाउस सैशन में हो तब कोई नीति संबंधी घोषणा मंत्री को करनी हो तो स्टेटमेन्ट के जरिये हाउस में करें। मेरा निवेदन यह है कि मन्त्री महोदय को पहले हाउस में स्टेटमेन्ट देना चाहिये था। इस प्रकार की व्यवस्था, उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्लियामेन्ट में भी समय-समय पर होती रही है। इसके सम्बन्ध में कई बार हाउस में ऐतराज उठाया गया है और सदन में यह व्यवस्था दी गयी है कि जब हाउस सैशन में हो तो कोई स्टेटमेन्ट हो नीति संबंधी वह हाउस में हो बाहर नहीं हो। स्टेटमेन्ट पहले हाउस में ही दिया जाय। हमारे यहां पर भी ऐसा हुआ है। मेरी समझ में नहीं आता है कि सैक्शन 15 (ए) जो कि टेनेन्सी एक्ट का है, के तहत रहते हुए आप उन लोगों को कैसे खातेदारी राइट दे सकते हैं? उपाध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं। जब तक आप उसको कानूनी जामा नहीं पहनाते हैं तब तक आप उन लोगों को कैसे खातेदारी राइट दे सकते हैं? इसके लिये या तो आप नियमों में संशोधन करें या सरकार की तरफ से ऐसा कोई हाउस में स्टेटमेन्ट दें। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे स्टेटमेन्ट के बारे में व्यवस्था हमारी पार्लियामेन्ट, लोक सभा में इस तरह से दी गई है:—

"It has been held that a policy statement must be made on the floor of the House when House is in session before releasing it to the Press or public."

तो मेरा निवेदन है कि उपनिवेशन मंत्री को अगर कोई स्टेटमेन्ट इस संबंध में देना था तो चूंकि हाउस सैशन में है इसलिये पहले हाउस में देना चाहिये था। गोगामंडी मेले में पहले नहीं देना चाहिये था। उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन की पुरानी परम्परा रही

(श्री परसराम मदेरणा)
है कि सैशन के वक्त हाउस में पहले स्टेटमेन्ट आना चाहिये। इस संबंध में आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री मूलचन्द डागा : यह तो सीधा कन्टेम्प्ट आफ हाउस का मामला बन गया है। स्टेटमेन्ट हाउस में पहले होना चाहिये था क्योंकि विधान सभा का सत्र चल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : डागाजी इस प्रकार के प्रश्न को आप मेरी सहमति के बिना चर्चा का विषय नहीं बनायें। यह कन्टेम्प्ट है या नहीं, जो भी है वह नियमों के अनुसार पहले मुझे प्रस्तुत किया जाय। उसके बाद में जो भी नियमानुसार व्यवस्था होगी वह व्यवस्था मैं दूंगा।

अब अनुदानों की मांगों पर विचार होगा।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, आपने क्या व्यवस्था दी ?

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : उपाध्यक्ष महोदय, पहले आप इस संबंध में व्यवस्था दें। अभी जो विरोधी दल के नेता महोदय ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उस पर आपकी व्यवस्था होने के बाद हमें राज्य सरकार की तरफ से सफाई मिल जाय तो उचित रहेगा अन्यथा फिर हम ब्रीच आफ प्रिविलेज का मोशन उठायेंगे। अगर सफाई हो जाती है तो ब्रीच आफ प्रिविलेज का मोशन उठाने का प्रश्न नहीं रहता, अन्यथा हमारा यह अधिकार है कि इस पर ब्रीच आफ प्रिविलेज का मोशन दें। यह हमारी परम्परा रही है कि सरकार को कोई भी पॉलिसी मेटर पर स्टेटमेन्ट देना हो और जब हाउस इन सैशन हो तो पहले स्टेटमेन्ट यहां देना चाहिये। नहीं देते हैं तो यह प्रिविलेज का इश्यू बन जाता है। इस पर सफाई हो जाय तो ठीक रहेगा और हम प्रिविलेज का मोशन नहीं देंगे अन्यथा हमें प्रिविलेज का मोशन देना पड़ेगा।

श्री माणकचन्द सुराणा (लूणकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर मेरा यह निवेदन है कि हमारे जो रूल्स हैं उनमें रूल 294 के अन्तर्गत इस प्रकार के जो मामले उठाये जाते हैं उस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें ऐसा है कि अगर कोई संविधान में संशोधन के बारे में हो या उसकी धाराओं की व्याख्या के बारे में हो तो उठाया जा सकता है। हमारे विरोधी दल के नेता महोदय ने 294 रूल को किस प्रकार इन्टरप्रेट करके इसको रेज किया है यह मेरी समझ में नहीं आता है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें कि व्यवस्था की बात हो। इसमें साफ दिया हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने रूल 294 का रेफरेन्स दिया है। जहां तक इन्टरप्रिटेशन आफ दी रूल्स का सवाल है, यह माननीय सदस्य का प्रिविलेज है कि वह रूल का इन्टरप्रिटेशन अपनी मान्यता के अनुसार करें। वह पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर उठा सकते हैं। यह उनका अधिकार है कि वह इसके तहत ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन ला सकते हैं अगर वह नियमों के अनुसार ब्रीच ऑफ प्रिविलेज बनता हो तो। अगर नियमों के अनुकूल हो तो हो सकता है।

अनुदान की मांगें

मांग संख्या 45 (सिंचाई) व 46 (पर्यटन) की प्रस्तुति

श्री सम्पतराम (सिंचाई मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक-सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,19,57,59,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : मांग प्रस्तुत हुई ।

माननीय पर्यटन मंत्री ।

मांग संख्या 46

श्रीमती विद्या पाठक (राज्य मंत्री, पर्यटन विभाग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक-पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 46,78,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : मांग प्रस्तुत हुई ।

मांग संख्या 45 व 46 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव

श्री **गिरधारीलाल भार्गव** (किशन पोल, जयपुर):

1. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक-सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (i) (जमवारामगढ़ बांध के पानी के निकास को एक और बांध बना कर सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

(ii) राजस्थान के सिंचाई विभाग में आवश्यक सुधार किये जाने पर चर्चा के लिये)।

2. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक-पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सैलानियों के जयपुर प्रवास-सांय काल में भ्रमणार्थ उचित स्थान उपलब्ध कराने में विभाग की असफलता पर चचा के लिये) ।

3. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक-पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पर्यटन विभाग द्वारा दिल्ली में 'डेस्टीनेशन इंडिया' पत्रिका में राजस्थान विशेषांक प्रकाशित कराने पर चर्चा के लिये) ।

4. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक-पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पर्यटन विभाग द्वारा 1976 में जयपुर के मूनलाइट स्टूडियो से फोटो खरीदने में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

5. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक-पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [वनीपार्क स्थित पर्यटन विभाग के डाक बंगले (तीज) में कमरों के अभाव पर चर्चा के लिये] ।

6. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक-पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर नगर के सौन्दर्यकरण हेतु पर्यटन विभाग द्वारा राशि आवंटित न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

7. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक–पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (i) (टूरिज्म एण्ड होटल मैनेजमेंट कोर्स को मान्यता देने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

(ii) (पर्यटन विभाग में आवश्यक सुधार किये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):

8. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक-सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (i) (जमवारामगढ़ के सरप्लस पानी को उपयोग में लाने हेतु एक और बान्ध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(ii) (सिंचाई विभाग की वर्तमान नीति में परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

9. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक-पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (i) (विभाग द्वारा जल महल क्षेत्र को पर्यटकों के लिये सायं भ्रमण हेतु विकास कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(ii) पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु आवश्यक सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री **औंकारलाल चौहान** (अटरू):

10. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक-सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई की सुविधा अधिक देने हेतु व सिंचाई के जल वितरण की विषमताओं को मिटाने हेतु चर्चा के लिये)।

11. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक-पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पर्यटकों को आकर्षित करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री **अजीतसिंह** (टौंक) व
श्री **मूलचन्द सामरिया**: (दौसा):

12. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक-सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नहरों की मरम्मत व नये बांधों के निर्माण कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

13. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक-सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में सिंचाई कार्य हेतु प्रावहित राशि के व्यय की उचित व्यवस्था नहीं होने से वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

14. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहोदरा बांध, टौंक को पूरा करने में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

15. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक-सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टौंक जिले के कृषकों को सिचाई हेतु जल उपलब्ध कराने के लिये नवीन योजनाएं बना कर क्रियान्वित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता क्षेत्र बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

16. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टौंक जिले की नहरों की मरम्मत कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री **मूलचन्द सामरिया** (दौसा) :

17. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बरसात में टूटे हुए बांधों की मरम्मत के बारे में चर्चा के लिये)।

18. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीसलपुर योजना अथवा ढूंढ नदी पर बांध बनाकर जयपुर को पेयजल की व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

19. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जमुवा रामगढ़ बांध को पुनः पूर्णरूप से सिंचाई विभाग को ही सुपुर्द करने के बारे में चर्चा के लिये) ।

श्री **मूलचन्द सामरिया** (दौसा)

श्री **रामकिशोर मीणा** (सिकराय) :

20. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक–पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पर्यटन विभाग द्वारा यात्रियों को अधिक सुविधा दिलाने हेतु चर्चा के लिये) ।

श्री **वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) :

21. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार ने राजस्थान नहर की जिस प्रकार की नये तौर से योजना बनाई है उसके कारण बाड़मेर जिले की घोर उपेक्षा की गई है जिस विषय पर चर्चा के लिये) ।

22. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर को राष्ट्रीय नहर घोषित करवाने में राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये) ।

23. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में खडीनों के विकास की बहुत गुजांइश है परन्तु राज्य सरकार द्वारा इस ओर उदासीनता बरतने पर चर्चा के लिये) ।

24. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नर्बदा नदी से बाड़मेर और जालोर जिलों में सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध कराने में राज्य सरकार द्वारा विशेष दिलचस्पी लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

25. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (1) (राजस्थान नहर के विभिन्न जिलों में लिफ्ट कैनाल के निर्माण की योजना के कारण बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में राजस्थान नहर का पानी कम या बिल्कुल उपलब्ध न होने के कारण उक्त सीमावर्ती जिलों में जनता में घोर असंतोष व्याप्त है इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक-पर्यटन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़ दुर्ग को पर्यटन विभाग द्वारा ऐतिहासिक क्षति पहुंचाये जाने पर चर्चा के लिये) ।

(2) चित्तौड़गढ़ जिले में वाधन नदी पर बनाए जाने वाले बांध की अनुपयोगिता एवं राजनीति से प्रभावित योजना को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु चर्चा के लिये) ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) :

26. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक—सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर तहसील में टूटे हुए बांधों की मरम्मत एवं नये बांध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

27. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक—सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर की सांचोर तहसील में लूणी नदी इननडेशन स्कीम की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

28. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक—सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेतपुरा—बड़गांव नदियों से सिंचाई योजनाएं बनाने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये) ।

29. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक—सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नर्बदा नदी योजना एवं राजस्थान नहर योजना की शीघ्र क्रियान्विति के बारे में चर्चा लिये) ।

30. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक-पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में पर्यटक प्रोत्साहन हेतु योजना के अभाव तथा विशेष-तौर से जालोर जिले के लिये विकास योजना के अभाव पर चर्चा के लिये) ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) :

31. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक—सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समस्त राजस्थान में सिचाई के लिये जल वितरण नीति नहीं बनाने के कारणों पर चर्चा के लिये) ।

32. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक—सिचाई के अन्तर्गत में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले में वाणियावास बांध का कमाण्ड एरिया बढ़ाने हेतु चर्चा के लिये) ।

33. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा मध्यम श्रेणी के पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु सस्ते व सुन्दर पर्यटन आवास सुविधा उपलब्ध कराने में असमर्थ रहने पर चर्चा के लिये) ।

34. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक—पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (i) (जनता सरकार के परिवर्तित आय—व्ययक में पर्यटकों को प्रदेश में आकर्षित करने हेतु ऐतिहासिक स्थलों को महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध कराने में विभाग असमर्थ रहा है, इस पर चर्चा के लिये) ।

(ii) (पर्यटन विकास हेतु जनता होटलों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(iii) (रणकपुर तहसील, बाली, जिला पाली में जो स्थान है उसे पर्यटन स्थल के रूप में विकास कराने हेतु चर्चा के लिये) ।

श्री रामरघुनाथ (डेगाना):

35. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक—सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर के क्षेत्र में लाखों रुपयों की बेकार पड़ी मशीनों के संबंध में चर्चा के लिये) ।

(श्री रामरघुनाथ)

36. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक–पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पर्यटकों के लिए स्थान स्थान पर आवास व्यवस्था, जहां उनको आकर्षित किया जा सकता है, के अभाव की स्थिति पर चर्चा के लिये)।

37. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक–पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नेशनल हाइवेज पर जगह जगह अच्छे अल्प आहार गृह न बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

38. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक–पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा राजस्थान के पर्यटन स्थलों के रंगीन पिक्चर पोस्ट कार्ड हर शहर में उपलब्ध न करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) :

39. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धौलपुर में द्वितीय पार्वती बांध का निर्माण कार्य प्रारम्भ न कराने पर चर्चा के लिये)।

40. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धौलपुर उप-जिले में शाहपुरा में सिंचाई हेतु बांध का निर्माण प्रारम्भ न करने पर चर्चा के लिये)।

श्री शिवचरण सिंह (बयाना) :

41. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांध धुरेरी–कैंर, बांदवा, पांचता व खूडा के कामों में हो रहे विलम्ब पर चर्चा के लिये)।

42. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक–पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बयाना, जिला भरतपुर व करौली में पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों के लिये कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) :

43. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (i) (जवाई बांध से शिवगंज तहसील के गांवों में पानी देने तथा सभी छोटे छोटे बांध सिरोही जिले में हैं उनकी परिधि बनाने में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

(ii) पाली व सिरोही जिलों में जवाई नदी के दोनों किनारों पर वर्षा के अधिक पानी की रोक-थाम हेतु विभाग द्वारा कोई योजना नहीं बनाने पर चर्चा के लिये)।

(iii) (सिरोही के गौतमेश्वर से पोसालिया तक गांवों में नदी के पानी से हर जगह जमीन कट रही है इसकी रोक थाम हेतु विभाग द्वारा कोई कदम नहीं उठाने पर चर्चा के लिये)।

44. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक–पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (i) (आबू पर्वत तथा अन्य स्थानों पर पर्यटकों की आवासीय व्यवस्था की कमी पर चर्चा के लिये)।

(ii) (जालोर जिला केन्द्र तथा मारवाड़ के आबू नाते प्रसिद्ध जसवन्तपुरा

(श्री रघुनन्दन व्यास)
मूंदा को विभाग द्वारा विकसित करने को चर्चा के लिये)।

(iii) (पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु विभाग द्वारा केन्द्र सरकार को आबू पर्वत पर हवाई अड्डा निर्माण करने हेतु चर्चा के लिये)।

(iv) (आबू पर्वत पर पर्यटन की सुविधा हेतु अचलगढ़ सड़क तथा गुरु शिखर पर होटल निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) :

45. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मेजा बांध से निकली नहरों को पक्का बनाने एवं सिचाई हेतु कमाण्ड एरिया बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

46. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आजियाढ़ा बांध को ऊंचा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

47. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा गुवारड़ी बांध की डूब में आने वाली जमीन का मुआवजा नहीं दिये जाने से उत्पन्न परेशानियों पर चर्चा के लिये)।

48. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गुवारडी बांध, तहसील भीलवाड़ा को डूब में आने वाली जमीन का मुआवजा पर चर्चा के लिये)।

49. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (i) (आजियाडा बांध को ऊंचा कर सिचाई की व्यवस्था के लिये नहरें निकालने की व्यवस्था करने के विषय में चर्चा के लिये)।

(ii) (ग्राम छापरी, तहसील भीलवाड़ा के गांव के तालाब की पिलाई भी 10, 12 रुपये प्रति बीघा को कम करने के विषय पर की चर्चा के लिये)।

(iii) सिचाई के लिये ट्रेक्टर कम्प्रेसर का उपयोग करने हेतु चर्चा के लिये)।

(iv) (दादिया, झूपडियां, बासेड़ा तथा भभी सिचाई योजना, जिला भीलवाडा को शीघ्र पूरा कराने के विषय में चर्चा के लिये)।

(v) (सूरत सागर बांध, तहसील भीलवाडा को शीघ्र पूरा करवाने के विषय में चर्चा के लिये)।

(vi) (कान्या खेड़ी बांध, तहसील भीलवाडा की निर्माणधीन योजना को शीघ्र पूरा करने हेतु चर्चा के लिये)।

(vii) (अधीक्षण अभियन्ता, सिचाई विभाग के उदयपुर कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

50. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक-पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर के पास रणकपुर स्थान पर पर्यटन की दृष्टि से

(श्री कौशल किशोर जैन)
सुविधाओं का निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये) ।

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) :

51. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक-सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भीनमाल क्षेत्र में बांध एवं नहरों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

52. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक-सिचाई के अन्तगत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लघु सिचाई योजनाओं के कार्य समय पर शुरू न होने के कारण राज्य सरकार की धन व्यर्थ बरबाद होने बाबत चर्चा के लिये) ।

श्री माधोसिह (रेवदर) :

53. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक-सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रेवदर क्षेत्र में बांध व नहरों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) :

54. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक-सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर की लिफ्ट योजनाओं पर और उससे होने वाले फायदें पर चर्चा के लिये) ।

55. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक-पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (i) (जैसलमेर, जोधपुर, रणकपुर को टूरिस्ट केन्द्र घोषित किये जाने और उस हेतु इनफा स्ट्रक्चर उपलब्ध कराने बाबत चर्चा के लिये) ।

(ii) (राजस्थान में पर्यटक विकास निगम बनाने हेतु चर्चा के लिये) ।

श्री मंजूरअली (सवाई माधोपुर) :

56. माग संख्या 45, मुख्य शीर्षक-सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (i) (बन्ध भगवतगढ़ व बंध सूरवाल की नहर को खाट, जडावता, उलयाना, वाडोलास, रहीथा की अराजीयरत को सिंचित करने के लायक बनाने बाबत चर्चा के लिये) ।

(ii) [जिला सवाई माधोपुर में सूरवाल सैक्शन की नहर को ग्राम पडाना एक्सटेंशन के लिए (प्रपोज्ड प्लान) के खिलाफ खोदे जाने बाबत चर्चा के लिये] ।

(iii) (सवाई माधोपुर तहसील में बांध भगवतगढ़ की नहर में पानी की कमी को चेणकिया का देह बनास नदी से वाटर पम्प से लिया जाकर पूरा करने की बाबत चर्चा के लिये) ।

(iv) (सवाई माधोपुर तहसील में ग्राम खाट जडावता, पडाना रहीमा, वाडालास तक नहर सूरवाल सैक्शन को बढ़ाने बाबत चर्चा के लिये) ।

57. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर में टाईगर प्रोजेक्ट समाप्त कर देने से पर्यटकों का आकर्षण समाप्त हो जाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये) ।

श्री शीशराम ओला (पिलानी) :

58. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक-सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर के निर्माण कार्य में शिथिलता व जवाहरलाल नेहरू योजना की क्रियान्विति पर चर्चा के लिय)।

59. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक-सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगा नदी योजना द्वारा झुन्झुनू जिला को सिंचाई सुविधा प्रदान करने की चर्चा के लिये)।

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद) :

60. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक-सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भीम सागर बांध के निर्माण योजना में हुए अपव्यय के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (मनोहरथाना):

61. मांग संख्या 45 मुख्य शीर्षक सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पर्वत परियोजना, मनोहर थाना का कार्य प्रारम्भ कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़):

62. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक-सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नोहर व सिधमुख सिंचाई योजना के विकास के लिये)।

63. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक-सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर के पानी के उपयोग की समुचित व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

64. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक-सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर निर्माण की मन्थर गति व निर्माण के लिये खरीदी गई मशीनों का उपयोग नहीं होने से पैदा हुई स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) :

65. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक-सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगा नदी के जल को झुन्झुनू व सीकर जिले में सिंचाई हेतु उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये)।

66. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक-पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (होटल निगम को पर्यटन विभाग में मर्ज करने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री सुरेश कुमार (भरतपुर) :

67. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला भरतपुर में निरन्तर बाढ़ आने से हुई भारी क्षति और बाढ़ की रोकथाम का निश्चित हल निकालने हेतु सिंचाई विभाग द्वारा कोई योजना नहीं बनाने पर चर्चा के लिये)।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर):

68. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयसमन्द झील से होने वाली सिंचाई की नहर कच्ची होने से काफी पानी बेकार जाता है एवं आस-पास की कृषि योग्य

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)
भूमि को ऊसर कर रहा है के संबंध में चर्चा के लिये)।

69. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक–पर्यटम के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर जिले को राजस्थान का काश्मीर कहा जाता रहा है, लेकिन उसको पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु अत्यलप प्रावधान रखा गया है, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़) :

70. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जितनी भी सिंचाई की योजनायें अधूरी हैं उन्हें पूरी करने, नहरों को पक्की करने तथा छोटे तालाबों को पक्का बंधवाने के बारे में चर्चा के लिये)।

71. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मांडलगढ़ क्षेत्र में जितने भी तालाब जमीन सिंचित करने की क्षमता रखते हों उन का विभाग द्वारा सर्वे कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री जगदीशसिंह (धौलपुर) :

72. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा जल वितरण की व्यवस्था ठीक नहीं कराने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

73. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धौलपुर क्षेत्र में सिंचाई योजना की उपेक्षा बरतने पर चर्चा के लिये)।

74. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक–पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु धौलपुर के विकास हेतु योजना के अभाव पर चर्चा के लिये)।

75. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक–पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धौलपुर, मुचकुण्ड, वन-विहार, तालाबशाही व राय सागर को टूरिस्ट का स्थान बनाने पर चर्चा के लिये)।

श्री समरथलाल (राजगढ़) :

76. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [कूण्डला, रतनपुरा, ईटोली, बहड़को, तहसील राजगढ़ (अलवर) में नवीन बांधों का निर्माण किया जाये इस पर चर्चा के लिये]।

77. मांग संख्या 45 मुख्य, शीर्षक–सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [बांध ठेकडी, रैणी अपर लोअर, निवोला गढ़ीसवाईराम की कैनलस (अलवर) की मरम्मत कराने हेतु चर्चा के लिये]।

78. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजगढ़ तहसील, जिला अलवर के सभी बांधों की मरम्मत की जाये तथा कैनाल्स बनाई जावें इस हेतु चर्चा के लिये)।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) :

79. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्यावर क्षेत्र में सिंचाई की

Page No.56

(श्री उगम राज मेहता)
अव्यवस्था से उत्पन्न हुई परिस्थितियों पर चर्चा के लिये) ।

श्री चिरंजीलाल गर्ग (पुष्कर) :

80. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक—सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में गोविन्दगढ़ के पास साबरमती नदी पर बांध बनाने के बारे में चर्चा के लिये) ।

81. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक—पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुष्कर तीर्थ स्थल का पर्यटन स्थल के रूप में विकास हेतु चर्चा के लिये) ।

श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा) :

82. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक—सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पिड़ावा में काला पीपल बांध के प्रस्तावित निर्माण की योजना की क्रियान्विति पर चर्चा के लिये) ।

83. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक—सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आरु नदी, तहसील पंचपहाड़ पर बांध बनाने हेतु चर्चा के लिये) ।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) :

84. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक—सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर का निर्माण कार्य टेल एण्ड से युद्ध स्तर पर प्रारम्भ कराने एवं निर्माण कार्य में हुए भ्रष्टाचार को मिटाने तथा वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन लाने हेतु चर्चा के लिये) ।

85. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक—पर्यटन के अन्तर्गत मांग में 100 रुपया कम कर दिया जाय (I) (रामदेवरा में पर्यटन बंगला बनाने, गडीसर, वैसालोव व अन्य दर्शनीय व ऐतिहासिक स्थलों का विकास करने एवं पर्यटकों को यातायात की अधिक सुविधा दिलाने हेतु चर्चा के लिये) ।

(II) ग्रामीण अंचलों के ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को पर्यटक विभाग द्वारा अधिग्रहित कर उनकी पर्यटकों को आकर्षित करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

86. श्री हीरा लाल आर्य (पीपल्दा) : मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक—सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (असिंचित क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा जुटाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

87. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक—सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मांगरोल में एल० ओ० टी० सी० द्वारा लिफ्ट इरिगेशन कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

88. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक-पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कमलेश्वर मन्दिर पर पहुंचने एवं आवास की सुविधा नहीं होने से पर्यटकों को होने वाली असुविधा पर चर्चा के लिये) ।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी)

89. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

Page No.57

(श्री ओम प्रकाश शर्मा)
कम कर दिया जाय (i) बून्दी में नहरों द्वारा पानी ठीक समय पर नहीं दिया जाता व बरड़दा बांध से नहर का जो सर्वे हुआ वह अधूरा पड़ा है, उसे पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये)।

(ii) (झोंपड़ियों का बांध चर्चा के लिये)।

(iii) (गरडदा बांध चर्चा के लिये)।

(v) (न्यायालय में केवल एक पद के लिये विवाद का मामला विचाराधीन होने पर शेष अधीक्षक के सारे पदों पर गत पांच वर्षों से स्थाई नियुक्ति नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

(iv) (जिलेदार के पदों पर नियुक्तियां सीधी भर्ती के आधार पर बिना किसी विज्ञापन एवं राज्य सरकार के नियमों का पूर्ण रूप से उल्लंघन करते हुये अनियमित रूप से की गई, इस पर चर्चा के लिये)।

(v) (राजस्थान सिचाई कर्मचारी संघ के मांग-पत्र, दिनांक 31-3-77, 16-4-77 पर मुख्य अभियन्ता एवं सरकार के बीच दो बार लिखित में समझौता हो जाने के उपरान्त भी वरिष्ठता सूची, स्थाईकरण, पदोन्नति की सूचना के आदेश प्रसारित नहीं करने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये)।

90. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक-पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पर्यटन विभाग द्वारा बूंदी के दर्शनीय पर्यटक स्थानों की मरम्मत नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री **ताराचन्द** (रूपवास) :

91. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक—सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मोती झील बांध पर 76-77 में हुये खर्च पर एवं उस पर निकाली गई एस केप न्यू कैनाल के निर्माण में विलम्ब होने पर चर्चा के लिये)।

92. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक—सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिचाई विभाग में हो रही अनियमितताओं व धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

93. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक—सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खानूआं बांध में बसे हुये गांवों पर सिंचाई की दर अधिक होने पर चर्चा के लिये)।

श्री **चुन्नीलाल** (खण्डार) :

94. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक—सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जहां सिचाई की समुचित व्यवस्था नहीं है वहां लिफ्ट सिचाई योजना लागू कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री **विजयसिंह नदेरा** (बांदीकुई) :

श्री **शिवरामसिंह** (बस्सी) :

95. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक—सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (i) (सिचाई विभाग द्वारा बस्सी व बांदीकुई चुनाव क्षेत्रों में बांध बनवाने व मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(विजयसिंह नदेरा व शिवदानसिंह)

(ii) (सी. ए. डी. द्वारा निर्माणाधीन बालों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

(iii) (सिंचाई विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

(iv) (राजस्थान नहर के पानी वितरण करने में अव्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

96. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक–पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय । (i) (राजस्थान में पर्यटन विकास केसम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

(ii) (विभाग द्वारा डेजर्ट नेशनल पार्क के निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

श्री गोपालसिंह (आहोर):

97. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जवाई बांध पर नहर से सिंचित टेल के कमाण्ड एरिया की सुव्यवस्थित सिंचाई पर चर्चा के लिये) ।

98. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [जवाई बांध व बौंकली बांध (आहोर) पर तावान की वसूली पर चर्चा के लिये] ।

99. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक-सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (i) (साई का पानी जवाई बांध में आ जाने पर सिंचित एरिया बढ़ाने बाबत चर्चा के लिये) ।

(ii) (रुपया 1.50 प्रति बीघा अधिक कर जो सिंचित भूमि पर लगा दिया है, उस पर चर्चा के लिये) ।

श्री लालशंकर (सागवाड़ा):

100. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (i) (भैंस के बांध की नहरों को ठीक करने और विस्तृत करने पर चर्चा के लिये) ।

(ii) (धनगांव काकरा दरा नाला पर बांध का निर्माण कर नहरों को पक्की बनवाने हेतु चर्चा के लिये) ।

101. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक–पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गलिया कोट के पुराने गढ़ का पुनर्निर्माण कराने एवं फकरूद्दीन दरगाह व शीतला माता के मंदिर के चारों ओर एकत्र होने वाले पानी से बचा कर पर्यटन स्थल बनाने पर चर्चा के लिये) ।

श्री हमवन्तसिंह (बाली):

102. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (i) (पाली जिले के जवाई बांध एरिया में तावान के बारे में चर्चा के लिये) ।

(ii) (सेई का पानी छोड़ने के कारण रास्ते में पड़ने वाले गांवों के रास्ते रुक जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

(iii) (विशलपुर कोलोनी क्षेत्र में होते हुए भी जवाई नहर का पानी नहीं दिया जाकर कमाण्ड क्षेत्र का आगे विस्तार करने सम्बन्धी चर्चा के लिये) ।

(श्री हनवन्तसिंह)

(iv) (जवाई कमाण्ड क्षेत्र में नहरों, मोरी आदि का गलत डिजाइन होने से कृषकों की असुविधा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री मनिराम (तारानगर):

103. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक-सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (i) (सिद्धमुख नहर को शीघ्र पूरा कराने तथा इसमें और अधिक गांव जोड़ने से सिंचाई व पेयजल समस्या का समाधान हो सके इस पर चर्चा के, लिये)।

(ii) (तारानगर तहसील के गांवों को नहरी क्षेत्र के अन्तर्गत लेने हेतु चर्चा के लिये)।

डॉ० गंगासहाय (कठूमर):

104. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक-सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा कोट के बांध से सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने व गाला खेड़ा बांध से निकली नहर को लक्ष्मणगढ़ कठूमर तथा हरसाल व विचले बांधों से निकली नहरों की मरम्मत कराने हेतु चर्चा के लिये)।

105. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक-पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [अलवर जिले के गढ़राजोर (नीलकंठ) के ऐतिहासिक स्थान को पर्यटन स्थान के रूप में विकसित करने हेतु चर्चा के लिये]।

श्री नाथूराम (ब.गीदोरा):

106. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक-सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [बांसवाड़ा जिला में सिंचाई विभाग की लिफ्ट योजना की सिंचाई की ऊंची दरों (रेट्स) पर चर्चा के लिये]।

107. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक-सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिला में माही बांध के निर्माण कार्य में लोकल शिक्षित नवयुवकों को सर्विसेज में नहीं लेने बाबत चर्चा के लिये)।

108. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक-सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [बांसवाड़ा जिला में माही बजाज सागर परियोजना (बांध) के निर्माण कार्य में धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये]।

109. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिला में सिंचाई विभाग के द्वारा निर्मित बांध व तालाबों के कार्य में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय):

110. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (i) (ग्रामीण तालाबों की मोरियां विभाग द्वारा पक्की बनवाने एवं पिचिंग करवाने हेतु चर्चा के लिये)।

(ii) (ग्रामों की भूमि की सिंचाई हेतु तालाबों की मोरियां बनाने हेतु तथा बनी कच्ची नहरों को पक्का कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(श्री **रतनलाल वर्मा**)

111. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक–पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर व पुष्कर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने एवं बगड़ावतों की 24 बावड़ियों को विभाग द्वारा अधिग्रहित किये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री **माधोसिंह कछवाह** (सरदारपुरा):

112. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई के कार्यों का जोधपुर डिवीज़न में प्रावधान एवं भविष्य में बढ़ती आबादी के अनुपात में सिंचाई साधनों की उपयोगिता एवं प्रगति के महत्व पर चर्चा के लिये)।

113. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक–पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मसुरिया पहाड़ी, जोधपुर पर पर्यटन केन्द्र की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री **दाऊदयाल जोशी** (दीगोद):

114. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल क्षेत्र में जहां नहरों के जल का उपयोग नहीं हो रहा है वहां लिफ्ट सिंचाई योजना प्रारम्भ कराने बाबत चर्चा के लिये)।

श्री **राम किशोर मीणा** (सिकराय):

115. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम चदिरा पर एनिकट बनाये जाने पर चर्चा के लिये)।

116. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांध कालाखों, भण्डारी तथा माधोसागर की नहरों को सीपेज की हानि से बचाने के लिये पक्की कराने हेतु चर्चा के लिये)।

117. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भण्डारी बांध की अपरा को पहले वाली जगह से निकालने हेतु चर्चा के लिये)।

118. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मेरे क्षेत्र में छोई नदी से होने वाली हानि के स्थाई हल पर चर्चा के लिये)।

119. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक–पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिकराय क्षेत्र में पर्यटक विश्राम गृह बनवाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री **गणेश लाल** (हिण्डोली):

120. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (असिंचित क्षेत्रों में शीघ्र पानी की व्यवस्था कराने व सीपेज को रोकने बाबत चर्चा के लिये)।

श्री **हरिसिंह यादव** (बानसूर):

121. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (साहबी एवं रूपारेल नदियों को बांधने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(श्री हरिसिंह यादव)

122. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक–पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले को पर्यटन विकास के लिये प्राथमिकता न देने पर चर्चा के लिये)।

श्री अयूब खां (तिजारा) :

123. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सावी नदी में गिरने वाले नालों पर बांध बनवाने हेतु चर्चा के लिये)।

124. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक–पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तिजारा में पर्यटन भवन के अभाव से उत्पन्न कठिनाइयों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) :

125. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (i) (जिला टौंक में सूथडा बांध को पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये)।

(ii) (जिला टौंक की ओर सिचाई की दृष्टि से ध्यान नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

(iii) (जिला टौंक के तालाबों में मोरियां बनवाने हेतु चर्चा के लिये)।

(iv) (सिचाई विभाग द्वारा जो फसलों पर सिचाई दर वसूल की जाती है उस पर पुन. विचार किया जावे और फसल पर न लगा कर रकबे पर ही दर रखे जाने पर चर्चा के लिये)।

126. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक–पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा पर्यटन विभाग की ओर ध्यान नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) :

127. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला भीलवाड़ा के आसीन्द क्षेत्र में खारी बांध के पाल को रेज कराने पर चर्चा के लिये)।

128. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक–पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में पर्यटन निगम बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री रघुबीरसिंह (बारां) :

129. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले में सिंचाई के विस्तार की सम्भावनाओं का सर्वे कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

130. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान कैनाल के निर्माण में विलम्ब के कारण व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

131. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान कैनाल में मुख्य तकनीकी परीक्षक की रिपोर्ट उपेक्षा व व्याप्त घोटालों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

132. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल कमान्ड एरिया

(श्री रघुवीरसिंह) :

में वाटर लोगिंग की समस्या के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

133. (कोटा जिले में खुशहाली (सुधार कर) टैक्स से किसानों में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

134. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक-पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पर्यटन की दृष्टि से राज्य का विकास कराने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये) ।

श्री **माणकलाल** (नैनवा) :

135. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक-सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पिछड़े हुए जिलों में सिंचाई की व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिये) ।

श्री **बत्तीलाल मीणा** (टोडा भीम) :

136. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भारतीय कृषि के लिये सिंचाई का महत्व एवं वर्तमान सिंचाई की दशा पर चर्चा के लिये) ।

137. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक–पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जन-जीवन में पर्यटन का महत्व और विदेशी पर्यटकों के लिए भारत आकर्षण का केन्द्र होते हुए भी राजस्थान का महत्व बढ़ाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

श्री **हरचन्दसिंह** (पीलीबंगा) :

138. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर क्षेत्र के आर. डी. 165 के एस केप सम्बन्धी चर्चा के लिये) ।

139. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भाखरा, गंग कैनाल एवं राजस्थान नहर क्षेत्र में मांगों सम्बन्धी समस्याओं पर चर्चा के लिये) ।

140. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई विभाग द्वारा अवाप्त शुदा रकबे के मुआवजे सम्बन्धी चर्चा के लिये) ।

141. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर से माइनर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटरीज के निर्माण सम्बन्धी चर्चा के लिये) ।

श्री **सूर्यप्रकाश** (खेरवाड़ा):

142. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सोम एवं वरोटी बांध से सिंचाई सुविधा हेतु जल उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये) ।

श्री **अब्दुल अजीज** (मकराना) :

143. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (i) (मकराना क्षेत्र में

(श्री अब्दुल अजीज)

सिंचाई वर्तमान साधनों को और बढ़ाने हेतु कोई प्रयास न करने बाबत चर्चा के लिये)।

(ii) (मकराना क्षेत्र में सिंचाई विभाग द्वारा बांधों की मरम्मत पर ध्यान न दिये जाने बाबत चर्चा के लिये)।

144. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक—पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मकराना में टूरिस्ट बंगले निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (मांडल) :

145. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक—सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (i) (करोड़ों की लागत के मांडल तालाब की रिपेरिंग होना आवश्यक बाबत चर्चा के लिये)।

(ii) (सुरास को मेजा बांध को वेस्ट विग्रर ने एक तरफ से अलग कर दिया है अतः एक काजवे बनाकर सुरास के ग्रामवासियों को उनके खेतों पर जाने हेतु रास्ता मिल सके, इस पर चर्चा के लिये)।

(iii) "तत्कालीन विभागीय अधिकारियों की मनमानी से माण्डल के प्राचीन तालाब के कैचमेन्ट एरिया में निर्माण कार्य कर पानी को डाइवर्ट करने से उत्पन्न स्थिति के हल हेतु कोठा बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(iv) (वागीर व घोड़ास के बीच हर वर्ष पानी के लिये संघर्ष होता है। नवलपुरा तालाब से जो नहर घोड़ास जाती है उसे पक्की बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

(v) (कासूखेडा के पास मेजा बांध की नई नहर निकाली जाये जिससे मांडल के के पास कटिंग में से पानी पूरा निकल सके, इस पर चर्चा के लिये)।

(vi) (मेजा बांध के लिए विश्व बैंक से लोन की व्यवस्था करायी जाकर स्कीम लागू की जाये, इस पर चर्चा के लिये)।

(vii) (पंचायत समितियों के तालाबों को सिंचाई विभाग के तहत लेने हेतु चर्चा के लिये)।

(viii) (वहोभर्या आमरला, कवराडिया के एरिया के अधूरे तालाबों को व उनकी नहरों को पूर्ण कराने बाबत चर्चा के लिये)।

(ix) (वागीर के पास गंगदेव राजाजी के करेड़ा के चोर बावड़ी, हाथीपुरा के पास तालाब का काम पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये)।

(x) (मेजा फीडर को युद्धस्तर पर पूरा किया जाये, इस पर चर्चा के लिये)।

(xi) (मांडल तालाब की नहरों की दुरुस्ती करवाने हेतु चर्चा के लिये)।

(xii) (मेजा बांध की बाईं नहर को दुरुस्त कराने बाबत चर्चा के लिये)।

(xiii) (विभाग द्वारा सिंचाई हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले जल के समुचित उपयोग हेतु कृषकों को नालियां बनाने हेतु अनुदान दिलाने हेतु चर्चा के लिये)।

(xiv) (जल स्रोतों को राष्ट्रीय घोषित किया जाये ताकि प्रचुर मात्रा में

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
जिन कुओं व तालाबों में पानी है उसका उपयोग हो सके चर्चा के लिये) ।

(xv) (बड़ी योजनाओं व परियोजनाओं को छोड़ विभाग द्वारा लघु सिंचाई के तहत हर खेत को पानी देने के कार्य को प्राथमिकता दिलाने हेतु चर्चा के लिये) ।

(xvi) (बांधों, तालाबों के नीचे के क्षेत्रों में विभाग द्वारा सिंचाई हेतु ग्रीन बेल्ट बनाई जाये जिससे पानी की लम्बी दौड़ न होकर सिंचित क्षेत्र में ही पानी का उपयोग हो सके इस हेतु चर्चा के लिये) ।

(xvii) (मेजा बांध एप्रोच रोड की दुरुस्ती कराकर सार्वजनिक विभाग निर्माण को सुपुर्द करने हेतु चर्चा के लिये) ।

146. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक–पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (i) (मेजा बांध को पर्यटन स्थल बनाने हेतु विकसित किया जाकर बस सेवा उपलब्ध कराई जाने बाबत चर्चा के लिये) ।

(ii) (प्रत्येक जिला मुख्यालय पर पर्यटन स्थल कायम कराने हेतु चर्चा के लिये)।

(iii) (भीलवाड़ा जिले में मेजा बांध व मांडल तालाब को पर्यटन स्थल घोषित कराये जाने हेतु चर्चा के लिये) ।

श्री मेरा (मसूदा) :

147. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय । (i) राजस्थान में लगातार कम हो रहे भूमिगत जल स्रोतों की पूर्ति के लिये वृहत् सिंचाई परियोजना बनाये जाने हेतु चर्चा के लिये) ।

(ii) (राजस्थान नहर के निर्माण की धीमी गति पर चर्चा के लिये) ।

श्री बंसीलाल सारस्वत (नागौर) :

148. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई योजनाओं के निर्माण कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

श्री नवलराय बच्चाणी (अजमेर पश्चिम):

149. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक–पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय । (अजमेर को पर्यटन स्थल घोषित करने, विकास कराने, व पर्यटकों के लिये जनता-होटल खोलने पर चर्चा के लिये) ।

श्री नवनीत पालीवाल (नाथद्वारा) :

150. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक–पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (i) (सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक तीर्थ हल्दीघाटी की उपेक्षा किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

(ii) (नाथद्वारा तीर्थ मचींद जहां प्रताप के स्मृति चिन्ह हैं का पर्यटन की दृष्टि से विकास कराने हेतु चर्चा के लिये) ।

श्री शंकरलाल (जैतारण) :

151. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री शंकरलाल)

कम कर दिया जाय (सिचाई साधनों के निर्माण व मरम्मत के कार्यों को प्राथमिकता देने के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

152. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक-सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान कैनाल का जल बाड़मेर व जोधपुर के कृषकों को उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये)।

153. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक-पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर को पर्यटकों के लिये अधिक आकर्षक बनाने हेतु योजना बनाने में विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये)।

श्री रावतराम आर्य (सुजानगढ़) :

154. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक-सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिद्धमुख कैनाल को पूरा कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री एच० एन० शर्मा (बेगूं) :

155. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक-सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई विभाग में वर्षों से बेकार पड़ी हुई जीपों, ट्रकों, हैवी व्हिकल्स को शीघ्र नीलाम कराने हेतु चर्चा के लिये)।

156. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक-सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई विभाग के द्वारा बनाये गये बड़े-बड़े बांधों के तहत डूब में आई हुई जमीन और उस पर पुनः काश्त करने की चर्चा के लिये)।

157. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक-सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई विभाग रावतभाटा में कर्मचारियों पर ढाये जाने वाले कुठाराघात की इसमें मुख्य रूप से चुनाव के दिनों की तनख्वाहें काट लेने के बाबत चर्चा के लिये)।

158. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक-पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़ को पर्यटन की दृष्टि से अधिक सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री निर्मल कुमार (झालरापाटन):

159. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक-सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ जिले में अधूरे बांधों एवं नवीन सिंचाई योजनाओं के संबंध में चर्चा के लिये)।

160. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक-पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालरा पाटन के सूर्य मन्दिर एवं जिले के दर्शनीयस्थानों के सम्बन्ध में पर्यटन विभाग द्वारा अपनाई गई उदासीन नीति पर चर्चा के लिये)।

श्री रंगजी (सपोटरा) :

श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर):

161. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक-सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई विभाग के

(श्री गोविन्द सहाय)
कर्मचारियों द्वारा किसानों को समय पर पानी न देने के बारे में चर्चा के लिये) ।

श्री **अमृत लाल** (डूंगरपुर):

162. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मारगीय बांध पर कम खर्चा किये जाने पर उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये) ।

163. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा डूंगरपुर जिले में तालाबों के निर्माण कार्य पर हुये भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

164. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डूंगरपुर चुनाव क्षेत्र में वृहत सिंचाई योजना बनाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

श्री **हरिश कुमार शर्मा** (रामगंज मंडी):

165. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खुशहाली टैक्स, धोरा टैक्स की वसूली से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये) ।

श्री **करतार सिंह** (किशनगढ़):

166. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिचाई विभाग के तालाबों के ओवर फ्लो के पानी निकालने की कोई व्यवस्था विभाग द्वारा नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

167. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई विभाग के तालाबों पर पेड़ों की हो रही दुर्दशा पर चर्चा के लिये) ।

168. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई विभाग के तालाबों की मोरियों की दुर्दशा से होने वाली जल की क्षति पर चर्चा के लिये) ।

169. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक–पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में टूरिस्ट बंगलों के बनाने हेतु चर्चा के लिये) ।

170. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक–पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टूरिस्ट बंगलों में व्यवस्था सुधारने व यात्री सुविधाएं अच्छी कराने हेतु चर्चा के लिये) ।

श्री **मन्धलाल मीणा** (उदयपुर ग्रामीण):

171. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जाखम बांध की नहर योजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने हेतु चर्चा के लिये) ।

श्री **बहादुर सिंह** (दानपुर):

172. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारानी क्षेत्रों में सिंचाई की विभाग द्वारा कोई व्यवस्था नहीं कराने पर चर्चा के लिये) ।

Page No.67

श्री गंभीरलाल (सराड़ा):

173. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक-सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (क्षेत्र की नहरों को पक्का बनवाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री भैरूलाल (शाहपुरा):

174. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक-सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (i)-(सम्मेलिया बांध का सर्वे होने के बावजूद भी काम शुरू नहीं होने के विषय में चर्चा के लिये)।

(ii) (सम्मेलिया बांध के सर्वे हेतु कोई काम नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

श्री मदन सिंह शेखावत (दांतारामगढ़):

175. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक-सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दांतारामगढ़ क्षेत्र में सिचाई हेतु बांध बनाने एवं रेटा व सुरेश नदियों पर बांध बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री जीतमल जैन (अलवर):

179. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक-सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांध व नहरों के निर्माण के सम्बन्ध में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा):

177. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक-सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लूनी नदी पर बाड़मेर जिले में बसे गांवों की भूमि कटाव को रोकने पर विभाग की उपेक्षा एवं उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

श्री सुखलाल सैणचा (रायपुर):

178. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक-सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले के बने छोटे बांधों की पाल ऊंचा करने हेतु चर्चा के लिये)।

179. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक-पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले में विदेशों से आने वाले पर्यटकों के ठहरने हेतु उचित प्रबन्ध कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत):

180. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक-सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग में आये दिन मनचाहे तरीके से सभी वर्गों के गरीब एवं निरसहाय कर्मचारियों के स्थानान्तरण कई सालों से किये जा रहे हैं जिससे कर्मचारियों के हितों की कोई रक्षा न कर उनसे धन ऐंठने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। क्योंकि विभाग में कोई स्थानान्तरण अवधि का नीति निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है, इस पर चर्चा के लिये)।

181. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक-सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग ने मनमाने तरीके से राज्य सरकार के आदेशों की आड़ में गिरदावरों के पदों का समापन कुछ वृत्तों में कर दिया है और कुछ वृत्तों में आज भी गिरदावर के पद मौजूद हैं ऐसा करने से वरिष्ठ एवं योग्य गिरदावर वरिष्ठता के चक्कर में इधर-उधर भटक रहे हैं, इस चर्चा के लिये)।

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

182. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग में अनेक ऐसे पद भी हैं जिन पर कर्मचारी नियुक्त होकर अथवा पहुंच कर उसको कोई पदोन्नति नहीं मिलती है और विभाग उनके प्रति उदासीन रहता है ऐसे पदों पर कार्यरत पटवारियों की समस्याओं पर चर्चा के लिये)।

183. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान कैनाल विशेष कर कोलायत गजनेर लिफ्ट योजना को जल्द पूरा न करने व चालू न करने पर चर्चा के लिये)।

184. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान कैनाल उपनिवेशन विभाग द्वारा बीकानेर क्षेत्र के काश्तकारों को काश्त की जमीन देने में उपेक्षा करने पर चर्चा के लिये)।

185. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक–पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर को पर्यटन मैप पर न लाने व इसका विकास न करने पर चर्चा के लिये)।

श्री जिंगा (कुशलगढ़) :

186. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कुशलगढ़ क्षेत्र में सिंचाई साधनों के अभाव बाबत चर्चा के लिये)।

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद) :

187. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नसीराबाद क्षेत्र के तालाबों की गत 20 सालों से किसी प्रकार की मरम्मत आदि न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री माधोसिंह (सोजत) :

188. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई के लिये नये बांध बनवाने तथा टूटे हुए बांधों की मरम्मत कराने बाबत चर्चा के लिये)।

189. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक–पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सोजत तहसील के सरदार समंद तालाब के आस-पास पर्यटन एरिया घोषित किया जाकर जंगली पशुओं को संरक्षण देने हेतु विभाग द्वारा योजना नहीं बनाने से उत्पन्न परेशानियों पर चर्चा के लिये)।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल, जयपुर):

190. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (i) (सालेरी बांध के टूटने की आशंका की विभाग को सूचना देने के उपरान्त भी व उसकी मरम्मत हेतु 2,000/-रुपये की स्वीकृति हो जाने व मरम्मत का कार्य प्रारम्भ कर बीच में ही रोक देने एवं बांध के टूट जाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

(ii) (जयपुर के सिंचाई उप-खण्ड के बंध आगर-सागर का 1972 में हुये पूर्ण

Page No.69

(श्री भंवरलाल शर्मा)

निर्माण कार्य की सीक्योरिटी डिपोजिट का भुगतान नहीं किये जाने एवं निर्माण कार्य का आदेश गलत देने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये)।

191. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक–पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पर्यटन विभाग द्वारा जयपुर शहर को 250 वीं जयन्ती मनाये जाने हेतु आगन्तुक विदेशी पर्यटकों के लिये आवासीय उचित सुविधा नहीं दिलाये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री सूर्यनारायण (नीम का थाना) :

192. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (i) (सिंचाई विभाग में व्यापक रूप से व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा के लिये)।

(ii) (नीम का थाना में विहारीपुर राजासर माकड़ी, डोकन पाटन व अन्य छोटे बांध बनाने की चर्चा के लिये)।

193. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक–पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गनेश्वर तहसील नीम का थाना में पर्यटन केन्द्र खोले जाने के बावत चर्चा के लिये)।

श्री नरेन्द्रपालसिंह (मावली) :

194. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (i) (मावली क्षेत्र में सिंचाई की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए और साधन बढ़ाने हेतु चर्चा के लिये)।

(ii) (हल्दी घाटी के महत्व एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(iii) (नाथ द्वारा में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था के अभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री मेघराज (चूरू) :

195. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के मरुस्थलीय क्षेत्र के चूरू जिले में काश्तकारों को सिंचाई साधन जुटाने हेतु मुहैया कराये गये ऋणों के सम्बन्ध में निर्धारित गलत नीतियों से हुये नुकसान के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री राम नारायण चौधरी (मण्डावर) :

196. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगा का पानी झुन्झुनू, सीकर, चूरू और नागौर जिलों को शीघ्र उपलब्ध कराये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

(ii) (राजस्थान नहर का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने बाबत चर्चा के लिये)।

(iii) (झुन्झुनू जिले के लिये मध्यम सिंचाई योजनाओं का सर्वे कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

197. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक–पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (i) (जिला झुन्झुनू में पर्यटकों के आवास हेतु आवास गृहों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

(श्री राम नारायण चौधरी)

(ii) (झुन्झुनू जिले में पर्यटक को आकर्षित करने हेतु लोहारगल एवं शाकम्भरी क्षेत्रों का विकास करने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री गोपाल (पाटन):

198. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (i) (सावी नदी जो हर दूसरे तीसरे वर्ष अपने मार्ग को बदल कर जन और पशुधन के लिए तबाही पैदा कर देती है उसे बांधने हेतु चर्चा के लिये)।

(ii) (सिंचाई हेतु केशवरायपाटन तहसील में समुचित व्यवस्था कराने पर चर्चा के लिये)।

(iii) (बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को थोड़े समय के लिये स्थगित रख कर छोटी सिंचाई योजनाओं पर ध्यान देने पर चर्चा के लिये)।

(iv) [टेल वाले (अन्तिम) अंत को सिंचाई हेतु प्राथमिकता दिये जाने पर चर्चा के लिये]।

(v) (सरकारी धोरे को सीमेंट से पक्का बनवाने हेतु चर्चा के लिये)।

199. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक-पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (i) (विभाग द्वारा रमणीक तथा प्राकृतिक सौन्दर्य वाले स्थानों को अपने अधीन लेने पर चर्चा के लिये)।

(ii) (प्राचीन तथा ऐतिहासिक महत्व के तीर्थ स्थलों के पर्यटन महत्व को बढ़ाने की दृष्टि से केशवरायपाटन में स्थित केशवरायजी के मन्दिर के विकास हेतु चर्चा के लिये)।

(iii) अन्तर्राज्यीय पर्यटन व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री हजारीमल सारण (सरदारशहर):

200. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक-सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (i) (सिंचाई की दृष्टि से चूरू जिले में सर्वे कराने पर चर्चा के लिये)।

(ii) (चूरू जिले में लिफ्ट इरिगेशन से सिंचाई कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर):

201. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक-सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (i) (सिंचाई विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं हो रहे धन के अप व्यय पर चर्चा के लिये)।

(ii) (पर्यटन विभाग में व्याप्त अव्यवस्था, अप व्यय, भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

श्री कल्याण सिंह सांखला (अजमेर पूर्व):

202. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक-पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपय

(श्री कल्याण सिंह सांखला)

कम कर दिया जाय (पर्यटन केन्द्रों के विकास पर अजमेर जिले में पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु कोई योजना नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी):

203. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक—पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पर्यटकों को प्रोत्साहन देने के लिये पर्यटन स्थलों को आकर्षक बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री रामेश्वर प्रसाद (जमवारामगढ़):

204. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक—पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विराटनगर को पर्यटन केन्द्र बनाने बाबत चर्चा के लिये)।

सुश्री पुष्पा (आमेर):

205. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक—पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आमेर में पर्यटन विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है इस पर चर्चा के लिये)।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़):

206. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक—सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर, नर्मदा नदी योजना एवं अन्य सिंचाई योजनाओं की क्रियान्विति के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 45 व 46 पर वाद-विवाद

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि जो वक्ता महोदयों की सूची है, वह यद्यपि हमेशा जितनी लंबी नहीं है, तथापि 99 माननीय सदस्यों की सूची है अतः समय की परिधि में ही अपने विचार रखें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल-जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं सिंचाई की मांग पर दिये गये कटौती प्रस्तावों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। राजस्थान में सिंचाई का जितना विकास होना चाहिये उतना अब तक नहीं हुआ है। इस मामले में राजस्थान पीछे है, इस वर्ष के बजट को देखने से मालूम हुआ। प्लानिंग को देखते हुए केन्द्रीय सरकार ने कहा था कि सिंचाई और कृषि को प्राथमिकता देंगे, लेकिन इस बजट को देखने से ऐसा मालूम नहीं पड़ता है कि किसी प्रकार की प्राथमिकता दी गयी है। इसलिये मैं सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से ध्यान दें।

पश्चिमी राजस्थान नहर खुली हुई है और खुली होने के कारण अधिकांश पानी भाप बन कर उड़ जाता है। इस विषय में भी सिंचाई विभाग को कोई टैक्निकल योजना बनानी चाहिये।

राजस्थान नहर काफी अर्से से चल रही है लेकिन अभी तक उसका कार्य पूरा नहीं हुआ है और न उसके कार्य को तेजी से कर पा रहे हैं क्योंकि रकम नहीं है। मेरी मांग है कि केन्द्रीय सरकार को इसको सौंप दें। वही इसको पूरा करे तो उपयुक्त होगा। यों हमारे सिंचाई मंत्रीजी, विश्व बैंक की टोली आयी थी, उसके साथ घूमने गये थे, नहर को

Page No.72

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

देखने गये थे, उनसे विचार विमर्श हुआ है। मेरा निवेदन है कि विश्व बैंक का सहयोग लेना आवश्यक है।

जयपुर में जो रामगढ़ का बन्धा है और जलमहल तालाब में पानी भर जाता है, रामगढ़ में काफी पानी आ जाय, चादर चलने लगे तो जो नालियां बनी हुई हैं उससे पानी निकाल देते हैं। लेकिन उस पानी का उपयोग नहीं होता है। इस कारण से जलमहल तालाब का पानी सड़क पर आ जाता है। इसलिये मैं मांग करन चाहूंगा कि रामगढ़ बन्धा और जलमहल, जहां पानी भरता है, दोनों को गहरा कराया जाय। किसानों को परेशानी है पानी की और सरकार को परेशानी हो जाती है रामगढ़ बांध और जलमहल में अधिक पानी भर जाने से। किसानों की परेशानी नहीं रहे और पानी का सदुपयोग हो, इस ओर राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिये।

रेगिस्तान के विकास के लिये भी निवेदन करना चाहूंगा कि इजराइल ने टैक्निकल योजना बना कर रेगिस्तान को हरियाली में परिणत कर दिया। राजस्थान सरकार को भी इजराइल की नकल कर के कोई योजना बनानी चाहिये। राज्य सरकार को प्रकृति के अनुसार काम करना चाहिये। राजस्थान नहर को जल्दी पूरा करके पानी का उपयोग करना चाहिये। गंगा का जल समुद्र में जाता है दूसरे प्रदेशों में होकर। हम उसको रोक नहीं सकते हैं लेकिन गंगा के पानी का राजस्थान में सदुपयोग कर सकें इसके लिये राज्य सरकार को योजना बनानी चाहिये और भारत सरकार को इस पर विचार करना चाहिये।

मेरा यह भी निवेदन है कि अकाल के लिये फेमिन कोड बनायें। प्रकृति अभी हमारा साथ दे रही है। फेमिन कोड बनायें और पानी का सदुपयोग करें तो गवर्नमेंन्ट की चतुरता होगी। पुरानी सरकारों के कदमों पर चलने की जनता पार्टी सरकार की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिये। हरियाणा से पूरा पानी राजस्थान को मिलता नहीं, इस प्रश्न को हरियाणा गवर्नमेंट के सामने रखना चाहिय।

जनता पार्टी की सरकार है उसको निवेदन करना चाहता हूं कि जन स्वास्थ्य विभाग से बात की पेय जल के लिये तो कहा गया कि सिंचाई विभाग रोड़े अटका रहा है। सिंचाई विभाग से बात की तो कहा गया कि जन स्वास्थ्य विभाग काम नहीं करना चाहता। बनास योजना में हजारों लाखों रुपये खर्च हो गये हैं। उससे जयपुर, टोंक, अजमेर, ब्यावर में स्थायी रूप से पेय जल की व्यवस्था हो सकती है। बनास योजना एक उपयुक्त योजना थी। जयपुर में पानी का इन्हीं दिनों में संकट बना रहता है और गर्मी में विशेष हो जाता है। पहले इस समस्या को हल करने के लिये अथक प्रयास किया था हमारे मंत्रीजी ने। मेरा निवेदन है कि बनास योजना को जल्दी पूरा करना चाहिये।

नहरों का रख-रखाव नहीं हो रहा है। पिछले दिनों वर्षा अधिक आयी तो बांध टूट गये, पुलिया टूट गयी और जगह-जगह पानी भर गया। साथ ही राजस्थान में जगह-जगह बाढ़ आ गई। सरकार को चाहिये कि जितने बंधे हैं, पुलियायें हैं, जो टूट गये हैं उनकी मरम्मत के लिये विचार करें।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

पुराने कामों को पूरा करने के लिये पिछली सरकार ने चिन्ता नहीं की। वर्तमान सरकार को उस पर विचार करना चाहिये। नहरों को अच्छी बना देंगे तो ठीक होगा वरना जमीन पानी सोख जाती है। पक्की नहरों से किसान को लाभ होगा और सिंचाई के लिये पानी का समुचित उपयोग होगा। इतना ही मेरा निवेदन है सिंचाई विभाग की मांग के लिये।

दूसरा मेरा कटौती प्रस्ताव है पर्यटन विभाग के सम्बन्ध में। माननीय मंत्रीजी ने निश्चित रूप से सराहनीय कार्य किया है। अभी दिल्ली में जो कान्फ्रेन्स हुई उसमें राजस्थान का प्रश्न सुन्दर ढंग से रखा गया और राजस्थान की छाप छोड़ी। पर्यटन मंत्रीजी को मैं निश्चित रूप से इसके लिये धन्यवाद देना चाहता हूं।

पर्यटन विकास संस्थान को जयपुर में भी ला रहे हैं। उसके लिये अधिक प्रयास करना होगा। भूमि और भवन यहाँ पर उपलब्ध हैं, हवाई मार्ग है, अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं में पढ़ाई की हमारी युनिवर्सिटी में विशेष व्यवस्था है। मेरा निवेदन है कि दिल्ली का पर्यटन विभाग यहाँ अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन करे। जयपुर शहर की 250वीं वर्षगांठ का समारोह होने जा रहा है। उसके लिए 50 लाख रुपया राज्य सरकार ने दिया है। इस अवसर पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो, भाषणों की व्यवस्था हो। साथ ही सम्मेलन में पांच हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था हो। हमारे मुख्य मंत्रीजी पर्यटन विकास संस्थान लाने का प्रयास कर रहे हैं। पर्यटन विकास संस्थान हिन्दुस्तान भर के लोगों को पर्यटन की शिक्षा देने के लिये होगा। वह निश्चित रूप से जयपुर में आना चाहिये अन्य जगह नहीं जाना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिनेवा में जो सम्मेलन हुआ था उसमें राजस्थान को सबसे पहला नम्बर दिया गया था। राजस्थान एक दर्शनीय राज्य है, और एक पर्यटन केन्द्र है। इस संबंध में निवेदन करना चाहूंगा कि पयर्टन विकास से आमदनी की आमदनी होगी और राजस्थान का नाम का नाम होगा। पर्यटन केन्द्रों में जितने भी लोग रहते हैं उनको काम करने के लिए धंधा मिलता है। 1 करोड़ 20 लाख की लागत में पिछले वर्ष 6 करोड़ 50 लाख की आय हुई है। मेरा निवेदन करना यह है कि 1973 के बाद केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान पर्यटन विभाग को एक पैसे की भी मदद नहीं दी उसके बावजूद यह पर्यटन विभाग हमारी आय का साधन है। मैं समझता हूं कि राजस्थान में सबसे बड़ा उद्योग, काम देने का सबसे बड़ा साधन और आय का सबसे बड़ा साधन पर्यटन विभाग ही है।

इसके साथ ही साथ निवेदन करूंगा कि राजस्थान में 1976 में 92 हजार विदेशी आये और उनमें से 80 प्रतिशत पर्यटक जयपुर में आये। एक पर्यटक से 400 रुपया प्रति व्यक्ति आय हुई तो 28 मिलियन की आय हो गयी। जयपुर शहर में हवामहल, चन्द्रमहल, जन्तर-मन्तर, म्युजियम, आमेर है। इसके साथ ही जौहरियों का स्थान है, जो कि महाराजा जयसिंहजी ने जौहरी बाजार बनाया, हस्तकला और छपाई का कारखाना है। दर्शनीय किले है, नाहरगढ़ का किला, जयगढ़ का किला जिसका विश्व में नाम है और जो पिछले दिनों बहुत चर्चा का विषय बना रहा। यह किले भी यहां है।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

दिल्ली और बम्बई के बीच में जयपुर स्थित है, वहां यातायात की सुविधायें हैं। शहर का सुनियोजित विकास महाराजा जयसिंहजी ने किया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट में मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

मेरा निवेदन है कि यहां पर एक पर्यटन निगम बनाना चाहिए।

इसके साथ ही साथ आमेर में जो दुर्दशा हो रही है उसकी ओर भी आपका ध्यान होना चाहिए। विदेशी पर्यटक दिल्ली से आमेर होते हुए आते हैं। आमेर में इस वर्ष बरसात में काफी नुकसान हो गया। हमारे पर्यटन का केन्द्र है, जहां विदेशी पर्यटक आते हैं इसलिये उसकी ओर भी आप ध्यान दें।

नाहरगढ़ और जयगढ़ का दुर्ग जयपुर में है। नाहरगढ़ के किले तक जाने के लिये सड़क बनाई गई है। पिछली सरकार ने भी इसके लिये प्रयास किया था। इस बात के लिए तो पिछली सरकार को भी धन्यवाद दूंगा और जनता पार्टी की वर्तमान सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां की सड़क बन गयी है, उसके दोनों ओर बैठने के स्थान हों, वहां पीने के पानी की व्यवस्था की जाये। वहां पर पुराने राजा महाराजाओं के समय के टांके बने हुए हैं उनकी मरम्मत करा दी जायें तो वहां काफी पानी उपलब्ध हो सकता है। उन टांकों की मरम्मत को आप व्यवस्था करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि इसका विकास कर दिया जाये तो सम्पूर्ण भारत में यह एक सबसे अच्छा देखने का स्थान होगा। तो नाहरगढ़ के किले का विकास होना चाहिए। साथ ही वहां गोठ के लिए भी स्थान बनाया जाय ताकि लोग जा सकें और आनन्द उठा सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अंत में जयगढ़ के किले के लिये निवेदन करना चाहता हूं। उसमें खजाना मिला या नहीं मिला यह तो पिछली सरकार जाने। खजाना निकाल कर कहां ले गये, कौन हजम कर गये और कौन खा गये, आखिर मालूम होना चाहिए कि जयगढ़ खजाने में रकम मिली या नहीं। अगर इस बात को छोड़ भी दो तो भी जयगढ़ का किला, जिसका चित्र हमने जेल में देखा, विश्व का सबसे अच्छा किला है। पिछली सरकार ने भी कहा था कि हम जयगढ़ किले को देखने के लिए खोल देंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे मंत्रीजी आज यह घोषणा करें कि जयगढ़ का किला आम जनता के लिए खोल दिया जायगा।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, एक रोप-वे की भी चर्चा चली थी। तालकटोरा से नारहगढ़ किले तक जाने के लिए रोप-वे बनाया जायेगा, उस पर खर्चा ज्यादा होगा लेकिन मेरा निवेदन करना यह है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कि यहां पर 40 बार ट्राली आयेगी और 40 बार ट्राली जायेगी और एक-एक ट्राली में दो-दो लोग जायेंगे तो एक बार तो राज्य सरकार का खर्चा होगा लेकिन फिर उसके बाद में आमदनी होने लगेगी। जयपुर का प्रत्येक व्यक्ति और राजस्थान में आने वाला व्यक्ति और विदेशी रोप-वे का आनन्द लेंगे। रोप-वे में बैठकर 40 आदमी चढ़ेंगे और उतरेंगे मैं समझता हूं कि यह एक

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
अच्छा दर्शनीय स्थान बन जायेगा और राज्य सरकार की आय का साधन भी होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जलमहल के विकास के बारे में भी कहा गया। नवाब लुहारू के वक्त से इसके विकास की बात कही जा रही है, वहां पर होटल बनेगा, वहां बगीचा लगेगा। मैं समझता हूं कि यह दिल्ली रूट पर आता है इसलिये इसका भी विकास होना चाहिए। यहां के गन्दे पानी की बदबू से बस में बैठे हुए व्यक्ति नाक पर रूमाल लगा लेते हैं। मेरा निवेदन यह है कि ट्रीटमेंट प्लान्ट के नाम पर जो योजना बनाई है उसे पूरा करना चाहिए ताकि इस स्थान का विकास हो सके। इसके साथ ही वहां पर नौका-विहार का प्रबन्ध हो, होटल बन जाये और बगीचा बन जाये। तालकटोरा क्षेत्र मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है उसको भी पक्का बनवा कर वहां पर नौका विहार का प्रबंध होना चाहिए। यह तालकटोरा गोविन्द देव जी के मन्दिर के पास है। मैं समझता हूं कि वह भी जयपुर में एक दर्शनीय स्थान होगा। लोग आयें, वहां पर नौका विहार करें और फिर गोविन्द देव जी के दर्शन करें। मैं समझता हूं कि जयपुर में अभी वर्तमान में नौका-विहार का कोई प्रबंध नहीं है। तालकटोरा जयपुर के बीच में है वहां नौका विहार का प्रबन्ध करें। लोग वहां जायेंगे, नौका विहार करेंगे और फिर मन्दिर के दर्शन करेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बस, उपाध्यक्ष महोदय, अंत में गलता के बारे में निवेदन कर दूं। गलता का भी कोई विकास नहीं किया गया। यदि रोप-वे का सिस्टम वहां भी कर दिया जायेतो अच्छा होगा। इसके अलावा जयपुर शहर में पुराना घाट, नया घाट, गेटोर की छतरियां और कई पिकनिक के स्पॉट हैं, मगर मैं समझता हूं कि उनका किसी प्रकार का विकास नहीं किया गया। पिछली सरकार ने उन सारे स्थानों की मरम्मत कराना तो दूर रहा नये पिकनिक स्पॉट तक नहीं बनाये। झालाना महल की चर्चा हम सुनते आये थे कि वहां विकास होगा लेकिन उसका भी विकास नहीं किया गया . . .

एक माननीय सदस्य : इस तरह से तो 11 बज जायेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा निवेदन करना यह है कि अधिक समय नहीं लेना चाहता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर्यटन विभाग राजस्थान में एक आय का साधन भी है और राजस्थान पर्यटकों का एक केन्द्र है। इसके उत्थान के लिए जनता पार्टी की सरकार, मेरी जो सरकार है, निश्चित रूप से प्रयास करेगी। यही बात मुझे निवेदन करनी है।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा। केवल 5 मिनट ही।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : समय का बंधन मेरे लिये ही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पिछले तीन वर्षों से काफी वर्षा हो रही है। वर्षा होती है फिर भी एक तरफ सूखा है और दूसरी तरफ बाढ़। हमारे यहां पानी के रख रखाव का कोई प्रबंध नहीं है। हमारे यहां जो नदियां हैं, उनमें से लगभग बारहों महीने बहने वाली एक दो नदियां ही हैं जैसे चम्बल है दूसरी नदियां गम्भीरी, वेड़च, लूनी, बनास, माही आदि वह बारहों महीने नहीं बहतीं। इसके लिए मैं चाहती हूं कि सरकार एक

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

योजना बनायें जिससे इनमें जो पानी आता है उसका रख-रखाव अच्छी तरह से करे ताकि वह पानी सिचाई के काम में आ सके। श्रीमान्, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि सिचाई के लिए भी पानी जरूरी नहीं है, बल्कि हमारे जनजीवन और खेतों के लिए भी जरूरी है। हमारी इन नदियों में जो बहकर आई हुई मिट्टी है उसके कारण इनके पाट काफी चौड़े हो गए हैं। किनारों से पानी बह जाता है इसलिए इनको गहरा करने के लिए कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। पिछले वर्षों में हैपहेजर्ड वे में काम हुआ, कोई व्यवस्थित योजना नहीं थी। मैं चाहूंगी कि व्यवस्थित योजना बने जिससे कि पानी का पूरा उपयोग किया जा सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगी कि इस संबंध में एक विजिलेन्स कमेटी बने जिससे कि काम सुचारू रूप से हो सके और जो भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको दण्डित किया जा सके और एक डर बना रहे।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां राजस्थान में जो सिंचाई कार्य चल रहे हैं वह बड़ी मन्द गति से चल रहे हैं। मैं चाहूंगी कि भागीरथ तो गंगा लाये थे लेकिन जो राजस्थान में नदियां हैं वह गंगा की तरह ही हैं। मेरा निवेदन है कि सिचाई के काम जल्दी किये जायें। 1975 में प्रथम चरण में 176 करोड़ रुपया लागत लगी उसी समय दूसरे चरण की लागत 155 रुपये करोड़ आंकी गयी। इस समय जो बजट आया है उसमें दूसरे चरण की लागत 230 करोड़ रुपया बतायी है याने 65 करोड़ रुपया ज्यादा लगेगा। मैं इसका कारण समझी नहीं।

इसी तरह से जो हमारी लघु सिंचाई योजनायें हैं उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। हमारे छोटे-छोटे कुएं और बांध सिंचाई के साधन हैं उनको पर्याप्त ऊर्जा देकर उनके पानी से हमारे खेतों को सिंचित किया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी कि जब बरसात आती है तो हमारे छोटे-छोटे बांध भर जाते हैं लेकिन उनमें काम व्यवस्थित रूप से नहीं होने के कारण वह फट पड़ते हैं। उनको राज्य सरकार अपने ढंग से बनाये। पंचायतों के ऊपर छोड़ने से काम नहीं चलेगा। बाढ़ की विनाश लीला मैंने मेरे क्षेत्र में देखी है। मैं कहना चाहूंगी कि रामगढ़ के बांध में चार-पांच फीट की चादर चली, उसका सारा पानी बह कर चला गया, यह कतई उचित नहीं है। इसी तरह से जो पानी के कारण भरतपुर में हर बार विनाश लीला होती है उस सारे पानी को हम रोकें और उसका उपयोग हमारी धरती, जो बूंद-बूंद पानी की प्यासी है, को सींचने के लिये करें और धन-धान्य उत्पन्न करें। मैं समझती हूं कि सरकार इसके बारे में कोई उचित कदम उठायेगी और अच्छा कार्य करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं पर्यटन विभाग के बारे में कुछ विचार रखना चाहूंगी। हमारा राजस्थान ऐतिहासिक स्थान है। इसमें देखने के लिये इतने स्थान हैं जिनकी कोई सीमा नहीं। हमारे प्रदेश में अच्छे अच्छे मन्दिर हैं, मीनारें हैं, दरवाजे हैं, दरगाह हैं, ऐसे कितने ही स्थान हैं। यहां पर अन्तर्राष्ट्रीय एयर पोर्ट बनाया जाना चाहिये जिससे यात्री सीधे यहां आ सकें। मैं यह कहना चाहूंगी कि इस संबंध में एक कार्पोरेशन अविलम्ब बनाया जाना चाहिये। होटल कार्पोरेशन तो बन गया, पता नहीं कितनी तरह की शराब उसमें मिलती है

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कौन पीता है, कौन नहीं पीता है, लेकिन उसका कोई हिसाब नहीं। मैं यह जानना चाहूंगी कि पर्यटन कार्पोरेशन क्यों नहीं बनाया गया? मुझे मालूम पड़ता है हमारे बहुत अधिकारी उसमें बाधक हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहती....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे चाहे सैक्रेटरी महोदय हों, चाहे चीफ सैक्रेटरी महोदय हों उनको इसमें बाधक नहीं बनना चाहिये। मैं यह भी बताना चाहूंगी कि पर्यटन व्यवस्था को सुधारने के लिये राज्य मंत्री महोदय ने जो दिल्ली में प्रस्ताव रखे हैं वे बहुत उत्तम हैं. मैं उनका समर्थन करती हूं। छोटे जनता होटल बनें जिससे यात्रियों को ठहरने की सुविधा हो, भोजन की सुविधा हो। इसी तरह से जो हमारी बसेज की व्यवस्था है वह बहुत कम है, वह बढ़ाई जानी चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगी कि जिला स्तर पर पर्यटन केन्द्र और सूचना केन्द्र हों। इसके अलावा मैप्स हों जो जानकारी दे सकें कि राज्य में क्या-क्या देखने लायक स्थान हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जो हमारी पहले स्टेट्स थीं उनके बारे में सही स्थिति का वर्णन करने वाले फोल्डर्स होने चाहिये। इसका सारा अभाव देख रही हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जो लोग यहां आते हैं, वे पक्षी विहार भी देखते हैं। सिरस्का केन्द्र है वहां सर्चलाइट और जीप की आवश्यकता होती है। हमारे इस केन्द्र पर वे उपलब्ध नहीं होती हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इन सारी व्यवस्थाओं को पूरा करते हुए हमारे अन्य जो पर्यटन स्थल हैं आबू, अचलगढ़, जिसे राजस्थान की स्विटजरलैण्ड कह सकते हैं, का विकास कीजिये। अजमेर में जो...

श्री उपाध्यक्ष : मैं मानता हूं आप सैन्सिटिव हैं। मेरी घंटी का भी ध्यान करें।

श्रीमति उजला अरोड़ा : कुछ ही मिनट लेकर मेरी बात समाप्त करना चाहूंगी। अजमेर में अनासागर है उसका विकास किया जाना चाहिये। पुष्कर हमारा तीर्थ स्थान है, और दर्शनीय स्थल भी है, लेकिन उपेक्षित रूप में पड़ा हुआ है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि भरतपुर का किला है उसके चारों तरफ नहर है। न जाने उसमें क्या घास उग आया है। जैसा स्थल है उसे वैसा बनायें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हमारी हल्दी घाटी और शेखावाटी उपेक्षित पड़ी हैं जिनके ऊपर गौरव होता है। उनके रख-रखाव के लिये भी कहना चाहूंगी। यह उचित नहीं है कि केवल जयपुर का विकास कर लिया जाये, केवल उदयपुर का विकास कर लिया जाये। ऐसे और भी स्थान हैं, देलवाड़ा का मन्दिर, रणकपुर, चित्तौड़गढ़ उनके भी विकास की योजना बनानी चाहिये। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि सहेलियों की बाड़ी.......

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान की पूरी लिस्ट है आप के पास।

एक माननीय सदस्य : पूरा राजस्थान घूमी हैं।

Page No.78

श्रीमती उजला अरोड़ा : जो राजस्थान में घूमेगा वह राजस्थान की बात करेगा। जो कोने में पड़ा रहेगा उसको क्या सूझेगा ?

इन सब के लिए हमारी सरकार प्रयास करे। यह जो स्थल हैं इनका विकास करें ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक यहां पर आयें। उससे दस्तकारी को प्रोत्साहन मिले, हस्तकला उद्योग की प्रदर्शनी लगायें ताकि राजस्व बढ़े। इस पर अधिक न कहते हुए इतना ही निवेदन करूंगी कि सरकार इस ओर ध्यान दे।

श्री मूलचन्द डागा : आपने पर्यटन कर लिया अब आराम करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ओंकारलाल बोहान।

श्री ओंकारलाल बोहान (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई से सम्बन्धित बात पहले कहूंगा। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा हालांकि सब्जैक्ट तो बहुत विस्तृत है।

किसी देश और प्रदेश की प्रगति के लिये तीन आधार माने जाते हैं। सिंचाई योजनायें, आवागमन के साधन और विद्युतीकरण। अगर यह तीनों चीजें हमारे पास उपलब्ध हों तो विकास की गति को तेज कर सकते हैं। उसी के आधार पर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सिंचाई की योजनायें चल रही हैं, रिपोर्ट के आधार पर 45 मध्यम सिंचाई योजनायें हैं और सैकड़ों छोटी-छोटी योजनायें चल रही हैं। मैं अधिक विस्तार में न जाकर एक मुद्दे की बात कहना चाहूंगा। काफी समय से कई परियोजनायें हमारे राजस्थान में चल रही हैं, लेकिन उनका जो वांछित फल कृषि की उन्नति के सिलसिले में मिलना चाहिये, वह नहीं मिल पाता है।

(1.57 म.प.)

(श्री पुरुषोतम मंत्री, सभापति, पीठासीन)

इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, हरिश्चन्द्र सागर योजना काफी असें से चली आ रही है, बड़ी पुरानी योजना है। वह धनाभाव के कारण पूरी नहीं हो सकी। बड़े खेद का विषय है कि हरिश्चन्द्र सागर बांध को पूरा करने के लिए धन भी स्वीकृत हुआ, सीमेंट की बोरियां भी आई, दूसरी चीजें भी उपलब्ध कराई गई पर वह बांध 15-16 साल के बाद भी आज अधूरा पड़ा हुआ है। उसमें कितना गबन हुआ, कितने धन का उसमें दुरुपयोग हुआ ? माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि ऐसी कई परियोजनायें हैं। मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जहां-जहां परियोजनायें राजस्थान में चल रही हैं उनको टाइट किया जाये, उनके बिल्स को कट किया जाये। जहां जो धनराशि का दुरुपयोग होता है उसको भी रोका जाये जिससे इस प्रदेश की प्रगति हो।

इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा सूखे एरिया के बारे में। जब अकाल के काम चलते हैं तो पूरे नहीं होते। राजस्थान सरकार पूरा कर नहीं पाती ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, शुरू ही किया है।

मैं निवेदन कर रहा था इस प्रकार की जो योजनायें अधूरी रहती हैं उनको पूरा

(श्री ओंकारलाल चौहान)

कराया जाना चाहिये । डैजर्ट को समाप्त करने के लिये राजस्थान में जो योजनायें चल रही हैं वे वैस्टर्न साइड में चल रही हैं, ईस्टर्न पार्ट में भी डैजर्ट बढ़ता जा रहा है, उसकी ओर भी ध्यान जाना चाहिये । इस बात को भी देखें, क्यों बढ़ रहा है, क्या वजह है ?

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आदि-वासी इलाके की योजनाओं का इसमें जिक्र किया गया है उनको भी पूरा किया जाना चाहिये । उनकी दयनीय स्थिति को ध्यान में रख कर अगर उनका मानवीय दृष्टि से विकास कर पाते हैं तो राजस्थान के विकास की दृष्टि से भी आगे बढ़ सकेंगे । मुझे यही निवेदन करना है ।

एक निवेदन और करना है, मेरे क्षेत्र में मेरी तहसील में पानी नहीं पहुंचता है वहां जो बान्ध है उसको दो-तीन फीट ऊंचा करना चाहिये ताकि उससे कृषकों को लाभ हो ।

सिंचाई के सम्बन्ध में जो प्राथमिकता दी जानी चाहिये थी वह नहीं दी गई है । माननीय मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें और जो प्राथमिकता रखी है, उसको पूरा करें । जो योजनायें अधूरी पड़ी हैं उनको भी जल्दी से जल्दी पूरा करवायें ।

पर्यटन के बारे में इतना सा निवेदन कर दूं कि पर्यटन के मामले में राजस्थान प्रगति कर रहा है और पर्यटन केन्द्र बना रहे हैं । मेरे जिले में एक सीताबाड़ी का स्थान है वह बहुत ही सुन्दर और रमणीय जगह है । पर्यटन की दृष्टि से उसको डवलप किया जाना चाहिये । सीताबाड़ी के पास ही एक मन्दिर है वहां कई श्रद्धालु घूमने की इच्छा से आते हैं और काफी पर्यटक आते हैं । इसलिये उसको डवलप किया जाना चाहिये । इसके अतिरिक्त महाराणा कुम्भा द्वारा बनाया हुआ एक कुम्भलगढ़ का किला भी है जो पर्यटन की दृष्टि से उत्तम स्थान है, उसको भी विकसित करना चाहिये । मेरा निवेदन है कि पर्यटक स्थलों का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आधारों पर सर्वेक्षण होना चाहिये किन्तु ऐसा नहीं किया जाता है । सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से हम कुछ जगह देख लें और फिर उनको डवलप करें तो मैं समझता हूं ज्यादा अच्छा होगा । जिस जगह आवश्यकता है उसका सर्वे होकर उचित स्थान मिलना चाहिये । आपने जिन पर्यटन स्थलों का सुझाव दिया है, उनके बारे में मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं एक ओर तो आप कहते हैं कि शराब का प्रयोग कम होना चाहिये और दूसरी ओर इन स्थलों पर इन चीजों को अडाप्ट करना चाहते हैं तो इस शराबबन्दी की पालिसी में आप क्या यह कहना चाहते हैं कि पर्यटकों के लिये देशी-विदेशी शराब आवश्यक है ? मैं इस चीज को मंत्री महोदय पर ही छोड़ देता हूं, आप इसमें क्या करना चाहते हैं । शराबबन्दी कार्यक्रम में अभी दो जिलों को लिया है उन जिलों में आप शराब-बन्दी करना चाहते हैं । इसके बाद और जिलों के अन्दर भी आप मद्य निषेध लागू करना चाहते हैं । बड़े-बड़े धनीमानी लोग, बड़े-बड़े अफसर और भी कई बड़े-बड़े लोगों में यह आम दस्तूर हो गया है कि शराब का प्रयोग करें । हमारी संस्कृति इससे खराब होती है और आने वाली पीढ़ी पर इसका असर पड़ता है, इसलिये मैं इस मुद्दे को माननीय मंत्री महोदय पर ही छोड़ देता हूं । क्या वे इस सम्बन्ध में सोचना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं और क्या यह राजनीति के अनुकूल

(श्री ओंकारलाल चौहान)

रहेगा एक तरफ आर्थिक पहलू है और दूसरी तरफ मोरल पहलू भी है । बस इतना ही कहते हुये मैं अपनी बात खतम करता हूं ।

श्री सभापति : श्री अजीत सिंह ।

श्री राम करण सिंह (कोटपूतली) : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है सचिव महोदय, विधान सभा ने मुझे बताया है कि मेरा स्थगन प्रस्ताव स्वीकार न करके आज मुझे बोलने का मौका दिया जायगा ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, केवल कटौती प्रस्ताव पर ।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में जब स्थगन प्रस्ताव का समय था उस समय आपको आपत्ति करनी चाहिये थी, उस समय प्रश्न उठाना चाहिये था । इस समय केवल कटौती प्रस्ताव पर ही बोलेंगे ।

श्री रामकरण सिंह : मुझे जब सूचना दी विधान सभा सचिव ने तब ही तो आपको निवेदन करूंगा । मुझे तो आपका निर्णय चाहिये, क्या मैं स्थगन प्रस्ताव पर बोल सकता हूं ?

श्री बाऊदयाल जोशी (दीगोद) : इस समय तो कटौती प्रस्ताव चल रहे हैं । उस समय बोलते । सो गये थे क्या ?

श्री सभापति : आपका नाम कटौती प्रस्ताव में नहीं है ?

श्री राम करण सिंह : कटौती प्रस्तावों में नाम इसलिये नहीं दिया कि आप मुझे वैसे ही बोलने का मौका देने वाले थे ।

श्री सभापति : कटौती प्रस्ताव के बाद आप बोल सकते हैं ।

श्री राम करण सिंह : बाद का मतलब तो मुझे सजा मिल जायगी देर तक बैठने की । मुझे केवल 2-3 मिनट दे दें ।

श्री सभापति : बीच में समय मिल गया तो दे दूंगा ।

श्री अजीतसिंह ।

श्री **अजीतसिंह** (टोंक) : सभापति महोदय, डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है और समय बहुत थोड़ा । आप चाहें तो नोट्स केवल मंत्रीजी को लिखा दिया करें, क्योंकि इतने बड़े डिपार्टमेंट के बारे में इतने कम समय में बोलना तो मुश्किल हो जाता है ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सौ माननीय सदस्य बोलने वाले हैं । उसके अनुसार ही समय का विभाजन किया गया है ।

श्री अजीतसिंह : सारी की सारी बातें कैसे कही जा सकती हैं । या तो पार्टी में से कुछ लोगों के नाम ही बोलने के लिये लिये जायं या फिर....

श्री सभापति : आप तो बोलने की कृपा करिये ।

श्री मूलचन्द सामरिया : सभापति महोदय, पहले मेरा नाम था । बोलने का दस मिनट का टाइम कर दें कम से कम ।

श्री अजीतसिंह : सभापति महोदय, सिंचाई विभाग पर मेरे कटौती के प्रस्ताव बान्धों और नहरों की मरम्मत पर हैं । सभापति महोदय, बाढ़ के कारण बान्ध और नहरों में काफी नुकसान हुआ है । नहरें समय पर तैयार नहीं हो पायेंगी तो काश्तकारों का और भी ज्यादा नुकसान हो जायगा ।

(श्री प्रबोत सिंह)

इसलिये या तो वे पक्की बना दी जायं जिससे टूट-फूट कम हो या इस प्रकार आर्गेनाइज किया जाय ताकि उनका उपयोग ठीक प्रकार से हो सके। छोटे-छोटे बन्धे हर साल बरसात से नष्ट हो जाते हैं। उनकी मरम्मत पर बड़ा भारी अमाउन्ट खर्च होने वाला है, वह समय पर उपलब्ध नहीं होने के कारण बहुत सारे बन्धे बिना मरम्मत के ही रह जायेंगे और सारी फसल नष्ट हो जायगी— मेरा निवेदन करना है कि डिपार्टमेंट तुरन्त एस्टीमेट तैयार करके काम करने के बारे में घोषणा करे और सम्बन्धित मंत्री महोदय इस ओर विशेष ध्यान दें। समय पर नहरें तैयार हो जायं तो काश्तकार को काफी लाभ पहुंच सकता है। समय पर नहरें तैयार नहीं होंगी तो किसान की पूरी फसल खराब हो जायगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि नहरों को तुरन्त तैयार करने के लिये निर्देश देवें।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस डिपार्टमेंट के द्वारा वाटर चार्जेज का कलेक्शन किया जाता है। आप कलेक्शन के लिये एक जिम्मेदारी निश्चित कर दीजिये जिससे कलेक्शन का काम ठीक ढंग से हो। इसके लिये आपके पास जिलेदार हैं, पटवारी हैं और आपका गिरदावर है। वह यह काम कर सकते हैं। पटवारी के लिये भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि पटवारी ट्रेन्ड होना चाहिये ताकि कार्य को अच्छी तरह समझ सके। पानी की पिलाई का काम, नाम का काम, उसका एडजस्टमेंट करने का काम आदि कई ऐसे काम हैं जो पटवारी को करने पड़ते हैं इसलिये पटवारी को ट्रेन्ड होना ही चाहिये। मैं चाहूंगा कि डिपार्टमेंट को जब कलेक्शन का काम सौंपा गया है तो विधिवत काम हो। अनट्रेन्ड पटवारी जमीन की नाप वगैरह ठीक से नहीं कर पाता है। पिलाई आदि के काम को भी अच्छी प्रकार से नहीं समझता है। आधे खेत की पिलाई हो जाती हैं और आधा रह जाता है इस कारण बहुत ज्यादा काश्तकारों की शिकायतें रह जाती हैं। इसलिये जो सर्वे करने वाले हैं उनको आप पटवारी रखें। तहसील लेवल पर जिलेदार रखें ताकि जो काम उनको देखने पड़ते हैं वे सही हों तब तो ठीक होगा नहीं तो शिकायतें फिर रह जायंगी। एक निवेदन यह भी है कि जो रेगुलेट करते हैं, जो नोट करने वाले हैं और जो पैसा मांगते हैं, उनके काम को भी ठीक करें। यही मेरा निवेदन है।

मैं अपने पर्यटन विभाग से सम्बन्धित कटौती प्रस्ताव के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। पर्यटन विभाग अपना ध्यान विदेशी पर्यटकों पर लगाता है बाकी देशी पर्यटकों, जो हमारे ही देश से आते हैं, पर ध्यान नहीं देता है। वे बड़े परेशान होते हैं। उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं है। पर्यटकों के मामले को तो शेर शाह सूरी ने ठीक प्रकार आर्गेनाइज किया था। जगह जगह धर्मशालायें और कुएं बनवाये थे, सड़क के दोनों किनारों पर छायादार पेड़ लगवाये थे। उसके बाद समय बदलता गया। आज विदेशी पर्यटकों के लिये तो आप व्यवस्था करते हैं बाकी गांव वाले जो पर्यटक है या शहर वाले पर्यटक हैं उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं करते हैं। आप इस ओर क्यों नहीं ध्यान देना चाहते हैं? जो देखने वाली चीजें हैं, उनको भी व्यवस्थित ढंग से रखने की बात होनी चाहिये ताकि उनकी उपयोगिता हो सके।

मैं एक और पोइन्ट निवेदन करना

(श्री अजीत सिंह)

चाहूंगा । टोंक के अन्दर सुनहरी कोठी है उसका पर्यटकों को आकर्षित करने में उपयोग करना चाहिए । उसमें सोने का काम बहुत बढ़िया किया हुआ है । उसको पर्यटन विभाग द्वारा अपने हाथ में लेकर, ठीक ढंग से सुधार कर पर्यटकों को आकर्षित करने में उसका निश्चित रूप से उपयोग करना चाहिए, इससे बहुत लाभ होगा ।

दूसरा मेरे जिले में बर्ड सेन्चुअरी की स्थापना की जा सकती है । वहां पर दुनिया भर की चिड़ियां आती हैं । अगर वहां पर बर्ड सेंचुअरी की स्थापना कर दी जाय तो उसका भी लाभ मिल सकता है । इतना ही निवेदन करता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री सभापति : माननीय श्री मूलचन्द सामरिया ।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : माननीय सभापतिजी, मैं पर्यटन विभाग के लिए तो इतना ही निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि राजस्थान का इतिहास बहुत महान है । राजस्थान के, पत्थर पहाड़, नदी, नाले, मकानात, महल, मंदिर, अपने आपमें त्याग, बलिदान, वैभव और शौर्य की गाथायें लिए हुए हैं । अगर उनको उजागर किया जाय, उन तक पहुंचने के सुलभ साधन उपलब्ध करायें जावें और पर्यटकों के रहने, खाने पीने की सही ढंग से व्यवस्था की जाय तो मैं समझता हूं कि पर्यटन विभाग राजस्थान को आय में अन्य विभागों के मुकाबले में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकता है । इससे राजस्थान सरकार की आय तो बढ़ेगी ही साथ ही साथ इससे हमारे प्रदेश की शौर्य-गाथाओं को विश्व में प्रमुखता मिलेगी और राजस्थान का नाम ऊंचा होगा । इसके लिए ज्यादा कहने का समय नहीं है इसलिये इतना ही निवेदन करना चाहता हूं ।

मान्यवर, जहां तक सिंचाई विभाग का सवाल है, यह एक बहुत बड़ा लम्बा चौड़ा विभाग है । मंत्रीजी भी बहुत लम्बे चौड़े हैं, लम्बे चौड़े विभाग को लेकर बैठे हैं । अब पांच मिनट में मंत्रीजी के बारे में निवेदन करूं या इस विभाग के बारे में निवेदन करूं । चूंकि समय बहुत कम है इसलिये हैड लाइन के तौर पर ही कुछ निवेदन करना चाहूंगा ।

सर्वप्रथम मैं यह निवेदन करूंगा, मंत्रीजी नोट फर्मा लें, कि राहुवास का बांध लालसोट तहसील में बना । बन कर टूटा और फिर बना इससे सड़क टूटी और सारा रास्ता नष्ट हुआ । आज उस बांध के बारे में आप पता लगायें कि उससे कितनी सिंचाई हुई ? अगर नहीं हुई, तो उस बांध को बनाने की किस इंजीनियर के दिमाग की खुराफात थी ? किस ने बनाया था और कितना रुपया खर्च किया ? क्यों लोगों को परेशान किया गया ? जो लोग खेती करते थे क्यों उनके खेत बरबाद करके बांध बनाया गया ? आज उस बांध में एक इंच पानी नहीं और उससे एक इंच भूमि की सिंचाई नहीं हुई । एक बूंद पानी उसमें नहीं भरा । टूटने के बाद कभी वह सिंचाई के काम में नहीं आया । इस बारे में जानकारी करें और जानकारी करके पता करें कि किन लोगों की गलती से बांध बनाया गया ? जिन्होंने अव्यवहारिक तौर पर बनाया उनकी आप जिम्मेदारी कायम कीजिएगा, उन लोगों को पैनेलाइज कीजिए जिन्होंने गरीब जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे को इस तरह से बरबाद करके बांध बनाया । केवल बड़े

(श्री मूलचन्द सामरिया)
बड़े आफिसर्स एक तरह से अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, रिहर्सल करने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए इस तरह से बेरहमी से पैसा बरबाद करते हैं, वह नहीं किया जाना चाहिए ।

मान्यवर, राजस्थान प्रदेश में बहुत दिनों से यह आवाज थी कि भरतपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू और नागौर को भी हम गंगा जल से सिंचित करेंगे । आप जानते हैं कि अगर आप गंगा नदी से इन पांचों जिलों को सिंचित करा देते हैं तो राजस्थान में जितने अनाज की आवश्यकता है, जितने खाद्यान्न की आवश्यकता है वह पूरी हो सकती है । इस ओर हमें कड़े से कड़ा परिश्रम करके, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके और वर्ल्ड बैंक से या किसी वित्तीय समिति से वित्तीय रिसोर्सिज लेकर अथवा केन्द्रीय सरकार से किसी भी हालत में कितना भी दबाव देकर, कितनी भी आजीजी करके साधन इकट्ठे करके गंगा का पानी उपलब्ध कराना चाहिए । साथ ही पहले की सरकार पर लगातार पांच वर्षों तक हमने आरोप लगाये कि वह सरकार केन्द्रीय सरकार से डरती थी, दबाव नहीं डाल सकती थी । मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि हमारे मुख्य मंत्रीजी ने सदन में घोषणा कर दी कि वह बहुत सी बातें मनवाने में कामयाब होंगे । घोषणा करने का इस समय वक्त नहीं है, मुझे विश्वास है, निश्चित रूप से राजस्थान को बहुत कुछ केन्द्र से लाकर देंगे । केन्द्र से लाना भी चाहिए क्योंकि राजस्थान अभी तक केन्द्र द्वारा उपेक्षित रहा है, हर क्षेत्र में उपेक्षित रहा है । इसलिए हैड लाइन के बतौर इतना ही निवेदन करता हूं कि राजस्थान कैनाल को केन्द्रीय योजना के रूप में हर कीमत पर स्वीकार कराया जाय । इसमें जरूरत पड़ने पर पूरी पार्टी एकमत से आपके साथ है, पूरा सदन विपक्ष सहित आपके पीछे है और राजस्थान की पूरी जनता आपकी पीठ पर है । अपनी इस मांग को पूरी करवाने में, राजस्थान नहर की मांग को मनवाने में जो कुछ करना पड़ेगा वह करने को तैयार है । राजस्थान की जनता को जिन्दा रखने के लिए, इसके सूखे इलाकों को पानी देने के लिए, पेयजल की समस्या का

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

समाधान करने के लिए, खेतों को हरा भरा करने के लिए इस राजस्थान कैनाल को राष्ट्रीय योजना के रूप में आपको किसी भी कीमत पर मनवाने के लिए केन्द्रीय सरकार पर दबाव देना चाहिए ।

मान्यवर, जमवारामगढ़ बांध के सरप्लस पानी से जयपुर को पानी सप्लाई करने के बाद बचे हुए पानी से कुछ एक इलाकों में सिंचाई होती है । मंत्रीजी नोट करें कि कितना पानी जयपुर को दिया जाता है और कितना पानी सिंचाई के लिए दिया जाता है ? इसका पता लगायें । उसमें चालीस पैंतालीस फीट पानी रहता है । आज उसमें 60-62 फीट पानी है । दोनों डिपार्टमेंट सैक्रेटेरियट में एक ही भवन में हैं, लेकिन फिर भी इतना टाइम तय करने में लगता है, कब कितना पानी दिया जाय-इतना समय लग जाने से पानी देने में लेट हो जाते हैं और तब पानी देते हैं जबकि उसकी आवश्यकता नहीं रहती । इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इन दोनों विभागों का झगड़ा निपटा कर तय करें कि किसानों को सिंचाई के लिए कितना पानी

(श्री मूलचन्द सामरिया)
दिया जायगा वह पानी दशहरे के आस-पास छोड़ दिया जाय तो किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सकता है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अभी दो तीन मिनिट में समाप्त करता हूं . . .

श्री सभापति : आठ मिनट हो गए, माननीय सदस्य ।

श्री मूलचन्द सामरिया : आठ मिनट हो गए ।

मैं बहुत उपेक्षित क्षेत्र से आ रहा हूं । दुनियां भर को आपने सिचाई के साधन दिए और जमीनें दी हैं । इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि जमवारामगढ़ को बांध का पानी पूर्ण रूप से सिंचाई के लिए था उसको जयपुर के पेयजल के लिए रख दिया । इसका पानी गन्दा है । इसके पानी में कीड़े-मकोड़े हैं । यह जहरीला पानी आप जयपुर की जनता को पिलाते हैं और इसको सिंचाई के काम में नहीं लेने देते जब कि इसको केवल सिंचाई के काम में लेना चाहिए था । बीसलपुर योजना को पूरा करके अथवा ढूंढ नदी पर बांध बना कर जयपुर शहर को पानी दिया जाना चाहिए था । मेरा निवेदन है कि जमवारामगढ़ बांध का पानी सिंचाई के लिए समय पर दिया जाय और पहले से बनी नहरों की मरम्मत करवा कर टेल तक पानी पहुंचाना चाहिए । वहां पर हर समय झगड़े होते हैं । ऊपर के लोग तो दो तीन बार पानी ले लेते हैं और नीचे इतना छोटा सा स्टोर बना रखा है कि पूरी क्षमता से पानी जाने पर भी टेल तक पानी नहीं पहुंचता है जिससे हर समय झगड़े होते हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसलिए नहरों को ठीक करवा कर ऐसी व्यवस्था करें कि टेल तक पानी पहुंच सके तो छोटे किसानों को इससे लाभ होगा ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अब ज्यादा घण्टी की अवहेलना करने में असमर्थ हूं अतः इनके सामने चेम्बर में और बातें रखूंगा । इतना कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द्र जैन ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : माननीय सभापति महोदय, मैंने सिचाई पर पांच कटौती प्रस्ताव रखे हैं । पहले मैं राजस्थान नहर के बारे में अपने विचार रखूंगा । राजस्थान नहर सन् 1958 में शुरू की गई थी । अब 19 साल होने को आए परन्तु अभी तक तो फर्स्ट स्टेज पूरा नहीं हुआ है । यद्यपि द्वितीय स्टेज का काम शुरू कर दिया गया है परन्तु फर्स्ट स्टेज पूरा कम्पलीट नहीं हुआ है । इसके लिए बहुत राशि की आवश्यकता है । और राजस्थान सरकार की वित्तीय स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि इस योजना को वह अपने साधनों से पूर्ण कर सके । यद्यपि राजस्थान गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है, केन्द्रीय सरकार भी सहायता देती रहती है, परन्तु इस योजना को पूरा करने के लिए जब तक केन्द्रीय सरकार इस योजना को हाथ में नहीं लेती है तब तक यह योजना पूरी हो नहीं सकती । मुझे समझ में नहीं आता कि इस योजना को केन्द्रीय स्तर पर क्यों नहीं लिया जाता ? क्यों नहीं इस नहर को राष्ट्रीय स्तर की नहर घोषित किया जाता है? कांग्रेस की सरकार ने भी इसको मान्यता नहीं दी

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

और अब जनता पार्टी की सरकार भी मान्यता नहीं देती है, इसमें क्या कठिनाई है ?

दूसरा प्रश्न यह है, राजस्थान नहर से जो एरिया सिंचित होता उसमें रेगिस्तानी क्षेत्र में जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट का एरिया आता है और बीकानेर डिस्ट्रिक्ट का एरिया भी आता है परन्तु बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट का एरिया नहीं आता है। उसके बारे में मैंने प्रश्न भी पहले पूछा था। और उस प्रश्न का यह जवाब आया था कि बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के एरिया को कवर करने के लिए राजस्थान सरकार कोई प्रयत्न करने वाली नहीं है। उनका निर्णय है कि बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में किसी तरीके से पानी नहीं पहुंच सकता है। मुझे जैसा मालूम हुआ है, पहले भी योजना बनी थी। वह योजना जागला, सपता, गडरा रोड होते हुए कान्डला तक पहुंचती थी और वह स्कीम नेवीगेबल थी। जो पहले स्कीम बनायी गयी थी, उसके बारे में सर्वे किया गया होगा। एरियल सर्वे भी किया गया होगा। इस सम्बन्ध में आप डिटेल सर्वे करवा सकते हैं। मुझे विश्वास है कि अगर यह नहर बनाई जाए तो बाड़मेर जिले में पानी आ सकता है और इस एरिया में भी सिंचाई हो सकती है। इतना पानी उपलब्ध न हो तो भी वहां पर जो ड्रिन्किंग वाटर की समस्या है, वह समस्या तो हल हो सकती है। जो ट्यूब-वेल्स बने हैं, जो योजनाएं बनी हैं ग्रामीण क्षेत्र की योजनाएं, उन ट्यूब-वेल्स का पानी कब तक मिलेगा ? दस वर्ष बाद, बीस वर्ष बाद इसका कैसा भविष्य होगा, इसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। राज्य सरकार को मेरा निवेदन है कि पूरी तरह से इसकी छानबीन करे, इन्वेस्टीगेशन कराये और इसके लिए एक कमेटी के गठन की भी आवश्यकता हो तो कमेटी का गठन करके इसकी जांच करावे कि किस प्रकार से बाड़मेर में पानी पहुंच सकता है।

दूसरा प्रश्न, नर्मदा के बारे में है। यह डिस्प्यूट राजस्थान गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट के बीच में है। यों तो निर्णय हो चुका है कि 5 लाख क्यूबिक फीट पानी राजस्थान को मिल सकेगा और जालौर बाड़मेर जिले भी इससे सिंचित हो सकेंगे। बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट को पानी मिलेगा या नहीं, यह संदेह है। परन्तु बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट को पानी पहुंचाने के लिए मेरा निवेदन है कि नव गांव में बांध ऊंचाई पर बनाया जाए ताकि यह पानी बाड़मेर को भी कवर कर सके। यह प्रश्न ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है। मेरा राज्य सरकार को निवेदन है कि इस प्रश्न को हल करने के लिए राज्य सरकार कोशिश करे। मुख्य मंत्री और संबन्धित मंत्री महोदय भी कोशिश करें ताकि यह पोजीशन तो पता चले कि बाड़मेर, जालौर में नर्बदा का पानी पहुंच सकता है या नहीं।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि लघु सिंचाई के जो कार्य हैं, उसके अन्दर मैंने यह देखा है कि लघु सिंचाई के लिए जो राशि वर्ष 1977-78 के लिए प्रस्तावित की गई है वह 245 लाख रुपये है। इस राशि का जिस प्रकार से विभाजन किया गया है, उसमें 118 लाख 72 हजार रुपये उदयपुर डिविजन के लिए हैं। पहले भी उदयपुर डिविजन अधिक हिस्सा लेता रहा और आज भी उदयपुर डिविजन को ज्यादा अलाट किया गया है। हमारे जोधपुर

Page No.86

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
डिविजन के लिए एक पैसा लघु सिंचाई के लिए नहीं रखा गया है प्लान के अन्तर्गत। यह सूखा ग्रस्त क्षेत्र है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसके लिए तो अलग से राशि है। जो डी. पी. ए. पी. के कार्यक्रम हैं, उनके लिए आप खर्च कर रहे हैं। प्लान की राशि में से कोई प्रावधान नहीं है और इसलिए हमारा एरिया विकसित नहीं होता है। जोधपुर डिविजन के लिए एक पैसा भी नहीं रखा गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि प्लान की राशि में से भी प्रावधान किया जाना चाहिए।

श्री सभापति : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : सभापतिजी, राजस्थान कैनाल और कोटा का जो काम्पलेक्स है, उस पर करोड़ों रुपया लगाया गया है परन्तु उसके बाद भी वाटर का यूटिलाइजेशन पूरा न होने के कारण बहुत सी प्राब्लम्स इसके साथ-साथ बढ़ती गई हैं। इसके बारे में वर्ल्ड बैंक से भी सहायता ली गई। कम से कम पानी कैनाल के जरिए वेस्ट हो, उसका यूटिलाइजेशन हो, इसके बारे में ध्यान दिया जाना चाहिए।

इसके अलावा, राजस्थान कैनाल का मामला धीमी गति से चल रहा है। उसको शीघ्र पूरा करवाया जाए ताकि अन्न उत्पादन हो और साथ ही साथ एम्पलायमेन्ट की जो समस्या है, वह मिटे।

इसके अलावा, सभापति महोदय, लूणी नदी पर फेमिन कार्यों में बांध बनाया गया था। बहुत ज्यादा बरसात होने के कारण, सारी मिट्टी उलट कर चली गयी और उसका सारा पानी रण खार में चला गया। इसलिए मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि नदियों का जो हन्ड्रेड माइल का एरिया है, यह बहुत अच्छा गेहूं का एरिया है, गेहूं का भंडार है। जब कि नदी आती है तो सारा एरिया डूब जाता है। दो-तीन वर्ष कम बरसात हुई तो फायदा हुआ। लगातार पानी बरसा तो पानी एक तरफ होकर निकल गया। नदी ने रास्ता पलट लिया और इस प्रकार पीने का पानी भी खारा हो गया। इसलिए रिवाइज्ड स्कीम बना कर इस पर काम किया जाय। इस बारे में राज्य सरकार विशेष रूप से सर्वे करा कर, स्कीम बना कर उसका इम्पलीमेन्टेशन करे। ज्यादा पानी की वजह से, प्रश्न के उत्तर में बताया था, इसमें क्षति हुई है। उलटा रास्ता हो जाने से काश्तकारों को नुकसान हुआ है। सुरखा, पुगांवा गांव नष्ट हो गए हैं नाले के ऊपर जो नैनोल बांध था, वह टूट गया है। सैकड़ों खेत खराब हो गये हैं। इस बारे में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नर्बदा नदी का पानी जब आएगा तब आएगा। बड़गांव, जेतपुरा नदियों का पानी है, इन दोनों नदियों का जो पानी सरप्लस हो आप उसको लूनी में डाल दें। इससे वहां पर जो खारा पानी हो गया है वह ठीक होगा। प्लानिंग डिपार्टमेंट ने पहले स्कीम बनाई थी। मैं मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस इलाके की समस्या को हल करना चाहते हैं तो यह स्कीम पूरी कीजिए ताकि जो पानी का नुकसान हो रहा है, वह नहीं हो। इन दोनों नदियों का पानी आज गुजरात में जाता है। पक्की कैनाल के जरिए इसको टेप करिए। इससे रास्ते के जितने गांव हैं,

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
उनकी ड्रिंकिंग वाटर की जो समस्या है, वह भी हल हो जाएगी। इसका सरप्लस पानी लूनी नदी में चला जाएगा। अभी तक वह पानी बह रहा है। यह सारा पानी अनयूटिलाइज्ड चला जाता है। इससे गांवों को भी नुकसान होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसकी स्कीम बना कर इसके ऊपर विचार किया जाय।

इसके अलावा मेरे कट मोशन टूरिज्म के बारे में भी है। वर्ल्ड के टूरिस्ट आते हैं। हमारे यहां पर टूरिज्म का स्कोप है। जो यहां पर वर्ल्ड के टूरिस्ट आते हैं वे राजस्थान भी विजिट करते हैं। जयपुर, चित्तौड़ जाते हैं......

श्री सम्पतराम (सिंचाई मंत्री) : माननीय सदस्य ने बड़गांव नदी के बारे में बताया कि उससे काफी नुकसान हुआ है। परन्तु मुझे विभाग की तरफ से यह सूचना मिली है कि वहां से नहर निकाली गई है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जो नहर निकाली गयी थी, वह खतम हो गई है। वहां पर रेता बिछ गया है। जो स्कीम बनायी गयी थी वह बेकार हो गई है। नये सिरे से आप स्कीम बना कर उसको इम्पलीमेन्ट करें। आपने जो पहले नहर बनायी थी वह पानी से, रेत से कट गयी है। नदी ने रास्ता काट कर नया रास्ता निकाला है इससे गांव के गांव उजड़ गए हैं। जो स्कीम थी, उसको नदी ने रास्ता रद्दोबदल करके समाप्त कर दिया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

राजस्थान में सबसे ज्यादा नान-टैक्स रेवेन्यू सरकार कमाना चाहती है। टूरिज्म के पाइण्ट आफ व्यू से जालौर में सूंधा गांव है, सुण्डामाता की आखरी का दर्शनपुरा है। वह गांव माउण्ट आबू से इम्पार्टेन्ट है। माउण्ट आबू तो अब गरम स्पाट बनता जा रहा है। दर्शनपुरा, सूंधा से जेतपुरा और बड़गांव की नदियां निकलती हैं। वहां जाकर देखें तो पानी से हरियाली है और पानी के झरने हैं। राजस्थान सरकार उसका विकास करे तो उससे अच्छी आय हो सकती है। वह पर्यटन का अच्छा स्थल हो सकता है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर विचार करे।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, पहला सवाल तो मेरा यह है कि पर्यटन पर तो बहस कर रहे हैं लेकिन उनके मंत्री नहीं हैं।

श्री केदारनाथ : कोई बात नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : कोई बात क्यों नहीं है ?

श्री सम्पतराम : आप जो कहेंगे, उसका जवाब देंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मंत्री नोट नहीं करेंगे तो कैसे जवाब देंगे ?

श्री मूलचन्द डागा : यह कैसे हो सकता है ?

श्री सभापति : कैबिनेट की जोइण्ट रेस्पान्सिबिलिटी है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इतना कहां ध्यान रहता है ?

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, एक बात कहना चाहता हूं। यह पर्यटन ग्रामदनी का जरिया नहीं होना चाहिए। हम 30 साल से हवा महल का एक ही फोटो छाप रहे हैं। बड़ी ग्रजीब बात है। पर्यटन के ग्राधार पर तो शिक्षा ग्रौर संस्कृति का फैलाव होना चाहिये। मैंने यह निवेदन किया है कि जनता होटल कायम किये जाने चाहिएं जिनमें जनता साधारण दाम देकर सुविधापूर्वक रह सके। ग्राप तो फाइव स्टार जैसे बड़े-बड़े होटल बनायेंगे। ग्राप कोटा में नहीं जा सके हैं। वहां ग्रापने पर्यटन के लिए क्या किया है? श्रीमान्, ग्राप कहते हैं कि पर्यटकों के पिछले 5 साल में ग्रांकड़े बढ़े हैं। 1971 में 53,444 पर्यटक ग्राये। सन् 1976 में 61,436 हो गये। जितने पर्यटक बढ़े हैं उससे साफ है कि या तो राजस्थान का पर्यटन विभाग ग्रधिक पर्यटकों को ग्राकर्षित नहीं कर सका है या उसका तरीका ठीक नहीं है। क्या है यह पर्यटन विभाग? मैंने पहले ही पर्यटन के बारे में एक बात कही है कि पर्यटन विभाग से ग्रामदनी नहीं होनी चाहिए। पर्यटन संस्कृतियों का मेल कराता है। पर्यटन शिक्षा का ग्राधार है। पर्यटन का यह मतलब नहीं है कि राजस्थान की परिचय पुस्तिका पर हवा महल का फोटो छाप दिया। पर्यटक ऐसी जगह जायें जहां हरे-भरे पहाड़ हों या जहां बहती हुई नदियां हों। ऐसी जगहों पर पर्यटकों को जाना चाहिए।

कई माननीय सदस्य : वाह, वाह।

श्री मूलचन्द डागा : जयपुर का नाम लेते हैं तो लोगों का मन नहीं मिलता है। छोटे-छोटे गांवों में जायें, गरीबों से मिलें ग्रौर उनके साथ गांव का कोई फोटो न छापकर हवा महल का फोटो छापा है। भगवान जाने ग्रधिकारियों को ग्रकल कब ग्रायेगी? ग्राप तो पुराने इतिहास के गीत गाने वाले हैं। ग्राप पर्यटन करने वालों को नये तरीके के काटेज दीजिए। यह नहीं कि कोई शानदार बंगला बना दिया। यह हमारी संस्कृति के विरुद्ध है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : पाली में बना देने चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : पाली में क्या बनायेंगे?

श्री प्रद्युम्नसिंह : जिसने पाली नहीं देखी वह अपने कर्म फोड़ेगा।

श्री मूलचन्द डागा : यहां पर भिखारी नहीं घूमने चाहिए। यह हमारी संस्कृति में बाधा है।

श्री उपाध्यक्ष : ग्रब चार मिनट का समय है।

श्री मूलचन्द डागा : सिंचाई पर क्या बोला जाय। सिंचाई क्या है? ग्राज लाखों करोड़ों रुपये खर्च करके बांध बनाया जाता है। जब पानी बरसता है तो वह जमीन पर बहता है ग्रौर सभी जगह फैल जाता है। काफी धन लगाकर बांध बनवाये हैं। हमें यह सोचना चाहिए कि पानी का वितरण किस प्रकार से होना चाहिए। गरीब ग्रादमी को ज्यादा पानी मिले ग्रौर मोटे खेत वाले को कम मिलेगा। ग्राप पानी के वितरण का कोई तरीका तो निकालें।

एक कट मोशन मैंने दिया है वाणियावास बांध का कमाण्ड एरिया बढ़ाने के लिये।

(श्री मूलचन्द डागा)

यह मंत्री जी प्राम्प्टली काम करते हैं। इसके बारे में हमको श्राश्वासन दिया है महरबानी करके। हम खुद के पैसे से....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह लो, घंटी बज गयी।

पानी श्रापके पास है। हम जमीन को पिलाना चाहते हैं। यह वाणियावास का बांध है इसके कमाण्ड एरिया को श्राप बढ़ायें। हमारी जमीन पानी चाहती है क्योंकि वहां पानी नहीं बरसता है। बांध का पानी श्राता नहीं है।

मेरा तीसरा निवेदन यह है कि जवाई बांध का पानी रूपवास गांव में श्रा गया है तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि हमारी बात सुनिएगा। श्राप तो वित्त मंत्रीजी से बात करने लगे। मैं चाहूंगा कि मांगीयावास में भी पानी ले जायें।

श्री **सभापति** : श्री रामरघुनाथ।

श्री **रामरघुनाथ** (डेगाना) : माननीय सभापति महोदय, यह राजस्थान एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रदेश है। जो श्रन्य देशों के निवासी हैं वे बड़ी संख्या में भारत में श्राते हैं। जो विदेशी यहां श्राते हैं, उनसे हमको पैसा मिलता है। लेकिन जिस प्रकार से पर्यटन के लिये राज्य सरकार को प्रचार व श्रन्य कार्य इसके विस्तार हेतु करना चाहिए उस प्रकार से काम नहीं कर सकी है। भारत में श्राने वाले विदेशी जयपुर में श्राते ही हैं। श्रागरा से श्राते वक्त या जयपुर से जाते वक्त भरतपुर में भी रुकना चाहिये। श्रलवर में वन्य जीवन है वहां भी रुकना चाहिये लेकिन संख्या से ऐसा लगता है कि उनको पूरी जानकारी नहीं दी जाती है। इसी कारण वह न तो पक्षी देखने को रुकते हैं न शेर-चीते देखने श्रलवर रुकते हैं। श्रधिकतर यहां पर श्राने वाले लोग बसों में श्राते हैं श्रौर श्रागरा होकर एक सर्किल बनाकर वापस लौट जाते हैं। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से मैं यह निवेदन करूंगा कि इस विभाग को प्रचार कार्य करने के लिये कहा जाय श्रौर सतर्क रहने के लिये कहा जाय। जयपुर श्राने वाले जो पर्यटक हैं वह इन बीच वाले स्थलों को, भरतपुर-श्रलवर को जरूर देखें इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए।

इसके साथ ही मैं एक छोटी सी बात राजस्थानी वेश-भूषा के बारे में कहना चाहता हूं। दुनियां के हर कोने में श्राज राजस्थान की वेश-भूषा को श्रपनाया जा रहा है लेकिन फैशन के रूप में श्रपनाया जा रहा है। दिल्ली में भी हम देखें कनाट सर्कस श्रौर जनपथ वगैरह में तो वहां पर सैकड़ों दुकानें ऐसी हैं जहां पर राजस्थान की वेश-भूषा मिलती है श्रौर पर्यटक लोग वहां से ले जाते हैं। लेकिन वे उनको दिल्ली की या भारत की नई फैशन के हिसाब से ले रहे हैं। होना यह चाहिए कि उन्हें यह ध्यान हो कि राजस्थान की यह सांस्कृतिक परम्परा है, यह यहां की वेशभूषा है जो बहुत पुरानी भी है श्रौर नई भी है। उसके बारे में उनको जानकारी भी प्राप्त हो सके इस बात की व्यवस्था भी की जानी चाहिए।

इसके साथ ही मैं श्रापको यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो पिक्चर पोस्टकार्ड छपते वे श्रट्रेक्टिव नहीं होते, उनको श्रौर ज्यादा श्रट्रेक्टिव बनाया जाना चाहिए। श्रक्सर पर्यटक उनको कलेक्ट करके श्रपने साथ ले जाता है श्रौर श्रपने मित्रों को पत्र

(श्री रामरघुनाथ)

लिखता है तो उस पिक्चर पोस्टकार्ड पर लिखता है। इसलिए उसमें राजस्थान का चित्रण हो, उसकी झलक मिले और वह आकर्षक हो। इसका पूर्णतया अभाव है। इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। वह राजस्थान के हिसाब से पर्यटक को प्रभावित करने वाले कागज पर होना चाहिए, जिससे यहां के बारे में प्रचार हो सके।

हमारे यहां पर जो मेले लगते हैं, तीज का और गणगौर वगैरह के उनके बारे में पर्यटकों को पूरी सूचना नहीं मिलती है। दिल्ली में जो एम्बेसीज हैं उनमें भी इस प्रकार की जानकारी नहीं कि कहां-कहां पर किस किस प्रकार का मेला लगता है। इसलिए जहां पर जिस समय मेले लगते हैं उनकी सूचना दी जानी चाहिए जिससे पर्यटक वहां आ सकें और उनको देख कर जानकारी प्राप्त कर सकें। राजस्थान में कई स्थानों पर बहुत महत्वपूर्ण मेले लगते हैं। पुष्कर में पशुओं का बड़ा भारी मेला लगता है। जितने भी पर्यटक पुष्कर जाते हैं वे सब मेले के हिसाब से जाते हैं। इसलिए यह जानकारी भी उनको दी जानी चाहिए।

इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि दिल्ली से जो पर्यटक जयपुर आते हैं, रास्ते में उनके ठहरने के लिए कोई उपयुक्त स्थान नहीं है। न अच्छे रेस्टोरेन्ट है, न होटल हैं और न टूरिस्ट बंगले हैं। इसलिए छोटे-छोटे टूरिस्ट बंगले रास्ते में बनाये जाने चाहिए जिससे कि वह रात में ठहर सकें और उनको उचित प्रकार की व्यवस्था वहां पर मिल सके। कुछ लोग रात में रुकना भी चाहते हैं और सोचते हैं कि सवेरे पास के मुख्य स्थल पर पहुंच जायेंगे। लेकिन रास्ते में रुकने के लिये कोई उचित प्रबन्ध नहीं है, इसलिए छोटे-छोटे टूरिस्ट बंगलों, होटल या हट्स की व्यवस्था होनी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं दो मिनट और लेना चाहूंगा।

जिससे कि वह वहां रुककर आराम कर सकें। इसलिये सस्ते और सुन्दर स्थानों की व्यवस्था होनी चाहिए।

इसी प्रकार से अजमेर में काफी पर्यटक आते हैं चाहे मुसलमान लोग उर्स के मेले की वजह से आते हों, चाहे पुष्कर मेले के हिसाब से पर्यटक आते हों, या और कोई वजह से। जयपुर से अजमेर के बीच में कोई टूरिस्ट बंगला व रेस्टोरेन्ट है जिससे कि वह वहां ठहर सकें, खा-पी सकें। चित्तौड़ और उदयपुर जाने के लिये भी अजमेर होकर जाना पड़ता है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि नेशनल हाईवेज पर जगह-जगह रेस्टोरेन्ट बनाये जाने चाहिए जिससे पर्यटकों को सुविधायें मिल सकें। उनको अधिक से अधिक आकर्षित करने के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए।

मैं थोड़ा सा राजस्थान नहर के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। गंगानगर जिले में जगह जगह पर बड़ी मशीनें पड़ी हुई हैं, उनके लिए कोई हेन्गर्स भी नहीं हैं। इस कारण मशीनें खराब हो रही है, करोड़ों रुपयों की मशीनें बरसात में खराब हो गई हैं उनको ठीक कराया जाना चाहिए ताकि उनको काम में लिया जा सके। उधर रात-दिन सिचाई का काम चलता है चाहे पम्पिंग से हो या और किसी तरह से हो। जो मशीनें ठीक नहीं हो सकती हैं उनको नीलाम किया जाना चाहिए। इसलिए यह भी देखने की

(श्री रामरघुनाथ)

जरूरत है कि कौनसी मशीनों को नीलाम करना है और कौन सी मशीनों को दुरुस्त करना है ? सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो मशीनें दुरुस्त हो सकती हैं उन मशीनों को दुरुस्त कराया जाय । इन बेकार पड़ी मशीनों से राज्य सरकार को करोड़ों का नुकसान है । नीलाम से कुछ तो मिले ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो लिफ्ट योजना बनायी गई है जिससे जैसलमेर और नागौर तक की जमीन को सिंचित किया जाना है, उसको शीघ्र ही आगे बढ़ाया जाय । इससे जो जमीन उपजाऊ है उसमें और पैदावार बढ़ेगी । इस ओर आप ध्यान देने की कृपा करें ।

श्री सभापति : श्री शंकर लाल ।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री रामकरण सिंह ।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : माननीय सभापति जी, मुझे केवल सिंचाई विभाग के मंत्री जी से और सिंचाई विभाग के अधिकारियों से एक ही निवेदन करना है कि मेरे क्षेत्र में बाढ़ को किस प्रकार से रोका जा सकता है और मौजूदा जो बाढ़ की हालत है उससे किस प्रकार से बचा जा सकता है। मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मंत्रीजी, आप भी इस क्षेत्र से बहुत वाकिफ हैं, मेरे नजदीक है। नांगल और पंडितपुर गांव इस तरह से पानी में फंसे हुए हैं कि उसमें से लोगों को निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। जो कुए वगैरह हैं उनमें रेत भर गई है, दस फीट और 5 फीट पानी भरा हुआ है, दो फीट तो हर जगह पर है। इसलिए उस पानी को निकालने का उपाय करना चाहिए । यह सबसे जरूरी और पहली चीज है ।

पूरे तीस वर्षों में सिंचाई विभाग ने कोटपूतली में कोई ऐसी योजना नहीं बनाई कि बाढ़ की समस्या को किस प्रकार से हल किया जा सकता है । इस समय अभियन्ताओं और दूसरे अधिकारियों ने जो कार्य किया है वह अच्छा काम किया है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि तीस वर्षों में कुछ नहीं किया गया बाढ़ के लिये । यह जानकारी देना चाहूंगा कि आप हमारे यहां पर तीन छोटे-छोटे बांध बनायें, एक तातेल बांध है जो पूरी तहसील को बचाने के लिए जरूरी है। इस बांध के बनाने से गांव में पानी नहीं आयेगा और जमीन बच जायगी ।

दूसरा बनाड़ी का बांध और तीसरा रोंद में छोटा सा बांध मामूली काम से, मामूली खर्चे से बन सकता है। यह बांध आप बनाने की कृपा करें इससे बाढ़ से पूरी तहसील को बचाया जा सकेगा । इससे पी. डबल्यू. डी. का पैसा भी बचेगा क्योंकि अक्सर सड़कें खराब हो जाती हैं, उनकी मरम्मत नहीं करानी पड़ेगी और लोग परेशान होते हैं वे भी इस परेशानी से बचेंगे । इसलिए मेरा यही सुझाव है, मुझे विश्वास है कि जो हमारी समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिये इस काम को पूरा करेंगे ।

श्री सभापति : माननीय श्री प्रद्युम्नसिंह ।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : सभापति महोदय, मैंने अपने कुछ कटौती प्रस्ताव पेश किये हैं, उनके सम्बन्ध में मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी का कुछ मुद्दों की तरफ

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । श्रीमन्, सबसे पहले जिस गम्भीर समस्या का सामना भरतपुर को करना पड़ रहा है वह बाढ़ की समस्या का करना पड़ रहा है, । उसके लिए कोई कारगर कदम सरकार की तरफ से नहीं उठाया गया है, जिससे कि इस समस्या की पुनरावृत्ति न हो । यही हाल धौलपुर की सैंबऊ सब-तहसील का भी है । वहां पिछले साल भी बाढ़ आयी थी । कुछ नालों के निर्माण की बात थी लेकिन उन नालों का निर्माण नहीं किया गया । उसकी वजह से इस साल फिर वहां पर भयंकर बाढ़ आई । यदि पिछले साल की बाढ़ को ध्यान में रखकर काम को हाथ में ले लिया जाता तो सरकार को और काश्तकारों को जो नुकसान हुआ उससे बचाया जा सकता था । लेकिन सरकार द्वारा इस की ओर ध्यान न देने से यह समस्या खड़ी हुई । फिर बाढ़ के कारण पार्वती कैनाल सिस्टम बरबाद हो चुका है । वह नहर पचासों जगह से टूट चुकी है । अगर उसकी मरम्मत का काम तुरंत हाथ में नहीं लिया तो जो सिंचाई का बंधा इस समय खड़ा है जो 35 हजार एकड़ भूमि की सिंचाई करता है, उसका बहुत सारा इलाका सिंचाई से महरूम रह जाएगा और काश्तकारों को समस्या का सामना करना पड़ेगा ।

एक और समस्या है जिसके लिए मैं बार-बार सरकार से कह रहा हूं, वह है जो लठैत काश्तकार हैं, मोटे काश्तकार हैं, वे नहर को कई जगह से अक्सर काट देते हैं । इसको रोकने के लिए कोई इफेक्टिव उपाय आपके पास नहीं है । इस कारण गरीब आदमी बिना पानी के रह जाते हैं । मैंने बार-बार मांग की है कि उत्तर प्रदेश की भांति यहां भी आपको कैनाल मजिस्ट्रेट्स अपाइंट करने चाहिए । यू.पी. में कोई काश्तकार नहर को हाथ नहीं लगा सकता, नहर को क्षति पहुंचाने पर भारी जुर्माना होता है । यहां तो 10 लठैते इकट्ठे हुए और नहर काट दी । तो आप कैनाल मैजिस्ट्रेट्स नियुक्त करें, इससे गरीब काश्तकार को राहत मिलेगी ।

दूसरी बात, नियमों के अन्दर लिखा हुआ है कि जो टेल पर बसे हुए हैं उनको पहले पानी दिया जाएगा । टेल वालों को पानी पहले मिल सके इसके लिए आपको इफेक्टिव कदम उठाने पड़ेंगे । कानून में चेंज करनी पड़ेगी । आपको सख्त कदम उठाने पड़ेंगे ।

ये तो रही लोकल बातें । अब मैं आता हूं पूर्वी राजस्थान की बात पर जिसकी उपेक्षा होती रही है । हमारी खुश किस्मती है कि सिंचाई विभाग पहली बार पूर्वी राजस्थान के मंत्री को मिला है । पूर्वी राजस्थान के साथ हमेशा भेदभाव बरता गया है । पूर्वी राजस्थान से मेरा मतलब अलवर से ही नहीं है, इसमें भरतपुर जिला भी शामिल है । इसकी पिछली सरकार ने उपेक्षा की है . . . .

श्री सम्पत राम (सिंचाई मंत्री) : मैं पूर्वी राजस्थान की उसी परिभाषा को मानता हूं जो राज बहादुर ने कभी की थी ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मुझे उसका पता नहीं है । मैं राज बहादुर का ब्रीफ होल्ड नहीं करता हूं कि जवाब दे सकूं . . . .

श्री मथुरादास माथुर : आपके कहने के अनुसार अलवर और भरतपुर को ही पूर्वी राजस्थान मानते हैं बाकी नहीं ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मंत्री महोदय ने मेरे तीन मिनट खराब कर दिए ।

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

आज पूर्वी राजस्थान में बहुत सारा पानी बरसात का बेकार जाता है। लघु सिंचाई के बांधों के जरिए आप उस पानी को रोकें, आप सर्वे करायें, उन बांधों की तरफ आपको तवज्जह देनी चाहिए। धौलपुर में शाहपुरा बांध का शिलान्यास हो गया, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं कराया. न पिछली सरकार ने कराया है, न आप करा रहे हैं।

एक बात और कहना चाहता हूं जिसकी ओर ध्यान नहीं दिया तो राजस्थान का नुकसान हो सकता है। चम्बल का सरप्लस पानी कोटा के बाद नहीं रुकता है ठेठ यू. पी. के बोर्डर तक जाता है। यू. पी. वालों ने लिफ्ट इरिगेशन की कई स्कीम भारत सरकार को भेज दी हैं। अगर आपकी तरफ से उस पर कारगर कदम नहीं उठाए गए, अगर लिफ्ट इरिगेशन के जरिये पानी का इस्तेमाल नहीं किया गया तो आपका क्लेम पानी पर से समाप्त हो जाएगा और राजस्थान को उत्तर प्रदेश के मुकाबले में बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसलिए टॉप, प्रायोरिटी देकर इरिगेशन के काम को हाथ में लें।

अब सैकिन्ड पार्वती बांध की बात है। धौलपुर में पार्वती बांध पर करीब दो करोड़ रुपए की लागत आने वाली है, यह मीडियम साइज का बांध है, 20-25 हजार बीघा जमीन को पानी मिलेगा इतनी कम कीमत पर। आज सैकिन्ड पार्वती का पानी वेस्ट जा रहा है। इस बांध के काम को हाथ में ले सकें तो यह राज्य सरकार की उपलब्धि होगी। इससे उस एरिया में जो बिना पानी की जमीन है उसको पानी मिल सकेगा। It is a fool proof scheme स्कीम बढ़िया है तो इसे कार्यान्वित करें। कैनाल मजिस्ट्रेट्स को अपाइंट करें वरना इसके बिना जो नहरें कट रही हैं उसको कोई नहीं रोक सकता।

श्री सभापति : श्री शिवचरण सिंह।

श्री शिवचरण सिंह (बयाना) : सभापति महोदय, जनता सरकार के बनने के बाद जब मालूम हुआ कि माइनर इरिगेशन को प्रायोरिटी बेसिस पर और दूसरे कृषि के जो उत्पादन कार्यक्रम हैं, उनको आगे बढ़ाने की योजना लेकर चल रहे हैं तो खुशी हुई। फिर एक सुयोग्य मंत्री के हाथ में इस मंत्रालय को देख कर आशा बंधी कि शायद कुछ काम हो। बहुत दिनों से विधान सभा में यह पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान का प्रश्न चला आ रहा है। पूर्वी राजस्थान में वर्षा काल अधिक है। जितनी स्कीम्स हैं वे काफी फीजीबल स्कीम हैं लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जनता सरकार बनने के बाद में मुख्य मंत्री ने जो पहला उद्घाटन किया वह उस योजना का किया जिसका इन्कम-कॉस्ट रेश्यो डाउन है। मेजा फीडर के नाम से जो भीलवाड़ा में बांध बना उसका रेश्यो क्या है, रिटर्न क्या है क्या नहीं है ? तो पुराने तरीकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।

दूसरा मेरा सुझाव है कि माइनर इरिगेशन का जो प्लानिंग है, वह कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। माइनर इरिगेशन से जितनी आमदनी होती है उतनी हमारे यहां फिशरीज से होती है। लेकिन हमारे राज्य का कोई कोऑर्डिनेटेड प्लान नहीं है। पुराने जमाने में कोऑर्डिनेशन होता था विभागों के बीच में वह अब बिल्कुल नहीं है। जब कभी माइनर व मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट का प्लानिंग हो तो कोऑर्डिनेटेड प्लान

(श्री शिवचरण सिंह)

होना चाहिए । कुछ रुपया ईरिगेशन से मिले, कुछ फिशरीज से मिले । दूसरे विभागों को प्लानिंग कमीशन की तरफ से डवलपमेंट स्कीम्स के लिए रुपया मिलता है वह राजस्थान में पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में रुपया बहुत कम मिला है, कम्पेरेटिवली दूसरे राज्यों को ज्यादा मिला है । इस कारण हम बहुत कम पर्सेंटेज में पानी का इस्तेमाल कर पाए । किसी भी देश की समृद्धि इससे गिनी जाती है कि नेचरल वाटर को किस तरह आर्टीफिशल मीन्स के जरिए इस्तेमाल करता है । राजस्थान में सबसे कम और मीडियम ईरिगेशन के लिए रुपया मिलता है । मैं किसी जमाने में जैसलमेर में था उस समय योजना थी । वहां बॉर्डर एरिया में रहता था । 1952-53 में सर्वे का काम शुरू हुआ । वह 1956-57 तक चला । लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो डिफेंस की दृष्टि से फीजीबल स्कीम्स हैं और देश में नदियों की समस्या का समाधान करने वाली हैं उनको ठीक प्रकार आगे बढ़ाया नहीं । भरतपुर जिले में नदियां प्रकोप लाती हैं 6-7 साल से, यह मंत्री जानते हैं । मैं सारे स्टाफ को बताना चाहता हूं कि वहां दो नदियां हैं, वे प्रकोप लाती हैं और करोड़ों रुपए हर साल खर्च होते हैं । एक गम्भीरी नदी है । कैनाल सिस्टम से उसका केवल 30 प्रतिशत पानी राजस्थान में इस्तेमाल होता है बाकी 70 प्रतिशत पानी यू. पी. के अन्दर वेस्ट जाता है । वह 70 पर्सेंट पानी काफी नुकसान करता है । राजस्थान में हर साल करोड़ों रुपयों का बाढ़ से नुकसान होता है । भरतपुर स्टेट में जो वाटर को स्टोर करने की केपेसिटी थी, हर साल बाढ़ से गंभीरी नदी में रेत आती है उससे कम हो गई है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं सुझाव दे रहा हूं इससे राज्य सरकार को लाभ होगा ।

व्यवधान

मैं तो आपके भले के लिये सुझाव दे रहा हूं । इससे आपको लाभ होगा ।

इसके लिये मेरा निवेदन है कि आप गम्भीरी नदी पर चार बन्ध बनवायें-पाचमा दुर्गसी, रोसी और बयाना पर । इनकी चार करोड़ की स्कीमस हैं । आपने एक बान्ध की योजना ही बनायी है वह भी बीस लाख की । चार करोड़ रुपये के बदले आपने 20 लाख रुपये ही स्वीकृत किये हैं जब तक आप इन चारों जगह पर, जैसा कि मैंने बताया है, बान्ध नहीं बनायेंगे तब तक गम्भीरी नदी में जो बाढ़ आती है उससे जो नुकसान हर साल हो रहा है वह बन्द नहीं हो सकेगा । आप फिक्र मत करिये, आपको फाइनेन्स मिनिस्टर साहब पैसा दे देंगे भरतपुर को बचाने के लिये । यह जो चारों योजनायें मैंने आपको बतायी हैं आप उनको हाथ में लें तो यह पूर्वी राजस्थान का इलाका इन बाढ़ों से होने वाली क्षति से बच जायगा ।

अब थोड़ा, सभापति महोदय, मैं बाण गंगा के बारे में निवेदन करना चाहूंगा । बाणगंगा पर अगर आप डोडीयाना और पाली घाट पर बान्ध बना दें तो आपको काफी लाभ होगा । इसमें ज्यादा खर्चा आये वह बात नहीं है । अगर आप इसको बना देते हैं तो पूर्वी राजस्थान का इलाका पूरा ईरिगेटेड होने लगेगा और इससे काफी लाभ होगा । माइनर ईरिगेशन और मेजर ईरिगेशन के जो प्रोजेक्ट् मैंने आपको सुझाव के रूप में बताये हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा करायें । आप न केवल अपनी ही सरकार से इनके लिये रुपया लीजिये बल्कि आप

(श्री शिवचरण सिंह)

गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया से रुपया लाइये। इससे जो फ्लड्स से हर साल नुकसान होता है वह नुकसान बन्द हो जायेगा, और आपका इर्रिगेशन बढ़ेगा, एफीशियेंसी बढ़ेगी, और प्रोडक्शन बढ़ेगा। इसके साथ में मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो भी योजनायें इसके लिये बनायें कोऑर्डिनेशन प्लान में जरूर होनी चाहिये जिससे कि प्रोजेक्ट का पूरा फायदा उठाया जा सके, देश में समृद्धि बढ़े और जनता खुशहाल हो।

बस, धन्यवाद। अन्त में मैंने जो सुझाव दिये हैं उनके लिये मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप उनकी ओर विशेष रूप से ध्यान दें।

श्री सभापति : श्री खेतसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रघुनन्दन व्यास।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही): आदरणीय सभापति महोदय, सिंचाई विभाग की माँग पर बहस सदन में चल रही है। सिंचाई विभाग की माँग पर मैंने तीन कटौती के प्रस्ताव पेश किये हैं। मेरे दिये गये तीन कटौती के प्रस्तावों की ओर ही मैं सिंचाई विभाग के मन्त्रीजी का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, सिंचाई विभाग की माँग के लिये आज सदन में 119 करोड़ रुपये की माँग को पारित किया जा रहा है। मेरा इसके लिये, सभापति महोदय, आपके माध्यम से सिंचाई विभाग के मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि आप सिंचाई के लिए बाँध बना रहे हैं, पर उन बाँधों को बनाने के बाद मेन्टेन तो करिये, अन्यथा जो धन हम उन बान्धों को बनाने के लिये खर्च करते हैं उसका दुरुपयोग होता है। सभापति महोदय, सबसे पहले मैं मेरे क्षेत्र के जवाई बान्ध के बारे में थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, जवाई बान्ध जब बना था उस वक्त राजस्थान नहीं बना था। उस समय हमारे यहाँ पर देशी रियासतें थीं। यह बान्ध जोधपुर के महाराजा श्री उम्मेदसिंह जी और सिरोही के महाराजा श्री स्वरूपसिंह जी ने जोधपुर और सिरोही दोनों राज्यों के लिये बनाया था। सभापति महोदय, इसी जवाई बान्ध से ठीक एक मील दूरी पर शिवगन्ज नामक तहसील है वहाँ पर फ्लड आने से काफी नुकसान हुआ था। वह बाँध जब बना तो शिवगंज को पानी देने हेतु नाला बनाया पर वह नाला आज बन्द है। इससे करीब दो हजार एकड़ जमीन को पहले सिंचाई होती थी। अब वह बिलकुल बेकार पड़ी है। सभापति महोदय, जब यह बान्ध बना था तो दोनों ही स्टेट्स में समझौता हुआ था कि जिन लोगों के मकान खेत वगैरह इस बान्ध के नीचे आयेंगे, और जो नहरें निकाली जायेंगी उन में जिन लोगों की जमीन खेत, मकान, आयेंगे उन्हें इसका लाभ दिया जायेगा पर, सभापति महोदय, मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि पानी कुएं में है पर उसके पास रहने वाले बेचारे प्यासे हैं। जवाई से शिवगंज को आज दिन तक सिंचाई के लिये पानी नहीं दिया गया। इस प्रकार जो समझौता हुआ था वह भंग किया गया। खैर ! जो अन्याय हुआ सो हो गया अब सेही नदी पर प्रोजेक्ट बन रहा है, उस प्रोजेक्ट के कारण बीच में जो लोगों की जमीन करीब

(श्री रघुनन्दन व्यास)
दो हजार एकड़ है जो शिवगंज तहसील का इलाका है, जहाँ पहले सिंचाई होती थी वहाँ पर अब कुछ भी नहीं हो रहा है। उस इलाके में जो बान्ध बना हुआ है उससे सिंचाई के लिये पानी दिया जा सकता है पर ऐसी व्यवस्था वहाँ पर नहीं की गयी है। जवाई बांध से लगातार 8 मील का ऐसा एरिया बन गया है जहाँ पर अब कुछ भी खेती नहीं होती। अब वह बिलकुल ही वीरान पड़ा है। इसलिये मैं सिंचाई मन्त्री जी को निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर ध्यान दिया जाय।

सभापति महोदय, आज हमारे सिरोही और जालौर के साँचौर एरिया में पानी तो बहुत है पर उससे सिंचाई पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। इसका कारण यह है कि जिन बान्धों को बनाया गया है वे ऐसे बनाये गये हैं कि उनसे कोई फायदा नहीं हो रहा है। कोई सिंचाई जमीन की नहीं होने से वहाँ पर कुछ पैदा नहीं होता है। इसका कारण यह है, सभापति महोदय, वहां जो बान्धों का प्लानिंग हुआ है, जो सर्वे हुआ है, वह सारे का सारा रोग प्लानिंग हुआ है। इस कारण आस-पास में दस मील तक जहाँ पर गेहूं पैदा होता था, हरे भरे खेत थे, वह सब खेत बरबाद हो गये और जो वहाँ पर रहते थे वह सभी लोग बरबाद हो गये। सारे का सारा इलाका बैरन हो गया। जहाँ गेहूं पैदा होता था हजारों मन वहां अब नमक भी पैदा नहीं होता। सिंचाई विभाग की गलत योजनाओं से गलत बान्ध बनाने के कारण यह क्षेत्र पूरा बरबाद हो गया। इसके लिये मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से सिंचाई विभाग मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह माननीय इन्जीनियर महोदय कौन थे जिनकी गलत योजनाओं के कारण आज साँचोर क्षेत्र को इतना भारी नुकसान पहुंचा ? उनके खिलाफ में कार्यवाही की जाय।

इसी प्रकार, सभापति महोदय, सिरोही के पास एक अन्गौर बान्ध है जिस पर चार लाख रुपये खर्च किये गये। उसमें भी पानी नहीं आरहा है। गलत योजना के कारण वह इलाका भी बरबाद हो गया है। वैसे मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उसमें दो फीट पानी रहता है, पर वहाँ पर खेती नहीं होती है। सारे का सारा इलाका बरबाद हो गया। आप टैक्स तो सारी तरह के बेचारे काश्तकारों से लेते हैं पर बाँध की ऐसी खराब व्यवस्था है कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। इस तरह से वहाँ की जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसलिये मेरा सिंचाई विभाग के मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि सिंचाई विभाग की जो योजनायें हैं उन पर नये सिरे से विचार किया जाना चाहिये। जिससे कि जमीन को पानी मिले, सिंचाई बढ़े और किसानों को राहत मिले।

इसके साथ साथ मैं दूसरी बात यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर आपने एक पंच देवल का बाँध बनाया। उसके बनाने से जिन तीस गाँवों में पहले खेती होती थी वह तीस गाँव बरबाद हो गये। आज पाँच साल हो गये हैं, अभी तक कोई बान्ध पूरा नहीं बन सका है। सभापति महोदय, करीब दो लाख एकड़भूमि बरबाद हो गयी। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो फायदा होना चाहिये वह नहीं हो रहा है।

Page No.97

(श्री रघुनन्दन व्यास)

मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि वहाँ पर सिंचाई की योजना नये सिरे से बनायी जाय जिससे कि किसान को लाभ हो और जो बरबादी हो रही है वह समाप्त हो।

अब थोड़ा मैं पर्यटन विभाग के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। समापति महोदय, आज हम विदेशी लोगों के लिये तो पर्यटन का इन्तजाम करते हैं लेकिन हमारे यहाँ के जो भारतीय हैं वह बेचारे घूमते हैं इधर-उधर, उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं है। समापति महोदय, हमारे यहाँ पर सिरोही में आबू पर्वत है वहाँ पर बाहर से विदेशी घूमने आते हैं वहाँ तो आपने ठाठ कर दिये, लेकिन आबू के पास ही गुरु शिखर है वहां पर कोई काम नहीं किया गया है। वैसे आपने दो रुपये टैक्स प्रति व्यक्ति वहां जाने का रखा है। लाखों की आमदनी है पर गुरु शिखर पर आपने हवाई जहाज का कोई मार्ग नहीं बनाया है। आज वहाँ पर विकास के नाम पर कई कमेटियाँ बनी हुई हैं पर उसके बारे में कोई विचार नहीं हो पा रहा है। समापति महोदय, आबू पर्यटन का अति उत्तम रमणीक स्थान है। राजस्थान का हृदय स्थल है। वहाँ पर ही पास में अचलगढ़ एक बड़ा ही रमणीय स्थान है जो कि कोई जमाने में राजस्थान और गुजरात की राजधानी था। उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बड़े ही रमणीय स्थान हैं पर उनकी उपेक्षा की जा रही है इसी प्रकार जसवन्तपुरा के पास सूण्डा का इलाका है जो कि आबू जैसा ही सुन्दर स्थान है। वहाँ पर कई विद्वान हो गये हैं। भास जैसे कवि हुए हैं हमारे हेमचन्द्रजी बड़े विद्वान वहीं पर हुए थे। वहाँ पर, समापति महोदय, दो हजार साल पुराने शिलालेख हैं, पर इतने सुन्दर और रमणीय स्थानों को नेगलेक्ट किया जा रहा है। उसकी अवहेलना की जा रही है। समापति महोदय, सूण्डा पर्वत पर जोधपुर महाराजा के महल बने हुए हैं जो कि करीब 50 लाख रुपये के होंगे। वहाँ पर ठहरने का इन्तजाम भी हो सकता है पर उन इलाकों की आज तक उपेक्षा हो रही है......

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय समापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन इलाकों को सड़कों से जोड़ें, पर्यटन के लिये वहाँ व्यवस्था करें। माननीय समापति महोदय, सूण्डा और जसवन्तपुरा की उपत्यकाओं में पर्यटन स्थान बनायें। माननीय मंत्रीजी यदि चलें तो मैं उनको वह स्थान बताऊंगा। वे स्वयं ही महसूस करेंगे कि वह स्थान आकर्षक है, रमणीय है। उसको पर्यटन स्थान की दृष्टि से विकसित करना चाहिये।

आबू की पर्यटन की दृष्टि से उपेक्षा हो रही है, और पैसे की भी बरबादी की जा रही है। माननीय मंत्रीजी विचार करके आबू को पर्यटन की दृष्टि से आकर्षक, मनोहर और रमणीय बनायें। उसको बंजर न बनायें। वहाँ सारे वृक्ष कट रहे हैं। मेरे ये कटौती प्रस्ताव थे। मैंने थोड़ा समय अधिक लिया है। आपने घंटी बजायी उसके लिये धन्यवाद। मेरा यही निवेदन है कि आबू का विकास करने के लिये पर्यटन मंत्रीजी कुछ करें।

श्री समापति : श्री कौशल किशोर जैन।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान भीलवाड़ा जिले की ओर दिलाना चाहता हूं। सिंचाई विभाग और पर्यटन पर मेरे 4, 5 कटौती प्रस्ताव हैं। भीलवाड़ा जिले में मेजा डेम बना है। मेजा बांध से 21 हजार एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। इसी मेजा बांध से निकलने वाली जो नहरें हैं, जो धोरे हैं, उन सारी नहरों और धोरों से 17 हजार एकड़ भूमि के अन्दर अतिरिक्त सिंचाई सम्भव है। यद्यपि इसकी 8 करोड़ की योजना है, किन्तु मैंने सुना है कि विश्व बैंक ऋण देने के लिये भी तैयार है। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि वे मेजा से निकलने वाली जो नहरें हैं उनको पक्का करने के लिये प्रयास करें ताकि भीलवाड़ा जिले के अन्दर 17 हजार एकड़ भूमि में सिंचाई हो सके।

उसी प्रकार एक और योजना मेजा फीडर के नाम से चल रही है, उसकी अनुमानित लागत 585 लाख रुपये की आंकी गई थी। संशोधित योजना में मातृकुन्डिया के पास बनास है, वहां पर लिफ्ट बना कर 12/340 लाख घन फीट पानी मेजा में डाला जावेगा। फीडर चैनल है इस योजना के अन्दर। अगर यह योजना पूर्ण हो जाती है तो 4 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई होना संभव है। इस योजना पर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 440.75 लाख रुपया खर्च हो चुका है। 39 मील लम्बी फीडर है। 77-78 में 100 लाख का संशोधित प्रस्ताव है। 34 मील तक यह फीडर बन चुकी है। मेरा निवेदन है कि इसको उच्च स्तर पर लेकर पूरा किया जाय। विशेष गति रख कर योजना पूरी हो तो भीलवाड़ा जिले में बहुत बड़ा सिंचाई का, मंत्री महोदय, साधन पैदा हो सकता है।

लघु सिंचाई की यहां पर चर्चा की गयी। भीलवाड़ा में इस प्रकार के बड़े क्षेत्र हैं, जहां छोटे-छोटे बांध बने हैं, उन अधूरे बांधों को पूरा किया जाय। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कान्या खेड़ी बांध से दो हजार बीघा भूमि में सिंचाई हो सकती है। 6 लाख रुपया खर्च करके केवल उसकी कुछ ऊंचाई बढ़ा कर उससे 2 हजार बीघा की सिंचाई की जा सकती है।

इसी प्रकार से उजियाणा का बांध है। पांच सौ बीघा भूमि की उससे सिंचाई होगी। आप उस पर विचार करें। बड़े उजाणा के पास सागर है। 9 लाख रुपया लगा कर 500 बीघा भूमि में सिंचाई की जा सकती है। इसी प्रकार दरदिया, झोंपड़िया, पातेड़ी आदि छोटे-छोटे बांध हैं उनको बना कर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई की जा सकती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक गवारड़ी बांध बना है। उसको 9 साल हो गये लेकिन उसके पेटे के अन्दर जितने किसानों की जमीन आयी है उनको मुआवजा नहीं मिला है। यह बड़ी समस्या है। छोटे-छोटे या बड़े-बड़े बांध बनाते हैं उस समय उनके पेटे में जितने काश्तकारों की जमीन आती है, उनको जमीन के बदले जमीन, या उसका अतिरिक्त मुआवजा मिलना चाहिये जिससे वे लोग दूसरी जगह आबाद हो सकें।

(श्री कौशल किशोर जैन)

पर्यटन की दृष्टि से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उदयपुर डिविजन में रणकपुर एक दर्शनीय स्थान है। कुछ समय पूर्व केन्द्रीय सरकार ने उसको पर्यटन स्थान के लिये चुना है। वह उदयपुर से 56 मील दूर है। वह स्थान मैंने देखा है, और कई माननीय सदस्यों ने उसको देखा होगा उस मंदिर पर 39 करोड़ रुपये 400 वर्ष पूर्व लगे थे। वह एक बहुत ही दर्शनीय स्थान है परन्तु वहाँ पर पर्यटकों को ठहराने और उनके भोजन आदि की व्यवस्था नहीं है। रणकपुर स्थान को अधिक से अधिक लोग देखें और विदेशी अतिथियों के लिये वहाँ पर ठहरने की और भोजन की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। इसी से लगता हुआ क्षेत्र है कुम्भलगढ़। कुम्भलगढ़ और रणकपुर को जोड़ा जाय तो उसकी दूरी और भी कम हो जावेगी।

हल्दीघाटी का क्षेत्र है। पर्यटक चित्तौड़ देखने जाते हैं तो हल्दीघाटी को देखने जरूर जाते हैं। उसकी अभी 400वीं शताब्दी मनायी गयी। चित्तौड़ किले में बहुत विकास की गुन्जाइश है। वहां पर महाराणा प्रताप की मूर्ति लगायी जाय। किले में ऐसी व्यवस्था की जाय कि लोग वहां जाकर ठहर सकें। इस दृष्टि से, सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि हल्दीघाटी, रणकपुर, कुम्भलगढ़ और चित्तौड़ इन ऐतिहासिक और रमणीक स्थानों को देखने के लिये देश और विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने योग्य कार्य किये जायं और उनके ठहरने की व्यवस्था की जाय।

श्री सभापति : श्री सूरजपालसिंह।

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) : सभापति महोदय, भीनमाल क्षेत्र में बाँध एवं नहरों के निर्माण की आवश्यकता पर मैंने कटौती प्रस्ताव दिया है।

सभापति महोदय, मैं भीनमाल क्षेत्र की स्थिति के बारे में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में 5 नदियाँ हैं, बाड़ी, सूगड़ी, खाटी, जवाई एवं लूनी। घूम्बड़िया से लेगर आगे रण के कच्छ तक सांचोर तक का पूरा एरिया फिर्टाइल था, लेकिन इन नदियों के बहने से, इनके पानी की रोक-थाम नहीं होने से, सही ढंग से बांध नहीं बनाने से जमीन का कटाव हो चुका है। डी. पी. ए. पी. और फेमिन कार्य में जो बाँध बनाये उनमें एक बमल बाँध बना। 12.13 लाख रुपया उस पर खर्च किया। बाटेरा बाँध पर चार-पाँच लाख खर्च किये। वे सारे बाँध रोंग प्लानिंग से बनाये जाने के कारण टूट गये। वे अधूरे पड़े हैं सिंचाई विभाग वाले अब भी निर्माण की ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं। विभाग के अधिकारी अपने कार्यालय में बैठे रह कर बगैर कम्पलीट सर्वे करके यह कार्य कर पाये। इसी कारण ये सारे के सारे बाँध टूट गये।

अब मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि यह काफी पोटेन्शियल एरिया है लेकिन यहां पर भूमि-कटाव की समस्या पैदा हो रही है। पहले बमल बांध, मोमल बांध कम्पलीट हुआ तो दो-तीन हजार बीघा जमीन सुधरी। बमल से लेकर मोरसीम तक कुछ जमीन सुधरी थी। लोगों को इतना लाभ हुआ जिसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। मैं निवेदन करूंगा कि घुम्बड़िया से लेकर गाधव

(श्री सूरजपालसिंह)

तक कम्पलीट सर्वे करवा कर जो बांध टूटे पड़े हैं उनका पुर्ननिर्माण किया जाय। यह उत्पादन की दृष्टि से बढ़िया एरिया है और अच्छी पैदावार दे सकता है। भविष्य में बांध निर्माण से पहले कम्पलीट सर्वेक्षण करके ही निर्माण कार्य शुरू किया जाय। बड़गांव की कैनाल की भारी रांग डिजाइनिंग करने की वजह से पानी का डाइवर्शन दूसरी तरफ हो गया। इससे गांवों को बड़ा भारी नुकसान हुआ। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप इस तरफ विशेष ध्यान दें और इस क्षेत्र का पूरा सर्वे कराके जो पोटेन्शियल एरिया है उसकी तरफ विशेष ध्यान दें, अन्यथा आज एक लाख एकड़ भूमि खराब हुई है, यह समस्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। आज से चार साल पहले 30-40 हजार बीघा जमीन खराब हुई थी और अब एक लाख बीघा जमीन खराब हो चुकी है। हमारे यहां चार-पांच नदियां बहती हैं फलस्वरूप भूमि-कटाव बढ़ता जा रहा है। आज स्थिति यह हो रही है कि उपजाऊ भूमि डेजर्ट बनती जा रही है। कहीं ऐसा न हो, यह इलाका पूरा का पूरा डेजर्ट बन जाय..

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह क्षेत्र जबरदस्त उत्पादन देता था। गंगानगर से किसी हालत में यह कम नहीं है। अगर आप कम्पलीट सर्वे करा कर बांधों का निर्माण करायें और जो अधूरे पड़े हैं उनको पूरा करायें तो उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही अच्छी योजना होगी।

श्री **सभापति** : श्री माधोसिंह।

श्री **माधोसिंह** (रेवदर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से पहले तो यह निवेदन करूंगा जैसा कि माननीय श्री शिवचरण सिंह जी ने कहा था कि पूर्वी जिलों का कभी कोई सिंचाई मंत्री नहीं रहा इसके विपरीत मैं ध्यान दिलाता हूं कि जोधपुर, सांचोर और जालौर जिलों से कभी कोई इरिगेशन मिनिस्टर नहीं रहा है और जालौर और सिरोही का तो मंत्रिमण्डल में आज तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं रहा....

श्री **शीशराम ओला** : कई रहे हैं। नाथूराम जी रहे हैं।

श्री **मथुरादास माथुर** : मैं भी रहा हूं।

श्री **माधोसिंह** : उन्होंने सिरोही जिले की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृषि के मामले में राजस्थान के आधार स्तम्भ हैं, तीनों विभाग उत्पादन से संबंध हैं कृषि विभाग, सिंचाई विभाग और बिजली विभाग–यह तीनों ही विभाग आपके पास हैं। मुझे यह पूरी आशा है कि चाहे आप अलवर के हैं लेकिन आप उत्पादन का प्रकाश सब जगह पूरे राजस्थान में फैलायेंगे।

मेरा निवेदन सिरोही जिले के बारे में है। सिरोही जिला सिंचाई की दृष्टि से बहुत पोटेन्शियल एरिया है। वहां माउन्ट आबू है, अरावली की श्रेणियां हैं। वहां छोटे-छोटे माइनर बांध बनाये जायें तो जमीन हरी-भरी हो सकती है और काफी उत्पादन दे सकती है। मैं आपकी सूचना के लिए कहता हूं कि वहां के कुओं से 40 प्रतिशत सिंचाई होती है और 60 प्रतिशत जमीन में खरीफ की फसल होती है। अगर आप सिंचाई की योजनायें वहां लागू करेंगे तो मुझे आशा है कि वहां के गरीब लोगों को फायदा पहुंचेगा।

(श्री माधोसिंह)

आप की यह सूची मैंने देखी । जो आपने योजनायें 1977-78 के लिए बनाई हैं उसमें नयी मध्यम योजनाएं हैं उनमें हमारे सिरोही जिले का तो कहीं नाम ही नहीं है । मैं उम्मीद करूंगा कि लघु सिचाई के लिए जो 216 करोड़ रुपया रखा है उसमें से आप हमारे सिरोही जिले के लिए भी प्रावधान करेंगे । इस पुस्तिका के अन्दर लघु सिचाई योजनाओं के अन्दर आपने दर्शाया है कि 10 लघु सिचाई कार्य पूर्ण होने का अनुमान है मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इन लघु सिचाई कार्यों में से आप एक या दो सिरोही जिले को भी दें क्योंकि सिरोही एक पोटेंशियल एरिया है ।

दूसरे, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी जो मध्यम सिचाई योजनायें हैं उनका सर्वे प्रगति पर है, ऐसा दर्शाया है । लेकिन आपकी जानकारी के लिये मैं कहता हूं कि जिसका सर्वे कर दिया गया, जो लिस्ट है उसमें सूकली डैम है, वह मेरे विधान सभाई क्षेत्र के अन्दर पड़ता है । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उसका सर्वे 15 साल पहले से चल रहा है । पहले सर्वे करा कर पंचायत समिति, रेवदर की मीटिंग में संबंधित एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने यह घोषणा की थी कि वह योजना 36 लाख में बन कर तैयार होगी । मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जिस तरीके से बनास के ऊपर बनास डैम है उसी तरीके से माउन्ट आबू के पश्चिम में यह सूकली डैम तैयार हो सकता है । फिर इसका री-सर्वे हुआ और यह योजना घटाकर 29 लाख की कर दी गयी । अब आप देखिये कि जिस योजना से 40 हजार बीघा जमीन की सिंचाई होती मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है कि उस योजना को क्यों सिचाई विभाग और भी घटा कर 15 लाख तक ले आया है । उस योजना का जिस तरह से पहले सर्वे हुआ था यदि उसी तरह से उसके ऊपर काम चलता तो 40 हजार बीघा में सिचाई होती । रेवदर विधान सभाई क्षेत्र का दो-तिहाई क्षेत्र उसमें आ जाता है । इसलिए मेरा आपको अनुरोध है कि आप उस सूकली डैम के लिए कुछ फर्मायें और उसको मध्यम सिचाई योजनाओं में स्थान दें ।

दूसरा मेरा निवेदन अधूरे कार्यों के बारे में है । आपको सबसे पहले प्राथमिकता अधूरे कार्यों को देनी चाहिए । एक छोटा सा बांध पांचदेवल का है जो कि रेवदर पंचायत समिति क्षेत्र में आता है । उसके ऊपर 1 लाख 25 हजार रुपया खर्च हो गया है । वह करीब 8 साल, जब से क्रैश प्रोग्राम बन्द हुए है तब से पड़ा है । पहले फेमिन में काम हुआ था तब 75 हजार रुपये उसके लिए खर्च किये गये थे । उसके बाद क्रैश प्रोग्राम में वापस 50 हजार का काम हुआ और फिर बन्द हो गया । और बाद में वहां नदी चलती रहेगी, उससे जमीन का कटाव होता रहेगा और जो पैसा लगा है वह बरबाद हो जायेगा । इसलिए मेरा अनुरोध है कि वह जो अधूरा कार्य है उसको आप प्राथमिकता दें ।

दूसरा मेरा निवेदन है कि गिरवर डैम है जो कि बनकर तैयार है । पानी उसमें पूरी तरह से लबा-लब भरा हुआ है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट में समाप्त करता हूं ।

पानी उस डैम में पूरी तरह से भरा हुआ है लेकिन उससे सिचाई नहीं हो रही है, क्योंकि उसकी नहरें तैयार नहीं हो रही हैं । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि दो साल में

(श्री माधोसिंह)
कितना उत्पादन बढ़ता अगर नहरें तैयार होतीं, तो बांध बन गया है और नहरें तैयार नहीं हुई तो सारी जमीन बिना पानी के बेकार पड़ी हुई है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि नहरें जल्दी तैयार कराके वहां की भूमि को सिंचित किया जाये जिससे उत्पादन में वृद्धि हो।

मेरा आपसे यह भी अनुरोध है कि एक बड़ंची डैम है जो कि अच्छा उत्पादन दे सकता था। वहां कार्य शुरू करने की स्वीकृति भी हो गई थी लेकिन पता नहीं क्या बात हुई कि ईरिगेशन विभाग की तरफ से वहां ए. ई. एन. ने पधारकर चार आदमियों के दस्तखत करा लिये और बता दिया कि वहां के लोग तो यह बांध नहीं बनवाना चाहते हैं जब कि उसकी स्वीकृति हो चुकी थी और वहां के लोग तैयार हैं।

श्री सम्पतराम : कौन सा डैम है ?

श्री माधोसिंह : बड़ंची।

दूसरा मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे एरिया में तीन छोटे-छोटे डैम हैं बूखी, टोकरा और पोसीतरा। सब से मिलाकर करीब 5, 5½ हजार बीघा जमीन की सिंचाई होती है। मेरा निवेदन है कि जो कमाण्ड एरिया है उसके तहत 12 हजार बीघा जमीन है, लेकिन वहां इसलिए सिंचित नहीं होती है क्योंकि उसकी नहरें तैयार नहीं हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह नहरें पूरी सीमेन्टेड नहीं होंगी तो मैं यह समझता हूं कि पानी बेकार जाता रहेगा। जितना पानी 12 हजार बीघा जमीन नहीं पीती उतना पानी केवल 5½ हजार बीघा जमीन ही पीती है। इसलिए वहां की नहरें तैयार कराई जायं।

दूसरा मेरा लिफ्ट योजना के लिए सुझाव है। हमारे यहां पर नदियां हैं वह 12 माह बहती हैं। अगर आपके विभाग के द्वारा डीजल सैट के द्वारा या बिजली की आर. एस. ई. बी. की स्कीम है उसके द्वारा आप लिफ्ट योजना के ऊपर ध्यान दें और रेवदर क्षेत्र में लागू करें तो छोटे-छोटे सर्किल के अन्दर काफी जमीन की सिंचाई हो सकती है।

मेरा आपसे एक और अनुरोध है कि करोड़ी ध्वज और उडवारीया बांध में दो तीन लाख रुपया यदि खर्च करें तो वह पूरे हो सकते हैं। हमारी सरकार की ओर से नर्बदा योजना दूसरे प्रान्तों के सहयोग में बनाई जा रही थी, वह पता नहीं कैसे खटाई में पड़ी है। मैं चाहूंगा इस बारे में आपको कोई जानकारी हो तो आप फर्मायें।

इसके साथ ही मैं आपसे एक निवेदन और करूंगा कि

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह जो सिंचाई की योजनायें हैं इनके ऊपर आप ध्यान दें।

श्री सभापति : श्री परसराम मदेरणा।
(अनुपस्थित)

माननीय श्री मथुरादास माथुर।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : सभापतिजी, मेरे दो कट मोशन्स पर्यटन विभाग के सिलसिले में हैं और एक सिंचाई विभाग के सिलसिले में है। पहले पर्यटन विभाग के सिलसिले में कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

(श्री मथुरादास माथुर)

हमारे देश में, ग्राप भी इससे सहमत होंगे, टूरिज्म एक सबसे बड़ी इण्डस्ट्री है। हो सकता है कि जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका सबसे ग्रधिक रिटर्न यह दे सकती है। राजस्थान में, श्रीमान, सन् 55 से 75 तक यानी 20-22 साल में 1 करोड़ 11 लाख रुपया इस विभाग पर खर्च किया गया। इस इन्वेस्टमेंट से हमने क्या कमाया ? चाहे वह फारेन एक्सचेन्ज में हो, चाहे एम्पलायमेंट में हो, चाहे उद्योगों की तरक्की में हो, बहुत बड़ा लाभ राजस्थान को हुग्रा है। मगर इससे भी ज्यादा लाभ होने की गुन्जाइश है। 1 करोड़ 11 लाख के इन्वेस्टमेंट से 22 सालों में 24 करोड़ रुपये का फारेन एक्सचेन्ज सारे राजस्थान ने कमाकर भारत सरकार को दिया है ग्रौर 48 करोड़ रुपया हम लोगों ने लोकल टूरिस्ट्स से कमा कर के ग्रपनी ग्रर्थ-व्यवस्था में डाला है। श्रीमान्, राजस्थान के ग्रन्दर 90 लाख रुपया खर्च करके 11 जिलों में टूरिस्ट बंगले बनाये हैं। इस इन्वेस्टमेंट का 10 पर्सेन्ट सेल्स टैक्स ग्रौर डाइरेक्ट टैक्सेज के द्वारा सरकार को मिला है। क्या ग्राप मुझे कोई ऐसी इण्डस्ट्री बता सकते हैं जिससे कि इतने इन्वेस्टमेंट से इतना पैसा मिले ? फिर भी इस विभाग की ग्रोर बहुत कम ध्यान दिया गया है। पहली योजना में कोई रकम इसमें खर्च नहीं की गई। सन् 55 से इस पर चिन्तन करना शुरू हुग्रा। उसके बाद इसको डिप्टी सैक्रेटरी जी०ए०डी० के साथ लगा दिया। कभी भी इसको इन्डिपेंडेंट हैड ग्राफ दी डिपार्टमेंट नहीं दिया। मैं तो कहता हूं कि जितना महत्व दिया जाना चाहिये उतना नहीं दिया जा रहा है। ग्रापने होटल कार्पोरेशन को खतम कर दिया मुझे कोई गिला नहीं लेकिन ग्राप टूरिस्ट कार्पोरेशन क्यों नहीं कायम करते जब कि राज्यपाल के ग्रभिभाषण में भी इसका जिक्र किया गया है ? पहले वाले राज्यपाल, जोगेन्द्र सिंह जी के ग्रभिभाषण में इसका जिक्र किया गया है। यह ग्राज तक क्यों नहीं बना ? ग्राप कहेंगे, हमारे पास प्लान में पैसा कम है। पानी का बोर्ड तो ग्राप बनाने की सोचते हैं, टूरिस्ट कार्पोरेशन बनाकर क्यों नहीं काम चलाते ? भारत सरकार ने कहा है कि प्रांत इंटरनल एयर सर्विस कायम करें लेकिन वह ग्रभी भी कायम नहीं हो सकी है। श्रीमान्, जैसा माननीय सदस्यों ने रणकपुर का जिक्र किया, ग्राबू का जिक्र किया, बाड़मेर में भीनमाल का जिक्र किया—जब तक इनफ्रास्ट्रक्चर डवलप नहीं होगा टूरिस्ट्स कैसे ग्रायेंगे ? वैसे टूरिज्म डवलप हुग्रा है। 6 लाख विदेशी टूरिस्ट इस साल ग्राये हैं, तीन लाख इन्डियन टूरिस्ट्स ग्राये हैं। उनका प्रान्त में मूवमेंट कैसे हो ? यह टूरिस्ट कार्पोरेशन एक सब्सिडियरी कम्पनी बने। होटल कार्पोरेशन इस टूरिस्ट कार्पोरेशन की मेन कम्पनी बने। उसमें प्राइवेट सैक्टर के लोगों को लिया जाय। 51 पर्सेंट गवर्नमेंट के शेयर्स हों ग्रौर 49 पर्सेंट प्राइवेट सैक्टर के हों। इस विभाग के लिये, मुझे माफ करेंगे, न कांग्रेस सरकार ने तवज्जोह दी, न जनता सरकार दे रही है। श्रीमान्, ग्रापसे निवेदन करूंगा कि इस विभाग की मौजूदा मिनिस्टर, हालांकि बड़ी काबिल हैं, मैं उनकी काबलियत को चैलेन्ज नहीं कर रहा हूं, मैडम, इसको मिसग्रन्डरस्टैण्ड मत करना, मुख्य मंत्री के ग्रलावा इसका कोई मिनिस्टर होना नहीं चाहिये। इसकी वजह है कि इस डिपार्टमेंट के ग्रन्दर इतने डिपार्टमेंट्स हैं। Archaelogical Department for maintenance of monuments. जो ग्रब खतम हो गया है ग्रौर स्टेट होटल कार्पोरेशन

(श्री मथुरादास माथुर)

वापस जी. ए. डी. में मिला दिया गया। Forest Department for providing accommodation in game sanctuaries at Sirisika Bharatpur etc. उनके मेन्टेनेन्स का काम फारेस्ट डिपार्टमेंट करता है। राजस्थान रोडवेज कॉर्पोरेशन, जो कि ट्रांसपोर्ट फैसेलिटीज देना है, यू०आई० टी. म्युनिसिपैलिटी जो कि शहर की सफाई देखती है, पी. डब्ल्यू. डी. जो कि सड़कें बनाता है, राजस्थान स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज जो हैण्डीक्राफ्टस देता है। इतने डिपार्टमेंट्स को कोग्रोडिनेट करना स्टेट मिनिस्टर के बस की बात नहीं है। सब डिपार्टमेंट्स को कोग्रोडिनेट चीफ मिनिस्टर कर सकता है।

श्री **श्योपत सिंह मकासर** : उनकी योग्यता को चैलेन्ज न करें।

श्री **मथुरादास माथुर** : मैंने पहले ही कह दिया, आप देर से आये।

श्री **सभापति** : बोलने दीजिये।

श्री **मथुरादास माथुर** : मुझे यह कह दें अगर भैरोंसिंहजी कि यह पोर्टफोलियो लो, अव्वल तो मुझे मिनिस्ट्री में आना नहीं है, और अगर लें भी तो मैं यह कहूंगा कि यह पोर्टफोलियो मुझे मत दो, आप लें। इन डिपार्टमेंट को कोग्रोडिनेट करके चलने की सिफ्त मुख्य मंत्री में हो सकती है। श्रीमान्, इन्टरनेशनल टूरिस्ट आर्गेनाइजेशन्स कान्फ्रेन्स दिल्ली में हुई। उसने राजस्थान को टूरिस्ट्स के लिये सर्वोत्तम समझा। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं। मैं इसको पढ़ कर सुनाने में आपका टाइम लेना नहीं चाहता लेकिन इसमें जिक्र है, टूरिस्ट्स के लिये राजस्थान के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण यह है कि राजस्थान में वाइल्ड लाइफ है। राजस्थान में फोरेस्ट हैं, पैलेसेज हैं, टेम्पल्स हैं, सेण्ड ड्यून्स हैं, और सब से बड़ी चीज राजस्थान में कलर्ड फाउन्टेन्स है, जो बिजली से कलर्ड नहीं होते हैं, डीग में नेचरल कलर्ड फाउन्टेन्स हैं, जो दुनिया में कहीं नहीं हैं। इस तरह की चीजें हमारे राजस्थान में हैं। सिर्फ बर्फ के पहाड़ नहीं हैं। इसलिये राजस्थान दुनिया का सबसे टोप टूरिस्ट्स सैन्टर बन सकता है। टूरिस्ट्स कार्पोरेशन बनाया जाये उसके अलावा स्काई एयरवेज की कम्पनी खड़ी की जाय, और जो इस तरह के अन्य साधन हैं, उनको खड़ा किया जाय। इसके लिये राजस्थान सरकार को इनफ्रा-स्ट्रक्चर देना पड़ेगा। अगर यह नहीं किया तो भारत सरकार प्लान में एक पैसा भी नहीं खर्चेगी।

मेरा दूसरा कट मोशन यह है कि जैसलमेर दुनिया का सबसे बड़ा कस्बा है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तानी इलाका है, उसको टूरिस्ट केन्द्र घोषित करना चाहिये। मगर उस तरफ आपकी नजर नहीं गई, हैल्थ रिसार्ट्स के लिये काटेजेज के लिये रेगिस्तान की दृष्टि से दुनिया का सबसे बढ़िया कस्बा है, उस पर आपकी नजर होनी चाहिये। You must be able to sell it in international market. मगर यह काम करते नहीं। जैसलमेर में सैन्ड ड्यून्स हैं। उन सैन्ड ड्यून्स में स्पोर्टस डवलप किये जा सकते हैं। क्या-क्या चीज जैसलमेर में नही हो सकती हैं? वह एक ऐसा आकर्षक केन्द्र बन सकता है कि टूरिस्ट्स महीनों रहें। एक फोरिन फेमिली आती है तो वह 200-400 रुपये वहां खर्च करके जाती है। अगर एक लोकल आदमी भी आता है तो वहां 20-25 रुपये खर्च करके

(श्री मथुरादास माथुर)

जाता है । आप जितना उसके डवलपमेंट में खर्च करेंगे उससे ज्यादा आपको उस जगह से आमदनी हो जायगी । इसलिये मेरा निवेदन है कि इस डिपार्टमेंट को मुख्य मंत्रीजी लें ।

दूसरा मेरा निवेदन है कि टूरिस्ट डवलपमेंट कार्पोरेशन कायम किया जाय । यदि होटल कार्पोरेशन काम करे तो टूरिस्ट कम्पनी बने और वही उस जगह पर काम करे । ट्रान्सपोर्ट के लिये चाहे आप केमिल का यूज करें, चाहे एयर कन्डीशन्ड कारों को प्रयोग करें और चाहे किसी और ट्रान्सपोर्ट के साधन का इस्तेमाल करें लेकिन इनफ्रास्ट्रक्चर कायम किया जाय । राजस्थान का यह टूरिज्म केन्द्र यदि डवलप किया जाय तो मैं कहता हूं राजस्थान के हर फैशनेबल के लिये वहां जाना एक बहुत बड़ा जश्न होगा। राजस्थान में शादी होती है तो लाखों रुपया खर्च किया जाता है इसकी फिल्म बनायें तो टूरिस्टों के लिये वह एक आकर्षण का माध्यम बन सकता है। आज इन फिल्मों को फैस्टिवल के रूप में सेन फ्रान्सिसको, टोकियो, लन्दन, वैस्ट बर्लिन आदि स्थानों में प्रदर्शित किया जाता है, तो यदि आप एक रुपया इस पर खर्च करें तो हजार रुपया कमाने की यह योजना आपकी क्षमता रखती है । इसलिये निवेदन है कि राज्य सरकार इसको सैकण्डरी न समझें । इसमें हर आदमी को लाकर बैठा देना उचित नहीं है । इसमें काबिल आदमी को बैठायें । इस समय जो हैं उनमें कुछ काबलियत नजर आ रही है ।

श्रीमान, मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव है इर्रिगेशन की मांग पर मैं उस पर पांच मिनट बोलूंगा । मेरा एक ही कट मोशन है ।

सबसे पहले तो ईर्रिगेशन डिपार्टमेंट के पब्लिक रिलेशन आफिसर को और अदर आफिसर्स को मुबारकबाद देता हूं, जो रिपोर्ट आई है वह खूबसूरत छपी हुई है, जिसको हम आसानी से पढ़ और समझ सकते हैं । दूसरी बात जो कट मोशन के सम्बन्ध में कह रहा हूं वह बहुत सिम्पल है। राजस्थान नहर के सैकिण्ड फेज की शुरूआत हुई है । उसके बारे में मेरा कट मोशन है। और उसके जरिये मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि पांच लिफ्ट इर्रिगेशन योजनायें बनाई जायं । इस सरकार के आने के पहले जो पहले सरकार थी उसने विचार किया था कि 60 फीट की ऊंचाई तक पानी को लिफ्ट करके जो एरिया कमान्ड में आता है उसको कमाण्ड एरिया में लिया जायगा । अब श्रीमान, इस प्रस्ताव पर मौजूदा सरकार कायम है या नहीं, वह मैं नहीं कह सकता । यहां पर मुख्य मंत्री ने कहा था हम इस पर चिन्तन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं और विचार कर रहे हैं और जरूरत पड़ी तो आपकी सलाह लेंगे । वे अगर कोई हमारी सलाह लेंगे तो हम देंगे, उसके लिये धन्यवाद । मेरा निवेदन है कि चूरू, नागौर, फलौदी, पोकरण और बाड़मेर इन पांचों जगह लिफ्ट इर्रिगेशन होना चाहिये । इसमें 250 हैक्टेयर जमीन आयेगी । इसको लिफ्ट करके 60 फीट तक लिफ्ट करने का सरकार का प्रस्ताव था । मैं पूछना चाहता हूं क्या आज आपने उसका चिन्तन कर लिया, मनन कर लिया ? अगर कर लिया है तो हमको बतायें कि 60 फीट लिफ्ट करेंगे या कितना करेंगे ? एग्रीकल्चर कमीशन की रिपोर्ट है उसके आधार पर 60 से लगाकर 50 फीट तक लिफ्ट करने की योजना भेजी है । मैं समझता हूं, आपने इस पर चिन्तन कर लिया होगा । इस फैसले के वक्त आप यही न देखें कि रिटर्न क्या है । वैसे वह भी देखना चाहिये क्योंकि इससे

(श्री मथुरादास माथुर)

सोशियो-इकोनोमिक प्रोब्लम क्रियेट होगी। इस लिफ्ट कैनाल के पानी से खेती करेंगे, इसका पैटर्न डिफरैन्ट किस्म का होगा। इसलिये यह नहीं हो कि लिफ्ट कैनाल से पानी लेकर कमायें और हम लोग सब्सिडाइज करें। आज यह हो रहा है। जो मुख्य मंत्री जी ने आंकड़े दिये हैं उनसे यह साफ मालूम पड़ता है कि आज जो मेन्टीनेंन्स भाखरा का है, उसको कार्माशियल रूप दिया है। आज चम्बल घाटे में चल रहा है और यह सारा घाटा पब्लिक एक्सचैकर पूरा कर रहा है। चाहे चम्बल हो, चाहे भाखरा हो, गंग कैनाल को आप छोड़ दीजिये, इन प्रोजेक्ट्स में जो पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर होगा वह डिफरैन्ट होगा। वह कीमती चीजें पैदा करें, यह दूसरी बात है। उन एरियाज का सर्वे हो चुका है। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट ने सर्वे की बड़ी भारी रिपोर्ट दी है। उसमें चूरू का डैजर्ट एरिया है जहां पांच साल में तीन साल अकाल पड़ता है, और नागौर के रहने वाले हर तीसरी साल अकाल का सामना करते हैं। बाहर जाने के लिये वे अपने बिस्तर-बोरी बान्धे रहते हैं, सब सामान अपना समेटे रहते हैं। सारा सामान लेकर डिस्ट्रिक्ट कोटा में आते हैं और कुछ मालवा में चले जाते हैं। इतने साल हो गये आजादी को और फिर भी किसी आदमी को: . .

(व्यवधान)

हम भी दोषी हैं। बड़ी कोशिश की थी हमने इस समस्या का समाधान करने की लेकिन नहीं कर सके। अब आपका वक्त आया है तो इसको रोकें। अगर यह प्रोजेक्ट पूरा हो जायगा तो वहीं पानी मिल जायगा और सब कुछ मिल जायगा। तो मेरा निवेदन है जो सोशियो-इकोनोमिक पहलू हैं, उनको भी ध्यान में रखें। इसके होने के बाद फेमिन खतम हो जायगा, पीने के पानी की समस्या हल हो जायगी, मवेशियों के लिये चारा हो जायगा। इतना मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे हिन्दुस्तान की नीति, श्रीमन्, Nuclear explosion peace की है। जनता पार्टी ने भी इस नीति को दोहराया है। आपने पोकरण में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया। सोवियत रूस में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ तो उससे वहां एक बहुत बड़ी लेक बन गई। आपने भी पोकरण में किया है। ऐसे एक-दो एक्सप्लोजन कमीशन के चेयरमेन से बात करके और करा लें Explosion for peace and explosion for service to huminity की हमारी पोलिसी है। एक दो एक्सप्लोजन और करवा लें डेजर्ट एरिया में जिससे यहां भी लेक बन जाय और पानी की समस्या हल हो जाय। जो पानी पाकिस्तान जाता है वह नहीं जाय और वहां ही रुक जाय, तो उससे हमारे यहां काफी आबपाशी भी होगी। तो मैं समझता हूं सरकार ने चिन्तन कर लिया होगा। चिन्तन करने के बाद इस प्रोजैक्ट को आप राजस्थान कैनाल के सैकिण्ड फेज में डाल दें। मैं जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य को बताता हूं कि जो सैकिन्ड फेज में कैनाल रामगढ़ तक जाती है उसका काम रुक जायगा। श्रीमन्, आप मानेंगे यह सैकिन्ड फेज है यह बहुत डिफिकल्ट है। बड़े सैन्ड ड्यून्स वहां हैं। सरकार छोटी कैनाल खोदे सैकिन्ड फेज में इसमें सरकार को बड़ा जोर आयेगा। आपने वन-टैन्थ एरिया का सर्वे किया है। फर्स्ट फेज में एक एकड़ जमीन को डवलप करने के लियें 2 हजार के खर्च का अनुमान सन् 1958 में था आज तो यह वैसे ही

(**श्री मथुरादास माथुर**)

दुगना हो गया यानी एक एकड़ जमीन के लिये आज चार हजार रुपये की राशि खर्च होगी। इस सैकिन्ड फेज में जो एरिया आयेगा उसमें सैन्ड ड्यून्स की भरमार है। मीलों लम्बे मिट्टी के धोरे ही धोरे हैं। तो मैं समझता हूं एक एकड़ जमीन को डवलप करने के लिये आज की तारीख में 10-15 हजार रुपये चाहिये। इसका मतलब है कि एक एकड़ नहर के लिये करीब 15 हजार की राशि लगेगी तो यह सैकिन्ड फेज सरकार को पूरा करना और भी मुश्किल है। उस एरिया में आबपाशी होगी वहां धोरों से बचा कर नेचरल वे में हो जाएगी। बाकी पानी है वह लिफ्ट के जरियें से दिया जावे। वह डवलप्ड एरिया है, जमीन समतल है, जमीन आबाद है, मंडियां हैं उस एरिया में लिफ्ट इरिगेशन करने से वह एरिया अपने आप डवलप हो जाएगा।

एक सुझाव और देता हूं क्योंकि हमारे सोशलिस्टिक आइड्योलाजी के मिनिस्टर बैठे हुए हैं, केदारजी...

श्री रतनलाल वर्मा : अब तो जनता पार्टी के हैं।

श्री मथुरादास माथुर : सोशलिस्ट घटक के हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : बोलने दीजिए।

श्री मथुरादास माथुर : अच्छा छोड़ो घटक की बात को।

श्री एच.एन. शर्मा (बेंगू) : ऐसी-ऐसी बातें बोलने के लिए ही इनको इतना टाइम दिया जा रहा है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : समाजवादी विचारधारा के मंत्री कह दीजिए।

श्री मथुरादास माथुर : जनता पार्टी में होते हुए भी समाजवादी विचारधारा के मंत्री हैं और समाजवादी विचार रखते हैं इसलिए कह रहा हूं। आप राजस्थान कैनाल का कोलोनाइजेशन कर रहे हैं, यानी राजस्थान कैनाल में कोआपरेटिव मार्केट बने, कोआपरेटिव सोसायटीज बनें, इस बारे में सोचें। इस संविधान में भी अब सोशलिस्ट वर्ड डाल दिया गया है। आप जिस नये समाज का निर्माण करना चाहते हैं उसका प्रयोग, उसका एक्सपेरीमेंट राजस्थान कैनाल के कमाण्ड एरिया में कर सकते हैं। यहां पर सोसायटीज हों, कोआपरेटिव मार्केट हों, पब्लिक मार्केट हो, कोआपरेटिव सोसायटीज हों। इण्डिविजुअल लोगों को सुविधायें देते देते बड़े बड़े लोगों के कुलक पैदा नहीं कर दें, यह मुझे डर है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि इसका स्ट्रक्चर इस तरह का हो, प्लानिंग ऐसा हो। इंजीनियर्स और टैक्निशियन्स तो खड्डा खोद देंगे लेकिन प्लानिंग कौन करेगा? इसलिए मैं आपको सुझाव देता हूं कि एक कमेटी इकानामिस्ट्स की बनाइये जो इसका प्लानिंग करे कि इस कमाण्ड एरिया में किस तरह से कोलोनाइजेशन हो, किस तरह से मार्केट बने, किस तरह से पब्लिक सोसायटीज बनें, कैसे लोगों को बसायें। अगर यहां पर आप सोशलिस्टिक पेटर्न पर कोलोनाइजेशन कर सकते हैं तो यह दुनिया के सामने एक नमूना होगा। आप दुनियां के सामने मिसाल पेश कर सकते हैं कि हिन्दुस्तान समाजवाद में विश्वास रखता है। इस बात को करने के लिए मैं समझता हूं कि आप एक कमेटी बनाइये अच्छे टॉप लेवल इकानामिस्ट्स की जो इस चीज को ध्यान में रखे कि चाहे कमाण्ड

(श्री मथुरादास माथुर)

एरिया हो, चाहे वह राजस्थान कैनाल का एरिया हो, या लिफ्ट इरिगेशन का एरिया हो, उन जगहों पर किस तरह से बस्तियां बसेंगी किस तरह का उनका डवलपमेंट होगा, कैसी सोसायटीज होंगी। इस पर विचार कर आपको रिकमण्ड करें कि किस तरह से Socialistic pattern of society यहां पर बनेगी।

इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि लिफ्ट इरिगेशन के सम्बन्ध में जो मैंने सुझाव दिए हैं आप अपने जवाब में उनका उत्तर देंगे। अगर अभी जवाब देने की स्थिति में नहीं हों तो यही कह दें कि विचाराधीन है, इसको जल्दी करेंगे। क्योंकि सैकिंड फेज शुरू हो चुका है और इसका डवलपमेंट बहुत डिफिकल्ट है, इसलिये इस पर विचार करना जरूरी है।

श्री सभापति : श्री मंजूर अली।

श्री मंजूर अली (सवाई माधोपुर) : जनाब सदरे जल्सा, श्रीमान सभापति महोदय, जो मतालबाए जर जनाब वजीरे आबपाशी ने पेश किया है उसकी ताईद करते हुए और बजट में जो प्रोविजन सिंचाई का किया है, उसकी ताईद करते हुए कुछ अपने मतालबात और कमेंट पेश करता हूं। सबसे पहले, श्रीमन्, मुझे यह अर्ज करना है कि महकमा आबपाशी एक ऐसा महकमा है जो सूबे के लिये फरिश्ता-ए-रहमत साबित हो सकता है। यह किसी भी खुश्क और बंजर जमीन को सरसब्ज बाग में, खेतों में तब्दील कर सकता है। मुरझाये व पीले पड़े हुए चेहरों को मस्त बना सकता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जितनी अहमियत हमारे सूबे में इस महकमे की है उसी कदर इस महकमे के अफसरान अपने फराइज से गाफिल हैं। मैं बगैर झिझक कहना चाहता हूं कि मेरी नीयत अफसरों का वकार मजरूह करने की नहीं है, लेकिन आबपाशी के महकमे में करप्शन बहुत ज्यादा है। एक स्पेसिफिक मिसाल आपके सामने पेश करना चाहता हूं। सवाई माधोपुर जिले की सवाई माधोपुर तहसील में सूरवाल बांध बनाया गया है और नहर सूरवाल सैक्शन का एक्सटेन्शन ग्राम पडाणा तक किया गया है। उस एक्सटेन्शन को बनाने के पहले एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और ओवरसियर मौके पर पहुंचे और प्रपोज्ड प्लान बनाया गया। यह तय हुआ कि निशांदेही के आधार पर नहर खोदी जायेगी। नहरें खुदीं उस समय उन्हें अन्दाजा हुआ कि खेत खराब हो जायेंगे। उसके बाद में उस प्रपोज्ड प्लान के खिलाफ नहरें खोदी गई। आज मैप का पता नहीं है, मैप गायब कर दिया गया है और मैप के बिना मनमाने तरीके से नहरें खोदी गई हैं। मैं बेझिझक कहता हूं कि इसमें करप्शन की बू आती है। मैं वजीरे आबपाशी से मतालबा करता हूं कि उनको इस तरह की सख्त सजा दें कि सजा देखने वालों को भी इबरत हो जाये। मेरा अर्ज करना है कि जो प्रपोज्ड प्लान के खिलाफ नहरें खोदी गई हैं, तार, टेलीफोन या वायरलैस से दरयाफ्त कर लें कि प्रपोज्ड प्लान के खिलाफ नहरें खोदी गई हैं या नहीं? अगर नहरें प्रपोज्ड प्लान के खिलाफ हैं तो इन तीनों अफसरों को फौरन सस्पेंड करके इन्क्वायरी की जाय। उनको ऐसी सख्त सजा दी जाये कि दूसरों को सबक मिले।

श्री शिवचरण सिंह : उस समय एक्स० ई. एन. कौन थे?

श्री मंजूर अली : मैं नाम नहीं लेता किसी का।

(श्री मजूर अली)

श्रीमान् जनाबे सदर, आपके जरिये से वजीरे आबपाशी से मतालाब करता हूं कि इस बात की जांच करें और जिम्मेदार अफसरान जो हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करें और जल्दी करें।

अब मेरे इलाके की आबपाशी के बारे में अर्ज करता हूं कि बन्ध भगवतगढ़ की नहर को बजाय ऊपर से निकालने के पेंटे में से निकाला गया है। हमारी बदकिस्मती से कोई ऐसे इन्जीनियर साहब थे उन्होंने नहर गलत काटी। नहर को इतना गहरा खोदा गया कि नीचे से पानी आ गया और बंध का पानी खेतों में काम नहीं आ सका। पानी बंध में भरा रह गया। मेरा मश्वरा यह है कि उस नहर में बनास नदी के चैणकिया का देह से लिफ्ट इर्रिगेशन करके पानी लिया जाये। उसके बाद दस माइल तक पिलाई की जा सकती है।

दूसरा मतालबा मेरा यह है कि सूरवाल की नहर है उसमें पानी की कमी की वजह से जो ग्राम आखिरी में हैं, रहिताकलां, श्यामपुरा, एंडा, जडावता, उदयाना, वाडोलास, रहोथा की आराशियत, उन गांवों तक नहर में भी पानी नहीं रहता। मेरा मतलब है कि उस नहर को उन गांवों तक बढ़ाया जाय तो हम कम से कम इन गांव वालों को आबाद कर सकते हैं। कुदरत ने ही इन्सानों में कदो-कामत, रंगोरूप, वजाकता में फर्क कर दिया है, उसमें हिस्सेदार बन कर हम तो आबादियों में कोई फर्क ना करें। बजट में कुछ कमी करके उन गांवों में खेतों में पानी पहुंचा दें तो उनका बहुत भला कर सकते हैं। इसलिये मैं पुरजोर अपील करूंगा कि सूरवाल नहर का एक्सटेन्शन करके इसको बढ़ा कर जो पांच-सात गांव हैं, उन तक पानी पहुंचाया जाये, यह फासला 5 माइल से ज्यादा नहीं है।

दूसरा मेरा मतालबा यह है कि जो सूरवाल की नहर जड़वाड़े के उत्तर तक गई है उसमें रहिताकलां, श्यामपुरा, एंडा तक नहर को ले जाने की स्कीम थी लेकिन सिर्फ पैसे की कमी की वजह से पूरा नहीं किया गया है। इसलिये मेरी पुरजोर अपील है कि काश्तकारों को आबपाशी का लाभ देने के लिये इस नहर को एक्सटैंड किया जाय।

तीसरी बात, मुझे यह अर्ज करनी है कि यह जो नहर भगवतगढ़ बन्ध की है इसको आगे के ग्राम अजनोती, दुब्बी, घनोती, एंडा, श्यामपुरा, कुण्डेरा तक पहुंचाया जाय तो कम से कम वहां पर लिफ्ट इर्रिगेशन की जा सकती है। इसलिये मेरा मतालबा है कि इस बजट में कुछ कमी भी करनी पड़े कुछ मुद्दों में, तो कमी करके भी इन तीनों कामों को पूरा करायें, और जो मैंने तीन अफसरों की बात कही है उनकी जांच करवा कर उनको ऐसी सख्त सजा दी जाय कि दूसरे अफसरान में भी इस बात का खौफ हो, उन पर असर हो और उनको अहसास हो कि असैम्बली में जो बात कही जाती है उसका असर होता है, उस पर एक्शन होता है। उनको शर्म आये और उनमें दहशत भी पैदा हो। शुक्रिया।

श्री सभापति : माननीय श्री शीशराम ओला।

श्री शीशराम ओला (पिलानी) : सभापति महोदय, सिंचाई विभाग की मांग पर मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं। मैं उन पर कुछ अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा। एक तरफ तो अति वर्षा से इस कदर बाढ़ की भयंकर घटनायें होती हैं कि न केवल पशु-पक्षी

(श्री शीशराम ओला)
और धन की बरबादी होती है बल्कि इन्सानों की जानें भी जाती हैं। उससे ऐसी बीमारियां बढ़ती हैं कि जिन बीमारियों के नाम पहले सुनते भी नहीं थे। उन बीमारियों के हम बाढ़ के कारण भुक्तभोगी हो रहे हैं। एक तरफ बाढ़ आती है और वह बरबादी करती है दूसरी तरफ उससे लगते हुए राज्य की जमीन पानी के लिए तरसती है, यह कल्याणकारी सरकार की कैसी वाजिब नीति है? मैं आपको झुंझुनू जिले के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। झुंझुनू जिला हरियाणा से मिलता हुआ है। हरियाणा सरकार ने जवाहरलाल नेहरू कैनाल का निर्माण कर के वहां के लोगों में खुशहाली ला दी। हरियाणा के किसान उस कैनाल के पानी का उपयोग खेती के लिए कर रहे हैं, जब कि झुंझुनू की जो जमीन हरियाणा की जमीन से अधिक उपजाऊ है, झुंझुनू का काश्तकार सख्त कार्य करने वाला है, मेहनती है लेकिन उसके गांव में पानी नहीं है। वह हीन भावना से दब गया है। वह अपने को हरियाणा के मुकाबले हीन महसूस करता है। हरियाणा के प्रत्येक गांव में पानी, बिजली, सड़क है और हमारे यहां पर पानी ही नहीं है। हरियाणा के किसान के खेत में हरियाली है और हमारे किसान के खेत सूखे हैं, बंजर पड़े हैं।

सभापति महोदय; जब जवाहरलाल नेहरू कैनाल बनाने का प्रस्ताव आया था तब वहां के इरिगेशन कमिश्नर ने राजस्थान के इरिगेशन कमिश्नर को चिट्ठी लिखी थी और यह मांग की थी कि राजस्थान के हिस्से की कैनाल के कन्स्ट्रक्शन का खर्चा दे दिया जाए ताकि अधिक केपेसिटी की यह नहर बना दी जावे और राजस्थान को भी पानी मिल जाय। हमारी सरकार उदासीन रही। इसलिए हरियाणा सरकार ने उस नहर को उतनी ही क्षमता का बनाया जितना पानी वहां पर खप सके। आज हमारी सरकार का प्रस्ताव है कि दो हजार क्यूसेक पानी राजस्थान को भी इस नहर से मिले। यह प्रस्ताव किया है और भारत सरकार से मांग की है ताकि झुंझुनू और चूरू जिले की 4.50 लाख एकड़ भूमि सिंचित हो पाय। इस प्रकार का प्रस्ताव भारत सरकार को हमारी सरकार ने किया है। इस नहर की असलियत पर जाएं और देखें कि इस नहर के जरिए झुंझुनू और चूरू जिले के लिए पानी लाने में कितना पैसा खर्च होगा तो मैं नहीं समझता कि यह सरकार इतना पैसा खर्च करने की केपेसिटी रखती है। उस वक्त थोड़े से पैसे से काम चल सकता था। उसकी 1 अरब 13 करोड़ की योजना थी। अब नहर बनाएंगे तो जमीन का मुआवजा देंगे। उस वक्त के कन्स्ट्रक्शन में आज के कन्स्ट्रक्शन की कॉस्ट में कितना अन्तर है। दुबारा सोचता हूं तो मुझे लगता है कहीं आप यह न कह दें कि अब इसकी जरूरत नहीं है। रुपया नहीं है। फाइनेन्शियल व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। हम मजबूर हैं। यह बात मैं सुनना नहीं चाहता हूं। यह बात हमें सुनने को नहीं मिले।

मैं आपको, सभापतिजी, इस नहर के महत्व को बताना चाहूंगा। खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट, ताम्बे का प्रोजेक्ट है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं।

इसको चलाने के लिए 12-13 गांवों से पानी आता है। चामला, बागोली, कांकरिया इन सब गांवों से पानी आता है। इन गांवों

(श्री शीशराम ओला)

का पानी एकदम गहरा चला गया है । जो कुए वहां पर बने हुए हैं, वे पचास फीट और गहरे चले गए हैं । यदि यह नहर नहीं लाई गई तो वहां की जमीन में पानी का जो स्रोत है, वह इतना गहरा चला जाएगा कि जो पानी वहां पर थोड़ा बहुत है, वहां का काश्तकार कुओं के माध्यम से थोड़ी बहुत खेती कर रहा है, वह भी आगे चल कर संभव नहीं होगा । सिंचाई मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप दो-तीन मिनट सदन में और बैठें । मैं यह निवेदन कर रहा हूं खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है . . .

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय गृह मंत्री महोदय को निवेदन कर दिया है कि माननीय सदस्य जो कुछ भी बोलें, उसको नोट कर लें । एक जरूरी टेलीफोन आया है, इसलिय मैं जा रहा हूं ।

श्री शीशराम ओला : धन्यवाद ।

सभापतिजी, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इतने बड़े राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के लिए पानी की कोई व्यवस्था न हो और नजदीक ही, दस मील की दूरी पर नहर हो तो आफिसरों को मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, यह सरकार की उदासीनता ही है । राज्य सरकार ने झुंझुनू जिले की सिंचाई के प्रति बहुत बड़ी उदासीनता बरती है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार ने जवाहरलाल नेहरू कैनाल से झुंझुनू से लगते इलाके को शीघ्रातिशीघ्र पानी देकर खुशहाल किया उससे झुंझुनू जिले के काश्तकारों में जो हीन-भावना आ गई है, उसको दूर करें । हरियाणा में पानी है परन्तु राजस्थान के झुंझुनू जिले में पानी नहीं है, चूरू में नहीं है । चूरू और झुंझुनू दोनों जिलों का प्रस्ताव भारत सरकार के समक्ष रखा है । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि 300 करोड़ का खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट है, जिस पर खर्चा हो चुका है । उसके महत्व को देखते हुए यह अत्यन्त आवश्यक है कि नहर वहां पर आवे और पानी मिले ताकि जो गांवों के कुओं से पानी लिया जाता है, वह पानी बच सके और ये 12-13 गांव बरबादी से बच सकें । राजस्थान के लोगों में यह हीन भावना है कि हरियाणा में नहर है और हमारे जिले में नहीं है । हरियाणा में जिस दिन यह नहर आई, उसी दिन यह नहर राजस्थान में आनी चाहिए थी । यहां ऊंचाई पांच फीट भी नहीं है । झुंझुनू, अलसीसर की पचास फीट से ज्यादा ऊंचाई नहीं है । इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं है । इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि जवाहरलाल नेहरू कैनाल का कार्य शीघ्रातिशीघ्र शुरू कर के झुंझुनू और चूरू जिले को पानी मिले । मुझे खेद है कि प्रस्ताव तो है परन्तु इसके लिए रुपया एक भी नहीं रखा गया है । मुझे लगता है कि यह कागजी बात है और कागज में ही समाप्त हो जाएगी । मैं पुनः आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि जवाहलाल नेहरू कैनाल का पानी शीघ्रातिशीघ्र झुंझुनू और चूरू जिले को मिले ताकि आगे सीकर को भी मिले और कुओं के स्रोत भी नहीं बन्द हों । यही मुझे निवेदन करना था ।

श्री सभापति : श्री भंवरलाल कालाबादल ।

श्री **भंवरलाल कालाबादल** (खानपुर) : सभापति महोदय, हमने इस नवभारत

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

के निर्माण के लिए यह संकल्प किया था :

करना है निर्माण हमें नवभारत का निर्माण,
यहीं हमारी सब धरती हो खेतों से हरियाली।
फूल फलों से झूम रही हो बन बन डाली,
नदी नहर सरोवर भरें वर्षा से जल से बरसे धान
करना है निर्माण हमें नवभारत का निर्माण।

सभापति महोदय, हमने नवभारत के निर्माण करने का संकल्प लिया था, मगर तीस वर्ष के बाद भी हमारे देश में गरीबी है, बेकारी है, कृषक परेशान हैं और जमीन में पैदावार कम हो रही है। अगर यह संकल्प पूरा होता तो तीस वर्षों में हमारे खेतों में हरियाली हो जाती, हमारे खेतों में पैदावार बढ़ जाती।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में बड़ी बड़ी नदियां हैं, काली सिन्ध, ऊजाड़ नदी। ऊजाड़ नदी पर स्टेट के भूतपूर्व महाराजा उम्मेदसिंहजी ने एक बांध का निर्माण किया था। उनके बाद भीमसिंहजी ने भीम सागर बांध की एक योजना बनायी। सभापति महोदय, उस योजना को, भीम सागर बांध को राजस्थान सरकार ने संभाला। उसके लिये करोड़ों रुपयों की स्वीकृति हुई थी लेकिन वह बांध आज तक अधूरा पड़ा हुआ है। पहले उस बांध के लिए जितनी राशि की स्वीकृति हुई थी, उससे अधिक वर्तमान सरकार को राशि स्वीकृत करनी पड़ेगी क्योंकि महंगाई के कारण सीमेन्ट का भाव बढ़ गया है। जिस समय सीमेन्ट की बोरी का भाव पांच रुपया था, उस समय इस बांध की लागत का अनुमान तैयार हुआ था कि भीम सागर बांध इतने रुपयों में तैयार हो जाएगा। जब सीमेण्ट की बोरी का भाव 25 रु. हो गया तो सरकार घबराई कि यह 5 करोड़ की लागत से बनने वाले बांध पर हमको अब और ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। इसलिये उसके काम को राजस्थान की जनता पार्टी की सरकार ने रोका या कांग्रेस की सरकार ने रोका है, मुझे यह पता नहीं है। पहले चीजों के बाजार भाव कम थे किन्तु अब मंहगाई बढ़ गई है। सरकार ने तो उसको बन्द कर दिया लेकिन गांव वालों को पता नहीं। बांध तो बना नहीं पर नहरें पहले ही खोद दी गईं। नहरें खोद दी गईं तो हमको आशा हो गई कि उत्पादन बढ़ेगा और गरीबी व भुखमरी मिटेगी। सभापति महोदय, बांध आज भी अधूरा पड़ा है जब कि किसानों की जमीनों पर नहरें खोद दी गईं।

इसी प्रकार से, सभापति महोदय, काली-सिंध पर बांध बना उस पर लाखों रुपया खर्च हुआ। लेकिन एक साल भी उस बांध से खेतों में पूरा पानी नहीं आया। इसके बावजूद सरकार ने किसानों की भूमि सिंचित घोषित कर दी। एक साल उस बांध से पानी दिया और दूसरे साल वह बांध नदी में बह गया। उसका निशान शेषभी नहीं रहा लेकिन,सभापति महोदय, किसानों से सिंचाई का पैसा लिया जाता है। कहते हैं खर्चा तो हो गया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, यह किसानों के हित की बात है। आप बांधों की योजना पर करोड़ों खर्च करें फिर भी किसानों के खेतों में पैदावार नहीं है। यह किसानों के हित का प्रश्न है आपकी घण्टी बज गई। मैं तो आपको देखकर ही खड़ा हुआ था। मेरा तो यही कहना है कि मैं जब बोलने लगता हूं तो आपकी घण्टी बज जाती है।

श्री सभापति : कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री **भैरवलाल कालाबादल** : सभापति महोदय, आपको देखकर ही तो मैं खड़ा हुआ।

एक माननीय सदस्य : क्या कल की बात याद आ गई ?

एक माननीय सदस्य : यह तो कोटा की बात है।

श्री **भैरवलाल कालाबादल** : यह तो किसानों के हित की बात है, कोटा की नहीं।

श्री **सभापति** : 7 मिनट हो गये हैं। माननीय सदस्य, जल्दी समाप्त करें।

श्री **भैरवलाल कालाबादल** : तो, सभापति महोदय, बांध नदी में बह गया। इसलिये खेतों में पानी नहीं लग रहा है और किसान परेशान हो रहे हैं। तो मैं इस कट मोशन के द्वारा सरकार से यह निवेदन करूंगा कि सरकार इसकी जांच कराये। जिन किसानों के खेतों में पानी नहीं जाता है उनके खेतों को बारानी घोषित किया जाये और उन पर सिंचित का लगान माफ किया जाना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री **सभापति** : भीमसागर बांध के बारे में आपने कट मोशन दिया है।

श्री **भैरवलाल कालाबादल** : बांधों पर बोल रहा हूं।

श्री **सभापति** : जिस विषय पर आपने कट मोशन दिया है, उसी पर बोल सकते हैं। समाप्त करें।

श्री **भैरवलाल कालाबादल** : अच्छा, सभापति जी।

श्री **सभापति** : श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (मनोहरथाना) : सभापति महोदय, मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे प्रान्त में दो विनाशकारी शक्तियां हैं, एक तो अकाल है और दूसरी बाढ़ है। इन दोनों मदों पर करोड़ों रुपया खर्च होता रहा है। फिर भी यह दुर्भाग्य है कि बाढ़ आती है और बाढ़ों का पानी नदियों में होकर बह जाता है। हम उसका सिंचाई के लिए उपयोग नहीं कर पाते हैं। झालावाड़ के बारे में निवेदन है कि वहां पर एक मनोहरथाना तहसील है। कोटा राज्य के समय से, वहां पर परबन नदी बहती है, उस नदी में हर साल बाढ़ आती है। कोटा राज्य के समय से ही वहां पर मांग होती रही है कि उस नदी पर बांध बनाया जाये। कोटा राज्य के जमाने में नदी का सर्वे हुआ था। उस सर्वे के आधार पर यह भी निश्चित हो गया कि उस पर इतना रुपया व्यय होगा। उससे अकलेरा, छीपाबड़ौद और शेरगढ़ में सिंचाई के लिये पानी मिलेगा और उससे आगे मध्य प्रदेश के गांवों में भी पानी जाएगा। उस बांध का सर्वे भी हुआ था। मैं माननीय मंत्री महोदय को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अगर वह योजना लागू की जाये तो उससे किसानों को बहुत लाभ होगा। वह क्षेत्र करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। अगर उस बांध पर खर्चा करें तो करोड़ों रुपये की और विदेशी मुद्रा वह क्षेत्र दे सकेगा। अगर राज्य के माननीय सिंचाई मंत्री इस पर पूरी तवज्जोह दें तो बांध की योजना को कार्यान्वित किया जा सकेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त कलरता हूं।

(4.18 म. प.)

(मेजर श्री फतहसिंह, सभापति, पीठासीन)

श्री सभापति : माननीय श्योपतसिंह।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) : सभापति महोदय, मैंने नोहर व सिद्धमुख सिंचाई योजना के विकास पर चर्चा के लिए, राजस्थान नहर निर्माण की मन्थर गति, व निर्माण के लिए खरीदी गई मशीनों का उपयोग नहीं होने से पैदा हुई स्थिति, और राजस्थान नहर के पानी के उपयोग की समुचित व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिए कटौती प्रस्ताव रखे हैं। मैं उनकी ओर माननीय सिंचाई मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं। नोहर व सिद्धमुख सिंचाई योजना काफी चर्चा का विषय रही है। कभी कुछ प्रावधान करते हैं। कभी कुछ प्रावधान करते हैं। राजस्थान कैनाल के द्वारा हम जो पानी लेते हैं उसके अलावा पानी का काफी भण्डार है लेकिन वह पिछले 8-10 सालों से लगातार पाकिस्तान में जा रहा है। हमें उस पानी को किसी प्रकार से उपयोग में लाना है – यह एक बहुत बड़ा संजीदा मसला है। राजस्थान सरकार इस मसले पर बहुत गहन अध्ययन करे और राजस्थान कैनाल के पानी को नागौर की ओर ले जाकर सिंचाई के लिये उपलब्ध करायें या उस ओर ले जायें जहां पानी को लिफ्ट करके सिंचाई करा सके। सबसे पहले राजस्थान कैनाल के क्षेत्र और भाखरा के क्षेत्र के जो एडजोइनिंग क्षेत्र सबसे कम पानी लेते हैं वहां पानी पहुचाना चाहिये। उसके बाद जो भी इलाके नजदीक हैं उन एरियाज को थोड़ खर्चे में पानी पहुंचाना चाहिए। अभी माथुर साहब ने कहा, कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जो पालिटिकल स्कीम्स होती हैं। हमें यह देखना चाहिए कि लिफ्ट सिंचाई योजनाओं पर कितना खर्चा आयेगा, और जहां लिफ्ट सिंचाई योजनाओं से पानी पहुंचाना है वह एरिया कितना फर्टाइल है। माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात को मानता हूं कि राजस्थान के जिस भू-भाग में खारा पानी है, उस एरिया में और उस क्षेत्र में पानी पहुंचाना बहुत जरूरी है। मगर इसके साथ-साथ यह भी देखना चाहिये कि कौनसे ऐसे एरियाज हैं जहां पर सिर्फ पीने के लिए पानी पहुंचाना चाहिए। राजस्थान में ऐसे बहुत से एरियाज हैं जो फर्टाइल नहीं हैं क्योंकि वहां पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पर लिफ्ट सिंचाई योजना से पानी पहुंचाने में कितना खर्चा होगा, वह भी हमको देखना होगा। इसलिए मैंने कहा कि नोहर और सिद्धमुख के एरिया में राजस्थान कैनाल से नहरें बनाने जा रहे हैं उसके मुकाबले में अगर आप चूरू जिले के कुछ एरिया को लें तो आगे जाकर हमको लाभ होगा। वहां की फर्टाइल लैण्ड है और उस एरिया से चूरू एरिया दुगनी फसल दे सकता है। इसलिए आपको प्रायोरिटी लिफ्ट स्कीम के लिए कायम करनी है। साथ ही जो कुछ आप प्लान रखें उसको पूरा करें। लिफ्ट सिंचाई का एक एक्सपैरीमेंट आपको करना चाहिए। हरियाणा के अन्दर जो लिफ्ट सिचाई योजना का प्रयोग किया गया उसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं आये हैं, कहीं पर नहरें नहीं पहुंचती हैं, कहीं बिजली नहीं मिलती और कई इस प्रकार की वहां पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इसलिए जो लिफ्ट कैनाल बीकानेर लायेंगे उसका एक्सपैरीमेन्ट करके देखना चाहिए कि कितना नतीजा हमारे हक में होगा और कितना खराब नतीजा निकलेगा। दूसरी लिफ्ट योजना शुरू करें उससे पहले नजदीक के एरिया में जहां पानी नहीं पहुंचा है, वहां पर पानी पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। इस क्षेत्र में नोहर और सिद्धमुख की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जो भाखरा का पानी

(श्री श्योपतसिंह मकासर)
बचेगा उस पानी को हम राजस्थान कैनाल के द्वारा यूटिलाइज कर सकते हैं। जितने पानी को यूटिलाइज करें, उसके बाद जो पानी बचे उसको नोहर और सिद्धमुख में ले जा सकते हैं। नहरें मौजूद हैं। इसलिए हरियाणा की सरकार के साथ और पंजाब की सरकार के साथ आपस में बैठ कर बात करनी चाहिए। जिन-जिन पाइन्ट्स से हमको पानी लेना है उसके बारे में बात करनी चाहिए।

इसके साथ-साथ जो साखा स्कीम है वह 9 करोड़ की स्कीम है। माननीय सभापति महोदय, मैं सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूंगा। इस ड्रिंकिंग वाटर स्कीम को इर्रिगेशन स्कीम में तब्दील कर दीजिये और जहां तक पानी ले जाया जा सकता है, चूरू के बॉर्डर तक, कैनाल की टेल में जाकर जहां पानी पीने के लिए नहीं है वहां पर पहुंचाया जाना चाहिए– मसीतावाली से कितना खर्चा आयेगा इसके बारे में भी विचार करना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान कैनाल का पानी बरबाद नहीं हो, इसके लिये हम उम्मीद कर रहे थे कि जनता पार्टी की सरकार आने के बाद क्योंकि हरियाणा में भी जनता पार्टी की सरकार है और पंजाब में भी जनता पार्टी की सरकार है, इस सम्बन्ध में जल्दी ही फैसला हो जायगा। लेकिन जिस छोटे से सवाल को हल करना चाहिए था वह नहीं हुआ। यह लाखों एकड़ का इलाका है। इसमें ज्यादा प्रोडक्शन होता है, इसमें लाखों एकड़ में आबपाशी होगी इसलिए सबसे पहले इस बात की तरफ तवज्जह देनी चाहिए, अभी तक तवज्जह नहीं दी, इसके लिए मेरा गिला है, मेरी शिकायत है। राजस्थान कैनाल से पानी लेने के लिए लिंक कैनाल बनानी चाहिए। सन् 1970 में किसान आन्दोलन हुआ था, 15 हजार आदमी उस वक्त जेल गये थे, 15 आदमी शहीद हुए थे। उस राजस्थान कैनाल का लिंक, जिससे भाखरा से पानी लेते हैं, बन्द पड़ा हुआ है। क्यों नहीं उसको खोला जाता ? मेरा निवेदन है कि इस बात को तरजीह दी जानी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : आप दो मिनट और लेंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मेहरबानी।

राजस्थान कैनाल का निर्माण बहुत ही मन्द गति से चल रहा है। करोड़ों रुपयों की मशीनें बरबाद हो गई। जो मशीनें काम में नहीं आ सकती हैं क्यों नहीं उनको नीलाम किया जाता है ? माननीय सभापति महोदय, जो बड़ी-बड़ी मशीनें काम में आ सकती हैं वह वैसी की वैसी पड़ी हैं, उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। सूरतगढ़, हनुमानगढ़ और दूसरी जगहों पर उन मशीनों का उपयोग नहीं हो रहा है। उनको बेचकर करोड़ों रुपया वसूल किया जा सकता था, लेकिन उसका कोई प्रबन्ध नहीं है। आज वे मशीनें बेकार पड़ी हुई हैं, उनको कोई संभालने वाला नहीं है। लाखों रुपयों के टायर बरबाद हो गये, उनका यूज हो सकता था। दूसरी ड्रिंकिंग वाटर स्कीम में उनको काम में लिया जा सकता था।

दूसरी बात मेरे को यह कहनी है कि राजस्थान कैनाल निर्माण के काम में जो ठेकेदारी सिस्टम है उसको खतम करना चाहिए। आज कई बेकार इन्जीनियर्स घूम रहे हैं। बंगाल सरकार ने एक डिसीजन

(श्री श्योपतसिंह मकासर)
लिया है कि जितना भी रोड्स का काम है, इरिगेशन का काम है, कोई भी ठेका सिस्टम से नहीं चलेगा। ठेकेदारी सिस्टम की सारी की सारी व्यवस्था खतम कर दी गई है। जो बेकार इन्जीनियर्स हैं उनको एम्प्लाय किया जा सकता है। बाकी जो लोग गांवों में रहते हैं जो 6 महीने काम करते हैं और बाकी समय बेकार रहते हैं उनको काम दिया जा सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि ठेकेदारी प्रथा को खतम किया जाना चाहिए। ठेकेदारी सिस्टम से पचास पर्सेन्ट पैसा ठेकेदारों और अधिकारियों की जेब में जाता है और पचास पर्सेन्ट यूटिलाइज होता है। उससे हमारे अधिकारियों की कोठियां बनती हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : यह कई माननीय सदस्यों ने जिक्र कर दिया है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं समाप्त कर रहा हूं।

माननीय सिचाई मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे इन्जीनियर्स का कैम्प मौके पर जहां काम हो रहा हो वहां पर होना चाहिए। साथ ही ठेकेदारी प्रथा को खतम करना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई भी इन्जीनियर दफ्तर में बैठकर काम नहीं करे, दफ्तर में ठेकेदार लोग चक्कर लगाते रहते हैं, और बाबू को घेर लेते हैं क्योंकि पेमैन्ट नहीं होता है। इसलिए राज्य सरकार को और सिचाई मंत्री महोदय को यह प्रबन्ध करना चाहिए कि जितने भी इन्जीनियर्स हैं वे मौके पर ही पेमैन्ट करें और काम करें। मेरा निवेदन है कि ठेकेदारी सिस्टम समाप्त हो जाना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उससे जल्दी से जल्दी राजस्थान कैनाल के निर्माण का काम हो सकेगा। दस हजार क्यूसेक पानी जो पाकिस्तान में जा रहा है उसको हम यूटिलाइज कर सकेंगे और राजस्थान को बरबाद होने से बचायेंगे।

श्री **सभापति** : श्री नवरंगसिंह।

श्री **नवरंगसिंह** (नवलगढ़) : सभापति महोदय, मेरा गंगा नदी के जल को झुंझुनू और सीकर में उपयोग करने के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव है। मैं आपकी मार्फत सिंचाई मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से हिन्दुस्तान का दूसरा राज्य है। आज जब हम यहां सिंचाई के साधनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो मेरी जानकारी के अनुसार यह सब राज्यों से पिछड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि राज्य सरकार सिंचाई के साधनों का विकास करने के प्रति उदासीन है। यह उदासीनता खेती के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकती है। खास तौर से मेरा झुंझुनू जिला के बारे में निवेदन है, झुंझुनू जिसे शेखावाटी कहते हैं, राजस्थान का एक महत्वपूर्ण इलाका है। इसे अब तक सिंचाई के साधनों से वंचित रखा गया है। इस जिले में पानी बहुत मीठा है। लेकिन 70-70, 100-100 हाथ नीचे पानी है इसलिए कुआ खोदना महंगा पड़ता है। कोई ट्यूब-वैल लगा भी लेते हैं तो, सभापतिजी, क्योंकि बिजली चार्ज 21 पैसा प्रति यूनिट है, इस कारण ट्यूब-वैल्स सफल नहीं हो रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, जैसा आपने प्रस्ताव भी किया है कि झुंझुनू जिले को हरियाणा के

(श्री नवरंगसिंह)

जो हैड वर्क्स हैं, उन से सिंचाई के लिए पानी दिया जा सकता है और उस से 4.50 हजार एकड़ भूमि सिंचित हो सकती है, इसके लिए आप भारत सरकार से बात करें। यद्यपि इस पर बहुत बड़ा खर्चा होगा फिर भी इसके लिए कोई विशेष प्रावधान बजट में नहीं रखा गया है। यह रेगिस्तानी इलाका है फिर भी अच्छी पैदावार देने वाला इलाका है। इसलिए इस नहर को यदि आप झुंझुनू जिले में लायें तो न केवल झुंझुनू जिला में सिंचाई हो सकेगी बल्कि चूरू, सीकर और नागौर का हिस्सा भी सिंचित हो सकेगा।

झुंझुनू जिला में कई छोटी नदियां बहती हैं एक नदी लोहार्गल से नवलगढ़ तक जाकर तबाही मचाती है। इस पर बांध बनायें तो बांध द्वारा सिंचाई हो सकती है। सैकड़ों गांवों को यह नदी प्रभावित करती है इसी तरह से एक नदी है काटली। वह भी भयंकर समस्या पैदा करती है। उस पर भी कोई बांध बने तो उसका पानी सिंचाई में काम आएगा। उस नदी के कारण हर साल सड़क टूट जाती है और आवागमन रुक जाता है।

सिंचाई मंत्री बहुत सक्षम मंत्री हैं। उनसे मेरा निवेदन है कि 1969-70 में बाय (नवलगढ़) में बांध बना था। उस पर जिन मजदूरों ने काम किया उनको बकाया 25 हजार रुपया की राशि आज तक नहीं मिली है। जिस गरीब ने अपना पसीना बहा करके मजदूरी की, उसको यदि सरकार पैसा नहीं दे, पैसे के लिए उसको सरकार का दरवाजा खटखटाना पड़े और उसे कहा जाए कि जब बिल बनेगा तब पैसा मिलेगा तो मेरा निवेदन है कि इस मामले में जांच करें कि ये 25 हजार रुपये किसने रोके और जिन अधिकारियों ने रोके, उनके खिलाफ कार्यवाही करें।

दूसरा मेरा प्रस्ताव है पर्यटन के संबंध में। अभी बजट में होटल निगम को बंद करने का विचार सरकार ने रखा है। जो इस निगम के कर्मचारी हैं उनके सामने बहुत बड़ी समस्या है। मेरा निवेदन है कि होटल निगम को पर्यटन विभाग में मिलाया जाए और उन कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखा जाय ताकि उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। मैं कुछ पर्यटन के स्थानों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। लोहार्गल एक पवित्र स्थान है जिसका विकास नहीं हो सका है। वहां यात्री भारत के कोने-कोने से आते हैं फिर भी उसको सड़क से नहीं जोड़ा गया है। वहां बिजली नहीं, पानी नहीं, औषधालय का भी इंतजाम नहीं है। दूसरा स्थान है शाकम्भरी, वह भी महत्वपूर्ण स्थान है उसको भी इसी सड़क से नहीं जोड़ा गया है।

सीकर में एक स्थान हर्ष है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहां कोई साधन मुहैय्या नहीं किया गया है। नवलगढ़ में रामदेव का मेला लगता है अब भी मेला चल रहा है बड़े पैमाने पर.......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वहां जरूरी साधन उपलब्ध कराये जायं।

क्योंकि आपने घंटी बजा दी है, मैं कानून को मानने वाला आदमी हूं इसलिए मैंने जो गंगा नदी के जल को झुंझुनू व सीकर पहुंचाने की बात कही है और पर्यटन के विकास के बारे में निवेदन किया है, उस पर ध्यान दें।

श्री सभापति : श्री रावत राम।

(अनुपस्थित)

(श्री सभापति)

श्री सुरेश कुमार :

श्री सुरेश कुमार (भरतपुर): सभापति-जी, आसन पर बैठा फौजी जब जमीन पर खड़े दूसरे फौजी को आदेश देगा तो तुरंत उसकी पालना की जाएगी । उपाध्यक्ष महोदय ने मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को अस्वीकार किया है । इसलिए आप बोलने के लिए कुछ समय अधिक दें । समय न हो तो सिंचाई मंत्री के समय में से कुछ समय काट कर दें ....

श्री सभापति : अपना भाषण जारी रखें ।

श्री सुरेश कुमार : सबसे पहले मैं आपका ध्यान इस पुस्तिका की ओर दिलाऊंगा जिसमें सिंचाई मंत्री ने सदस्यों को शुभ-कामनायें प्रेषित की हैं । मैं उनकी इन शुभ-कामनाओं को स्वीकार करने में असमर्थ हूं क्योंकि आज भरतपुर जिला जीवन और मौत के बीच लटक रहा है । वहां की 75 हजार एकड़ भूमि जलमग्न है, गांव के गांव बह गए हैं लेकिन उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है । जब से सिंचाई मंत्री के शुभ कदम इस मंत्रालय में पड़े तभी से भरतपुर जिले में जुलाई व अगस्त महीने से बाढ़ आ रही है, निरंतर बाढ़ आ रही है ....

कई माननीय सदस्य : अपशकुन है ।

श्री सभापति : नहीं जायेंगे तो सूखा पड़ेगा ।

श्री सुरेश कुमार : भरतपुर जिले में एक तरफ एक इलाका बाण गंगा और गम्भीरी नदी से प्रभावित होता है, दूसरा उत्तर-पूर्व का इलाका हरियाणा के पानी से प्रभावित होता है । जुलाई-अगस्त में भरतपुर जिला बाण गंगा और गम्भीरी नदी से प्रभावित हुआ । इन दो नदियों से 18 हजार मिलियन क्यूबिक फीट पानी उस इलाके के अंदर आता है । जब से भरतपुर बना है तब से करीब 275 साल से केवल दो बार बाढ़ आई, एक दफा 1924 में दूसरी दफा 1942 में । 1924 की बाढ़ इन नदियों से प्रभावित होकर नहीं आई, वह अलवर से जयसमन्द बांध टूटने से आई । लेकिन जब से इस देश की सत्ता कांग्रेस के हाथ में आई, तब से तीस साल में निरंतर भरतपुर में हर दूसरे तीसरे साल बाढ़ का प्रकोप बढ़ता जा रहा है । बिना सोचे समझे इन नदियों पर मार्जिनिल बांध बनाए जिनकी वजह से बार बार नदी अपना कोर्स बदलती है । यह क्यों होता है ? खानुआ बांध तकनीकी दृष्टि से दोषपूर्ण है उसका कोई लाभ नहीं है । सिल्ट बढ़ते-बढते उसकी क्षमता कम हो रही है ।

सभापति महोदय, यह तीन नदियां हैं: गम्भीरी, रूपारेल और बाण गंगा । अब इन पर बांध किस प्रकार बनाये जाय यह बात तो मैं बता नहीं सकता हूं । मैं कोई टैक्निकल हेण्ड हूं नहीं जो तकनीकी बातें बता सकूं । पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि भरतपुर को इन नदियों की बाढ़ के कारण करीब 18 मिलियन क्यूबिक फीट पानी का सामना करना पड़ रहा है । उस पानी की निकासी के लिये सिर्फ चार रास्ते बनाये हुए हैं । इसमें अजान बांध और कोनी बांध है और उसके 115 मोरे हैं । सभापति महोदय, जो चार रास्ते हैं उनसे यह 18 मिलियन क्यूबिक फीट पानी निकलता है । उनमें एक चिकलाना है जिसकी केपेसिटी 600 क्यूसेक की है, गिरिराज की कैनाल की केपेसिटी एक हजार क्यूसेक की है, एस्केप चेनल की केपेसिटी दो हजार क्यूसेक की है और चौथी सिटी फ्लड कन्ट्रोल ड्रेन की है जो अभी तक

(श्री सुरेश कुमार)

पूरी नहीं बनी है। धनाभाव के कारण वह नहीं बन सकी है। इस तरह से, सभापति महोदय, आज इस बाढ़ के रोकने के उपाय नहीं होने के कारण भरतपुर बरबाद हो रहा है। सभापति महोदय, हमारे यहां पर प्लानिंग कमीशन ने एक योजना बनायी जो कि 1 करोड़ 63 लाख रुपये की थी। पर उस योजना के सैंक्शन हो जाने के बाद भी वह योजना पूरी नहीं हो सकी। सभापति महोदय, जो योजना सन् 1964 में तय हुई वह पूरे पैसे नहीं मिलने के कारण आज तक पूरी नहीं हो पायी है। इसमें किसी एक साल में सरकार ने सात लाख तय किये, कभी दो लाख तो कभी तीन लाख। सभापति महोदय, पूरे राजस्थान में तीस साल तक कांग्रेस का राज रहने पर भी इस तरह से टुकड़ों में पैसे दिये गये। जो पैसा एक साल दिया जाता है उससे जो भी काम होता है जब भी भारी पानी आता है तब सभी को बहा कर ले जाता है। इस प्रकार वह सभी पैसा बेकार हो जाता है। सभापति महोदय, आज तक करीब डेढ़ करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं पर उसको पूरा करने के लिये करीब 2 करोड़ 67 लाख रुपये चाहियें। यह तो ठीक है कि हम सरकारी अधिकारियों पर दोषारोपण कर देते हैं कि उनकी गलत योजनाओं के कारण या कोई दूसरी गलती के कारण काम पूरे नहीं होते हैं पर जब धनाभाव होता है तो योजनायें कैसे पूरी हो सकती हैं? इसका जो नतीजा होता है वह आपके सामने है।

इसके अलावा एक बात अजीब है, श्रीमन्, हमारा प्रान्त एक ऐसा प्रान्त है जो कि दो प्रान्तों के बीच में आता है, एक तरफ तो है उत्तर प्रदेश जो कि भारत के गृह मंत्री श्री चौधरी चरणसिंहजी का इलाका है और दूसरी तरफ है हरियाणा का प्रान्त जहां पर कांग्रेस शासन में श्री बन्शीलाल की चौधरात थी। अब वहां पर चौधरी देवीलाल की चौधरात है। सभापति महोदय, इन दोनों प्रान्तों की चौधरात में हमारा भरतपुर जिला पिसा जा रहा है। एक पानी छोड़ता है तो दूसरा पानी लेने से इन्कार करता है। हमने सोचा था कि इन दोनों की चौधरात से हमारी राजस्थानी ठकुरात निपटने में कामयाब हो जायेगी इसलिये हमने ठाकुर साहब को मुख्य मंत्री बनाया।

श्रीमती सुमित्रासिंह : अब तीनों प्रान्तों में आपका राज्य है।

श्री सुरेश कुमार : पहले बन्शीलाल जी की चौधरात थी हरियाणा में।

श्री सभापति : आप इर्रेलेवेन्ट मत बोलिये। अपने कट मोशन पर बोलिये।

श्री सुरेश कुमार : तो मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान की ठकुरात इस चौधरियों की चौधरात से मुकाबला कर लेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : आप का समय हो रहा है।

श्री सुरेश कुमार : सभापति महोदय, मैंने इसका इन्तजाम कर रखा है। मैंने श्री सूर्यनारायण चौधरीजी से यह लिखा लिया है कि उनका समय मुझे दे दिया जाय। श्रीमन्, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। श्रीमन्, मेरे मन में पीड़ा है अपने इलाके के लिए।

श्री सभापति : आप तो बोलते जाइये।

Page No.120

श्री सुरेश कुमार : अर्ज कर रहा हूं ।

सभापति महोदय, पहले यह तय हुआ था कि हरियाणा 200 क्यूसेक पानी लेगा, राजस्थान 640 क्यूसेक पानी लेगा और उत्तर प्रदेश 1000 क्यूसेक पानी लेगा । इसके लिये कई कमेटी बनीं, इन्टर-स्टेट मिनिस्टर्स की कान्फ्रेंसेज भी हुईं । सन् 67 में मूर्ति कमेटी बनी और उसके बाद में 1969 में कमेटी बनी उसमें यह तय हुआ कि हरियाणा 1000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज करेगा । राजस्थान 600 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज करेगा और उसके अनुपात में उत्तर प्रदेश 1300 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज करेगा । पर इसमें भी इन दोनों प्रान्तों ने बेईमानी की और अपना खर्चा बचाने की खातिर नहर कम केपेसिटी की बनाई । हरियाणा ने 400 क्यूसेक छोड़ा और यू. पी. ने 500 क्यूसेक पानी लिया और आज के दिन चार हजार क्यूसेक पानी भरतपुर के अन्दर आ रहा है । इससे सारा भरतपुर का इलाका, जिसमें कामां तहसील, कुम्हेर तहसील, डीग तहसील का पूरा इलाका है, बरबाद हो रहा है । इसलिये, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई विभाग के मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकर्षित करना चाहूंगा कि अब इन दोनों प्रान्तों ने नयी योजनायें बनायी हैं । हरियाणा ने एक स्कीमबनायी है पांच करोड़ रुपये की उसमें हरियाणा का एक नयी कैनाल बनाने का प्रपोजल है । वह 3200 क्यूसेक पानी की केपेसिटी की होगी जब कि पहले चार सौ क्यूसेक पानी की थी। इसका मतलब यह हुआ कि पहले वह 2800 क्यूसेक की बेईमानी कर रहा था और अधिक पानी राजस्थान में हमारे भरतपुर में छोड़ रहा था । इसी तरह उत्तर प्रदेश ने एक योजना बनायी है जो कि 12 करोड़ की है वह 3500 क्यूसेक की केपेसिटी की होगी जब कि पहले पांच सौ क्यूसेक पानी ही लेता था इसका मतलब वह 3000 क्यूसेक की बेईमानी कर रहा था । इधर हरियाणा है और उधर उत्तर प्रदेश । सभापति महोदय, हरियाणा पानी छोड़ रहा है तो उत्तर प्रदेश उसकी निकासी बन्द कर रहा है इसका नतीजा यह हो रहा है कि सारा भरतपुर का इलाका जलमग्न हो गया है । इसलिये मेरा सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन है कि इस ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय । अन्यथा भरतपुर ने जिस तरह से कांग्रेस के राज्य में तीस साल तक विद्रोह किया और भरतपुर क्षेत्र से कभी कांग्रेसी उम्मीदवार को नहीं जिताया अब की बार तीस साल बाद पहली बार वहां से जनता पार्टी, जो सत्ता में है, का नुमाइन्दा चुन कर आया है । इस बार भी अगर भरतपुर के साथ अन्याय किया गया तो जिस भरतपुर ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह किया वह अब जनता पार्टी के खिलाफ भी विद्रोह कर सकता है और जनता के साथ-साथ जनता पार्टी के विधायक को भी विद्रोह में शामिल होना पड़ेगा । अगर आप हमारा इन बाढ़ों से निस्तारा नहीं करायेंगे तो हमें विद्रोह करना पड़ेगा । आप आज तक सरकारी अधिकारियों पर दोषारोपण करते हैं वह एक सीमा तक तो ठीक है, एक सीमा तक सरकारी अधिकारियों ने गलत योजनायें बनायीं या भ्रष्टाचार थोड़ा बहुत किया लेकिन जब आप उन्हें योजना को पूरी करने के लिये पूरा धन नहीं दे रहे हैं तो फिर कैसे योजनायें पूरी होंगी ? इसलिये, सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि भरतपुर के अन्दर जो बाढ़ आती है हर साल

(श्री सुरेश कुमार)
उस का आप तत्काल इन्तजाम करायें ताकि वहां के लोग बरबाद होने से बचें ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, सिंचाई पर हर साल करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं लेकिन भरतपुर की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि उसकी ओर अब विशेष-रूप से ध्यान दिया जावे । भरतपुर का सिस्टम इनन्डेशन सिस्टम है, वहां नहरों से सहराबी नहीं है लेकिन गंगानगर का एक्ट लागू कर रखा है। आबपाशी जिन्सवार वसूली की जाती है वह हटनी चाहिये। केवल एक पानी की रेट ली जानी चाहिये। यद्यपि वह भी गलत है क्योंकि बाढ़ से उल्टी किसानों को हानि हो रही है

श्री सभापति : पर्याप्त हो गया ।

श्री गुलाबचन्द ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : सभापति महोदय, हमारा उदयपुर जिला एक पिछड़ा हुआ जिला है। वहां से अधिकांश जो सदस्य आते हैं वह शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के आते हैं। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सिंचाई के मामले में हमारा उदयपुर जिला हमेशा से ही पिछड़ा हुआ और उपेक्षित रहा है। वहां पर सिंचाई के नाम पर कोई योजना आज दिन तक नहीं बनी । जो भी सिंचाई की व्यवस्था आज उदयपुर में है वह छोटी मोटी झीलों की है जो पहले की बनी हुई हैं। वह भी आज नहीं बनी हैं आजादी के पहले की बनी हुई हैं, उन्हीं से वहां पर अधिकांश सिंचाई हुआ करती है । सभापति महोदय, मुझे बहुत ही दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उदयपुर जिले में एक ऐसी कृत्रिम झील है जो कि एशिया में सबसे बड़ी है इससे सिंचाई हेतु नहर हैं लेकिन कच्ची नहर होने के करण काफी पानी आस पास के खेतों में भर जाता है, इससे पानी का पूरा उपयोग नहीं होता है । साथ ही दो हजार बीघा जमीन ऐसी हो गयी है, श्रीमन्, जिस पर कुछ भी पैदावार नहीं हो पा रही है। अगर, श्रीमान्, एक बीघा में एक हजार का नुकसान हो तो 20 लाख रुपये का नुकसान वहां प्रति वर्ष आज भी हो रहा है। मैं यह नहीं कहता कि आप नये काम शुरू करें । आप नये काम तो छोड़िये पर आज पुरानी कच्ची नहरें हैं उन्हें ही आप अगर पक्की बनवा दें तो वहां की हालत सुधर सकती है । वहां जो कच्ची नहरें हैं वह पक्की बन जाने से वहां पर पानी का पूरा उपयोग हो सकेगा । उसके साथ यह पानी बाहर बहता है उसके कारण जो जमीन खराब होती है उसको भी बचा सकेंगे ऊसर होने से ।

एक देवास परियोजना प्रारम्भ की, उसका प्रथम चरण पूरा किया और दूसरा चरण अधूरा पड़ा है। मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने एक चरण को पूरा कर दिया है तो दूसरे चरण को भी पूरा करिये । उदयपुर का इलाका एक पहाड़ी एरिया है और खेती के अलावा और कोई आजीविका का साधन नहीं है इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है कि छोटे-छोटे तालाबों के द्वारा और छोटे-छोटे बांध बना कर उनके द्वारा सिंचाई का साधन उपलब्ध करायें तो वह इलाका सम्पन्न हो सकता है। उसकी सम्पन्नता के साथ देश भी सम्पन्न होगा ।

Page No.122

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान का विशेष महत्व है। खास कर उदयपुर डिविजन राजस्थान का काश्मीर कहा जाता है। स्वतन्त्रता के बाद राजस्थान की सरकार ने इसे नहीं बनाया। स्वयं प्रकृति ने इसको रम्य और सुन्दर बनाया है। यह एक ऐतिहासिक भूमि है। यह प्रताप की भूमि है। राजा-महाराजाओं की भूमि है। वहां के ऐतिहासिक स्थल पर्यटकों के आकर्षण केन्द्र हैं और पर्यटकों को अधिक से अधिक संख्या में आकर्षित करते हैं। पहाड़ियों और जंगलों से घिरा होने से और प्राकृतिक झीलें होने से यह बहुत ही रमणीक और आकर्षण का केन्द्र है। राजा-महाराजाओं ने समय-समय पर यहां की झीलों को बनाया और इस की प्राकृतिक सुन्दरता को और भी अधिक आकर्षक और भव्य बना दिया। लेकिन इस सब के बावजूद पर्यटन की दृष्टि से इस पर जो कुछ भी खर्च किया गया है वह नहीं के बराबर है। आपने खर्चा किया होगा लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आपने फतहसागर झील के चारों ओर रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं की। लाइट की व्यवस्था नहीं हो सकती आप से। उदयपुर निश्चित रूप से आकर्षक बनेगा यदि फतहसागर झील पर रोशनी की पूर्ण व्यवस्था कर दी जाय। उदयपुर नगर वास्तव में पर्यटकों का केन्द्र होने से अधिक इनकम दे रहा है फिर भी इस पर खर्चा नहीं के बराबर है।

हल्दीघाटी महाराणा प्रताप के युद्ध की याद दिलाता है। आपने वहां पर गैस्ट हाउस जरूर बनाया है। लेकिन आपको सुनकर दुःख होगा कि वहां पर जाने वाले पर्यटक को पीने का पानी नहीं मिलता। उसके लिये चाय की कोई व्यवस्था नहीं। चाय का कप भी इसको नहीं मिल सकता। कोई भी पर्यटक ऐसी स्थिति में वहां जाने को इच्छुक नहीं होगा। उस ऐतिहासिक पर्यटक स्थल को और भी आकर्षक बनाने के लिये वहां पर प्रताप का स्टेच्यू लगने वाला था लेकिन वह आज भी पी. डब्ल्यू. डी. के कमरे में बन्द पड़ा है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री **सम्पतराम** (मुख्य सचेतक) : माननीय सभापतिजी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय जब तक मांगें पास न हों तब तक के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री **बजरंगलाल शर्मा** : सभापति महोदय, यह रोज प्रस्ताव पेश होते हैं। व्हिप जारी हो सकता है और हमें बाध्य कर सकते हैं। सदन के नेता भैरोंसिहजी जब कभी ऐसा मौका आता है तो चले जाते हैं। वाच एण्ड वार्ड के व्यक्ति और अन्य स्टाफ के व्यक्ति नीचे खड़े रहते हैं और काम करते हैं, रात्रि के 11-12 बजे तक सदन की कार्यवाही चलती है। हमें उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिये। हमें यह ख्याल रखना चाहिये कि हमारे कार्य से दूसरों को कितनी तकलीफ होती है। जनता सरकार के साधारण लोग हैं। दस पांच दिन क्या अधिक असेम्बली नहीं चला सकते हैं ? क्यों लोगों को इस प्रकार से तकलीफ में डालते हैं। काफी लोग आकर मुझ से मिले हैं। और उन्होंने आग्रह किया है कि इस बात को सदन के सामने रखूं। सबको आप मजबूर मत कीजिये कि उनको अधिक देर तक रोका जाय—यह दुराग्रह है उनके साथ। शान्ति से आप इस पर विचार कीजिये। सदस्यों की भी शिकायत है कि उनको बहुत देर तक बिठाये रखा जाता है। उनको न भोजन मिलता है और न कुछ। पत्रकारों की

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

भी शिकायत है कि देर तक चलने वाली कार्यवाही वे अखबार में प्रकाशित नहीं कर पाते हैं। इसलिये यह जो प्रस्ताव रखा गया है उस पर निष्पक्ष ढंग से विचार करें और अपने कार्य से दूसरों को इतनी असुविधा और कष्ट में न डालें। विधान सभा और पांच दस दिन चला ली जाय।

कई माननीय सदस्य : ओवर टाइम अलाउन्स मिलना चाहिये।

श्री मंजूर अली : इस पर मत लिया जाना चाहिये।

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय विधि मंत्री महोदय रोज प्रस्ताव रख देते हैं समय बढ़ाने का। अनुशासन के कारण ही हां पक्ष के लोग हां कर देते हैं। सब ही माननीय सदस्य दुखी हैं। सब ही लोगों को भागीदार बनाया जा रहा है इस दोष में। इसलिये माननीय मंत्री महोदय इस पर विचार करें और निर्णय करें कि क्या यह उचित है या नहीं ?

श्री सूरजपाल सिंह : इस पर मत लिया जाय।

श्री हरिसिंह : माननीय सभापति महोदय, माननीय बजरंगलालजी ने जो बात कही है, मैं उसकी ताईद करता हूं। यह जल्दबाजी हो रही है, हर एक आदमी को कहा जा रहा है कि तुमको इतनी रात तक रुकना होगा। यह बात बहुत गलत है। टाइम का ख्याल रखना चाहिये। जल्दबाजी ठीक नहीं है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : बजट को पास करना है।

श्री रतनलाल वर्मा : 2 मिनट।

श्री सभापति : डिबेट नहीं।

श्री रतनलाल वर्मा : डिबेट का सवाल नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जब आसन पैरों पर है तो आपको बैठना चाहिये।

जो माननीय सदस्य श्री बजरंगलाल जी ने कहा है और माननीय मंजूर अलीजी और डा. हरिसिंहजी ने कहा है, यहां पर फतहसिंह का नहीं, आसन का प्रश्न है, आसन भी उनके भावों की कद्र करता है।

आज श्री सम्पतरामजी दो तरह की ड्यूटी अदा कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री भी हैं और मुख्य सचेतक भी हैं। यह बात अवश्य है कि इस सदन के माननीय सदस्यों को इस तरह से सदन का समय बार-बार बढ़ाने से कष्ट होता है। टाइम बढ़ाना और नहीं बढ़ाना यह सदन के हाथ में है। लेकिन एक बात कहना चाहता था कि 30 तारीख तक, जैसा कि माननीया सुमित्रासिंह ने बताया, इस बजट को पास करना है। यह सारा कार्यक्रम बिजनैस एडवाइजरी कमेटी के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। फिर भी जहाँ तक आपके प्रस्ताव का प्रश्न है मैं इसको सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है कि इस सदन की कार्यवाही उस समय तक के लिये बढ़ायी जाय जब तक आज की डिमाण्ड्स, जिन पर विचार हो रहा है, पास नहीं हो जायं ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

कई माननीय सदस्य : हां हां।

श्री सभापति : ठहरिये। मैं यह चाहता था कि आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं।

(श्री सभापति)

लेकिन आसन यह चाहता है कि बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में इस दल के और उस दल के दोनों नेता मिल कर इस सदन के माननीय सदस्यों की जो कठिनाई है उस पर विचार करें। आप जारी रखिये।

मांग संख्या 45 व 46 पर प्रश्नोत्तर वाद-विवाद

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सभापति महोदय, हल्दीघाटी को पर्यटन केन्द्र के रूप विकसित किया जाये। इसी तरह से जहाँ महाराणा प्रताप की चावण्डा में मृत्यु हुई वहाँ पर लोगों ने एक समिति बनाकर दो लाख रुपया खर्च करके एक काम प्रारम्भ किया है। मेरी मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि चावण्डा को भी पर्यटन केन्द्र घोषित किया जाये।

इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : सभापतिजी, सन् 1968 में जैतपुरा बाँध का शिलान्यास हुआ और अब वह पूरा हो चुका है इसलिए मैं आपकी मार्फत मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं। माण्डलगढ़ क्षेत्र में अनवासा, डापती और मन्डोला यह तीन बाँध बन रहे हैं, लेकिन पूरे नहीं हो रहे हैं इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके इन्हें जल्दी पूरा करें और जिन लोगों के मकान और खेत इन बाँधों की डूब में आ रहे हैं उन्हें जल्दी ही बसाने की और उन्हें पूरी सुविधायें देने की कृपा करें क्योंकि उनकी कुर्बानी पर ही बाँध बाँधे जा रहे हैं। सभापति महोदय, गोदटा डैम से हजारों बीघा जमीन की सिंचाई होती है। डैम है गोदटा और गोदटा को ही पानी नहीं मिलता। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इसको ऊंचा उठाया जाये और दूसरी तरफ ऐसी मोरी लगाई जाय ताकि गोदटा को भी पानी मिल सके।

यह सही है कि कुओं से जो जमीन सिंचित होती है उसमें काफी पैसा खर्च होता है। जो नहरों से जमीन सिंचित होती है और पाँच पिलाई बराबर मिलती हैं उसमें और थोड़ा सा पैसा एक-एक बीघा के साथ बढ़ा दे तो कोई हर्ज नहीं होगा। हो सकता है पहला ही आदमी मैं होऊं जिसने पहले भी यह कहा था कि आप लगान बन्द मत कीजिए और आज यही आदमी कह रहा है कि नहरों की सिंचाई पर यदि थोड़ा-थोड़ा पैसा प्रति बीघा बढ़ाना पड़े तो जरूर बढ़ाइये क्योंकि कुओं और नहरों में बहुत फर्क है। हम जब बार बार कहते हैं कि वहाँ तालाब और बंध बनायें तो बिना पैसे के कैसे बनेंगे। इसलिए मैंने यह निवेदन किया है।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में दस नदियाँ बहती हैं। खूब पहाड़ हैं और पत्थर की खानें हैं जहाँ 25 हजार मजदूर काम करते हैं। प्राकृतिक सौन्दर्य से वह क्षेत्र भरपूर है। उस क्षेत्र का आप सर्वे करायें। नदियों पर बाँध बनवायें तो मैं आपसे निवेदन कर सकता हूं कि माण्डलगढ़ क्षेत्र भीलवाड़ा जिले का गंगानगर बन सकता है लेकिन गंगानगर वैसा नहीं जैसा वह गंगानगर है जिसमें पाँच 'ब' हैं बन्दूक, बोतल, बैर, बकरा और बदला। वहाँ हर आदमी के कंधे पर बन्दूक है और हर आदमी की जेब में बोतल है, होटल में बकरे का गोश्त है, बैर है और उसके बाद बन्दूक है। वहाँ का यह बैरोमीटर है कि कौन कितने खून कर सकता

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्रीजी को विश्वास दिला सकता हूं कि अगर आप वहां खूब तालाब बना देंगे और नदियों को बंधवा देंगे तो वह गंगानगर बनेगा और गंगानगर बनेगा सदाचार, सौम्यता, सादगी, शिष्टता और सेवा भाव का, शराब मुक्त गंगानगर बनेगा, यह मैं विश्वास दिला सकता हूं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि कृपया सब नदियों का सर्वे करायें और एक एक इंच जमीन सिंचित हो—इसके लिए आप प्रयास करें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह तो नहीं होगा।

श्री सभापति : जैसा पिछले 30 वर्षों में नहीं हुआ।

श्री जगदीश सिंह।

श्री जगदीश सिंह (धौलपुर) : सभापति महोदय, धौलपुर के क्षेत्र में स्टेट के जमाने में केवल तीन बांध बने थे। सन् 1947 से आज तक कोई भी नया ताल या बांध नहीं बनाया गया। जो पुराने तालाब हैं, रामसर, तालाबशाही आदि वह या तो सिल्ट हो गये हैं और उनकी मरम्मत नहीं कराई गयी। यही हाल रहा तो जितनी आबपाशी उनसे हो रही है उसकी भी सम्भावना कम हो जायेगी। शार्ट में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर उनको थोड़ा सा रेज कर दिया जाये दो फीट या तीन फीट तो उससे पानी के साधन बढ़ सकते हैं और आबपाशी के साधन भी बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ करीब 50-60 साल से यह बांध बने हुए हैं और आज तक नहरों का कोई प्रबन्ध नहीं हुआ है जिसकी वजह से लीकेज और सीपेज होने की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में पानी भी नहीं है। रास्ते भी कटे हुए होने की वजह से पानी नहीं ठहरता है। हर पांचवें और सातवें दिन नहर चलने से टूटने की शिकायत होती रहती है। जब माननीय देवपुराजी मिनिस्टर थे तो उन्होंने फूलपुर बांध पर उद्घाटन किया था। वहां के गांवों के आठ-दस हजार आदमी ट्रकों और बसों से इकट्ठे किये थे सिर्फ प्रोपेगण्डा करने के लिए। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों किया गया जब कि फूलपुर के तालाब के ऊपर एक मिट्टी की बोरी तक नहीं लगाई गयी। पता नहीं वह स्कीम कहां गयी? इसका थोड़ा खेद जरूर है मुझे कि हमारी इस सरकार ने भी उस फूलपुर के बांध की तरफ भी कोई गौर नहीं किया। आखिर उसका उद्घाटन एक मिनिस्टर ने किया है इसलिये उस पर कुछ तो काम किया जाये। हो सकता है किसी कारण से इस काम को हाथ में नहीं लिया हो लेकिन अब आशा करता हूं कि उस फूलपुर के तालाब को बनाया जायेगा जिससे कि तीन चार गांवों के रकबों की आबपाशी होगी, सरकार को भी लाभ होगा और जनता भी उससे लाभ उठायेगी।

इसके अलावा धौलपुर क्षेत्र के अन्दर खास तौर से सेपू, फरदकोट वगैरह के अन्दर चार पांच साल से बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। बाढ़ की वजह से काफी भूमि में पानी भर जाता है और गांवों में भी तबाही होती है। इतना ही नहीं बल्कि यहां तक हो गया है कि देहात के जो गरीब आदमी थे जैसे शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के थे उनके करीब 50 पर्सेंट मकान गिर चुके हैं। हालांकि इसके लिए सरकार ने काफी मदद भी दी है लेकिन यह टेम्प्रेरी

(श्री जगदीश सिंह)

मील है। इसके लिए निवेदन करूंगा कि वहाँ चेनल बनाई जाये। जहाँ पानी का बहाव है वहाँ सर्वे किया जाय ताकि आइन्दा उस इलाके की बरबादी नहीं हो। माना कि सरकार खर्च कर रही है और नालियाँ भी बना रही है लेकिन उसका बाकायदा सर्वे होकर नालियाँ बनाई जायं तो अच्छा हो। यदि नहरों की मरम्मत नहीं की गयी तो अगली साल और भी बरा हाल होगा।

पार्वती नदी से जो नहरें निकली हुई हैं वह सिल्ट हो गयीं। नालियाँ नहीं बनने से काश्तकार लोग जगह-जगह से काट देते हैं और पानी ले लेते हैं। इसकी आज तक कोई योजना नहीं बनाई गई जिससे कि काश्तकारों को पानी मिले। जून के बाद नहरें बन्द होती हैं तो बसेड़ी से लेकर जो यू. पी. का एरिया है उस एरिया का पानी भी उन नहरों के जरिये से आकर सारे इलाके में फैलता है और बरबादी का बायस बनता है। यदि पार्वती नदी का फालतू पानी उस नाले में डाला जाये तो उस एरिया की काफी बरबादी बच सकती है। इसके अलावा मैं निवेदन करूंगा कि जो स्टेट टाइम के तालाब बने हुए हैं उनको कम से कम जरूर रेज किया जाये ताकि उस इलाके की आबपाशी की तरक्की हो सके और काश्तकारों को फायदा पहुंच सके।

अब, सभापति महोदय, दूसरा पर्यटन के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि पर्यटन की दृष्टि से धौलपुर क्षेत्र बहुत इम्पार्टेंट जगह है। भरतपुर का एरिया सिर्फ बर्ड सेंक्चुरी के लिए मशहूर है जिसके ऊपर करोड़ों रुपये खर्च किये गये हैं। अगर उसके मुकाबले में धौलपुर क्षेत्र में आधा पैसा भी खर्च किया जाये, और धौलपुर में जो वाइल्ड एनीमल सेंक्चुरी एरिया हैं जहाँ शेर, चीतें और क्रोकोडाइल वगैरह मौजूद हैं और इस समय भी मौजूद हैं अगर उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाये, वह हिस्टोरिकल एरिया है, वहाँ मन्दिर दो सौ और तीन-तीन सौ साल पुराने हैं, वहाँ शेरगढ़ का किला है और मुचकुण्ड, वनविहार, तालाबशाही व राय सागर आदि क्षेत्र हैं अगर इस तरह का कोई काम्पलेक्स बनाया जाये तो सरकार का पैसा तो जरूर खर्च होगा लेकिन कुछ समय बाद इससे रिटर्न भी होगा और फॉरिन एक्सचेन्ज भी मिलेगा। वहाँ बाहर के लोग आयेंगे उससे उस इलाके की भी तरक्की होगी, रोजगार भी लोगों को मिलेगा और सरकार को भी फारिन एक्सचेन्ज का फायदा होगा। साथ ही साथ में राजस्थान का नाम भी संसार के अन्दर होगा। उस एरिया की तरफ आप ध्यान देंगे तो राजस्थान का बहुत बड़ा सहयोग होगा।

धौलपुर से तीन मील की दूरी पर चम्बल नदी का पानी मध्य प्रदेश में जाता है और मध्य प्रदेश वाले उसका फायदा उठा रहे हैं। चम्बल नदी के पानी का उपयोग करने के लिये किसी प्रकार की योजना बनाई जाये ताकि जब नदी में पानी की कमी आती है तो उस इलाके की आबपाशी के लिये यह बहुत बड़ी सुविधा होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री समरथलाल।

श्री समरथलाल (राजगढ़) : माननीय सभापति महोदय, अलवर जिले के अन्दर और राजगढ़ एरिया के अन्दर जो बांध बने हुए हैं उनकी नहरें बनाने के लिये और

(श्री समरथलाल)
नहरें अधूरी हैं उनको पूरा करने के लिये जो मैंने कटौती प्रस्ताव रखे हैं उनकी ओर मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान राज्य के अन्दर पिछली पांच पंचवर्षीय योजनाओं के अन्दर करीब पौने चार करोड़ रुपया खर्च हुआ है। यह पौने चार करोड़ रुपया जो खर्च हुआ इस सिंचाई विभाग के द्वारा, उससे केवल 60 लाख हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो रही है। 60 लाख हैक्टेयर भूमि पर जो सिंचाई हो रही है उसमें कुओं से जो सिंचाई होती है वह भी शामिल है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितना इस सिंचाई के ऊपर खर्चा किया गया है उस खर्चे को देखते हुए उसका जो रिटर्न हमको मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो बांध बने हुए हैं जिन बांधों पर लाखों रुपया खर्च किया हुआ है उनमें से बहुत से बांध ऐसे हैं जिनकी नहरें नहीं बनी हैं उनकी नहरें बनानी चाहिए। बहुत से बांधों की नहरें बनी हैं उनको आगे बढाया जा सकता है। जब बांध में अधिक पानी देने की क्षमता है तो उन बांधों की नहरों को आगे बढ़ाया जाना चाहिये। माननीय सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। अलवर जिले में एक मंगलसर बांध है। उस बांध की नहरें जहां तक बनी हुई हैं, वहां तक पानी देने के बाद भी पानी बचा रहता है। मैं निवेदन करूं कि आज जितनी आबपाशी होती है इस बांध से इतनी और हो सकती है। इसलिये नहरों का और आगे बढ़ाया जाना चाहिये। जिन नहरों का खर्च हो चुका है उन नहरों को आगे बढ़ाया जाये और उसका काम शुरू किया जाये।

मैं दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूं कि लघु सिंचाई योजना के लिये सिंचाई की मांग के अन्दर बहुत कम रुपया रखा जाता है। लघु सिंचाई योजना के लिये अधिक रुपया रखा जाय क्योंकि लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत छोटे बांध बनाकर बहुत कुछ हमें रिटर्न मिल सकता है। इसलिये जो रुपया रखा है लघु सिंचाई योजना के लिये, वह अधिक रखा जाना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि अलवर जिले में बाढ़ से क्षति बहुत हुई है। राजगढ़ एरिया में मीलों तक सड़कों का पता ही नहीं कि कहां गई। जो बांध की नहरें बनी हुई हैं वह नहरें भी बिल्कुल खराब हो चुकी हैं। अब सिंचाई का समय आ रहा है। मैं समझता हूं कि यह नहरें जल्दी ठीक करादी जायेंगी। मैं निवेदन करूंगा कि यह नहरें इतनी खराब हो चुकी हैं कि अगर जल्दी इनको ठीक करने का काम शुरू नहीं किया गया तो बांधों का पानी नहीं निकल पायेगा और वह पानी बेकार जायेगा। इसलिये नहरों को ठीक कराने का काम जल्दी से जल्दी शुरू किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, राजगढ़ तहसील के अन्दर धमरेड़ बांध बना हुआ है। सिंचाई विभाग का करीब 20-25 लाख रुपया खर्च हुआ है। 20-25 लाख रुपये खर्च होने के बाद भी उस बांध के अन्दर तीन रोज तक पानी भरा रहता है। चौथे रोज पता नहीं वह पानी कहां चला जाता है। यह बांध 10-12 साल पहले

(श्री समरथलाल)

बना था। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप इस बात की जांच करें कि यह बांध किस एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर के जमाने में बना। इस प्रकार का बांध क्यों बनाया गया कि 20-25 लाख रुपया खर्च होने पर भी उसका उपयोग नहीं हो रहा है।

मैं आपसे दूसरा निवेदन करना चाहूंगा कि सिलीबेरी बांध को बनते हुए 6-7 साल हो गये। इसके लिये आपने जो रुपया रखा है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है इसको पूरा होने में 8-10 साल लगेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की योजना पूरी करने में 10-15 साल लगेंगे तो इससे जो रिटर्न होने की बात है वह सम्भव नहीं हो सकेगी इसलिये इसके लिये अधिक रुपया रखा जाये और इसे जल्दी से जल्दी पूरा किया जाये। राजगढ़ तहसील की भूमि पर यह बांध बन रहा है। आपको आश्चर्य होगा कि राजगढ़ तहसील की एक इंच भूमि को भी इस से आबपाशी नहीं हो पायेगी। इसका जो सर्वे किया गया था मैं मानता हूं कि राजनैतिक आधार पर किया गया था और इसका काम भी राजनैतिक आधार पर शुरू किया गया था। राजगढ़ एरिया अनुसूचित जाति और जन-जाति का एरिया है उस एरिया में कुओं से आबपाशी होती है। गांवों के अन्दर कुओं के अलावा आबपाशी का और साधन नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं इसका री-सर्वे कराने के बारे में विचार किया जाये।

(5.20 म० प०)

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री, सभापति, पीठासीन)

विचार करके इसका सर्वे इस प्रकार किया जाय कि राजगढ़ तहसील के गांवों को फायदा मिले।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय को कि भरतपुर जिले में हर वर्ष बाढ़ आती है। भरतपुर में हरियाणा से पानी आता है, अलवर जिले से पानी आता है और जयपुर जिले से पानी आता है। भरतपुर के लोग हमेशा बाढ़ से चिन्तित रहते हैं। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि अलवर से नागला का जो बाड़ा है उसका पानी भी भरतपुर जाता है। उसको अलवर जिले में ही रोका जाय ताकि भरतपुर की सुरक्षा हो सके। इसलिये मैं माननीय मंत्री से यही निवेदन करूंगा कि अलवर जिले में उसके पानी को रोक कर उसका उपयोग किया जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

पर्यटन के बारे में भी एक सुझाव देना चाहता हूं। पर्यटन विभाग हमारे राजस्थान के अन्दर प्रगति करे ऐसी सबकी इच्छा है। अलवर के अन्दर जो किंग एडवर्ड मेमोरियल होटल है के० ई० एम० होटल वह ट्रस्ट के जरिये चलाया जाता है। उसको राजस्थान सरकार पर्यटन विभाग के अन्दर ले तो मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को अच्छी इन्कम हो सकती है और इसका जो प्रबन्ध ढंग से नहीं हो रहा है, वह भी अच्छी तरह हो सकता है।

श्री सभापति : श्री एच० एन० शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री उगमराज।

(श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान ब्यावर क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं । ब्यावर एक शहरी क्षेत्र भी है और ग्रामीण क्षेत्र भी है । मैं ग्रामीण क्षेत्र की ओर ही माननीय मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं । इस क्षेत्र की ओर आज दिन तक सरकार ने ध्यान नहीं दिया । वहाँ पर सिंचाई के नाम पर 10 साल पूर्व देवाता के फीडर, सूरा घाटा के फीडर पर सरकार के हजारों रुपये खर्च हुये थे लेकिन वे दोनों अधूरे रह गये । उसके बाद एक पैसा भी नहीं लगाया गया । मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप देवाता का फीडर और सूरा घाटा का फीडर चालू करें ताकि वहाँ के किसानों की जमीन उस देवाता के फीडर से और सूरा घाटा के फीडर से सिंचित कर सकें । दूसरा जो पानी आयेगा वह ओवर फ्लो होकर जालीया तालाब में आयेगा जिससे ब्यावर की पानी की समस्या भी हल हो सकेगी । तो मैं निवेदन करूंगा, इस बजट में इन दोनों कार्यों के लिए प्रावधान जरूर रखें ।

दूसरा, वहाँ के तालाबों के हाल मैं बताना चाहता हूं । लसानी का तालाब टूटा हुआ है । ब्यावर क्षेत्र के सभी तालाब टूटे हुये हैं । मैं माननीय मंत्री का इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि डी. पी. ए. पी. में जो विश्व बैंक के द्वारा पैसा मिलता है मैंने पहले भी निवेदन किया था इस डी. पी. ए. पी. के आफिस को इमर्जेन्सी में श्री हरिदेव जोशीजी उदयपुर ले गये थे । ब्यावर में कुछ काम नहीं किया गया । मैंने माननीय मंत्रीजी से निवेदन किया था और उन्होंने उस समय आदेश दिया था कि डी. पी. ए. पी. का आफिस ब्यावर वापस लाया जायगा लेकिन आज तक वह वापस नहीं आया । मैं निवेदन करूंगा, डी.पी.ए.पी. का आफिस शीघ्र से शीघ्र ब्यावर लाया जाय । इसके अन्दर ब्यावर विधान सभा क्षेत्र के मसूदा और भीम क्षेत्र भी आते हैं, फिर भी उसको आपने कितना पैसा दिया है? केवल पाँच हजार । नागौर जिले को एक लाख रुपया दिया है, जोधपुर को 1.40 लाख रुपया दिया है और ब्यावर को केवल 5 हजार ही दिया है । उसमें तीन विधान सभा क्षेत्र आते हैं, दो सब-डिविजन उसमें कवर होते हैं फिर उसको केवल पाँच हजार रुपया ही दिया है । मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, कम से कम इस तरह ब्यावर की उपेक्षा न करें । ब्यावर एक औद्योगिक नगरी है और पहाड़ी क्षेत्र है जो सेना का क्षेत्र है । सेना में जो काम करते हैं वे बसते हैं और भूतपूर्व सैनिक भी बसते हैं इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसकी उपेक्षा न करें ।

श्री सभापति : श्री चिरंजी लाल ।

श्री चिरंजी लाल (पुष्कर): सभापति महोदय, सिंचाई के बारे में मैं राज्य सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूं । पहले मैं यह बता देना चाहूंगा कि हम बांध बनाते हैं पर उसके पानी का पूरा उपयोग हो, उसकी व्यवस्था नहीं करते हैं । इस कारण पानी बेकार जाता है और सिंचाई कम हो पाती है । मैं समझता हूं माननीय मंत्री महोदय अगर ध्यान रखें कि जो पहले बांध बने हुये हैं उनके पानी को पक्की नालियों के द्वारा खेतों तक पहुंचाने का प्रयत्न करें तो खेत अधिक सिंचित हो सकते हैं

(श्री चिरंजी लाल)

और पानी का भी अधिक उपयोग हो सकता है। हमारा राजस्थान प्रान्त जहाँ एक ओर पानी के लिये परेशान है वहाँ दूसरी ओर पानी का समुचित उपयोग भी नहीं होता है। किसान पानी के अभाव में पूरे खेत का उपयोग नहीं कर सकता है। तो पानी का सदुपयोग करने की ओर भी हमारा ध्यान जाना चाहिये। मेरे क्षेत्र में नागेलाव गाँव है। वहाँ की शिकायत थी कि पक्की नालियों में पानी बेकार जाता है और जितनी सिंचाई होनी चाहिये, वह नहीं होती है। दूसरा सुझाव पानी की नालियों के बारे में देना चाहता हूं। उसके पानी से काफी जमीन की सिंचाई हो सकती है लेकिन जब तक आदेश नहीं देते हैं विभाग के लोग डाइवर्ट नहीं करना चाहते हैं चाहे पानी उन नालियों का बेकार ही जाये, पानी की नालियों की ठीक से व्यवस्था न हो तो अधिक भूमि सिंचित नहीं हो सकती है।

एक सुझाव और देना चाहता हूं। गोविन्दगढ़ के पास साबरमती नदी है अगर उस पर बाँध का निर्माण किया जाय तो मैं समझता हूं, हजारों बीघा जमीन सिंचित की जा सकती है। जहाँ हम काश्तकारों की और मदद नहीं कर सकते हैं तो यह थोड़ी सी व्यवस्था कर दें। इससे काश्तकारों को, गरीब काश्तकारों को काफी लाभ होगा और उनकी भूमि अधिक सिंचित होगी। मेरा निवेदन है इस प्रकार की व्यवस्था करने की ओर भी माननीय मंत्री महोदय ध्यान दें। हमने घोषणा-पत्र में भी कहा है किसान भाइयों का ध्यान रखना है और उनके आर्थिक ढांचे को ऊंचा उठाना है तो फिर इस पानी का उपयोग करके कुछ तो किया ही जा सकता है। छोटे-छोटे बाँध बनाकर अपनी जमीन को सिंचित करना चाहिये। जहाँ पानी व्यर्थ जाता है वहाँ निश्चित रूप से इस प्रकार के बाँध बनाकर अगर सिंचाई की योजना बनायेंगे तो जो रेतीला इलाका है वह उपयोगी हो सकेगा। पुष्कर क्षेत्र में इस तरह के बाँध बनाने से काफी लाभ हो सकता है।

पर्यटन की दृष्टि से भी पुष्कर तीर्थ स्थान है। काफी मात्रा में यात्री पुष्कर आते हैं। मैं समझता हूं हिन्दुस्तान के कोने-कोने में जो यात्रा करके आता है वह पुष्कर अवश्य जाता है। इसलिये राज्य सरकार को चाहिये कि वहाँ पर यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दें। मैं समझता हूं जो यात्री आते हैं हो सकता है उनको मकान ठहरने को मिल जाय। लेकिन जिन यात्रियों का एक-दो घंटे बिताने का विचार हो तो वहाँ इस प्रकार का कोई स्थान नहीं है—बाग बगीचा या सुन्दर स्थान नहीं है जहाँ बैठकर समय बिता सकें। जिस स्थान पर लाखों यात्री जाते हैं और पाँच-सात दिन का प्रोग्राम बनाकर जाते हैं तो यदि हम पुष्कर का विकास नहीं करेंगे तो उस तीर्थ स्थान का जो सम्मान है, आदर है वह दिनों दिन कम हो जायगा और उसका महत्व कम हो जायगा। इसलिये निवेदन है पुष्कर जो प्रमुख तीर्थ स्थान बना हुआ है उसको बनाये रखने के लिये आवश्यक रूप से पर्यटन की दृष्टि से इस का विकास करें और बजट से जितना पैसा निकाल सकें उतना निकाल कर इस क्षेत्र के विकास में लगायें।

इतना ही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री ईश्वर चन्द्र ।

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : माननीय सभापति महोदय, मेरा यह दुर्भाग्य है कि मुझे सिंचाई मंत्री महोदय को यह याद दिलाना पड़ रहा है कि पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र की पिड़ावा तहसील, जो झालावाड़ जिले की सबसे बड़ी तहसील है, का इस पूरी सिंचाई पत्रिका, जो हमें दी गई है, में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है । यह प्रगति नहीं मेरे क्षेत्र की अधोगति है । पिछली कांग्रेस सरकार के बारे में यह कहा जाता था कि जिस चीज पर वह हाथ लगाती थी वही गायब हो जाती थी, चाहे वह सीमेंट हो, चाहे वह केरोसिन हो या और कोई चीज हो । लेकिन अब जो हमारे कल्याणकारी राजके मंत्री महोदय हैं, उनके हाथ लगते ही अब पूरे विधान सभाई क्षेत्र की सिंचाई योजना ही गायब होने लगी तो अब क्या होगा, इसकी मुझे बहुत बड़ी चिंता है ।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, जो मैंने कट मोशन दिया है वह इस बारे में है । मैं बड़े दुःख के साथ कह रहा हूं कि काला पीपल बांध की जो योजना है वह सरकारी कागजों में है । उस स्कीम का पूरी तरह से सर्वे हो चुका है । उससे 5,99,200 एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी । इतनी बड़ी यह योजना है जिससे न केवल पिड़ावा क्षेत्र में बल्कि मध्य प्रदेश के काफी बड़े क्षेत्र में सिंचाई हो सकती है, यह बांध बन जायगा तो सिंचित क्षेत्र करीबन कुल 220 वर्ग मील होगा । इस स्कीम के बारे में मंत्री महोदय ध्यान रखें और आज नहीं तो आने वाले वक्त में, भविष्य में इसके बारे में सोचें । इसका सर्वे हो चुका है, काफी पैसा इस पर खर्च हो चुका है हर तरह से यह बांध उपयुक्त है । इस बारे में मंत्री महोदय विचार करें । इस तरह से तो इस क्षेत्र को नेगलैक्ट नहीं करें तो अच्छा है ।

तहसील पिड़ावा में 51 के करीब तालाब हैं । इन तालाबों की मरम्मत बहुत जरूरी है । आप जानते हैं, सभापति महोदय, झालावाड़ में रैनबसेरा नाम का एक पिकनिक स्पोट है । मुझे अफसोस है, सिंचाई विभाग के जितने इंजीनियर हैं जो झालावाड़ जाते हैं वे रैनबसेरा में मुकाम करते हैं । मेरा खयाल है कि किसी ने ही शायद पिड़ावा तालाबों की हालत कभी देखी हो कभी उनकी हालत पर विचार किया हो । गांव आवालेड़ी, गोविन्दपुरा, खटकड़, कून्डला, खेमराज, सेमला, शेरपुरा आदि गांव हैं जहां पर बड़े-बड़े तालाब हैं मैं अपने चुनाव के दौरान वहां पर गया तो मुझे मालूम हुआ कि आज तक सिंचाई विभाग के इंजीनियरों ने शायद कभी इन तालाबों को देखा हो, उनकी मरम्मत कराई हो या कभी उनकी खुदाई कराई हो । हमारे विधान सभा क्षेत्र में करीब छः हजार कुए हैं जिनमें से दो हजार कुए बेकार पड़े हुए हैं । उनको ठीक कराने के लिए कोई प्रोविजन इस बजट में नहीं है और न इस प्रकार की कोई योजना है ।

सभापति महोदय, सन् 1916, 1924, 1949, 1950 और उसके बाद 1961 में अकाल पड़े । इस तरह से कई बार मेरे क्षेत्र में अकाल पड़ चुके हैं । इसका प्रमुख कारण यही है कि हम लोगों को आसमान की दया पर कांग्रेस सरकार ने छोड़ दिया था । अब जनता पार्टी की सरकार भी इसी तरह से उपेक्षा करती रही तो मैं समझता हूं कि अच्छा नहीं होगा । इस बारे में मंत्री महोदय विशेष ध्यान रखें और क

(श्री ईश्वरचन्द्र)

से कम जो कुछ सिंचाई विभाग के तालाब हैं, जो कुछ कुए हैं, जिनके द्वारा काफी सिंचाई हो सकती है, पानी उपलब्ध हो सकता है, उसके ऊपर ध्यान दें।

इसके अतिरिक्त कुछ नदियां हैं जिनमें लिफ्ट इरिगेशन स्कीम आसानी से लागू हो सकती है। उसमें आहू नदी विशेष रूप से है जिसका मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा। उसके बारे में अभी तक सिंचाई विभाग ने और हमारी सरकार ने कोई भी योजना नहीं रखी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अभी तो पर्यटन पर बोला ही नहीं हूं।

श्री सभापति : पर्यटन पर आपका कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है।

श्री ईश्वरचन्द्र : अभी एक मिनट में समाप्त करता हूं।

आहू नदी के पानी से पचपहाड़ में बांध बनाया जाय तो तहसील पचपहाड़ का काफी भाग सिंचित किया जा सकता है। लेकिन इसके बारे में भी कोई उल्लेख नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि मंत्रिमण्डल अपने खर्चे में कटौती करे, चाहे और किसी तरह से कटौती करे लेकिन सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विभाग के अन्तर्गत योजनायें नहीं बनेंगी तो हम लोग गांवों का विकास नहीं कर सकेंगे और यह आपकी अन्त्योदय योजना और गांवों के उत्थान की योजनायें सफल नहीं हो सकेंगी। जिन क्षेत्रों की वर्षों से उपेक्षा की गई है, मैं समझता हूं कि इस बार उन पर ध्यान दिया जाएगा। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि पिड़ावा क्षेत्र में जो काला पीपल-बांध है उसको प्राथमिकता दी जाय।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री किशनसिंह भाटी।

श्री किशन सिंह भाटी (जैसलमेर) : सभापति महोदय, मेरे तीन कटौती प्रस्ताव हैं। एक तो राजस्थान कैनाल में व्याप्त भ्रष्टाचार और उसके कार्यों पर पुनर्विचार करने के बारे में है और दो पर्यटन के बारे में हैं। राजस्थान कैनाल का जहां तक सवाल है मैं कहना चाहूंगा आपकी मार्फत, सभापति महोदय, मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ होगा कि यह विश्व की सबसे बड़ी नहर थी जिस समय शुरू में इसकी योजना बनी थी। अगर इसको लागू किया जाता तो यह हमारे जैसलमेर से होती हुई कच्छ रण तक पहुंच गई होती। जिस तरह अकाल राहत कार्यों पर करोड़ों रुपया बरबाद किया गया और उसके कारण उसकी उपयोगिता, उसकी यूटिलिटी कुछ भी नहीं रही वह तो इस तरह का व्यय हुआ है जैसे कहावत है कि pennywise and pond foolish. अगर राजस्थान कैनाल की तरफ पूरा ध्यान दिया जाता, युद्धस्तर पर इसको पूरा करने का प्रयास किया जाता तो राजस्थान नहर अकाल का स्थायी हल ढूंढ सकती है। इस योजना में जैसलमेर का हिस्सा बाकी रह गया। वह जो हिस्सा बचा है उसके लिए मेरा सुझाव है कि राजस्थान नहर को टैल-एण्ड से प्रारम्भ किया जाय। लेकिन जो टैक्निशियन्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं जिन्होंने जैसलमेर को कभी नहीं देखा है जिनको अन्दाज नहीं है कि वहां की हालत किस तरह की है, वह यही कहेंगे कि टैल-एण्ड से कैसे होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह कुदरत ने वहां पर

(श्री किशन सिंह भाटी)

चारों तरफ धोरों का निर्माण किया है, बीच-बीच में धोरे कुदरत ने डाले हैं, वहां आगे के क्षेत्र में कुदरती ढलान है, ठेठ नाचना, मोहनगढ़ से लेकर रामगढ़ तक कुदरती ढलान है। सिर्फ आपको बहुत कम टिब्बे हटाने का कार्य करना पड़ेगा और बहुत कुछ काम चल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि टैल-एण्ड से कार्य प्रारम्भ किया जाय ताकि नहर जल्दी से जल्दी पूरी हो सके। लेकिन दुःख है कि नहर बनाते समय हमारी कण्डीशन्स को ध्यान में नहीं रखा गया। जितना पैसा नहर पर लगाना चाहिए था वह नहीं लगाया गया बल्कि फण्ड का डायवर्शन किया गया है जैसा अभी डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य माथुर साहब कह रहे थे, मैंने पहली दफा गवर्नर साहब के थैंक्स मोशन पर भी कहा था और फिर दोहराता हूं कि लिफ्ट इर्रिगेशन के कार्य को नहीं बल्कि पहले मेन कैनाल को पूरा किया जाय। लिफ्ट इर्रिगेशन पर फण्ड डायवर्ट होने से मेन कैनाल डिस्टर्ब होती है। लिफ्ट इर्रिगेशन बहुत महंगा है, हमारे पास फण्ड्स की कमी है। एक तरफ फण्ड की कमी है और दूसरी तरफ पोलिटिकल आधार पर फण्ड का डाइवर्शन करते हैं। कभी कोई मंत्री चूरू का आ गया तो चूरू में लिफ्ट कैनाल ले गया, कभी नागौर का आया है तो नागौर में ले गया, दूसरी जगह का आ गया तो वहां ले गया। इस तरह से विकास के काम में, नहर के कामों में पोलिटिक्स नहीं आनी चाहिए। एक दो जगह जहां बहुत जरूरी हो वहां पर लिफ्ट इर्रिगेशन करें लेकिन जब तक मेन कैनाल पूरी नहीं हो जावे तब तक फण्ड्स का डाइवर्शन नहीं होना चाहिये। अभी फण्ड की शोर्टेज है और लिफ्ट इर्रिगेशन मंहगा पड़ता है। इसलिए मेरी मान्यता है कि सारे फण्ड्स राजस्थान कैनाल, जो मेन कैनाल है, उसको पूरा करने में लगा दिये जाने चाहिए। अब वर्ल्ड बैंक भी इसके लिये पैसा दे रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि सन् 83 तक पूरा कैसे कर पायेंगे। कमी है योजना की क्रियान्विति की, कमी है काम की। दिल हमारा है नहीं। जिनके भरोसे काम चलता है नहर का वह चाहते हैं कि करोड़ों रुपया फालतू खर्च होता रहे, बराबर खर्च होता रहे। जैसा पहले मैंने निवेदन किया था कि नहर का सीमेंट, लाखों करोड़ों का सीमेंट पाकिस्तान चला गया। ऊंटों पर लाद कर ले जाया गया है और इंजीनियर्स और ठेकेदारों की मिलीभगत से ले जाया गया है। इसके लिए जो गेहूं दिया जाता है वह व्यर्थ जाता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से तेल घी दिया जाता है वह ब्लैक में बिकता है। नहर की सीमेंट ब्लैक में बिकती है। वर्षों से यह हो रहा है अगर आप आज भी इसको पकड़ना चाहें तो मैं उसमें सहयोग दे सकता हूं, दूसरे लोग भी सहयोग दे सकते हैं। इसके लिए आपको छापे मारने चाहिए। बीकानेर में नहर का मैटिरियल 10 से 16 लाख रुपये की लागत की मशीनों का, जो अन्य क्षेत्र हेतु है, यूज किया गया है। इस तरह का भ्रष्टाचार और धन का दुरुपयोग इस नहर के निर्माण में किया गया है जिसकी कोई हद नहीं है। वहां बड़े बड़े बंगले हैं, सादुलगंज में इंजीनियर्स कॉलोनी है उसको तोड़ कर देखा जाय तो राजस्थान नहर की सीमेंट और दूसरा मैटिरियल निकल सकता है। वहां पर आर. सी. पी. का बहुत सा मैटिरियल लगा हुआ है। जैसे ईंटें आदि जिन पर आर. सी. पी. लिखा हुआ है। They are visible monuments of corruption there. जो राजस्थान

Page No.134

(श्री किशनसिंह भाटी)

बनने की गति धीमी है उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उसमें करप्शन बहुत ज्यादा है। लोग चाहते हैं कि बीस वर्ष तक काम चलता रहे, धीरे-धीरे काम चलता रहे, अर्थ वर्क का काम चलता रहे और वे करप्शन करते रहें। आप जानते हैं, सभापति महोदय, अर्थ वर्क ऐसा काम है नहर का या सार्वजनिक निर्माण विभाग का जिसमें हायेस्ट पैसे का मार्जिन रहता है। सैंडड्यून, धूल भरी आंधियां बता कर अर्थ वर्क करते रहते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि नहर को युद्धस्तर पर पूरा किया जाय और टैल-एण्ड से शुरू किया जाय। सारा का सारा रुपया मेन कैनाल पर खर्च किया जाय। इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि डिविजन कहीं का होता है और रहते कहीं हैं। नाचना, मोहनगढ़, नोख, नेड़ाई डिविजन में वे बतलाते हैं, वह केवल कागज में हाजरी देते हैं। रहते बीकानेर व फलौदी में हैं आप देखिए कि जो डिविजन बनता है, जिस जगह पर उनकी ड्यूटी है उनको वहीं पर रहना चाहिए, लेकिन कागजों में वहाँ पर बता रखा है और रहते हैं फलौदी में, बीकानेर में। यह करप्शन की पराकाष्ठा है। आज की तारीख में अफसर अपना हैडक्वार्टर जैसलमेर में बताये और दो-दो साल तक जयपुर में चलता रहे इससे बड़े करप्शन की मिसाल क्या हो सकती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जहाँ तक पर्यटन का सवाल है। पर्यटन के बारे में, श्रीमान् सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत यह कहना चाहूंगा पर्यटन मंत्री महोदय को कि उन्होंने जीवन में जैसलमेर को कभी देखा नहीं होगा। वह जाकर देखें वहाँ। भारतवर्ष में जैसलमेर सबसे अच्छा पर्यटन स्थल हो सकता है जैसा कि अभी मथुरादासजी माथुर ने भी कहा था। वह गोल्डन सिटी, स्वर्ण नगरी कही जाती है। जो भी पर्यटक आते हैं वहाँ पर वे कहते हैं कि इस रेतीले प्रदेश में ऐसी भी नगरी है। ऐसे भी कई भग्नावशेष हैं स्थापत्य कला के जो फ्रान्स के राइटर की किताब निकली है, उस पुस्तक ने यूरोप और फ्रांस में धूम मचा दी है जैसलमेर को वे कहते हैं कि either Jaisalmer is Rome of India or Rome is Jaisalmer of Europe. यहाँ तक तुलना करते ह। हिन्दुस्तान में कहीं भी उतरे, फ्रेंच के लिए तो वहाँ आना कम्पलसरी हो गया है, भारतवर्ष के किसी कोने पर वह उतरे जैसलमेर आना उसके लिए मस्ट हो गया है। यही हालत यूरोप में भी है। जैसलमेर में आकर्षण भी है। उसकी स्ट्रैटेजिक इम्पार्टेन्स है। वहाँ पर जो किला है वह स्ट्रैटेजिक इम्पार्टेन्स का है। उसके 99 बुर्ज हैं। पास की पहाड़ियों से किले पर तोप दागिये तो गोला बुर्जों से या तो एक इंच ऊंचा या सतह से नीचे निकल जायेगा लेकिन उसे ध्वंस नहीं कर सकता। यह स्ट्रैटेजिक इम्पार्टेन्स है। वहाँ पर मन्दिर है। 5 जैन मन्दिर हैं। वहाँ पर अनेक मूर्तियां बनी हुई हैं। छोटी–छोटी मूर्ति है और छोटा टेम्पल है। टेम्पल के अन्दर जो छोटी मूर्ति है, वह पन्ने की है और एक जौ के दाने जितनी मन्दिर व उसमें इतनी छोटी, एक मूर्ति तिल के बराबर है। उसको आप माइक्रोस्कोपिक ग्लासेज से ही देख सकते हैं। उसके भी गहने खुदे हुए हैं वहाँ पर 2200 ग्रन्थ ताड़ पत्रों पर जैन मुनियों द्वारा लिखे हुए सुरक्षित हैं। जैन मुनि भद्रसूरीजी द्वारा लिखित ग्रन्थ वहाँ पर हैं जिनका स्थान जैन धर्म में बहुत ऊंचा है। जैन मन्दिर के

(श्री किशनसिंह भाटी)

अलावा वहाँ पर पटवा हवेली है, जो स्थापत्य कला में संसार में अद्वितीय है । चूने पर सोने चाँदी और अन्य मैटल की तरह की खुदाई का कार्य किया हुआ है । आप निरीक्षण करेंगे तो यह देखेंगे कि मानो यैलो मारबल का गहना गढ़ दिया हो । इस तरह से पीले संगमरमर की खुदाई की गई है मेरे कहने का अभिप्राय यह है और यह ठीक भी होगा, आप स्वयं पधार कर जैसलमेर को देख लीजिए । यह मेरी ओपीनियन है कि आप भी देख कर इस बात की ताईद करेंगी कि वास्तव में भारतवर्ष में ऐसा कहीं कोई स्थान नहीं है । राजेन्द्र बाबू, पंडित जवाहर लाल नेहरू, भूतपूर्व प्रधानमंत्री के भी यही रिमार्क्स हैं कि हम ने अपने जीवन में जितने स्थान देखे उनमें इतना अच्छा नमूना स्थापत्य कला का कहीं भी नहीं देखा । जैसलमेर की पर्यटन की दृष्टि से इम्पार्टेन्स है । इसलिए मेरा निवेदन है कि आप वहाँ पर हवाई सर्विसेज प्रारंभ कीजिए ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सटर्डे और सन डे को वहाँ पर हवाई सर्विसेज आप चालू कर सकते हैं जो माउन्ट आबू, रणकपुर, भरतपुर, जैसलमेर होकर चले । जैसलमेर में सिविल एयर ड्रोम नहीं है । परन्तु मिलिट्री से परमिशन लेकर उसके एयरोड्रोम का आप उपयोग कर सकते हैं या सिविल अड्डा बनायें । कई आफिसर, विदेशी नागरिक, एम० पी०, एम० एल० ए०, जज, सारे दूतावासों के लोग हवाई सर्विस की सुविधा होने पर जैसलमेर देख सकते हैं क्योंकि संसद विधान-सभाएं, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय तथा कई कार्यालय शनिवार एवं रविवार दोनों ही दिन बंद रहते हैं । फर्स्ट क्लास में दिल्ली से जैसलमेर ट्रैवलिंग करने के मुकाबले प्लेन की जर्नी सस्ती होगी । इससे लोगों का समय बचेगा । सभापति महोदय, वास्तव में जैसलमेर में पर्यटन का स्कोप बहुत है । जो आँकड़े हैं उनकी तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । यह पर्यटन वहाँ पर अभी-अभी बढ़ा है । आज वहाँ आने वाले विदेशी पर्यटकों की जितनी संख्या है, उतनी जयपुर को छोड़ कर किसी दूसरे शहर में नहीं है । जैसलमेर आज पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बन गया है । इसलिए मेरा निवेदन है कि वहाँ के प्लेन डेजर्ट में छोटे छोटे पर्यटक बंगले बनने चाहिए, ताकि टूरिस्टों को सुविधा हो ।

इसी प्रकार वहाँ पर रामदेवरा नामक स्थान है । वहाँ पर लगभग पाँच लाख यात्री आते हैं....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें ।

श्री किशनसिंह भाटी : सभापति महोदय, वह एक अद्वितीय स्थान है । हिन्दू-मुस्लिम का मिलन स्थान है । दोनों के लिए तीर्थ स्थान है । बीकानेर, जोधपुर, फलौदी सब के बीच का वह केन्द्र है । इसलिए मेरा यह निवेदन है कि रामदेवरा में भी आप एक टूरिस्ट बंगला बनाएंगे तो मैं स्वागत करूंगा । महाराजा करणीसिंह ने टूरिस्टों के लिए एक बंगला बनाया था जैसलमेर में, उसकी शैयाओं और कमरों को आप डबल कर दें क्योंकि टूरिस्ट्स बड़े पैमाने पर वहाँ आ रहे हैं । जैसलमेर एरिया में कई फिल्में भी फिलमायी गयी हैं । सत्यजीत रे, के० आसिफ, सुनीलदत्त वहाँ पर आए हैं । 'रेशमा और शेरा' वहाँ पर बनी है । फिल्मी

(श्री विशनसिंह भाटी)
लोगों का ध्यान भी इस ओर गया है। जैसलमेर में बनी फिल्मों ने सारे वर्ल्ड में धूम मचायी है। वहाँ पर बनी चारों फिल्में पापुलर गई हैं। उनका सब ने एप्रिसिएशन किया है। कहने का अभिप्राय यह है कि जैसलमेर में बनी फिल्मों को वर्ल्ड फिल्म कम्पीटीशन में पहला इनाम मिला है। सभापतिजी, जैसलमेर का आकर्षण अछूता है। जीवन में जैसलमेर को नहीं देखा तो आपका जीवन सार्थक नहीं है। सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे जैसलमेर को देखें। आप देख कर इसके महत्व का निर्णय कीजिए और इसको डवलप कीजिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री **सभापति** : श्री हीरालाल।

श्री **हीरालाल आर्य** (पीपलदा) : सभापति महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र पीपलदा ऐसा क्षेत्र है, जिसका आधा क्षेत्र सिंचित है, कमाण्ड एरिया में आता है और आधा नायब तहसील का एरिया है, जहां पर सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं। मेरा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है। इस क्षेत्र के 80 प्रतिशत लोग खेती करते हैं और रेवेन्यू के रूप में बहुत अधिक पैसा देते हैं जो राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में सहायक होता है। इस क्षेत्र में सिंचाई की दृष्टि से कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जो उपेक्षित हैं। यद्यपि मेरी तहसील का क्षेत्र कमांड एरिया में है लेकिन उसमें सैंकड़ों हजारों एकड़ जमीन ऐसी है, जिसमें सिंचाई नहीं होती है। इसे सिंचाई विभाग की अकार्यकुशलता ही कहना चाहिए। विभाग की उसके प्रति उदासीनता है। कमांड एरिया होते हुए भी बहुत सारा ऐसा एरिया है जहां पर कि सिंचाई नहीं होती है। मैं सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि ऐसे जो क्षेत्र हैं, उनमें शीघ्र ही सिंचाई की व्यवस्था करवाई जानी चाहिए। दूसरे इटावा ब्रांच कैनाल और खाम्रयाना ब्रांच कैनाल के बीच जो सैंकड़ों एकड़ जमीन है, उन दोनों नहरों के बीच की सिंचाई नहीं होती है। इस क्षेत्र के लिए लिफ्ट इरिगेशन के लिए योजना स्वीकृति हेतु जयपुर चीफ आफिस, सिंचाई विभाग को भेज दी गई है। मैं सिंचाई मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि वे शीघ्र ही इस योजना को स्वीकृत करायें ताकि जो सैंकड़ों एकड़ जमीन बेकार पड़ी है, उस पर सिंचाई हो सके। इसी प्रकार खातोली क्षेत्र कमाण्ड घोषित नहीं किया हुआ है। वहां पर सैंकड़ों बीघा जमीन है जिस पर सिंचाई नहीं होती है। अतः इसको सिंचाई क्षेत्र घोषित किया जाए ताकि वहां के किसानों को सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सकें।

तहसील इन्द्रगढ़ जहां पर····

श्री **सभापति** : आपका कटौती प्रस्ताव इस संबंध में नहीं है।

श्री **हीरालाल आर्य**: सिंचाई के बारे में है।

श्री **सभापति** : आपने स्पेसिफिक लिख कर नहीं दिया है।

श्री **हीरालाल आर्य** : असिंचित क्षेत्र है, सिंचाई नहीं होती है। इन्द्रगढ़ में सिंचाई के साधन नहीं हैं। कुए ही सिंचाई के एकमात्र साधन हैं। वहां के कुओं का विद्युतीकरण

(श्री **हीरालाल आर्य**)
किया जाए ताकि किसानों को सिंचाई करने में सुविधा हो। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय कुओं को बिजली पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे ताकि किसानों को सिंचाई में सुविधा हो। अब मैं सिंचाई विभाग के मंत्री महोदय का इस ओर ध्यान आकर्षित करूंगा कि जो सिंचाई के क्षेत्र हैं, उनका समुचित उपयोग नहीं हो रहा है। पानी इधर-उधर बहता रहता है। कर्मचारीगण ध्यान दें जिससे सिंचाई का पानी बेकार न जाय और खेतों में पहुंच कर उसका समुचित उपयोग हो।

दूसरा मेरा यह सुझाव है कि जो सिंचाई के पटवारी हैं, वे किसानों की सिंचाई घर में बैठ कर लिख लेते हैं। किसान चिल्लाता रहता है, पांच बीघा में सिंचाई की थी दस बीघा लिख दी। अतः सिंचाई मंत्री जी को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तीसरा मेरा यह निवेदन है कि जिन क्षेत्रों में नहरें पहुंची हैं आपने वहां के किसानों पर खुशहाली कर लगाया है। किसानों की माली हालत जैसी पहले थी, वैसी ही है। उनके आर्थिक और सामाजिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए मेरा राज्य सरकार को निवेदन है कि जो खुशहाली कर लगाया गया है उसको शीघ्र ही समाप्त किया जाए। इससे किसानों को राहत मिलेगी।

सभापति जी, थोड़ा मैं पर्यटन विभाग के सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहता हूं। इन्द्रगढ़ में कमलेश्वर नाम का महाभारत-कालीन एक भव्य शिव मंदिर है। वह पहाड़ों के बीच में रमणीय स्थान पर है। पर्यटन की ष्टि से अभी तक उसकी उपेक्षा की गई है। मैं निवेदन करता हूं कि पर्यटन की दृष्टि से उस क्षेत्र का विकास किया जाए। वहां पर हजारों यात्री प्रति वर्ष आते हैं तथा वहां एक विशाल मेला भी लगता है। उनके लिए आवागमन, भोजन, रहने की और चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं। यह मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

श्री **सभापति** : श्री ओम प्रकाश।

श्री **ओमप्रकाश शर्मा** (बूंदी) : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र में लगभग 20 वर्ष से चम्बल का पानी सिंचाई के काम में आता है। उससे सिंचाई किस प्रकार से की जाती है, यह बात आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा। पानी पहले तो ठीक तरह से नहीं दिया जाता है, दूसरे जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं, जिनके पास बड़े-बड़े खेत हैं उनको पानी दिया जाता है। जो छोटे-छोटे काश्तकार हैं, उनका गन्ना सूख जाता है लेकिन उनको पानी नहीं दिया जाता है। मेरा मतलब है, जो पानी पहले छोड़ा जाता है, वह उनको दिया जाता है जो बड़े-बड़े लोग हैं। वह लोग बड़े-बड़े अधिकारियों से सांठ-गांठ रखते हैं। अधिकारी गरीबों को पानी नहीं देते हैं। मेरा यह भी निवेदन है कि ग्राम सभा बनाई जानी चाहिए जिससे कि काश्तकार उससे अच्छी तरह से लाभ उठा सकें। ग्राम सभा बैठ कर यह निर्णय करे कि पहले पानी किसको मिलना चाहिए। अगर इस प्रकार की बात हुई तो इससे काश्तकारों को लाभ ज्यादा होगा। आज से 20 वर्ष पूर्व बरधा बांध चम्बल नदी पर बनाया गया था जिसकी क्षमता 20 हजार एकड़ की है। वह अधूरा पड़ा हुआ है। उसका पानी वैसा का वैसा ही है। सरकार को इससे नकसान होता

(श्री ओमप्रकाश)

है। इसी प्रकार से काश्तकार को भी नुकसान होता है। अगर उसको पूरा बनाया जाता है और उसकी नहरें पूरी कर दी जाती हैं तो काश्तकार को लाभ होगा और राजस्थान प्रदेश को लाभ होता है। परन्तु वह वैसा का वैसा ही पड़ा है। नहरें निकाली गईं लेकिन वह वैसी की वैसी ही पड़ी हैं। पैसा दिया जाता है लेकिन भ्रष्टाचार होता है। इस प्रकार के मामले हैं। मेरे पास ऐसा एक केस है जो कि मैं आपके सामने रखूंगा। इसी प्रकार से बिजोलिया से बूंदी के रास्ते में अभयपुरा बांध है। झोपड़िया बांध है जिसको बनते 8 साल हो गये। पता नहीं कब पूरा होगा। उसकी योजना चल रही है लेकिन उसका कार्य अधूरा है और खटाई में पड़ा है। मेरा निवेदन यह है कि जो योजना पहले बनाई गई है और अधूरी है उसको पहले पूरा किया जाना चाहिए। अभयपुरा बांध बनाने से अनेक गांवों को लाभ होगा। उसको 15 फीट ऊंचा करना चाहिए। आज तक उस पर करोड़ों रुपयों का खर्चा हो गया है। मेरा निवेदन है कि उसको शुरू करना ही नहीं चाहिए था। अगर शुरू कर दिया तो उसको पूरा किया जाना चाहिए। उन गांवों में झोंपड़ियों, नीम का खेड़ा, गुढ़ा, राम नगर, कंजर कॉलोनी, हटीपुरा, रघुबीरपुरा, खेरणा, तीखाबड़ा, आदि अनेकों ग्राम हैं जिनको लाभ होगा। वह मांगली नदी पर है, और उस पर 37 लाख रुपये खर्च होने बाकी हैं। इसी प्रकार से गरड़दा बांध है। 1967 में उसका सर्वे हो चुका है। वह घोड़ा पछाड़ नदी पर है। उससे 50 हजार एकड़ भूमि सिंचित होगी। उसका सर्वे हुए इतने दिन हो चुके हैं परन्तु उसका अभी तक कोई पता नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसी प्रकार से अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत मेरा निवेदन है कि यह योजना भी वहीं से शुरू होनी चाहिए क्योंकि वहां के लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। लाखों गरीब गुर्जर और भील तथा अनुसूचित जाति के लोग वहां रहते हैं। वहां बांध बनाया जाये तो वहां के लोगों को लाभ होगा। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि उस बांध को जल्दी पूरा कराया जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो वहां के लोग ज्यादा लाभान्वित होंगे।

अगला जो मेरा कट मोशन है, ...

श्री सभापति : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य। आपको 7 मिनट हो गये हैं।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : मेरा निवेदन है कुछ प्रथम श्रेणी के अधीक्षक हैं उनके 5 वर्ष से स्थान खाली हैं। उनकी पदोन्नतियां मुख्य अभियन्ता अपनी मानोपोली के आधार पर करते हैं। उनकी नियुक्तियां लोक सेवा आयोग करता है। मेरा निवेदन है कि विभागीय प्रणाली के आधार पर नियुक्ति क्यों नहीं करायी जाती है?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य। 60 माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : पांच मिनट और।

श्री सभापति : पांच मिनट ?

श्री ओमप्रकाश शर्मा : दो मिनट ...।

श्री सभापति : यह औरों के साथ अन्याय होगा।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : मैं निवेदन कर रहा हूं। ये फाइलें पड़ी हुई हैं।

श्री सभापति : इतने मिनट हो गये हैं। मुझे अफसोस है। आप मुझे सहयोग दीजिए।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : मेरा निवेदन है...

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : यह कोटा डैम की रिपोर्ट है। कोटा डेम में घोटाला है उसकी रिपोर्ट सिंचाई मंत्री को दे दी गई थी। उन्होंने वह फाइल अधिकारियों को दे दी तथा कहते हैं कि तुम्हारी फाइल यह है। अब तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाय, मार दिया जाय कि छोड़ दिया जाय। वह अधिकारी अब मजदूरों पर दबाव डालते हैं। अत्याचार करते हैं तथा कहते हैं कि यह तुमने फाइल दी है यह हमारे पास मौजूद है। सभापति महोदय, उसमें लाखों रुपयों का घोटाला है। प्रार्थना-पत्र मेरे पास मौजूद है। मैं आपके माध्यम से सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि उसकी सरकार को जांच करानी चाहिये।

श्री सभापति : श्री निर्मल कुमार।

(अनुपस्थित)

श्री ताराचन्द !

श्री उपाध्यक्ष : यह जो आपका प्रार्थना-पत्र है, यह आप मंत्री महोदय को दे दीजिये।

श्री सम्पतराम (सिंचाई मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, अभी बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ आरोप लगाये कि भ्रष्ट आदमी को इन्क्वायरी दे दी गई। भ्रष्ट के बारे में तो बाद में कहूंगा, अभी मैं इतना ही कह सकता हूं कि माननीय सदस्य किसी अधिकारी के बारे में कहेंगे तो किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को इन्क्वायरी देने के लिये तैयार हूं।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : धन्यवाद।

श्री ताराचन्द : आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि आज सिंचाई की मांग के ऊपर चर्चा हो रही है, मैं भी भरतपुर जिले के अपने क्षेत्र के बारे में कुछ कहूंगा। इस समय मैं यह कहूंगा कि राज्य अवश्य बदल गया है, अंग्रेजों के बाद कांग्रेस का राज आया और कांग्रेस के बाद आज जनता राज स्थापित हुआ है। परन्तु राज बदल जाने के बाद भी कुदरत नहीं बदली है। अलबत्ता हमारे कार्यकलाप बदल गये हैं। कुदरत की जो नहरें और नदियां हैं वह उसी तरीके से अपना काम कर रही हैं। आज भी बाढ़ का आना किसी प्रकार से बन्द नहीं हुआ। हमारे क्षेत्र में जो नदी बहती है, वहां पर सन् 1924 में फ्लड आया, उसके बाद 1941 में फ्लड आया। उसके बाद कांग्रेस के राज में न मालूम क्या था कि 1958 में, 1968 में, 1972 में और 1976 में फ्लड आया। अब की बार तो शुरुआत में ही 1977 में फ्लड आ गया। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि राज बदला है, लेकिन कुदरत नहीं बदली है। कुदरत आज तक नहीं बदली है और हम यहां आप हुंचे हैं। यह अपने आप नहीं हुआ है बल्कि हमारे कार्य-कलाप बदल जाने से यह सारी बात हुई है।

(श्री ताराचन्द)

मैं आपको यह बताऊंगा कि जितने भी बांध बने हुए हैं हमारे यहां वे सरकार ने नहीं बनवाये, वे बहुत पहले के बने हुए हैं। जो बहुत बड़ा सीकरी बांध है वह 14 मील लम्बा है, अजान बांध 11 मील लम्बा है। इसी प्रकार से सिंचाई के साधन भी पहले के हैं। जो छोटे-छोटे बांध बने हुए हैं, उन्हीं के जरिये से सिंचाई होती है। पिछला रिकार्ड देखने से पता चलेगा कि सिंचाई के लिए छोटे-मोटे बांध बनाये गये थे। अभी यह कहा गया कि फ्लड कन्ट्रोल के लिये कैनाल बनाई जाय इससे बाढ़ का पानी निकल जायगा। मैं समझता हूं कि जो बांध बांधे गये हैं वह भी कैसे टूट जाते हैं और बिगड़ जाते हैं, किस प्रकार से पानी सिमट कर आता है, यह सब टैक्निकल बातें हैं। मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमारे यहां पर बाढ़ आई। जितना भी पानी आता है वह रूपारेल नदी से आता है। उसका पानी होम कैनाल के द्वारा उत्तर प्रदेश को जाता है। होम कैनाल राजा-महाराजाओं के जमाने में बनायी गई थी, आज तक उसकी खुदाई नहीं हुई। आज भी उससे पानी आता है जिसके कारण हमारे तमाम गांव डूब जाते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप इसके कन्ट्रोल की ओर ध्यान देने की कृपा करें। अगर पुराने रास्ते को देखें तो शायद हो सकता है कि पानी की निकासी बढ़ी है। यह चार नदियां हैं और पाचवीं नदी गोवर्धन कैनाल नदी है। इसी लिए गोवर्धन होम कैनाल से कोई फायदा नहीं है। उसका कोई भरतपुर जिले को फायदा नहीं है। अपने बचाव के लिये हरियाणा सरकार ने हमारे यहां, ...

श्री सभापति : इस विषय पर आपका कटौती प्रस्ताव नहीं है।

श्री ताराचन्द : मैं सिंचाई की मांग पर बोल रहा हूं, इण्डस्ट्री पर नहीं कह रहा हूं। मैं निवेदन करूंगा कि मुझे थोड़ा समय लगेगा। मैं यह बतलाऊंगा कि कुछ गलतियां होती हैं उनका सुधार किस प्रकार से किया जा सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मुझे थोड़ा अधिक समय और दें, इसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा।

तो अब भी बाढ़ आती है इसलिये होम कैनाल, जो 35 मील लम्बी है, को सुधारा जाय और खुदवाया जाये। उसके साथ-साथ मोती झील बांध है, उसका मथुरा रोड पर रेग्युलेटर बनाया गया है। वह बहुत पुरानी झील है, उससे अठारह सौ क्यूसेक पानी का आउटपुट हुआ है लेकिन पुलों के लिये रास्ता नहीं था, वेस्ट बिअर

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप बार-बार घंटी बजा रहे हैं।

इसलिये अब मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि खानवा बांध सन् 52 में बनाया गया था। वह कांग्रेस सरकार ने बनाया था लेकिन यह मेरी समझ में नहीं आता कि वह किस कारण से बनाया? उस बांध के ऊपर एक रेग्युलेटर बना हुआ है जिसकी 580 एस. आर. एल. और वेस्ट विअर की एस. आर. एल. 580 रखी है जिससे नदी के दो भाग हो गये और बीच में डेल्टा के रूप में जमीन रह गई है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आज हम वहां पर एक पुल की मांग कर रहे हैं।

श्री सभापति माननीय सदस्य, इस पाइन्ट पर आपका कटौती प्रस्ताव नहीं है कि गड़बड़ियां हुई। बिल्कुल रिलेवेन्ट बात कहिये।

श्री ताराचन्द : सिंचाई विभाग के ऊपर पर बोल रहा हूं।

श्री सभापति : मैं निवेदन करता हूं कि जो समय था वह खत्म हो गया है।

श्री ताराचन्द : बारटा बांध की नहरों से सिंचाई होती है लेकिन वह नहर ढंग से नहीं बनी हुई है, बिगड़ी हुई है। जो लठैत होते हैं वे उसको काट कर पानी लेते हैं और गरीबों को पानी नहीं मिलता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री ताराचन्द : जो आज्ञा।

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल।

श्री **चुन्नीलाल** (खण्डार) : माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में सिंचाई के साधन नहीं हैं। खण्डार को बनास नदी ने दो हिस्सों में बांट रखा है। अगर सरकार इस तरफ ध्यान देती तो यह क्षेत्र सिंचित हो सकता था और राज्य सरकार को काफी आमदनी हो सकती थी। वहां पर कभी-कभी अकाल पड़ता है और बरसात नहीं होती तो वहां की जमीन बंजर हो जाती है। इस कारण वहां के लोगों को दूर स्थानों पर जाना पड़ता है। राज्य सरकार की योजना है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जाय। तो मैं इसके लिए अर्ज करना चाहता हूं कि बनास नदी पर लिफ्ट इर्रिगेशन स्कीम बनावें और और खण्डार क्षेत्र, जो दो हिस्सों में बंटा हुआ है, में एक बांध बनाया जाय।

दूसरी बात एक गिलाई सागर बांध है उसमें सरकारी कारणों से लाखों रुपया लग चुका हैं लेकिन सीपेज नहीं रुकता है। उस बांध में सरकार की तरफ से ऐसा रास्ता निकल जाय, जिससे पानी रुके और खेतों को दिया जा सके।

श्री सभापति : श्री रंगजी !

(अनुपस्थित)

वैद्य गोविन्द सहाय !

(अनुपस्थित)

श्री विजय सिंह नदेरा !

श्री विजय सिंह नदेरा (बांदीकुई): सभापतिजी, सिंचाई पर मेरे चार कटौती प्रस्ताव हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 30 साल के समय के बाद एक बांध का निर्माण हो रहा है जिसका नाम रेड़िया बांध है। इसकी योजना आज से 26 साल पहले बनी थी। वह नदी जिस पर बांध बना रहे हैं बाणगंगा की शाखा है, उसका पानी भरतपुर में जाता है। उसके कारण भरतपुर में बाढ़ आती है। 26 साल पहले केंद्रीय मंत्री के दबाव से इस बड़ी बांध योजना को इसलिये ड्राप कर दिया गया क्योंकि भरतपुर सूखा रहता है। आज पुनः सर्वेक्षण की जरूरत है, इस बड़े बांध को बनाने की जरूरत है। अब जो रेड़िया बांध बन रहा है वह वह छोटा है। इस छोटे से बांध पर पैसा खर्च कर रहे हैं जब कि आधी जमीन सूखी रहेगी और 1½ हजार बीघा जमीन में पानी होगा और 750 बीघा जमीन खराब हो

(श्री विजयसिंह)

जाएगी । यह बड़ा बांध इसलिए ड्राप कर दिया गया है कि कांग्रेस के भूतपूर्व राज्य मंत्री वित्त की वहां 1000 बीघा जमीन पड़ती थी । इस बांध को ड्राप करके सारे इलाके को सिंचाई के पानी से वंचित कर दिया गया । इसलिए इस योजना का पुनः सर्वेक्षण किया जाए और बांध बनाया जाए जिससे भरतपुर को डूब से बचाया जा सके और उस सारे इलाके को पानी मिल सके ।

दूसरा मेरा कटौती प्रस्ताव नहरों के संबंध में है । नहरों का पानी कहते हैं काफी है लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है । उसके पानी की उपयोगिता के लिए वहां के सिंचाई अधिकारियों में, अधीक्षण अभियंताओं में लड़ाई होती है, 6–6 महीने में पानी के उपयोग के लिए जो लिंक्स, जो हैड बने हुए हैं उनसे पानी को छोड़ दिया जाता है । इन सारी घटनाओं को आप देखें और इनकी जांच करायें । मैं बताना चाहता हूं कि उत्पादन में जो रोड़ा अटकाते हैं, चाहे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हों, चाहे चीफ इंजीनियर हो, चाहे एस.ई. हो, कोई भी अधिकारी या मंत्री हो, अगर उत्पादन में रोड़ा अटकाते हैं तो सिंचाई के जो स्रोत हैं उनसे किसान वंचित रहता है और उत्पादन गिर सकता है। इसलिये उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए । वहां अनियमितताएं होती हैं । कितनी ऐसी जमीन पड़ी है जिसकी सिंचाई हो सकती है । एक तरफ तो घग्घर के हैड से पानी छोड़ दिया जाता है, रात को अचानक छोड़ दिया जाता है जिससे हजारों बीघा जमीन डूब जाती है, खेती डूब जाती है फिर भी कोई जांच नहीं होती । ऐसे लोगों को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि रातों-रात पानी छोड़ दें । मैं सदन को बताना चाहता हूं कि किस तरह से कर्मचारियों को प्रोटेक्ट किया जाता है, अधिकारियों को प्रोटेक्ट किया जाता है। एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को पावर है, उसने एक हैड को रोक दिया और हैड के पानी को रोक देने से नहर टूट गई, जिससे काश्तकार की फसल, घर, जमीन सब बरबाद हो गई । वह बेचारा आज भी भटक रहा है । मुआवजा मांगता है जमीन सुधारने के लिये, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं । उन्होंने चीफ इन्जीनियर के सामने, जो भले आदमी हैं, अपना केस पेश किया लेकिन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को इतना बुरा लगा कि जब वह आफिस में गया तो उसको घुसने नहीं दिया ।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें ।

श्री विजय सिंह नदेरा : मैं अपने कटौती प्रस्तावों पर बोल रहा हूं । एक मिनट और ।

उस केस में कलेक्टर ने आर्बिट्रेटर मुकर्रर कर दिया । कलेक्टर ने जो पत्र लिखा उसको दबा दिया । काश्तकार की जमीन खराब हो गई । आज भी वह नक्शा लिए फिरता है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं । मैं सिंचाई मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के केसेज, जिसमें एक्स. ई. एन. इस तरह नुकसान पहुंचाए, पर ध्यान दें । मैं यह केस आपके सामने भी पेश करूंगा ।

श्री सभापति : श्री शिवराज सिंह !

(अनुपस्थित)

श्री गोपाल सिंह !

श्री गोपाल सिंह (ग्राहौर) : सभापति महोदय, मेरे चार कटौती प्रस्ताव हैं। एक तो जवाई बांध ग्रौर बंकौली बांध के पानी के बारे में है। 10 साल बाद में ग्रब तावान वसूल किया जा रहा है। सिंचाई विभाग में जब कभी पानी के वितरण की मीटिंग होती है तो कहा जाता है कि पानी टेल टू हैड दिया जाए, पहले सबसे पीछे वाले काश्तकार को पानी मिले, फिर धीरे धीरे ऊपर वाले जो काश्तकार हैड के हैं उनको पानी दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य से होता यह है कि हैड वाला पहले पानी ले लेता है ग्रौर टेल वाले को कभी पानी नहीं मिलता। टेल का पानी तो वैसे भी नहीं पहुंचता उसके बाद में टेल्स की कैनाल्स की सफाई ठीक तरह से नहीं होती। थोड़ा बहुत नाम के लिए सफाई होने का कार्य बताया जाता है। थोड़ा बहुत बहाव पहुंचता है उसमें भी ग्रवरोध होता है। मेरा सुझाव है कि पहले जो टेल की नहरें हैं, हो सके तो उनको सीमेन्टेड कराया जाए। ग्रगर यह काम धनाभाव के कारण नहीं बैठे तो कम से कम सफाई होने के पश्चात जो गांव उसके कमांड में ग्राता है उस गांव के मुखिया से लिखित सर्टीफिकेट मिलना चाहिए ताकि कम से कम हम लोगों को यह पता रहे कि नहरों की सफाई हो चुकी है।

सभापति महोदय, इरिगेशन के ग्रन्दर यह एक गलत धारणा बनी हुई है, जैसा कई माननीय सदस्यों ने कहा, कैनाल के टेल तक पानी नहीं पहुंचता है। इसका समाधान निकाला जाना चाहिये। मेरा यह सुझाव है कि इरिगेशन शुरू होने से पहले सभी कैनाल्स का, ग्राउट लेट का चैकिंग हो, खास तौर से ग्रगर जरूरी हो तो पुलिस की गश्ती टुकड़ियां इरिगेशन के समय तैनात की जाय। वैसे भी पुलिस खाली बैठी रहती है। इस तरह से कानूनी ढंग से पानी लोगों को ठीक तरह से मिल सकेगा। इसके ग्रलावा हमारे यहां पर तख्तगढ़ डिस्ट्रिब्यूटरी, नवा खेड़ा माइनर के नाम से जानी जाती है। पादरली, मडला, चांदराई यह चार-पांच गांव हैं जिनमें पिछले दस साल से पानी नहीं पहुंच रहा है। मैं सिंचाई मंत्री जी को, सभापति महोदय, ग्रापके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस ग्रोर विशेष तौर से ध्यान दिया जाय। इसके ग्रलावा इसी साल करीब 8 या दस साल पुराने तावान के नोटिस लोगों के पास ग्राये हैं। यह इतने पुराने हो गये हैं कि काश्तकार को यह पता नहीं लगता कि उसने इतने साल पहले कितनी जमीन पर क्या फसल बोयी ग्रौर वह कितने बीघा थी। वैसे भी देखा जाय तो पूरा जो पानी पिलाना चाहिये था उससे कम पिलाया गया है। जवाई बांध से जितना क्यूसेक पानी पिलाना चाहिये था उतना नहीं पिलाया गया है। ग्रतः उस साल में पानी कम ही काम ग्राया होगा। पानी कम देकर उस साल का तावान वसूल कर रहे हैं। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि तावान जो है दूसरी इरिगेशन तक उन काश्तकारों को उसका नोटिस मिल जाना चाहिये कि इस बार इतना तावान लगा है। इसलिये मेरा सुझाव है कि जो पुराने तावान लगाये हैं, उन्हें रद्द किया जाय।

सभापति महोदय, जब से साई नदी का पानी जवाई कमान्ड में ग्राया है तब से हमारे यहां के इलाके के लोगों में एक हर्ष की लहर ग्राई है। पूरा मेरा निर्वाचन क्षेत्र ग्रौर जालौर जिला सभी में खुशी ग्रनुभव हुई है। सभापति महोदय, ग्रापके माध्यम से यह मांग करता हूं कि पूरा पानी भरने

(श्री गोपालसिंह)
पर 43 प्रतिशत पानी मिलता है। अब भी उतना ही पानी मिले लेकिन जो कमान्ड एरिया है उसमें और गांव बढ़ाये जायं। इसमें आहौर क्षेत्र के गांवों को भी लिया जाय ताकि वह सूखा इलाका खेतों से हरा-भरा होने लगे। जवाई के पास का इलाका तो कुओं से भी सिंचित हो सकता है अतः आहौर (जिला जालौर) का कमान्ड एरिया बढ़ाया जाय।

सभापति महोदय; अभी जवाई और बांकली के इरिगेटेड एरिया के ऊपर डेढ़ रुपया प्रति बीघा लगान बढ़ा दिया। पिछली सरकार ने सैटलमेंट समय पर न होने से एडहोक प्रति बीघा डेढ़ रुपया लगान बढ़ा दिया, क्योंकि यह बारानी एरिया सिंचित होने लग गया है। वह नहीं लिया जाय ऐसा मेरा निवेदन है। वहां पर सैटलमेंट चालू है और काफी समय से चल रहा है इसलिये अब उन लोगों में पिछले चार साल की पुरानी वसूलियां निकाल रहे हैं इसके लिये मेरा निवेदन यह है कि वह वसूल नहीं किया जाये। वहां जमीन बारानी थी वह अब कमान्ड एरिया में आ जाने से उसमें काफी फर्क पड़ जायेगा। वहां पर अभी चकबन्दी नहीं है सरकार का सैटलमेंट का काम चालू है इसलिये यह जो चार साल पुरानी बकाया वसूल कर रहे हैं काश्तकार से यह बिलकुल उचित नहीं है। इससे काश्तकार परेशान हो रहा है। मेरा इसमें, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि यह चार साल पुराने टैक्सेज को आप वसूल नहीं करें। इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहूंगा अब वहां कई जगह यह स्थिति है कि जहां पर पहले पानी खेतों को मिलता था पर अब पिछले दस सालों से पानी नहीं आ रहा है। तो क्या सरकार उन जगहों के गांवों के काश्तकारों को पिछले दस सालों से पानी नहीं मिलने के कारण नय सिरे से बीगोड़ी कम करने को तैयार है? अगर उसमें कमी करने को तैयार है तो जो आपने यह डेढ़ रुपया प्रति बीघा लगान बढ़ाया है वह हम देने को तैयार हैं। इसलिये, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई विभाग के मंत्री महोदय से यह दरख्वास्त करूंगा कि कम से कम यह चार साल की जो बकाया वसूली निकाली गई है वह तो समाप्त कर दें। अब चूंकि नया सैटलमेंट हो रहा है इसलिये उसी अनुसार जो भी तय हो वह नये सिरे से लें तो उचित रहेगा। यह चार साल की वसूलियां हैं वह समाप्त की जानी चाहिये।

श्री सभापति : श्री लाल शंकर।

श्री लालशंकर (सागवाड़ा) : सभापति महोदय, भादर बांध का पानी नहरों द्वारा मैस के बांध में लाया जाय। मैस का बांध मेरे एरिया में है। वहां नहरों द्वारा पानी लाकर खेती करायी जानी चाहिये। पिछली सरकार ने कुछ कदम उठाये, पर हमारे एरिया में नहरों का कोई काम नहीं हुआ। सभापति महोदय, पिछली सरकार ने लाखों रुपया नहरों के बनाने के लिये खर्च किया और उसमें कई लोगों ने लाखों रुपया कमाया जिससे कि योजना होते हुए भी नहरें पूरी नहीं हो सकीं और सारे काम अधूरे रह गये हैं। मेरा निवेदन है कि अब इन नहरों को पूरा कराया जाये जिससे कि गुहलाटा, पच्छेराई, कटारापण, गगमेरिनिया, लैमडीया मोदरा, कहादिया, गादिया तक नहरें जायं और वहां तक पूरी तरह सिंचाई हो। इस एरिया में जो नहरें अधूरी हैं, वे पूरी होने

(श्री लाल शंकर)

पर वहां तक जा सकती हैं और उनसे 25 हजार एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है। इसलिये, सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि इस ओर विशेष तौर से ध्यान दिया जाय।

श्री सभापति : श्री अमृतलाल !

(अनुपस्थित)

श्री हनवन्तसिंह !

श्री हनवन्तसिंह (बाली): सभापति महोदय, आज सदन में सिंचाई विभाग की मांग पर बहस हो रही है। मैंने भी उसमें अपने चार कटौती के प्रस्ताव दिये हैं। उनकी ओर मैं आपके माध्यम से सिंचाई विभाग के मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा। सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र का एक बहुत बड़ा भाग जवाई बांध में आता है। सभापति महोदय, जवाई बांध एक बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है। लेकिन जब से वह बना है तब से आज दिन तक जितना तावान किसानों पर लगाया गया है उतना पानी कभी भी जवाई बांध से नहीं दिया गया है। मैं आपके माध्यम से सिंचाई विभाग के मंत्री महोदय से अपील करना चाहूंगा कि आपने इसमें जो तावान लगाया है उससे छोटे छोटे काश्तकारों को तो बहुत भारी नुकसान हुआ है। 500 रुपये तक के जो तावान हैं उन्हें तो आप माफ कर दें तो काश्तकारों को राहत मिलेगी और गरीब काश्तकार राहत की सांस लेंगे।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अभी थोड़े समय पहले हमारे मुख्य मंत्री जी वहां पधारे थे। जवाई कैनाल में कई से सुरंगे डाली हैं जिनसे लोगों को राहत मिली है। यह एक सराहनीय कार्य हुआ पर मेरे क्षेत्र के तीन चार गांव ऐसे हैं जिनमें हालत बहुत खराब है। अभी बाढ़ आने के कारण, सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में नाणा स्टेशन और नाणा गांव, जो कि एक दूसरे से थोड़ी दूर है, के बीच में पुल नहीं होने से ऐसी हालत हो गयी कि पूरे 15 दिन तक लोग नाणा स्टेशन वाले नाणा गांव में नहीं जा सके। अभी भी वहां पर बहुत हालत खराब है। मेरा निवेदन है कि अविलम्ब पुल बनाया जाये ताकि वहां की जनता को राहत मिले।

तीसरा मेरा सुझाव यह है कि सेई नदी में सुरंग लगने से विशलपुर के क्षेत्र में जो सिंचाई होनी चाहिये थी वह नहीं हो सकी। उस क्षेत्र की उपेक्षा की गयी है। वहां पर पानी नहीं दिया गया है। इस कारण करीब 20 हजार बीघा जमीन, जहां पहले सिंचाई होती थी, बन्द हो गयी। इसलिये मेरा निवेदन है कि सेई बांध का पानी विशलपुर और उसके आसपास के क्षेत्र को दिया जाना चाहिये। सभापति महोदय, आज जहां गांवों में नहरें जानी चाहिये थीं वह नहीं जाने का मुख्य कारण है कि वह नहरें टेक्निकली गलत बनी हुई हैं। इस कारण आज तक जवाई कमान्ड एरिया को कभी भी 43 प्रतिशत या 45 प्रतिशत से ज्यादा पानी सिंचाई के लिये नहीं दिया गया। इसका कारण यह है कि वहां जो नालियां कैनाल की बनी हैं वह टेक्निकल रूप से ठीक नहीं बनी हैं। उनकी कैपेसिटी ही कम है उनसे पानी अधिक जा नहीं सकता। मुख्य अभियन्ता साहब बैठे हैं और सिंचाई विभाग के मंत्री जी बैठे हैं मेरा उनसे निवेदन है कि

(श्री हनवन्त सिंह)
इन नहरों का विकास किया जाय।

श्री मूलचन्द डागा : He cannot address the galleries.

एक माननीय सदस्य: आप चीफ इन्जीनियर साहब को एड्रेस नहीं कर सकते हैं।

श्री हनवन्तसिंह : तो सिंचाई मंत्री का नाम लिया है।

श्री दाऊदयाल जोशी : जानते हैं आप पुराने दिग्गज हैं।

श्री सभापति : आप बोलिये। बोलिये।

श्री हनवन्तसिंह : यह कटौती प्रस्ताव मैंने पेश किये हैं पुनः आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरे सुझावों की ओर भी ध्यान दें।

श्री सभापति: माननीय श्री मणिराम।

श्री मणिराम (तारानगर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 30–30 साल तक हम भूतपूर्व सरकार की ओर देखते रहे फिर भी हमारे यहां जिस क्षेत्र में पीने का पानी नहीं, पीने के पानी का भी प्रबन्ध नहीं, वह क्षेत्र आज तक पानी की एक- एक बूंद के लिये तरस रहा है। मैं निवेदन करता हूं कि अब सरकार का ध्यान शहरों की ओर मुड़ा है उससे आशा बंधती है कि हमारी भी सुनवाई होगी। मेरे क्षेत्र में ऐसा खारा पानी है कि दो दो, ढाई ढाई हजार की भैंसें, गायें पानी के बिना मर जाती है, गायें प्यास से मर जाती हैं। कई बार मौका आता है, ग्वाला उनको चराने के लिये ले जाता है तो पानी लोटडी में लेकर जाता है। तो अगर वह फूट जावे तो वह वापस गांव जाकर नहीं ला सकता। लोग प्यास के मारे मर जाते हैं। उस इलाके की यह हालत है, यह हमारा दुर्भाग्य रहा है। भूतपूर्व सरकार ने अपने 30 साल के शासन काल में भी एक एक बूंद पानी के लिये हम को तरसाया है, हम तरसते रहे हैं। मेरे क्षेत्र में किसान लोग अपनी निजी कोशिश करके कुंड बनाते हैं और उसमें वर्षा का पानी इकट्ठा होता है। उसको पीकर गुजारा करते हैं और कोई रास्ता नहीं है। राजगढ़ से उत्तर और पश्चिम, चुरू से उत्तर, नोहर भादरा दक्षिणी एरिया और तारानगर के सारे क्षेत्र और भादरा के उत्तरी एरिया में नहर आ गयी है बाकी का जो एरिया है उसमें तारानगर के 150 गांव ऐसे हैं जहां आज भी एक बूंद पानी की नहीं है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

श्री मूलचन्द डागा : पब्लिक हैल्थ में आता है।

श्री मणिराम : मैं यह कह रहा था कि सिधमुख केनाल का कार्य चालू करके नजदीक के गांवों को उससे जोड़ा जाय जिससे उस क्षेत्र का विकास हो सके। उससे प्यासों की प्यास बुझेगी, भूमि की प्यास बुझेगी। अन्त्योदय में गरीबी की रेखा से पांच परिवारों को ऊंचा उठाने की ओर उनके खाने की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस क्षेत्र को लोगों को भी आप पानी देकर ऊंचा उठायें। पानी को पीकर किसान ऊंचा उठेगा, प्यासी भूमि पानी पीकर ज्यादा उत्पादन देगी। मैं माननीय मंत्री महोदय को निवेदन कर रहा हूं कि

Page No.147

(श्री मणिराम)

आज तक इस क्षेत्र के लिये किसी ने कुछ नहीं किया । मैं आशा करता हूं कि सिधमुख कैनाल को चूरू एरिया के तारानगर व राजगढ़ के गांवों से जोड़ा जायगा । इसके लिए वहां के लोग हर वक्त आपका अहसान मानेंगे और आने वाली पीढ़ी आपका गुणगान करती रहेगी । जिस रोज उन गांवों को आप पानी देंगे उस रोज लोग आपकी पूजा करेंगे । पंजाब और हरियाणा सरकार से मिल कर इस समस्या को सुलझाने की कोशिश करें। आप के हाथ लम्बे हैं, हम तो निवेदन ही कर सकते हैं इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं । जरूरत पड़े तो भारत सरकार के समक्ष बीकानेर डिविजन के एम. एल. एज. डेपुटेशन लेकर जायेंगे । हम आपकी मदद करेंगे । इसलिये आप इस अहम समस्या को सुलझाने की कोशिश करें ।

श्री **सभापति**: श्री गंगासहाय ।

श्री **गंगासहाय** (कठूमर) : सभापति महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव सिंचाई विभाग के बांधों और नहरों के संबंध में है । मण्डावर से कोट के बांध में होकर वर्षा का पानी बाढ़ के रूप में मेरे क्षेत्र कठूमर में आता है और हजारों बीघा फसल को नष्ट करता हुआ भरतपुर जिले में चला जाता है । इस संबंध में मेरा सिंचाई मंत्री जी को सुझाव है कि कोट के बांध के पानी के निवास की धारा को लिडपुरी ग्राम के पीछे होकर नहर के द्वारा मोड़ दें तो पानी का खेती के लिए उपयोग भी होगा और फसल भी नष्ट नहीं होगी तथा कुओं के पानी की सतह भी ऊंची होगी जो खेती के लिए भी उपयोगी होगा ।

साथ ही यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मालाखेड़ा बांध का पानी भी नहरें खराब होने के कारण हजारों बीघा की खड़ी फसल को नष्ट करता हुआ स्वेखद, खडेली, सोखदी, दारोद, अरूवा, कठठूमीर, तसई आदि ग्रामों की खेती को नष्ट करता हुआ भरतपुर जिले को चला जाता है और वहां भी खेती को नुकसान पहुंचाता है । गालाखेडा बांध से दो नहरें निकलती हैं परन्तु दोनों ही खराब पड़ी हैं अतः पुनः सर्वेक्षण कर इन नहरों की दुरुस्ती करा दी जाये ताकि पानी का सदुपयोग हो और खेती भी नष्ट न हो । क्योंकि यह पानी बेतरतीब बहता हुआ फसल को नष्ट करता है फिर भी सरकार आबपाशी वसूल करती है जो उचित नहीं है ।

तीसरा मेरा माननीय महोदय से निवेदन है कि घाट की नदी से एक नहर कठूमर की ओर आती थी जिसका अब पता नहीं लगता । उस नहर का पुराना नक्शा विभाग से निकलवा लें और फिर से सर्वे कराकर इस नहर को चालू करवा दें तो कठूमर क्षेत्र की हजारों बीघा भूमि में खेती की पैदावार फिर से होने लगेगी । फिजूल जाने वाला पानी उपयोग में आ सकेगा ।

अब मैं पर्यटन मंत्री महोदय का ध्यान अलवर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । अलवर जिला मेलों, धार्मिक स्थानों, ऐतिहासिक सभी दृष्टियों से धनी है । परन्तु पर्यटन की दृष्टि से इसकी पिछली सरकार ने उपेक्षा की है । मैं निवेदन करूंगा कि भरथरी, पाण्डवपोल नारायली सती धाम, मानगढ़, अंजबगढ़ गढरानोर (नीलकण्ठ) आदि में गढ़रानोर 10वीं शताब्दी का किला है । कभी बढ़गूजरों की राजधानी था । पहाड़ों के बीच घने जंगलों के घिरा है । जिसका प्राकृतिक सौन्दर्य देखते ही बनता है । यहां पुरानी सड़कें

(श्री गंगासहाय)

हैं। पुरातत्व विभाग की खुदाई में लगभग 400 मूर्तियां जैन, शैव, वैष्णव तथा बोद्ध की निकली हैं। जिनकी सुरक्षा के लिए पुलिस चौकी बना दी गई है। यदि सरकार इस स्थान को जाने वाली सड़क का रेवाड़ी होकर तथा टहला से डबकन ग्राम होकर जाती है, को पुनः जोड़ दें तो यह स्थान विश्व पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र बन सकता है जिससे सरकार की आय भी बढ़ सकती है मैं आशा करता हूं मंत्री महोदय इस ओर अवश्य ध्यान देंगे।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इस घाटी से सड़कों को यदि जोड़ दिया जायेगा तो फोटोग्राफर्स और नेचरोग्राफिस्ट यहां आने के लिए आकर्षित होंगे लेकिन इसके लिए प्रचार और प्रसार की आवश्यकता है। मंत्री महोदया यदि ध्यान देंगी तो उससे दो फायदे होंगे। एक तो इस क्षेत्र का विकास होगा और विकास के साथ ही साथ हमारी आमदनी भी बढ़ेगी और विदेशी मुद्रा भी आयेगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि अलवर जिले को उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा जाये और इसका विकास किया जाये।

श्री सभापति : श्री नाथूराम।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) : सभापति महोदय, आज की डिमाण्ड पर मैंने 7 कटौती प्रस्ताव रखे थे लेकिन उनमें से सिर्फ 4 ही आये हैं। मैं दो-दो कटौती प्रस्तावों पर एक साथ निवेदन करूंगा। सभापति महोदय, वैसे हमारे राजस्थान में राजस्थान कैनाल की लिफ्ट योजना है और बांसवाड़ा जिले में लगभग 23 लिफ्ट योजना छोटी-मोटी चल रही हैं। सभापति महोदय, पिछली सरकार ने लिफ्ट इरिगेशन की रेट इतनी बढ़ायी कि साधारण किसान उस रेट से पानी नहीं ले सकते। वैसे सिंचाई विभाग की ओर से लिफ्ट योजनायें चल रही हैं। बांसवाड़ा जिला पहाड़ी क्षेत्र है और शिड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया है। वहां लाखों की तादाद में आदिवासी रहते हैं। जो नोन-आदिवासी हैं वह भी आदिवासियों से गये बीते हैं। वहां पर छोटी-छोटी जोत हैं राजस्थान कैनाल क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखा जाये तो वहां बड़े-बड़े जमींदार हैं और वह नहरी इलाका है। ऐसी सूरत में वहां की रेट और बांसवाड़ा जिले के छोटे-मोटे नदी नाले पर लिफ्ट की रेट समान नहीं होनी चाहिए। लिफ्ट की जो रेट है वह 16 रुपया प्रति बीघा प्रति पानी चने की फसल पर है और 16 से लेकर 21 रुपये तालाबों से प्रति बीघा प्रति पानी की है। गेहूं पैदा करते हैं तो लिफ्ट की रेट है लगभग 30 रुपया प्रति बीघा प्रति पानी। ऐसी स्थिति में गरीब किसान इस लिफ्ट का पानी लेने में असमर्थ हैं। इसलिए मेरा आपके द्वारा सिंचाई मंत्री से निवेदन है कि जहां लिफ्ट योजना चल रही हैं वहां लिफ्ट की जो रेट हैं और जो तालाब की रेट हैं उनमें इतना ज्यादा अन्तर नहीं होना चाहिए। आप के द्वारा मैं सिंचाई मंत्रीजी से भी निवेदन करता हूं कि वह इस पर ज्यादा ध्यान दें। पिछली सरकार ने 1974 में जो लिफ्ट रेट रखी थी उस हिसाब से रेट होनी चाहिए। लिफ्ट का रेट कम होना चाहिए और समान नहीं होनी चाहिए। राजस्थान कैनाल में

(श्री **नाथूराम**)

पिछली सरकार ने रेट बढ़ाई। वहां बड़े-बड़े जमींदार रहते हैं और यहां बांसवाड़ा में गरीब किसान रहते हैं। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि बांसवाड़ा शिड्यूल्ड ट्राइब एरिया है। संविधान में जब संशोधन का प्रावधान है तो फिर इसमें संशोधन क्यों नहीं हो सकता है। इसलिए मैं सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप एक बार अक्टूबर में बांसवाड़ा पधारें और बांसवाड़ा में माही डैम पर जो इर्रिगेशन की लिफ्ट है और छोटे-मोटे तालाब हैं उन की स्थिति आप देखें। वहां मौके पर देखने से आपको सारी स्थिति मालूम होगी। मैं तो यह मांग करता हूं कि बांसवाड़ा में 23 लिफ्ट योजनायें चल रही हैं और लगभग 3 हजार एकड़ भूमि सिंचित होती है। दुष्काल में वहां लिफ्ट चल रही थीं उनसे छोटे-छोटे किसानों को फायदा मिला।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, माही डैम, जो कि करोड़ों रुपयों का प्राजैक्ट है, उसके बारे में भी मैं निवेदन करूंगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। डिमाण्ड हम पास करेंगे और रात तक हम बैठेंगे।

तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि शिड्यूल्ड ट्राइब एरिया में करोड़ों रुपयों का दुरुपयोग होता है.....

श्री **सभापति** : निर्धारित समय में आप भाषण समाप्त करें। निर्धारित समय 7 मिनट का है।

श्री **नाथूराम** : टाइम ज्यादा होगा तो बैठेंगे, आपकी इजाजत से।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि हमारे बांसवाड़ा में माही, अनास और हिरन नदी और छोटी-मोटी नदियां बारहों महीने बहती रहती हैं। तालाब बनाने से अच्छी जमीन डूबती है और बड़े-बड़े बांधों में जमीन डूबती है लेकिन इस लिफ्ट से जमीन का बचाव होता है और वहां किसान ज्यादा अनाज पैदा करते हैं। इसलिए जो नदियां बारहों महीने बहती हैं उनको ट्राइबल सब-प्लान फण्ड से, जो कि करोड़ों रुपये का प्लान है, और ए.पी.डी.पी. के फण्ड से मास्टर प्लान बनाना चाहिए और मास्टर प्लान बनाकर ज्यादा से ज्यादा पानी लिफ्ट द्वारा सप्लाई करके उसका उपयोग करना चाहिए। गरीब किसानों की माली हालत सुधारने के लिए लिफ्ट द्वारा पानी देना चाहिए। यह मैं, सभापति महोदय, आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूं। माही डैम से जहां ऊंची जगह पानी नहीं पहुंचता वहां भी लिफ्ट के लिए मास्टर प्लान बनाना चाहिए। नहीं तो जिन नहरों से पानी गुजरता है, मैं आपके द्वारा सिंचाई मंत्रीजी से एक निवेदन करता हूं कि वहां लिफ्ट की नहरें कच्ची हैं, तालाबों की नहरें कच्ची हैं और इस साल अतिवृष्टि से सारी नहरें खराब हो गयी हैं। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि कच्ची नहरों से किसानों के खेत पानी से भरे रहते हैं और पानी का सीपेज होता है उससे खेत भरे रहते हैं....

श्री **सभापति** : इस विषय पर आपका कटौती प्रस्ताव नहीं है।

श्री **नाथूराम** : लिफ्ट के बारे में है।

श्री **सभापति** : लिफ्ट की रेट्स के बारे में है।

श्री नाथूराम : लिफ्ट से संबंधित है। करोड़ों रुपयों का सरकार का नुकसान हुआ है और गरीब किसानों का नुकसान हुआ है। पक्की कैनाल बनाकर सरकार को उनको पानी देना चाहिए। जब आपने इतनी रेट हाई कर दी तो नहरें पक्की क्यों नहीं की जाती हैं ? मैंने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा नहरें मास्टर प्लान बनाकर पूरी करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, माही डैम मेरा खास विषय है।

श्री सभापति : लेकिन आपको कटौती प्रस्ताव देना चाहिए था। औरों को भी समय देना है। इसलिए निवेदन करूंगा कि आप बोलिये लेकिन 7 मिनट हो गए आपको बोलते हुए।

श्री नाथूराम : मेरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव है।

श्री सभापति : आप एक ही कटौती प्रस्ताव पर बोले हैं। दूसरे विषय पर चले गए जिसके ऊपर कटौती प्रस्ताव नहीं है।

श्री नाथूराम : लिफ्ट के बारे में मैंने बता दिया।

माही डैम के बारे में देखिये मैं आपको प्रस्ताव बता देता हूं। माही डैम के बारे में दो प्रस्ताव है। मैं आपकी इजाजत से वह पेश करता हूं। माही, बजाज सागर परियोजना का भारत के वर्तमान प्रधान मंत्री, श्री मोरारजी देसाई ने फाइनेन्स मिनिस्टर की हैसियत से 1960 में श्री गणेश किया और उस समय उन्होंने इसका शिलान्यास किया। लगभग 18 वर्ष हो गए। इन 18 वर्षों में करोड़ों रुपया खर्च हुआ और हर साल लाखों रुपयों का दुरुपयोग हुआ। महामहिम गवर्नर साहब के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर, बजट के समय में और डिमाण्ड के समय में भी मैं बोला हूं। मैं निवेदन करता हूं कि सिंचाई मंत्रीजी, हमारे सुझावों को मत टालिये। आप ही देखिये करोड़ों रुपयों का घोटाला माही डैम में हुआ है। कडाना और माही का संबंध है। गुजरात सरकार ने विश्व बैंक से कर्जा लेकर कडाना डैम पूरा कर दिया। कडाना और माही दोनों डैम में लाखों रुपयों का दुरुपयोग हुआ है। मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि आप इसकी जांच करायें, कमीशन बैठायें और कमीशन बैठाकर जांच करायें। उसमें लाखों रुपयों का दुरुपयोग हुआ है और अनियमिततायें पाई गयी हैं। इसलिए जिन्होंने गलतियां की हैं उनको दण्डित किया जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरा यह निवेदन है कि धन का दुरुपयोग हुआ है।

श्री सभापति : आपको 10 मिनट हो गए। आप भाषण समाप्त करें। जरा सहयोग दीजिए मुझे।

श्री नाथूराम : मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न है. .

श्री सभापति : मैं नहीं बोलने दूंगा। औरों को भी समय देना है। आप बिराजिये।

श्री नाथूराम : मैं दो मिनट बोलूंगा।

श्री सभापति : आसन अपने पैरों पर खड़ा है, माननीय सदस्य।

श्री नाथूराम : मैं आपकी इजाजत से दो मिनट बोलूंगा। आपके हुकम का पालन करता हूं लेकिन दो मिनट बोलूंगा।

(श्री नाथूराम)

वहां लोकल आदमियों को नहीं लगाया जाता है । बी.ए., एम.ए. पास भीलों के लड़के मारे-मारे फिरते हैं और बाहर से लाकर वर्कचार्ज पर लगाकर रेगुलेराइज करा देते हैं....

एक माननीय सदस्य : साहब इनको बोलने दीजिये ।

श्री सम्पतराम : यह जानना चाहूंगा कोई इन्जीनियर हो तो आज के दिन भी लगा सकते हैं ।

श्री नाथूराम : सभापति महोदय, वर्क-चार्ज के ऊपर एल.डी.सी., यू.डी.सी. और दूसरे भी वहां पर काम पर लिये जाते हैं । जिलाधीश की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट की एक कमेटी बनी हुई है जो बेरोजगार हैं उनको काम पर लगाने की । हमने प्रस्ताव पास कर के भेजे हैं लेकिन माही डैम वाले उच्च अधिकारी मानते नहीं हैं । और अपने लोगों को लाकर वर्कचार्ज पर लगाते हैं । भीलों के बच्चों के साथ अत्याचार कर रहे हैं । सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं, आपने कृपा की है मुझे समय दिया है । तो मैं बताना चाहता हूं कि जितने ओवरसीयर हैं, जितने ए.ई.एन. हैं उनके घरों पर कइओं को काम पर लगाया जाता है और माही डैम से उनको वेतन दिया जाता है । इसी तरह से, सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस डैम को बनते 20 साल हो गये । 14 करोड़ से 28 करोड़ और अब एक अरब के लगभग यह प्रोजेक्ट बन गया है । 20 साल और लगेंगे तो 2।। अरब का प्रोजेक्ट हो जायेगा । इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, माही डैम का जब से श्री गणेश किया तब से कामों का मूल्यांकन कीजिये ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

किस तरह से घोटाले हुए । इस डैम को जल्दी से जल्दी पूरा कीजिये, नहीं तो गवर्नमेंट का...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया अपना भाषण समाप्त करें, । दो मिनट हो गए ।

श्री नाथूराम : एक मिनट और ।

श्री सभापति : एक मिनट भी नहीं दिया जायेगा ।

श्री नाथूराम : एक मिनट ।

बाढ़ से दो करोड़ का नुकसान हुआ है सभापति महोदय । बाढ़ कैसे आई ? वहां पर माननीय मुख्य मंत्रीजी के साथ गया था । बाढ़ में हजारों लाशें नजर नहीं आती लेकिन बाढ़ आई कैसे, वह कारण....

श्री सभापति : इस विषय पर आपका कटौती प्रस्ताव नहीं है । मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप बिराजिये । भाषण समाप्त कीजिये । इस विषय पर आपका कटौती प्रस्ताव नहीं है ।

श्री नाथूराम : बांध के बारे में....

श्री सभापति : इर्रेलेवेंट बोलने की इजाजत नहीं दूंगा । आपका कटौती प्रस्ताव नहीं है ।

श्री नाथूराम : बांध के काम में अनियमिततायें हैं ।

श्री सभापति : नहीं है आपका कटौती प्रस्ताव। आप विराजिये।

श्री नाथूराम : डैम की नहरें टूटीं, हजारों लोगों की जानें गईं। माही डैम के अधिकारियों ने चैक डैम बनाये उनमें पत्थरों पर मिट्टी डाली। उसकी वजह से दो करोड़ का नुकसान हुआ।

श्री सभापति : अब बैठिये। श्री रतन-लाल वर्मा।

श्री नाथूराम : सरासर अन्याय है। चेयर से हम न्याय चाहते हैं।

श्री सभापति : मुझे चुनौती मत दीजिये। जिसके लिये जितना समय निर्धारित हो उससे अधिक नहीं बोलना चाहिये।

श्री नाथूराम : आपकी राय होगी तो हाउस छोड़ना पड़ेगा। इस तरह से शासन नहीं चलेगा, जनता पार्टी की सरकार है।

श्री सभापति : बैठिये। आपने विचार प्रकट कर दिये, आप बैठ जायें।

माननीय श्री रतनलाल वर्मा।

श्री नाथूराम : तमाशा बना रखा है।

श्री अब्दुल अजीज : चेयर को चुनौती देना अनपार्लियामेंट्री है।

श्री सभापति : आप बोलिये, श्री रतन लाल जी।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : माननीय सभापति महोदय, मौजूदा समय में लोगों में उत्तेजना पैदा हो रही है, लोगों के दिलों में दर्द है। मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हकीकत के अन्दर बड़े-बड़े अधिकारियों ने गरीबों को लूटा है, सताया है और उनके खून को चूसा है। कभी गरीबों को काम पर नहीं लगाते। यह निवेदन कर देना चाहता हूं, सभापति महोदय, जब सैंक्शन्स होती हैं उस वक्त बरसात के अन्दर काम करते हैं। एक लाख रुपये की सैंक्शन होती है और 20-25 हजार रुपया ही लगाते हैं....

श्री सभापति : इसके बारे में आपका कटौती प्रस्ताव नहीं है। कृपया कटौती प्रस्ताव पर बोलिये।

श्री रतनलाल वर्मा : मेरे तीन प्रस्ताव हैं। 83, 147 और 58 नम्बर पर हैं।

श्री सभापति : उन्हीं पर बोलिये आप।

श्री रतनलाल वर्मा : मैं उन्हीं पर बोल रहा हूं। मैं यह निवेदन कर दूं कि इन लोगों ने....

श्री सभापति : इस विषय पर नहीं है।

श्री रतनलाल वर्मा : निर्माण के काम पर नहीं बोलूं तो क्या मोरियां-मोरियां बोलता रहूं।

श्री सभापति : यह गलत तरीका है। आप अपने कटौती प्रस्ताव पर बोलिये।

श्री रतनलाल वर्मा : आपने मुझे टाइम दिया तो बोल रहा हूं। सभापति महोदय, इस बात का प्रमाण दे सकता हूं...

श्री अब्दुल अजीज : यह जोर से बोलते हैं। हमारी समझ में नहीं आता।

श्री सभापति : देखिये, मैं निवेदन कर दूं, अभी करीब 45 माननीय सदस्यों को बोलना है। समय की सुविधा के मुताबिक उसका

(श्री सभापति)

विभाजन किया गया है। प्रत्येक माननीय सदस्य के पांच मिनट बोलने के बाद पहली घंटी बजाई जाती है, 6 मिनट के बाद दूसरी और सात मिनट के बाद तीसरी। इस तरह समय का बटवारा किया है। आप देखिये मैं किसी और दृष्टि से निवेदन नहीं कर रहा हूं, यह जनरल डिबेट नहीं है। जनरल डिबेट पर आप कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन जो कटौती प्रस्ताव दिये जाते हैं उन पर बोलने के नियम हैं। उन नियमों के मुताबिक केवल कटौती प्रस्तावों तक ही अपने भाषण को सीमित रखना चाहिये। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से विनम्र निवेदन करूंगा कि अपने कटौती प्रस्ताव तक ही अपने भाषण को सीमित रखें और मुझे सहयोग दें।

श्री नाथूराम : इसी तरह से भ्रष्टाचार मिटेगा ? हम जनता की तरफ से...

श्री सभापति : माननीय श्री नाथूराम जी, बिराजिये।

श्री रतनलाल वर्मा : सात बज रहे हैं। मैं अपनी बात शुरू करता हूं।

जो ठेके होते हैं उनमें ठेकेदारों से सांठगांठ हो जाती है। बजट के समय से अकाउन्टेन्ट से सांठ गांठ होती है और उसके बाद ठेका होता है और जब..

श्री सभापति : इसके बारे में मैंने निवेदन किया आपका कटौती प्रस्ताव नहीं है।

श्री रतनलल वर्मा : आप इस तरह से मेरा समय टाल रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप रूलिंग पार्टी के सदस्य है जो मर्यादायें हैं...

श्री रतनलाल वर्मा : मैं मर्यादाओं के खिलाफ नहीं जा सकता। उसी बात के ऊपर आ रहा है। यूं ही टाइम पूरा हो जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि अगर हिसाब लगाया जाये तो 1952 से लेकर दिसम्बर, 76 तक जितना पैसा नौकरों की तनख्वाह में लगा है उतना पैसा मौके पर काम में नहीं लगा। जितना पैसा ठेकेदारों की जेब में गया है उतना पैसा काम पर नहीं लगा। इससे स्पष्ट है कि तालाबों की मोरियां नहीं बनीं, नालियां तक नहीं बनीं। मैं, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि इसी तरह 33 करोड़ की योजना आ रही है उसके लिये सिंचाई मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा जो पैसा टी. ए., डी. ए. पर, अधिकारियों पर खर्च होता है उस पैसे को तालाब की मोरियां बनाने में लगायें, नहरों को खोदकर पानी को सीधा तालाबों में लाने के लिये इस पैसे को लगाइये। मैं निवेदन करूं, सभापति महोदय, एक लसाड़िया बांध बना है पंचायत समिति केकड़ी और भिनाय के बीच में। उस बांध के पेटे में दो हजार बीघा जमीन चाही और 150 कुए आये जिनकी कीमत 50 लाख रुपया है और उस बांध को बनाने में एक करोड़ रुपया लगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि भूतपूर्व सरकार ने उन गरीबों को बिना नोटिस दिये उनकी जमीन को अवाप्त कर लिया। उन किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। उनको कोई जमीन नहीं दी, उनके लिये कोई प्लान नहीं बना, उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया। बांध से दो-दो, चार-चार मील दूर ले जाकर उन्हें धकेल दिया और उनकी सारी फसलों को उजाड़ दिया ...

(7.00 सायं)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अगर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये मेरे साथ चलें तो मैं इनको मौका दिखा सकता हूं। दो हजार बीघा चाही जमीन....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप शान्त रहिये, माननीय सदस्य ।

श्री रतनलाल वर्मा : बांध के पेटे में आती थी और 150 कुए थे, एक-एक कुए की लागत आज 25-25 हजार की है, 25 हजार में कुआ बनता है और फिर कहते हैं 2 हजार बीघा जमीन.....

(व्यवधान)

एक तरफ तो आपने गरीबों को उजाड़ दिया, गरीब किसानों को उजाड़ दिया और दूसरी तरफ आपके ये मक्खन लगाने वाले गुलछर उड़ायें और अपना पेट पालें । मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, ठीक है, बांध बन रहा है और किसान उजड़ गये लेकिन उनको आप जमीन तो दे दें । यह मेरी बहुत विनम्र प्रार्थना है कि जिन किसानों की जो जमीन ले ली है, जिनकी चाही जमीन थी उनको कम से कम पड़त जमीन तो दे दें, बारानी जमीन तो दे दें या फिर मशीन लगाकर उनको खतम कर दें, उनके परिवार वालों को मशीन चलाकर कुचल दें । सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं, जो रिपोर्ट दी है, वह आज ही हमें मिली है । इसमें लिखा है, खाद्य समस्या का प्रश्न खाली हिन्दुस्तान का नहीं है समूचे विश्व का है । मैं पूछना चाहता हूं 30 वर्ष तक क्या किया आपने ? अरबों-खरबों रुपया खर्च करके धूल में डाल दिया, खा गये, अधिकारियों ने अपने पेट पाल लिये । आज उनके मां-बाप बीमार पड़ें तो राज्य सरकार से पैसा ले लें, खुद बीमार पड़ें तो राज्य सरकार से पैसा ले लें, टी. ए., डी. ए. का लाखों रुपया सरकार दे, उनको तमाम पैसा सरकार दे और वे आराम से नींद निकालें और उधर हजारों गांव बह जायें, उनकी उनको जरा भी चिन्ता नहीं ।

(व्यवधान)

इन्होंने ही तो सारे घोटाले किये हैं ..

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : इस पर कटौती प्रस्ताव है ?

श्री रतनलाल वर्मा : मेहरबानी करके आप बैठे रहें ।

और, उपाध्यक्ष महोदय, सब पानी काम में आ गया । आपने लिखा है, राज्य के पास 24 लाख 40 हजार घन फीट जल क्षमता का उपयोग करना शेष है जिससे लगभग 6 लाख हैक्टेयर भूमि को सिंचित किया जा सकेगा । यानी एक हैक्टेयर के लिए चार घन फीट पानी हुआ, श्रीमान् जी, इनकी अकल का नमूना देखें, 24 लाख घन फीट पानी में 6 लाख हैक्टेयर का सिंचित होना लिखा है । इनको कुछ आता भी है है कि नहीं ...

श्री उपाध्यक्ष : आप शान्ति से बोल सकते हैं । माइक आपके पास है ।

श्री मूलचन्द डागा : यह सिंचाई मंत्री जी ने पुस्तिका वितरित ने की है, इनको कहिये ।

श्री रतनलाल वर्मा : 24 लाख 40 हजार घन फीट की जल क्षमता इनके पास है और उसके उपयोग के लिये लिखा है कि 6 लाख हैक्टेयर्स भूमि की सिंचाई हो जायगी । मैं पूछना चाहता हूं, एक हैक्टेयर में कितना पानी उपयोग में आता है? मेरे हिसाब से चार घन फीट पानी आता है। अगर रिपोर्ट मैं दूं तो मैं बताऊं इनको कि कितना पानी आता है।

(श्री रतनलाल वर्मा)
जो यह रिपोर्ट है इसको मैं चेलेन्ज करता हूं। यह बिलकुल गलत है...

(व्यवधान)

इन्होंने 30 साल के अन्दर...

श्री मूलचन्द डागा : इस प्रकार की जो कार्यवाही की और सदन के अन्दर जो रिपोर्ट फैंक दी...

(व्यवधान)

इस प्रकार की कार्यवाही..

श्री रतनलाल वर्मा : हम क्या कहें। हमारी आत्मा से पूछिये कि क्या कहती है। हमने कोई गाली नहीं दी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको जो कुछ कहना है, शान्ति से कहिये।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी चुनौती है यह रिपोर्ट बिलकुल गलत है, झूठी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपने स्वास्थ्य का तो ध्यान रखिये।

श्री रतनलाल शर्मा : पांच मिनट दिये हूं। अब दो मिनट बाकी हैं। घड़ी सामने है।

सभापति महोदय, जो पानी है उसके लिये अगर मोरियां पक्की बना दी जायं बजाय इसके कि टी. ए., डो. ए. में सारा पैसा खर्च करें, व सारा पैसा तनख्वाहों में उड़ा दें और अपने गुर्गों को पालें। इसके लिये तो सब कुछ हो सकता है।

सभापति महोदय, ...

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, नहीं उपाध्यक्ष महोदय।

श्री रतनलाल वर्मा : हां, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : इसीलिये तो कह रहा हूं आपको, कृपया शान्ति से बोलिये।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जो किसानों के कुओं पर चड़स चलता है, उनकी औरतें 10-10 दिन का बच्चा लेकर वहां जाती हैं ...

श्री उपाध्यक्ष : यह कहा जा चुका है ..

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : आधा बीघा जमीन वह चड़स से पिलाता है। उपाध्यक्ष महोदय, उस किसान के घोरे आज भी मिट्टी के बने हुये हैं। उस पर सीमेन्ट, कातलें, ईंटें नहीं लगी हैं, तमाम के तमाम घोरे उनके कच्चे पड़े हैं। यहां जितने श्रीमान् बैठे हैं सूटेड, बूटेड, पेन्ट, कोट, टाई में अपटूडेट हैं और जयपुर में जिनके आलीशान बंगले बने हुये हैं, उनके रहने, खाने और पीने के निराले ठाठ हैं। जो किसान की सेवा करना चाहते हैं, किसान के सेवक हैं वह अलमस्त हो रहे हैं और उधर किसान आधा नंगा और आधा भूखा कान्दे से रोटी खा-खा कर अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रहा है। फटे हुये चिथड़े जिसके शरीर पर हैं, जिसका पेट कमर से चिपक रहा है। ऐसी स्थिति में निवेदन करना चाहता हूं ....

एक माननीय सदस्य: आप मकरध्वज खाते हैं क्या?

श्री मूलचन्द डागा : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर। पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, नियम 269 के अन्दर साफ लिखा है कि किसी दीर्घा में बैठे हुये को भाषण करते हुये...

श्री रघुनन्दन व्यास : यह दीर्घा नहीं है, सदन है।

उपाध्यक्ष महोदय, ये सदन को अपनी इम्पार्टेन्स बताना चाहते हैं। यह दीर्घा नहीं, सदन है। दीर्घा बता कर सदन की मर्यादा को कम करना चाहते हैं।

श्री किशन सिंह भाटी : यह जान-बूझकर इनको इरिटेट करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपकी, माननीय सदस्य, पूरी बात सुनूंगा। कम से कम आप शान्ति से तो अपनी बात कहें।

श्री रतनलाल वर्मा : मेरे दो मिनट बाकी हैं। दो मिनट में अपनी बात कह देता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : आप थोड़ा विश्राम करिये, माननीय सदस्य। तब तक इनकी बात सुन लेता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : किसी भी माननीय सदस्य को...

(व्यवधान)

श्री नाथूराम (बागीदोरा) : माननीय उपाध्यक्ष के सब नोटिस में है। आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : कोई माननीय सदस्य गैलेरीज में हों, किसी भी गैलेरीज में हों उनकी तरफ माननीय सदस्य इशारा करके नहीं बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री किशन सिंह भाटी : He should be directed not to break the flow of his speech.

श्री रघुनन्दन व्यास : इनको रोका जाय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री दिग्विजय सिंह : Rule 269 also says that a member shall not obstruct proceedings, his or interrupt....

इसलिये आप व्यवधान न डाले।

श्री मूलचन्द डागा : This is not the way. He cannot address the Galleries इस प्रकार नहीं कर सकते हैं। गैलेरीज को एड्रेस करके बात नहीं कर सकते हैं। मैंने तो यह कहा है। आप मामले को समझे ही नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप पाइन्ट आफ आर्डर उठा सकते हैं। कमेन्टरी नहीं कर सकते हैं।

आप, माननीय सदस्य, जो कुछ आपको कहना है शान्ति से कहिये।

श्री रतनलाल वर्मा : ये मुझे ज्यादा उतावला करते हैं इसलिये बोलना पड़ता है।

जो छोटे-छोटे तालाब हैं, गये साल कांग्रेस सरकार ने उन तालाबों पर पिलाई के साथ एक्स्ट्रा पिलाई लगाई वह किसान से वसूल हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार ने 6) रु. बीघा, 5) रु. बीघा,

(श्री रतनलाल वर्मा)

4) रु. बीघा एक्स्ट्रा पिलाई लगा दी है और वह किसान से वसूल कर रहे हैं। दो-दो पिलाई चार्ज कर रहे हैं। किसानों से सौ रुपया, डेढ़ सौ रुपया, दो सौ रुपया वसूल कर रहे हैं यह इनके काले कारनामे हैं। यह इन्होंने काला कानून बनाया जिसका परिणाम भोगना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, आप स्टडी कर लीजिए, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि आप इस बात की स्टडी करिये। जब किसान से एक बार पिलाई एक जमीन की वसूल कर रहे हैं तो दुबारा पिलाई कानूनन नहीं लग सकती है। इन्होंने गैर कानूनी काम किया और अब मुझे उत्तेजित कर भुलाना चाहते हैं, अपने पापों पर पर्दा डालना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं मंत्री महोदय से, वे जांच कर लें। मैं यह सब साबित करने को तैयार हूं कि यह गैर कानूनी पिलाई किसानों से वसूल कर रहे हैं और लाखों रुपया वसूल हो चुका है। उपाध्यक्ष महोदय।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बहुत जल्दी अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपका टाइम तो पूरा हो गया है।

श्री रतनलाल वर्मा : तो मेरा एक ही निवेदन है कि जनवरी, 1952 से दिसम्बर, 1976 तक सरकारी नौकरों ने टी. ए., डी. ए., पैट्रोल, जीप वगैरह पर कितना पैसा खर्च किया और मौके पर तालाबों पर कितना पैसा खर्च किया, इसका स्टेटमेंट इसी सदन में इस सत्र के दरमियान माननीय मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री माधोसिंह।

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : माननीय उपाध्यक्षजी, सिंचाई के मामले में मेरा कटौती प्रस्ताव है "सिंचाई के कार्यों का जोधपुर डिविजन में प्रावधान एवं भविष्य में बढ़ती आबादी के अनुपात में सिंचाई साधनों की उपयोगिता एवं प्रगति के महत्व पर चर्चा के लिए।" यह कटौती प्रस्ताव कुछ दिन पहले दिया था। मैं यह मानता हूं कि यह प्रस्ताव माननीय मंत्रीजी के पास भी पहुंच गया होगा और उन्होंने पढ़ लिया होगा। सदन के माननीय सदस्य भी इससे अवगत हैं लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि प्रस्तावित बजट प्रावधानों की जो लिस्ट दी गई है उसमें कहीं भी जोधपुर डिविजन का कोई नाम ही नहीं है। कोई उसमें किसी प्रकार का प्रावधान रखा ही नहीं गया है। मैं कहना चाहूंगा कि किसी के मरने के बाद अगर किसी को कहते हैं कि कुछ मेहरबानी करो मरने वाले पर तो वह आदमी मरने वाले के लिए यह कहता चला जायगा कि अच्छा, कफन का इन्तजाम कर देते हैं। तो इसी तरह से पहले वाली कांग्रेस सरकार ने तो जाते-जाते जोधपुर डिविजन के लिए कफन का इन्तजाम किया था। उस का नतीजा यह हुआ कि बारह दिन करने के बाद उन्हें भी जाना पड़ा। अब पश्चाताप के आंसू उधर बैठने वाले निकाल रहे हैं मुझे अफसोस है कि..

श्री रामसिंह बिश्नोई : काम की बात करो।

श्री माधोसिंह कछवाह : काम की ही बात कर रहा हूं.....

श्री रतनलाल वर्मा : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर, उपाध्यक्ष महोदय । ये बार-बार डिस्टर्ब करते हैं । इस तरह से नहीं चल सकता । ग्राप निर्णय करिये । ग्राज फैसला हो जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : कोई ग्रनावश्यक इण्ट्रप्शन नहीं करें ।

श्री रतनलाल वर्मा : हम बरदाश्त नहीं करेंगे, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री अब्दुल ग्रजीज : बीच में तो खुद ही बोल रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया ग्राप लोग सदन की कार्यवाही को गंभीरता से लीजिए । सब बैठे हैं सुनने के लिए तो गंभीरता से लीजिए ।

श्री माधोसिंह कछवाह : उपाध्यक्ष महोदय, यह पांच-चार मिनट का समय निकल गया है इसको नोट कर लें ।

तो मैं निवेदन कर रहा था ग्रापके माध्यम से कि जो माननीय मंत्री बैठे हैं उनका उस पार्टी से पहले सम्बन्ध रहा है । मैं कहना चाहूंगा, कफन देने के बाद क्या उनकी भी याददाश्त इतनी कमजोर हो गई कि जोधपुर का नाम ही भूल गए ? कल परसों भी मैंने एक मामला रखा था । मैं कहना चाहूंगा कि कि यह भूल कहां हुई ? 'सिंचाई विभाग', 'सम्पतराम' ग्रौर 'सच्चाई', इन तीनों में 'स' ग्राता है ग्रौर 'सिंचाई' ग्रौर 'सच्चाई' में सिर्फ 'ि' का फर्क है । ईमानदारी ग्रौर सच्चाई बरती जाती है सिंचाई विभाग द्वारा इसमें मुझे संदेह है ।

मैं कहना चाहूंगा कि सर्वे ग्रौर ग्रनुसंधान विभाग है जयपुर में, उस विभाग ने बहुत सी योजनायें लम्बी-चौड़ी एक लिस्ट में, दो एक पेज में दी हैं । यह सर्वेक्षण विभाग जो है, मेरी समझ में नहीं ग्राता कि जोधपुर जाने में क्यों कतराता है । जोधपुर नगर के ग्रास पास छः ग्राठ माइल के एरिया में चार-चार तालाब हैं उनके नाम लेने की ग्रावश्यकता नहीं समझता । मुख्य ग्रभियन्ता भी वहां के ही हैं । तो मैं कहता हूं कि वह ऐसा इलाका है जहां पहले राजाग्रों ने ऐसी योजनायें बनाईं तो ग्रब कोई योजना बनाने में, योजना का सर्वे करने में क्या एतराज है ? मैं नहीं समझता कि इसमें कोई कठिनाई की वजह हो सकती है । सिर्फ भेदभाव की नीति बरती जा रही है ग्रौर इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है ।

श्री सम्पतराम : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं यह ग्रनुरोध करता हूं माननीय सदस्य से कि वह सुझाव दें । जो सुझाव देंगे तो मैं उनका निश्चित तौर से सर्वे कराऊंगा ग्रौर फिजेबल होंगी तो उनको लेने की कोशिश करूंगा ।

श्री माधोसिंह कछवाह : मैं बड़ा ग्राभारी हूं कि माननीय मंत्रीजी ने कृपा करी सुझाव मांगने की । मैं कहता हूं कि जो ग्रनुसंधान विभाग ग्रौर सर्वेक्षण विभाग है उसको मेरे साथ कर दीजिए, मैं कई सुझाव मौके पर ही दे दूंगा । सर्वे करने में मैं भी इतना कमजोर नहीं हूं । ग्राप मुझे सर्वे शीट्स दे दीजिए ग्रौर दो घण्टे में मैं ग्रापको सुझाव दे देता हूं । हैं तैयार ग्राप जवाब देने को ?

तो मैं यह कहना चाहूंगा कि इस मामले के ग्रन्दर जो भूल बरती जा रही है वह भूल भविष्य में न बरती जावे । ग्रब जनता पार्टी

(श्री माधोसिंह कछवाह)
का राज आया है । सब जगह कुछ न कुछ होना चाहिए । इसलिए मेरा आपको, उपाध्यक्ष महोदय, और आपके मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं ज्यादा नहीं कह कर अब पर्यटन के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। पर्यटन के मामले में मेरा निवेदन है कि इसके डायरेक्टर श्री मुन्नालालजी गोयल हैं । मुन्नालालजी गोयल जहां बैठे वहां बंटाधार ही होता है । कहां-कहां बैठे और क्या-क्या हुआ, यह तो समय पर कहूंगा, उचित समय पर बात बताई जायेगी । अभी दो-चार बार टेलीफोन से पता लगाया तो कभी सीट पर मिलते ही नहीं हैं । एक उनके यहां लेडी रिसेप्शनिस्ट है, और उनके यहां एक विशेष अधिकारी हैं, उनका नाम भूल गया हूं, शायद राधेसिंह जी हैं । वह लेडी रिसेप्शनिस्ट सात-आठ साल से वहां पर है लेकिन जब भी टेलीफोन करो यही कहती है कि राधेसिंहजी को नहीं जानती..

श्री रामसिंह बिश्नोई : यह पर्यटन स्थान है क्या ?

श्री माधोसिंह कछवाह : मैं कहना चाहता हूं कि अगर मुन्नालालजी के भरोसे ही यह पर्यटन विभाग छोड़ दिया और आपने ध्यान नहीं दिया तो कुछ होने वाला नहीं है । मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर के अन्दर एक मसूरिया पहाड़ी है । इस पर काफी पैसा खर्च किया जा चुका है । इस पहाड़ी पर पर्यटन केन्द्र बनाया जाय और उसको पूर्ण किया जाय तो यह पहाड़ी अच्छी पर्यटन केन्द्र बन सकती है और जोधपुर के अन्दर कई दूसरे विदेशी मेहमान आते हैं उनके लिए बहुत अच्छा पर्यटन स्थान हो सकता है । तो मैं चाहूंगा कि इस ओर पूर्ण ध्यान दिया जाय ।

मैं आपकी घण्टी की चिन्ता से बहुत चिंतित हूं । घण्टी और आपका आदर रखा जाय इसलिए मैं थोड़े शब्दों में पुनः याद दिलाता हूं कि जोधपुर डिविजन के बारे में माननीय सिंचाई मंत्रीजी भूल नहीं करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री दाऊदयाल जोशी ।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : उपाध्यक्ष महोदय, चर्मण्य नदी जो हाड़ौती की सिंचाई करती हुई आगरा से होकर जमना में विलीन होती है, पांच जगहों पर विशाल बांध बंध जाने के बाद भी वह आज यह कह रही है कि चम्बल के बेटो! मुझमें अभी भी क्षमता है । मेरा उपयोग अधिक से अधिक करो । सारे राजस्थान की प्यास और सारे राजस्थान की भूख को मैं केवल एक मात्र चम्बल ही, चर्मण्य नदी ही पूरा कर सकती हूं । दुर्भाग्य है कि आज पांच बांध बन जाने के बावजूद और कोटा का चम्बल बैराज बन जाने के बाद भी उसके माध्यम से जो हाड़ौती का क्षेत्र सिंचित होता है उसका बराबर उपयोग सिंचाई में नहीं लिया जा रहा है। यह सही है कि चम्बल बैराज को 4 फीट और ऊंचा कराने की बात की गई है लेकिन 4 फीट ऊंचा बढ़ा देने के बाद भी आज तक इस योजना में चम्बल के माध्यम से लिफ्ट इर्रिगेशन के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था मेरे सामने उपस्थित नहीं हुई । मैं जब यहां इस सत्र में उपस्थित हुआ था

(श्री दाऊदयाल जोशी)

तब मैं चम्बल के जिम्मेदार अधिकारियों से मिला था और उनसे निवेदन किया था कि मेरे क्षेत्र दीगोद-सामोद में अनेक नहरें भी गई हैं, उस क्षेत्र में सिंचाई के माध्यम से भरपूर फसल मिलती है लेकिन दूसरी तरफ चम्बल नहर नहीं है क्योंकि टीबे के रूप में ऊंचा होने से लिफ्ट इरिगेशन के बिना सिंचाई नहीं हो पाती। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि चम्बल के अधिकारियों ने राज्य सरकार के पास इस प्रकार की योजना भेजी हुई है कि अगर चम्बल के माध्यम से लिफ्ट इरिगेशन के लिए सिंचाई विभाग को 12 करोड़ रुपए दे दिए जायं, इस साल अगर बजट से 12 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर ली जाए तो एक लाख हैक्टेयर जमीन उपजाऊ बन सकती है और उस जमीन से तीन फसलें ली जा सकती हैं। एक तरफ गेहूं पैदा हो, दूसरी तरफ चावल पैदा हो, तीसरी तरफ गन्ना पैदा हो फिर भी राजस्थान का जो रेगिस्तानी इलाका है, उसकी भूख नहीं मिट पा रही है। केवल चम्बल ही ऐसा क्षेत्र है जो राजस्थान की भूख मिटा सकता है।

मेरा निवेदन है जैसा माननीय रतन लालजी ने लालफीताशाही की तरफ इशारा किया, पिछले 30 सालों में राजस्थान के बजट से गरीबों की कमाई के 500 करोड़ रुपये आज तक इन सिंचाई योजनाओं पर खर्च कर चुके हैं। माननीय सदस्यों ने जो अपने अपने उद्‌गार प्रकट किए, उनके अनुसार सारी योजनाओं को एक साल में लें तो 500 करोड़ रुपये फिर चाहिए तब जाकर सारे सदस्यों की भावनायें पूरी हो सकती हैं। 30 साल में 500 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी दुर्भाग्य है कि केवल 16 प्रतिशत सिंचाई हम राजस्थान में कर पाए हैं। इस विभाग में जो भी योजनायें हैं उनमें लीकेज है। हर एक जानता है कि मस्टर रोल्स में बेईमानी होती है, अर्थवर्क में बेईमानी होती है, उनको पकड़ने की राज्य सरकार ने व्यवस्था नहीं की। समय-समय पर प्री आडिट और पोस्ट आडिट किया गया लेकिन पर्सेन्टेज बंध गया है, किसी का 4 प्रतिशत, किसी का 6 प्रतिशत, किसी का 10 पर्सेंट-इस तरह से वहां पर लीकेज होता है और पैसा कुछ लोगों के माध्यम से बाहर निकल जाता है उसको रोकने की व्यवस्था इस बजट में नहीं की गई है। इसके अलावा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ठेकेदारी प्रथा एकदम बुरी प्रथा है। हरएक जानता है कि ठेकेदारी व्यवस्था में बड़ी बेईमानी होती है, बांध टूट जाते हैं, कई जगह लीकेज हो जाता है। मेरा निवेदन है कि इसके लिए कोई प्रशासनिक व्यवस्था की जाए और साथ-साथ तेज गति से पकड़ने वाले व्यक्तियों का जैसा जोधपुर में उड़न दस्ता है वैसा उड़न दस्ता चम्बल में भी हो जो गलत कामों को पकड़ सके, मस्टर रोल पकड़ ले, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। मैं अभी अपने क्षेत्र सुल्तानपुर गया था तो-..

श्री उपाध्यक्ष : आपका कटौती प्रस्ताव नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी : तो मेरा निवेदन है कि लिफ्ट इरिगेशन की तरफ ध्यान दिया जाए। मेरे क्षेत्र में 5 नदियां हैं, सबसे महत्वपूर्ण नदी है कालीसिंध। राजस्थान कैनाल के माध्यम से चम्बल से सिंचाई के लिए 200 फीट नीचे जाकर लिफ्ट इरिगेशन करते हैं लेकिन चम्बल के बच्चे चम्बल से सिंचाई के लिए 100 फीट

(श्री दाऊदयाल जोशी)

नीचे नहीं जा सकते। हमने कहा है 30-30 फीट लिफ्ट इर्रिगेशन करें, कालीसिंध से लिफ्ट इर्रिगेशन के माध्यम से 100 फीट पर भी पानी चला जाय तो कोई कारण नहीं कि राजस्थान की गरीबी व दुःख मिटे। राजस्थान में हम और लिफ्ट इर्रिगेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे तो कोई कारण नहीं कि लहलहाता राजस्थान आगे नजर आएगा।

मेरे क्षेत्र में पाड़ौली रावतभाटा के पास में है। पर्यटन की दृष्टि से वहां ध्वंसावशेष मंदिर है। वह क्षेत्र कोटा के आस-पास है। उस क्षेत्र को पर्यटन केन्द्र में विकसित किया जाए तो पाड़ौली क्षेत्र दुनिया भर के लिए पर्यटन केन्द्र बन सकता है। कोटा का मसूरिया कोटा स्टोन के लिये प्रसिद्ध है। उस स्थान को पर्यटन केन्द्र घोषित किया जाए तो दुनिया में कोटा का नाम अमर हो जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राम किशोर मीणा।

श्री **रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान अपने कटौती प्रस्तावों की ओर आकर्षित करता हूं। मेरे क्षेत्र में छोई नदी बहती है जिसका सर्वेक्षण 15 साल पहले किया गया था। पिछले तीन सालों से लाखों रुपये की फसल व जमीन की उर्वरा शक्ति नष्ट हुई है, काफी नुकसान हुआ है। मानपुर से सिकराय तक की सड़क बरसात के दिनों में बन्द पड़ी रहती है। मेरा सुझाव है कि पुल व सड़क को तीन फीट ऊंचा किया जाए। इस समस्या का स्थाई हल निकाला जाए। छोई नदी से सिकराय, टोडाभीम, महुआ-तीनों तहसीलों को भारी नुकसान होता है न मालूम किस कारण से आज तक यह ना स्वीकृत नहीं की गई। या तो वहां से कोई प्रभावशाली व्यक्ति नहीं आया है या वहां हमेशा से विरोधी दल का वर्चस्व रहा है। छोई नदी से हर साल लाखों रुपये की फसल नष्ट होती है और जमीन भी नष्ट होती है। ऐसी व्यवस्था की जाए कि उसके पानी को बाण गंगा नदी में नहर बना कर डाला जाए ताकि किसानों को हर साल होने वाले लाखों रुपये के नुकसान से बचाया जा सके।

उस नदी के कारण बरसात के दिनों में सिकराय तक सड़क बंद रहती है। भंडारी बांध के सीपेज के कारण पिछले तीन साल से 12 गांवों की फसलें पूर्णतः नष्ट हो गई हैं। इसकी जो चादर बनाई गई है उसे पुनः पहले वाले स्थान से चालू किया जाए।

मेरे क्षेत्र में राणोली नदी है जिसका पानी यदि लिफ्ट इर्रिगेशन स्कीम लागू कर दी जाए तो उससे हजारों एकड़ भूमि उपजाऊ बनाई जा सकती है। मेरे क्षेत्र में तीन बड़े बांध हैं–भंडारी, माधोसागर तथा कालीखोह। उनकी नहरों को पक्का किया जाए जिससे सीपेज की समस्या मिट सके। चांदेरा ग्राम पर एनीकट बनाया जाए नहीं तो पूरे गांव को वहां से हटाना पड़ेगा तथा सारी जमीन बरबाद हो जायगी।

राणोली के पास नदी है जिसमें पानी 12 ही महीने बहता है। लिफ्ट इर्रिगेशन स्कीम के अन्तर्गत इसे शामिल किया जाए जिससे हजारों एकड़ जमीन को सिंचित भूमि में परिवर्तित किया जाए। अब तक वह बंजर पड़ी हुई है।

पर्यटन के बारे में भी कहना चाहूंगा। इस विभाग की उन्नति की बहुत बड़ी संभावनाएं

(श्री रामकिशोर मीणा)
हैं जिससे बहुत ज्यादा विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है, जिसकी हमें जरूरत है।

मेरे क्षेत्र में, उपाध्यक्ष महोदय, मेंहदीपुर बालाजी नामक धार्मिक स्थल है जहां पर हजारों यात्री प्रति-दिन आते हैं। यदि इसको भी शामिल कर लिया जाए और वहां पर एक पर्यटक विश्राम केन्द्र बनाया जाए तो मैं समझूंगा कि उससे यात्रियों को सुविधा होगी और क्षेत्र का विकास हो सकेगा। वह हाई वे रोड नं० 11 पर स्थित है। उसका विकास बहुत अच्छे ढंग से हो सकता है।

इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री हरिश कुमार !

(अनुपस्थित)

श्री करतार सिंह !

(अनुपस्थित)

श्री गणेश लाल !

श्री गणेशलाल (हिण्डोली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बजट पेश किया जा रहा है, इस बजट से हम को बहुत आशाएं होनी चाहिए थीं। जैसी कि पहले इस सदन में घोषणा की गई थी कि सन् 1975 तक जो काम प्रारम्भ किए जा चुके हैं, उन कामों को पूरा करने के लिए बजट में लिया जा रहा है। श्रीमन्, बूंदी तहसील में एक अभयपुरा बांध है, आज से करीब सात साल पहले सन् 1970 में तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी, श्री सुखाड़ियाजी ने उसका शिलान्यास किया था। 1970 के बाद कुछ पैसा लगा लेकिन मुझे बड़ी निराशा हुई कि इस बजट में कहीं भी उसके लिये प्रावधान नहीं है। उसको पूरा किया जाए .....

श्री **उपाध्यक्ष** : असिंचित क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था के बारे में आपका कटौती प्रस्ताव है। इस बारे में बोलिए।

श्री **गणेशलाल** : असिंचित क्षेत्र में पानी की व्यवस्था के बारे में ही है। वही कह रहा हूं।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह जो बांध है, हम को लगता था कि यह बांध इस बजट के माध्यम से पूरा हो सकेगा परन्तु इसका कोई प्रावधान नहीं है। मैं सिंचाई मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें।

एक और समस्या मेरे क्षेत्र में है। गुढ़ा बांध बना हुआ है। दो प्रकार की समस्या इस बांध के माध्यम से वहां पर हो रही है। यह बांध रघुनाथपुरा में है, जहां पर सुखाड़िया जी के रिश्तेदार का फार्म है, तापड़ियाजी का फार्म है। इस बांध के पानी का पूरा उपयोग इन दोनों फार्मों की सिंचाई में हो जाता है। इसके आगे जो थोड़ा बहुत क्षेत्र है, उसमें रोसन्दा, काबरी के आस-पास के क्षेत्रों में सीपेज की समस्या बनी हुई है जिससे गांव में आने-जाने में कठिनाई होती है। इसके आगे गवारपुर जो गांव है, वह टेल पर आता है और वहां पर पानी नहीं पहुंचता है। इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अलावा मांग और ओवण पंचायत में रूण का खाल है। इसका सर्वे हो चुका है। देवा का खेड़ के पास मसानिया खाल का सर्वे हो चुका

(श्री गणेशलाल)

है। वहां पर कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। इस बजट में नहीं तो अगले बजट में इसका प्रावधान होना चाहिए जिससे काश्तकारों के लिए सिंचाई की व्यवस्था की जा सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह।

श्री हरिसिंह यादव (बानसूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो कटौती प्रस्ताव दिया है, उसमें मैंने लिखा है 'कि साहबी और रूपारेल नदियों को बांधने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।' जो प्रगति रिपोर्ट मुझे पढ़ने को मिली है उसमें केवल साहबी के लिए यह लिखा है कि इसकी सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की जा रही है और उसके बाद राज्य सरकार उस पर विचार करेगी। रूपारेल के बारे में कोई बात नहीं कही गई है। साहबी के सर्वे के बारे में है लेकिन यह नहीं है कि वह योजना कार्यान्वित की जाएगी या नहीं। मान्यवर, इस साहबी को रोकने की योजना महाराज जयसिंह के टाइम में आज से 40 साल पहले बनी थी। उस समय यह महेन्द्रगढ़, रेवाड़ी का इलाका है, जो सूखा है इसलिए उसने एतराज किया। उन एतराजातों की वजह से यह साहबी नदी का बांध उस समय के हिज हाइनैस के टाइम में नहीं बना। उस समय की जो योजना है, उससे ज्यादा अच्छी योजना हो सकती है, हमारे इन्जीनियर्स बना लें, इसमें मैं शक नहीं करता। परन्तु मैं जो प्रत्यक्ष देख रहा हूं, उसके आधार पर कह सकता हूं कि जयसिंह के टाइम में जो सिलिसेड बांध, जयसमन्द बांध बना था, वह आज तक मजबूत स्थिति में अडिग खड़ा है और उसके बाद जो योजनाएं छोटी-मोटी बनी हैं, जो दोनों बांध मेरे निर्वाचन क्षेत्र बानसूर में हैं, उन दोनों को टूटे हुए काफी समय हो गया है। राजस्थान सरकार के सिंचाई विभाग की ओर से वहां पर यह बोर्ड लगा हुआ है कि यहां पर बांध है परन्तु वास्तव में कोई बांध नहीं है। उन बांधों को न बांधने का क्या कारण है? उनको बांधने से कितने एकड़ भूमि सिंचित हो सकती है? इसका पानी साहबी में जाकर मिलता है। इसे रोकने की तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिये। साहबी को रोकने में भी यह सहायक सिद्ध हो सकता है। इसके बारे में आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं लेकिन सुझाव सुनने वाले सिंचाई मन्त्री महोदय मौजूद नहीं हैं। सरकार तो यह मान कर निश्चित बैठी है कि जो उसका बजट है, वह अन्तिम है। ऐसा होना नहीं चाहिए। इसमें अलवर जिले की अवहेलना की गई है। फिर भी मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी को यहां पर सचेत कर देना चाहता हूं कि इस साल भीषण स्थिति बाढ़ एवं अतिवृष्टि से हुई है। वे सिंचाई मंत्री भी हैं, अलवर जिले के कृषि मंत्री भी हैं और विद्युत मंत्री भी। तीनों ऐसे विभाग, जो कृषि उत्पादन से सम्बन्धित हैं, उनके पास में है। अलवर जिले में साहबी नदी को बांधने के लिए आप इन्जीनियर्स को हिदायत दें। पैसे का इन्तजाम करें। इस नदी का सर्वे हो–जहां इसको बांधना है, वह क्षेत्र मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पड़ेगा और करीब 25 हजार आदमियों को वहां से उठाना पड़ेगा। उनको किसी दूसरी जगह रिहेबिलिटेट करने के लिए सिंचाई मंत्रीजी, आपको पहले से ही योजना बना लेनी चाहिए। दूसरा सुझाव यह देना चाहता हूं कि लाखों रुपया खर्च होने के बावजूद साहबी नदी में मिट्टी जाती है। बांध में मिट्टी जायेगी तो उस मिट्टी के कारण नुकसान हो सकता है। मेरा सुझाव है कि उसको रोकने के लिए तीन-चार जगहों पर बांधा

(श्री हरिसिंह)

जाए और उसकी सहायक नदियों को रोका जाए। इसके रास्ते के अन्दर जो जंगलात हैं, वहां ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं। उससे भूमि का कटाव रुकेगा और नदी में जो मिट्टी बहती है, वह भी रुकेगी। ऐसा नहीं होगा तो जमीन खराब हो जाएगी और बांध कुछ समय में मिट्टी से भर जाएगा। साहबी जिस जगह बांधी जाएगी वहां तबाही ढाएगी क्योंकि बांध मिट्टी से भर जाएगा। सिंचाई मंत्रीजी, आपका विभाग पूर्ण रूप से इन बातों को मद्दे नजर रखते हुए कार्य करे।

इसके अलावा रूपारेल के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। यह जयपुर-अलवर दिल्ली मार्ग पर बारां के स्थान पर दो भागों में बांट रखी है। इस प्रगति रिपोर्ट में बाढ़ नियन्त्रण कार्यों का जो पैराग्राफ है, उसमें लिखा है कि पिछले साल भरतपुर में निरन्तर बाढ़ आई है। सरकार ने काफी पैसा इस बाढ़ को रोकने के लिए खर्च किया है परन्तु अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। माननीय उपाध्यक्षजी, यह सारा का सारा रूपारेल का जल भरतपुर में जाता है। मैं चाहूंगा कि नटनी का बारां के पास जो नदी को विभक्त किया है, वहां पर उसको रोक दिया जाए तो कम लागत लगेगी और इससे तहसील अलवर लक्ष्मणगढ़ की भूमि की सिंचाई हो सकती है। बाढ़ से जो तबाही होती है, उसको किसी हद तक रोक देने में भी कामयाबी हो सकती है। अतः रूपारेल का बांध बनाने की योजना सरकार को शीघ्र हाथ में लेनी चाहिये।

इसके साथ में, श्रीमान्, अब पर्यटन मंत्रीजी को भी कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हमारे पास जो प्रगति रिपोर्ट भिजवाई है, उसके अनुसार सिरस्का ऐसी जगह है, इसका जब से निर्माण हुआ है तभी से टूरिस्टों का आना बढ़ रहा है। उन्हें सुविधाएं भी कम दी गई हैं सिरस्का में। अतः भोजन की सुविधा ठीक होनी चाहिये। मैं पर्यटन मंत्री से निवेदन करूंगा जैसा कि हरियाणा के अन्दर सोलना में है सलफर वाटर उसी तरह का अलवर जिले में एक जगह तालावृक्ष है वहां दो कुण्ड हैं इनमें से एक में गरम पानी है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वह स्थान हरियाणा के सोलना से कहीं अधिक अच्छा स्थान है। उसको डवलप करें तो वह एक अच्छा पर्यटन केन्द्र हो सकता है। अलवर जिले में जिस प्रकार से सिरस्का बनाया है, उसी प्रकार से सिलीसेड दूसरी जगह है। वहां पर निगम के होटल भी हैं परन्तु उनकी व्यवस्था खराब है। राजस्थान में और दूसरी जगहों का मुझे पता नहीं है लेकिन मैंने यह अनुभव किया है कि राजस्थान में जो प्राकृतिक स्थल हैं वैसे हरियाणा में नहीं हैं। लेकिन जो रहने और भोजन की सुविधा एवं व्यवस्था आदि है, वह हरियाणा में हमसे अच्छी है। जहां पर प्राकृतिक सुविधाएं नहीं थीं वहां पर उन्होंने डवलप किया है। इसलिए मेरा निवेदन है, हमारे प्रदेश में भी इसी तरह विकास हो। ये जो पर्यटन स्थल पिछली सरकार ने बना रखे हैं और जो अब हमारे हाथ में आये हैं इनका विकास होना चाहिये। अभी तो वह बड़े लोगों के लिए हैं लेकिन अब यह सरकार उनमें परिवर्तन करे। जैसे सिलीसेड, जयसमन्द में मोटर बोट रख सकते हैं। इसके बीच में एक काफी बड़ा चबूतरा है। उस पर रेस्टोरेण्ट चलाया जा सकता है। यह हमारा एक सुझाव है। अलवर जिले में कम से कम पैसा लगाकर पर्यटन स्थलों की अच्छी व्यवस्था की जा सकती है। मैं इस बात को चाहूंगा, मंत्री महोदया इस बात का जवाब

(श्री हरिसिंह)

दें क्या अलवर जिले में उपरोक्त सुझावों के अनुरूप कोई पर्यटन विकास की योजना विचाराधीन है ? अगर हां, तो मैं चाहूंगा कि जांच कराकर वहां पर पर्यटन केन्द्र कायम किये जायें। इससे प्रदेश का विकास होगा और अलवर का विकास होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अयूब खां।

श्री अयूब खां (तिजारा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो कटौती प्रस्ताव दिया है उसमें 'साहबी नदी में गिरने वाले नालों पर बांध बनवाने हेतु चर्चा' के लिए लिखा है। इस बारे में मेरा विचार है, इस नदी में इस कारण बाढ़ आती है कि उसमें छोटे-छोटे नाले गिरते हैं। यदि उन नालों के ऊपर बांध बनाये जायें तो वहां पर बाढ़ का नियन्त्रण हो सकता है और इस तरह से बाढ़ खतम हो सकती है। रूपाहेली और सुलजापुर से एक नाला निकलता है। यह आकर नौगांव और मसीद बांध में गिरता है। इस साल अधिक वर्षा के कारण मसीद बांध टूट गया। उसके कारण रेवाड़ी की ओर रेत बह गई है। तिजारा बांध से एक नाला निकलता है इससे उसकी क्षमता कम हो गई है। मैं निवेदन करूंगा कि इसकी क्षमता को बढ़ाया जाये। इससे नहर निकाल सकते हैं। मेरा सुझाव है कि आगे एक नहर निकाली जाये। उसे सिंचाई के काम में लिया जाये। भिवाना बांध में एक नाला गिरता है जो गन्दौला बांध से निकलता है। तो वह दोनों मिलकर ओवर फ्लो होते हैं। आगे चलकर वह सड़क तोड़ देता है। इस साल भी सड़क टूटी है। हमीरा बांध के पास एक और नाला है। थोड़ा सा उसको और बढ़ा दिया जाये तो मेरे ख्याल से बांध भी भर जाएगा और पानी की मिकदार भी बढ़ जाएगी। एक नाला पालपुर से चलकर तिजारा के पास से होकर निकलता है। यह भी इस रोड को तोड़ता है। माननीय सिंचाई मंत्री ने इसे उस माह देखा भी है। ये सारे नाले आकर साहबी नदी में गिरते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि यदि इन नालों पर छोटे-छोटे बांध बना दिये जायें तो उनसे सिंचाई हो सकेगी। उससे जमीन भी निकल सकेगी, जो बाढ़ आती है, वह रुक सकेगी। और जो तिजारा से रेवाड़ी सड़क जाती है, वह भी नहीं टूट पायेगी। मैं सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इन सभी नालों पर छोटे-छोटे बांध बांधकर इस क्षेत्र की सिंचाई के लिए उनका उपयोग किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नन्दलाल !

(अनुपस्थित)

श्री बहादुर सिंह !

(अनुपस्थित)

श्री गम्भीरलाल !

(अनुपस्थित)

श्री दिग्विजयसिंह !

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे चार कटौती प्रस्ताव है। सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह लघु सिंचाई पर अधिक ध्यान दें। लघु सिंचाई पर अधिक ध्यान देने से राज्य के काश्तकारों को अधिक लाभ मिल सकता है। टौंक जिले के अन्दर एक योजना रखी गई है जब कि अजमेर जिले के अन्दर 10 सिंचाई योजनाएं हैं और भीलवाड़ा में 9 लघु सिंचाई योजनाएं हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि बांधों पर कोई काम पूरा क्यों नहीं होता है ? मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा मेरे जिले में

(श्री दिग्विजयसिंह)

सूथड़ा बांध है, जिस पर 5 लाख रुपया खर्च हो चुका है। पता नहीं उसको कौन लोग ड्रोप करने वाले हैं। यदि उसको पूरा करा दें तो 635 एकड़ जमीन सिंचित हो सकती है। मेरे क्षेत्र में यह एक ही बांध है। प्रति वर्ष इसके लिये एक लाख रुपये की मंजूरी देते हैं, जैसा कि आपके आंकड़ों से भी स्पष्ट है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि टेक्निकली ईरिगेशन डिपार्टमेंट ने हमको नहीं कहा है कि वह बांध बंध जायगा। क्योंकि इसके सम्बन्ध में कुछ विशेष बातें हैं इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि उस बांध को सूरसागर बांध की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाय तो यह योजना पूरी हो सकेगी।

इसी के साथ-साथ मैं दूसरा जो सुझाव देना चाहता हूं वह ईरिगेशन रेट्स के सम्बन्ध में है। आपकी जो ईरिगेशन रेट्स हैं वह आपने फसलों पर लगा रखी हैं। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि ईरिगेशन की रेट्स फसलों पर न लगाकर बीघोड़ी या एकड़ पर लगायी जाय तो ठीक रहेगा क्योंकि इससे काफी घोटाले होते हैं। स्थानीय जो पटवारी होते हैं वह खाते के अन्दर कुछ भी लिख देते हैं, जैसे एक बीघा में मिर्च नहीं बोई गई तो भी लिख देते हैं। इसलिए आप ईरिगेशन की रेट्स फिक्स एकरेज पर लगा दें तो मैं समझता हूं कि काश्तकारों को परेशानी नहीं होगी और उनको कोई दिक्कत नहीं आयेगी।

इसी के साथ-साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर कई तालाब ऐसे हैं जिनकी मोरियां नहीं हैं। इनकी मोरियां बनाया जाना बहुत ही आवश्यक है। उनके नहीं होने से पानी का बहुत वेस्टेज होता है। पानी का सदुपयोग नहीं हो पाता है, इसलिए वहां पर मोरियां बनायी जानी चाहिए। चूरिया और कन्डेल बांधों में भी मोरियां नहीं हैं। उनकी भी मोरियां बनायी जानी चाहिए।

दूसरा सुझाव मेरा सर्वे के सम्बन्ध में है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में तीन बांध हैं जिनका सर्वे कराया जाय तो उससे काफी भूमि सिंचित हो सकती है। बांधों के नाम हैं भानपुरा, सरदारपुरा और ठीकरिया। इनका सर्वे कराने के पश्चात् फिजेबल हों तो उनकी योजना को हाथ में में लेना चाहिए।

अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि उनियारा से एक मील के ऊपर गलवा बांध बना हुआ है। वहीं से ओवरफ्लो होकर आठ हजार क्यूसेक पानी निकल जाता है। वह पानी उसी नदी में डाल दिया गया है जो उनियारा से होकर जाती है। अब स्थिति ऐसी है कि इस वक्त तो मानसून जाने को है, उसकी मरम्मत अगर नहीं कराई गई तो अगले मानसून में ओवरफ्लो होकर पानी वापस वहीं आ जायगा और पानी गांव में घुस जायगा। इस मामले को मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में रखा था। विभाग के द्वारा जैसी मेरी जानकारी है एस्टीमेट भी बनाया गया है। आपके यहां वह तखमीना सबमिट भी कर दिया गया है। ढाई लाख का तखमीना आया है। मेरे सुझाव के अनुसार नाले को डाइवर्ट करना चाहते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि विशेष तौर से इस पर ध्यान दें। इसको मामूली बात नहीं समझें। यह सारे

(श्री दिग्विजयसिंह)
गांव का मसला है। बांध के ऊपर से पानी निकलता है। इसकी मरम्मत नहीं कराई गई तो हो सकता है कि अगले मानसून में भी परेशानी हो।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री भैरूंलाल !

(अनुपस्थित)

श्री मदनसिंह दांता !

(अनुपस्थित)

श्री बृजेन्द्रपाल सिंह !

श्री **विजयेन्द्रपालसिंह** (आसीन्द): उपाध्यक्ष महोदय, महूं सबां पेली या अर्ज करूं कि मारो नाम बृजेन्द्रसिंह कोने, मारो नाम विजयेन्द्रपाल सिंह है।

श्री **उपाध्यक्ष** : बहुत लेट बताया आपने।

श्री **विजयेन्द्रपाल सिंह** : आपने पहले विजयेन्द्रपाल सिंह कह्यो होयलो ई वास्ते महूं नहीं टोकयो।

मूंह ई सम्बन्ध में सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करूं हूं के म्हारा इलाका मां एक खारी बांध है। वी की केपेसिटी 11.70 मिलियन टन क्यूबिक फीट है। वी बांध सूं 9500 एकड़ जमीन री पिलाई होवे है, बाकी चादेर ऊपर दो फीट गेट लगा दिया जाय तो ढाई हजार एकड़ मां अतिरिक्त सिंचाई हो सके है। वीकी नहरां और बणा दी जावे तो सबां ने मिलार खर्चो कुल पांच से आठ लाख आवेला। ई को मतलब यः कि तीन या चार प्रति एकड़ कोस्ट हो जावे। जो कोस्ट आवेली मैं अर्ज करूं कि बेनिफिट रो रेट आॅफ क्राइटेरिया जो फिजेबिलिटी रिपोर्ट सूं बणे है वा भी फिजेबल है।

श्री **अब्दुल अजीज** : अंग्रेजी बोल गये, समझ में नहीं आया फिजेबिलिटी क्या होता है ?

श्री **विजयेन्द्रपाल सिंह** : आप मत समझो। आप हिन्दी बोलो, अंग्रेजी मां बोलो, संस्कृत मां बोलो।

श्री **उपाध्यक्ष** : कृपया आपस में बात नहीं करें।

श्री **विजयेन्द्रपाल सिंह** : मूंह अर्ज करूं हूं के साही बांध ने कमाण्ड एरिया में में शामिल करनो चावे जीसूं वर्ल्ड बैंक सूं लोन मिल सके।

मारो दूजो कट मोशन टूरिज्म पर है। टूरिज्म का बारां में महूं अतरो अर्ज कर सकूं के राजस्थान कतरो पोटेन्शियल है टूरिज्म के हिसाब सूं। वी का बारां में एक सेन्टेन्स पढ़ दूं, मारो टाइम खराब नहीं करूं –

"It is a matter of great pride that Rajasthan has been declared as the most potential State in the whole country by World Travel Organisation."

मूंह अतरो ही अर्ज करूं।

अब जो निगम बणावो चावे वीका बारां में अर्ज करूं हूं के होटल कारपोरेशन तो है वीने लास्ट ईयर अस्सी हजार को लोस हुयो, लेकिन आ समझ मां कोनी आयो के इण्डस्ट्री का हिसाब सूं होटल इण्डस्ट्री मोस्ट वायबल इण्डस्ट्री मानी गई है और आपके

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

अठा का होटल कारपोरेशन में लास हुयो। मारो सुझाव है के टूरिज्म और होटल कारपोरेशन एक साथ हो जाय तो जो पब्लिक मनी पार्टीसिपेशन मल सके वी ने टूरिज्म में बहुत एक्प्लाइट कर आपरी असेट्स ने डवलप कर सके। हरियाणा टूरिज्म डवलपमेंट कारपोरेशन है जीके द्वारा कई तरह की सुविधा मिले, कतरा प्रोग्रेसिव है। महूं अर्ज करूं हूं कि आपके अठे भी ऐड़ी टूरिज्म डवलपमेंट डिपार्टमेंट री बहुत जरूरत है। वा जल्दी सुविधा प्रोवाइड कर सके और जांच कर सके के सुविधा के सम्बन्ध में कांई कदम उठाणे चावे। राजस्थान मोस्ट पोटेन्शियल स्टेट है, इन्फ्रास्ट्रक्चर ई ने प्रोवाइड करो तो बहुत डवलप कर सके है।

मूंह दूसरी बात या अर्ज करूं के उदयपुर मायने भी टूरिज्म की सुविधा नहीं होबा सूं अठे टूरिस्टां की संख्या कम वेती जा रही है। गुजरातऊ जतरा भी टूरिस्ट उदयपुर आवे है वे सब मोटरां में या बसां में आवे है। आपांरी नेशनल हाईवे सड़क की हालत अतरी बुरी है क्यूं महूं अर्ज करूं हूं कि दूसरा डिपार्टमेंटाओं भी टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने सहयोग मिलणो चावे।

तो ईको मतलब यां है के इण दोणया मां कोर्डिनेशन होणों चावे। अगर इण्मां कोर्डिनेशन कर दो और इणरा इनफास्ट्रक्चर आपां डवलप कर सकों तो वा सुविधा उणां ने आपां देसकां।

इण रे अलावा दूसरी बात जो महूं केबो चावूं वा आ है के आपाणे फिफ्थ प्लान में एक करोड़ 21 लाख रुपया टूरिज्म सारू राखिया और इण रो राजस्थान मां 6 करोड़ रुपया अगला दस साल में लाभ हो सके। फिफथ प्लान मां ओ वेणां चावे तो ईको मतलब आ हुयो के अतरो लाभ राजस्थान ने होय जावे। तो अगर आप इणरो निगम बणाय दो या तो आपां इणसु भी ज्यादा लाभ भी करी सकां। बस अतरो इज अर्ज करीने महूं बैठूं।

श्री सभापति : श्री रघुवीरसिंह।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां): सभापति महोदय, मैं चम्बल के सिंचित क्षेत्र का किसान हूं और मुझे प्रसन्नता है कि हमारे सिंचाई मंत्रीजी ने माननीय विधायकों से सिंचाई के बारे में सुझाव आमन्त्रित किये हैं। अगर आप सिंचाई विभाग के लिये और राजस्थान में सिंचाई से जनता को लाभ हो सके उसके लिये सुझाव चाहते हैं तो मैं कुछ प्रैक्टिकल सुझाव आपको देना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि चम्बल क्षेत्र में जो राइट मेन कैनाल है उसी क्षेत्र में मेरा गांव है। मैं वहीं का रहने वाला हूं। वहां पर ऐसी स्थिति है कि कैनाल के बाएं एरिया में तो खेती होती है लेकिन कैनाल के राइट एरिया में सिंचाई नहीं होती है। वहां सिंचाई अगर हो सकती है तो सिर्फ लिफ्ट से सिंचाई हो सकती है। अगर वहां पर आपने लिफ्ट से सिंचाई नहीं की तो जो राइट मेन कैनाल का पानी है उसका पूर्ण उपयोग नहीं हो पायेगा और भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां लिफ्ट ईरिगेशन से सिंचाई की जावे। उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस बात को लेकर राज्य सरकार चलती है उससे तो मैं समझता हूं कि कभी भी लिफ्ट ईरिगेशन हमारे यहां सफल नहीं हो सकता है। मैं समझता हूं कि यह

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

सारा पानी बरबाद हो जायेगा । जहां पर आप लिफ्ट इर्रिगेशन से खेती करना लागू करना चाहते हैं वहां पर काश्तकार बरबाद हो जायेगा । इसका कारण है, उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारी जो सरकार है वह बनिया हो गयी है । वह नो प्रोफिट नो लॉस के आधार पर धन्धा करना चाहती है । मेरा सुझाव है, अगर राज्य सरकार सीमित साधनों में अधिकतम सिंचाई करना चाहती है तो इसके लिये आपको सुधार करना पड़ेगा । मैं आपको इसके तुलनात्मक आंकड़े भी प्रस्तुत करना चाहूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार लिफ्ट सिंचाई का नो प्रोफिट नो लॉस पर धन्धा करना चाहती है लेकिन फ्लो इर्रिगेशन के लिये निर्माण कार्यों पर चार हजार रुपये प्रति एकड़ खर्च आता है जिसका 9 प्रतिशत ब्याज प्रति वर्ष का 360 रुपये होता है, उसमें चार हजार का ब्याज जो प्रति एकड़ आप लेते हैं 370 रुपये और सरकार सिंचाई शुल्क लेती है 20 रुपये प्रति एकड़ और लिफ्ट के लिए निर्माण कार्यों पर 1500 रुपये प्रति एकड़ खर्चा आता है और उसका 9 प्रतिशत ब्याज के हिसाब से 135 रुपये ब्याज आता है । तो जहां फ्लो इर्रिगेशन पर 360 रुपये प्रति एकड़ ब्याज व रख-रखाव पर खर्च आता है वहां तो सरकार लेती है 21 रुपये सिंचाई शुल्क और लिफ्ट इर्रिगेशन पर आप का 135 रुपये ब्याज आता है वहां पर सरकार 135 रुपये पर 135 रुपये प्रति एकड़ वसूल करती है तो इस प्रकार से नो प्रोफिट नो लोस पर सरकार धन्धा करना चाहती है ? एक तरफ तो अन्न की शार्टेज है, सरकार कहती है अधिक अन्न उपजाओ दूसरी तरफ आप इस तरह की बातें करते हैं तो आप यह कहां का न्याय कर रहे हैं ? उपाध्यक्ष महोदय, फ्लो इर्रिगेशन में वह लोग हैं जो कि बड़े किसान हैं, सम्पन्न हैं और दूसरी तरफ छोटे किसान हैं जो कि लिफ्ट इर्रिगेशन से सिंचाई करना चाहते हैं । छोटे किसान से आप 135 रुपये पर 135 ही लेना चाहते हैं । बड़े किसान से 360 रुपये पर आप केवल 21 रुपये लेते हैं । यह कितनी गलत बात है । अगर आपको लिफ्ट सिंचाई से खेती करानी है तो आप इसके अन्दर सुधार करें । अगर अनुकरण करना चाहते हैं तो आप हरियाणा सरकार से समझ लें । वहां पर फ्लो इर्रिगेशन के चार्जेज ही लिए जाते हैं । मेरा कहने का मतलब यह है कि फ्लो इर्रिगेशन के अन्दर बड़े-बड़े काश्तकार आते हैं । इसलिये लिफ्ट इर्रिगेशन के कम चार्जेज लगाइये अन्यथा लिफ्ट इर्रिगेशन कभी भी लागू नहीं हो सकेगी । इसका नतीजा यह होगा कि पानी का उपयोग होगा नहीं और आपकी जमीन बेकार पड़ी रहेगी, खेती होगी नहीं । तो मेरा निवेदन है कि सीमित साधनों में अधिक सिंचाई करने की जो बात आप कहते हैं वह जरूर असफल होगी । इसके अलावा फ्लो इर्रिगेशन में खर्चा भी अधिक होता है ।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि लिफ्ट इर्रिगेशन की योजना से जिस एरिया में आप सिचाई करें उस एरिया के अन्दर आप कोआपरेटिव सोसाइटीज बना दीजिये । उनके माध्यम से आप लिफ्ट इर्रिगेशन को शुरू करावें तो उचित रहेगा । और जो आज आपका इसमें अनाप-शनाप खर्चा हो रहा है उस खर्चे को कम किया जाय । आप नयी-नयी जो स्कीमें बना रहे हैं उनके बजाय तो मेरा सुझाव है कि पुरानी

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)
जो नहरें हैं उन्हीं का मोडर्नाइजेशन कर दें तो कम खर्च पर आप अधिक सिंचाई कर सकते हैं। आप नयी स्कीम में चार हजार रुपये प्रति एकड़ खर्च करेंगे वहां पर पुरानी स्कीम्स में आपके 1500 से लेकर 2000 रुपये खर्च होंगे। इस प्रकार तिगुनी जमीन पर सिंचाई कर सकेंगे। मतलब यह है कि तिगुनी जमीन पर सिंचाई आप कर सकते हैं तो मैं समझता हूं कि इससे आपको अधिक लाभ होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर एक पार्वती कैनाल वर्षों पुरानी नहर है। उससे करीब 12 हजार एकड़ जमीन सिंचित हो सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर उस कैनाल का मोडर्नाइजेशन हो जाये तो उससे 20 हजार एकड़ की सिंचाई हो सकती है। हमारे फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में आधुनिकरण के लिये एक करोड़ की राशि भी निश्चित कर रखी थी, पर मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि अभी फिफ्थ फाइव ईयर प्लान समाप्त होने को है पर हमारी सरकार एक भी पैसा मोडर्नाइज़ेशन के लिये नहीं ला सकी है। जब यह हालत है तो हमारी सरकार यह नो प्रोफिट नो लॉस में क्या कर सकेगी? इसलिये मेरा यह निवेदन है कि यह जो आप नो प्रोफिट नो लॉस का धन्धा लिफ्ट इरिगेशन में करना चाहते हैं उसको आप कृपया समाप्त कीजिये, ऐसा मेरा सिंचाई मन्त्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन है। उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो यह कहा जाता है कि सीमित साधनों में अधिकतम सिंचाई की जाय दूसरी तरफ हमारे पास बजट है पर उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो भी पैसा हमें मिले उसका शीघ्रातिशीघ्र सही ढंग से उपयोग किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि थीन बांध की सदन में आम चर्चा भी थी कि इसके लिये राज्य सरकार की तरफ से एक स्टेटमेन्ट आना चाहिये जिससे स्पष्टीकरण हो सके। कांग्रेस सरकार जब जा रही थी तो कांग्रेस सरकार जाते-जाते जवाई बांध के एरिया में 9 लाख रुपये के लगान माफ कर गयी। जब कांग्रेस सरकार, उपाध्यक्ष महोदय, दम तोड़ रही थी, मर रही थी उस वक्त अपने भाई-भतीजों को दान कर गयी। उपाध्यक्ष महोदय, जवाई बान्ध के कमान्ड एरिया में काफी उन्हीं के रिश्तेदारों की जमीनें हैं इसलिये उन्होंने जाते-जाते 9 लाख रुपये अपने रिश्तेदारों को दान कर दिया। इसलिये मेरा आपके माध्यम से सिंचाई मन्त्रीजी से यह निवेदन है कि पुरानी कांग्रेस सरकार के इस गलत निर्णय को तुरन्त बदला जाय। और जो अपने भाई-भतीजों को और बड़े किसानों को 9 लाख रुपये का लाभ दिया गया है वह वसूल किया जाना चाहिये। उसे तुरन्त रोका जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, आज एरिया डवलपमैन्ट के लिये हमारी सरकार विश्व बैंक से मदद ले रही है और उसकी सभी शर्तें मान रही है। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो एरिया डवलप किया जा रहा है उसमें कैनाल का डवलपमैन्ट तो कम किया जा रहा है पर उसमें अधिक भवन बनाने की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, चम्बल एरिया में सी. ए. डी. के अन्दर बंगले बनाये जा रहे हैं, बड़े-बड़े इन्जीनियरों के बढ़िया-बढ़िया भवन बनाये जा रहे हैं। एक जगह इन्जीनियर की है वहां पर तीन तीन

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

इन्जीनियर्स रखे जा रहे हैं। उनके मकान बन रहे हैं। उनके लिये जीपों का खर्चा किया जा रहा है। तो मेरा इसमें यह निवेदन है कि इस पैसे को आप मुफ्त का मत समझिये। यह कोई दया या भीख नहीं है। यह एक कर्जा है जो आपको चुकाना पड़ेगा, उसका ब्याज भी लगेगा। मेरा निवेदन है कि सिंचाई मन्त्रीजी इस पर ध्यान दें। वहां पर भवनों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाकर बोर्डर कैनाल डवलपमैन्ट में अधिक ध्यान दिया जाय।

इसके अलावा आज कई सालों से हमारे चम्बल एरिया में एक नया टैक्स लगाया हुआ है, खुशहाली टैक्स। उसको कांग्रेस राज्य में जिस वक्त लगाया गया था उस वक्त भी हमने विरोध किया था। वह खुशहाली टैक्स हमने कांग्रेस राज्य में नहीं दिया। अगर आप भी वह टैक्स हमें देने को मजबूर करेंगे तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपको स्पष्ट रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर बगावत फैल जायेगी और उस बगावत के लिये सिंचाई मन्त्री जी जिम्मेदार होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, समय कम है पर मैं आपको भ्रष्टाचार के एक-दो उदाहरण देना चाहूंगा, वैसे सीमित समय का ध्यान रखते हुए आपको घण्टी बजाने की नौबत नहीं आयेगी।

मैंने पी. डब्ल्यू. डी. की डिमाण्ड पर एक बात कही थी, आप एक समिति बनायें, कमेटी बनायें जो सतर्कता का काम करे।

राजस्थान नहर परियोजना विभाग में आपातकाल में एक वर्ष पहले 32 लाख रुपयों का घोटाला हुआ। तकनीकी परीक्षक ने 32 पेज की रिपोर्ट दी है जिसमें उन्होंने बताया कि 30 लाख का घोटाला राजस्थान कैनाल परियोजना में हुआ है। एस. एस. भट्ट ने इस कार्य की जांच की। मौके पर जाकर देखा कि आर. डी. 620 से 760 के लिए खाजू वालों के 2 मुरब्बे, 102/45 और 123/27/24 लाख घन फीट मिट्टी की खुदाई की गई जिसका 24 लाख रुपयों का पेमैन्ट कर दिया गया। जब कि मौके पर जाकर देखा गया तो पता चला कि 16 लाख घन फीट मिट्टी ही खोदी गयी। मिट्टी जहां खोदी गई उससे तीन किलो मीटर और आगे बता दी गयी। इसका मुख्य तकनीकी परीक्षक ने सत्यापन किया। उच्चाधिकारियों को लिखा कि मौके पर जाकर देखिये लेकिन कोई नहीं गया। मुख्य तकनीकी परीक्षक ने घोटाला निकाला तो मुख्य तकनीकी परीक्षक का वहां से ट्रांसफर कर दिया गया और जो व्यक्ति शामिल था भ्रष्टाचार करने में उस व्यक्ति को मुख्य तकनीकी परीक्षक बना दिया गया। सिंचाई मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसकी जांच कराइये। जो ईमानदार व्यक्ति हैं उनको प्रोत्साहित कीजिये और जो भ्रष्टाचारी हैं उनको दंडित कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जीतमल जैन !

(अनुपस्थित)

श्री माणकलाल।

श्री माणकलाल (नैनवा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक ही बात कह कर अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा। एक बात की ओर सिंचाई मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले तीस

(श्री माणकलाल)
साल से हमारे नैनवा तहसील में एक अनौपचारिक स्थगन आदेश कांग्रेस सरकार का लगा हुआ था और वह आदेश यह था कि नैनवा में किसी प्रकार का विकास नहीं होना चाहिये । इस कारण विशेष रूप से नैनवा तहसील सूखी रह गयी । इससे जो लगी हुई तहसील है वहां तक तो नहर आ गयी है लेकिन अनौपचारिक स्थगन आदेश के कारण नाराजगी के कारण वहां कोई कार्य नहीं हुआ । मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अब जनता सरकार आ गयी है तो स्वतः वह आदेश रद्द मान लिया जाना चाहिये । जब तक नहरें निकल सकें तब तक कुओं के लिए बिजली के कनेक्शन दे दें । वहां कुए पर्याप्त मात्रा में हैं । दुःख की बात है कि कुओं पर बिजली लगाने की योजना थी, देहात-देहात में बिजली ले जाने की बात थी लेकिन कांग्रेस सरकार ने जाते-जाते काफी संख्या में बिजली की कटौती कर दी । इसलिये लक्ष्यों पर पुनर्विचार करके काश्तकारों के कुओं पर बिजली लगा दी जावे तो मैं समझता हूं कि सिंचायी की व्यवस्था उनके लिये हो सकती है । इतनी ही बात मुझे कहनी थी कि कृपया नैनवा के लिये अनौपचारिक स्थगन आदेश को स्वतः ही रद्द मान लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बत्तीलाल मीणा !

श्री बत्तीलाल मीणा (टोडा भीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय कृषि के लिये सिंचायी का विशेष महत्व है, इसीलिये मैंने इस पर अपना कटौती प्रस्ताव दिया है । यह इतना विस्तृत है कि कुओं से सिंचाई भी इसमें शामिल होगी । भारतीय मिट्टी के लिये पानी जिन्दगी का काम करता है । भारतीय कृषि इस वैज्ञानिक युग में भी हाथ का खिलौना है । अतिवृष्टि और अनावृष्टि इसके लिये अभिशाप हैं । अतिवृष्टि हो जाती है तब भी अभिशाप है और अनावृष्टि हो जाती है तब भी अभिशाप है । जब दोनों परिस्थितियां होती हैं तो भारतीय कृषि सिंचाई पर निर्भर करती है और लड़खड़ाती हुई उठती है ।

पिछली सरकार ने कागजों पर इतने आंकड़े दिये और आंकड़ों का जाल बनाया किन्तु वास्तविक रूप से कुछ नहीं किया । जिस राजस्थान नहर को मरुस्थल के लिये वरदान कहा जाता है, उस राजस्थान नहर का काम हाथ में लिया गया, उससे हम बहुत आकांक्षा करते थे । जब हम विद्यार्थी थे तब हम पढ़ते थे कि उससे क्या उपलब्धियां होंगी । हमें उपलब्धियों की आशा थी लेकिन वास्तव में देखा गया तो राजस्थान समृद्धशाली राज्यों में पिछली लाइन में खड़ा हुआ मिला ।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भारत का विकास करना है, भारतीय संस्कृति को बचाना है और उस संस्कृति को पुनः प्राप्त करना है तो सिंचायी पक्ष पर हम को ज्यादा ध्यान देना होगा ।

मेरे क्षेत्र के बारे में मैं दो शब्द कहना चाहूंगा । मैं उस क्षेत्र का हूं, हिन्दुस्तान का स्वर्ग काश्मीर है तो राजस्थान का स्वर्ग माल है । पिछली सरकार ने वहां पर एक रुपया भी खर्च नहीं किया । वह 400 वर्ग मील का एरिया है । सारा बुद्धि का चातुर्य परमात्मा ने उसको बनाने में लगा दिया है । अच्छे इन्जीनियरों द्वारा बनाया एक भी टीबा नहीं, खारी और ऊसर जमीन नहीं । इतनी उपजाऊ जमीन है फिर भी उसकी ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया । पिछली सरकार

(श्री बत्तीलाल मीणा)

ने पक्षपात करके कुछ भी नहीं किया और पैसा कमाने की चेष्टा रखी ।

मैं सुझाव देना चाहूंगा कि ऐसा किसान जो अपने बल-बूते पर समग्र क्रांति की बात सोचता है तो वह भारतीय किसान है । जो भी सरकारी अधिकारी वहां गये, उन के पास आज सारे साधन हैं । जो रेवेन्यू अधिकारी वहां पहुंचे, भूखे और नंगे गये और धनवान और मालामाल बन कर आये । मैं सुझाव दूंगा कि औरों को भले आप 100 पर्सेंट सहायता दीजिये लेकिन हमको आप 5 पर्सेंट ही सहायता दे दीजिये। फिर यदि आप पांच वर्ष के बाद जनता से पूछेंगे कि क्या किया, तो आप देखेंगे कि हिन्दुस्तान के अन्दर वह क्षेत्र अग्रणी होगा ।

उस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुओं की योजना सफल हो सकती है । कुए बनाने के लिये किसान खुद उत्सुक है । कुओं की योजना हो तो वहां पर पांच लाख एकड़ जमीन सिंचित की जा सकती है । उदाहरण के तौर पर दस पाताल तोड़ कुए नीचे बना दिये जायं--गुड़ा चन्द्रजी, दलपुरा, रायसना बाढ़ के बीच में पहाड़ हैं, यू कूप पहाड़ के नीचे बनाये जावें । वहां पर सिंचायी के साधनों का तो क्या कहना, वहां तो पीने का पानी ही नहीं है । सरकार ने एक योजना वाटर वर्क्स की बनायी । अपार स्रोत पानी का मिला । पानी का फायदा हुआ । उदाहरण स्वरूप पाताल-तोड़ कुए, ग्राम दलपुरा में बनवा दिये जावें तो वहां पानी बहुत निकल सकता है । दूसरे आपके परामर्श से बना सकते हैं । सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि मैं किसान का लड़का हूं और मैंने परिश्रम करके देखा है कि और जगह तीन-तीन पानी देने पर जमीन उपजाऊ होगी पर यहां पर एक पानी से जमीन उपजाऊ हो सकती है । पाताल-तोड़ कुए ग्राम दलपुरा से रायसना बाढ़ तक बनवाये जावें जिससे सारी तहसील नादोती की सिंचाई हो सके । बांध मोरा सागर की द्वितीय नहर सरकन्डा को रायसना होती हुई गरखेड़ा तक वनवाई जावे। पुरानी नहरों की मरम्मत करवाई जावे ।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि सरकार ने क्या किया कि ऐसी जगह पर पानी पहुंचाया जहां कि बहुत रेगिस्तान है और जहां कि ज्यादा वर्षा होता है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि किसान की समृद्धि बढ़ाना चाहते हैं तो हमेशा किसान से किराना फसल पैदा करानी चाहिए जिसमें जीरा, धनिया और सरसों आदि आता है । इसके लिए बहुत ही कम पानी की आवश्यकता है । बहुत सी जगह सरकार ने बांधों और नहरों को प्रोत्साहन दिया है लेकिन उससे क्या होता है कि आगे चलकर जो नहर से ज्यादा भूमि सिंचित होती है वह जमीन ऊसर हो जाती है और उसके लिए बहुत ज्यादा खाद की जरूरत होती है । पंजाब और हरियाणा में ऐसी जमीन काफी खराब हो चुकी है । मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि मेरे एरिया में नहर के साधन नहीं हैं और हमारे यहां पाताल-तोड़ कुआ है । वहां कुए का पानी जमीन में गिर जाता है और ऐसी चीज होती है कि उसमें वह पानी ही खाद का काम करता है और उससे वह जमीन उपजाऊ हो जाती है । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि

(श्री बत्तीलाल मीणा)
सरकार वास्तव में किसान की समृद्धि चाहती हैं, उसकी खुशहाली चाहती है तो सिंचाई के महत्व को नहीं भूले और इसके लिए ज्यादा बजट रखें ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह कह कर मैं अंत में सरकार को पुनः निवेदन करूंगा कि यदि सरकार भारत को सोने की चिड़िया के रूप में देखना चाहती है, अपने खोये हुए गौरव को प्राप्त करना चाहती है तो उस एरिया में विकास के कार्य करने होंगे ।

जयहिन्द ।

श्री सभापति : श्रीमती मदन कौर !

(अनुपस्थित)

श्री सुखलाल !

(अनुपस्थित)

श्री हरचन्द सिंह !

श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे कटौती प्रस्ताव के जरिये सब से पहले राजस्थान कैनाल पर मेन कैनाल से आर. डी. 165 पर जो डिप्रेशन बनाये गये हैं उनकी चर्चा करना चाहूंगा। सन् 1964 में घग्घर नदी में बाढ़ आई। उस बाढ़ को कन्ट्रोल करने के लिए सूरतगढ़ तहसील के क्षेत्र में करीब 16 डिप्रेशन बनाये गये । इस घग्घर के पानी को कन्ट्रोल करके उसकी कैनाल से डिप्रेशन निकालने की योजना बनी लेकिन उसके लिए भूमि जो एक्वायर की गयी उसमें केवल घग्घर नदी का जो पानी था इसको कन्ट्रोल करके वहीं डालने के लिए था। वह एक टेम्प्रेरी फेज था। सन् 1964 में लोगों की जमीनें एक्वायर कर ली गयीं और आज तक उन लोगों को उनकी जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया। सैकड़ों परिवार बिना जमीन के मारे-मारे फिर रहे हैं। और राजस्थान कैनाल का पानी 165 आर. डी. के बने स्केप का घग्घर कन्ट्रोल फ्लड के लिए बना डिप्रेशन लगातार छोड़ता रहा जिससे उस इलाके में वाटर लॉगिंग की समस्या हो गयी और पूरा का पूरा गांव किशनपुरा 1969 में पानी में सबमर्ज हो गया। वहां के लोगों के रिहायशी मकान अभी तक पानी में हैं । उन लोगों को आबाद होने के लिए आज तक जमीन नहीं दी गयी। न उनको जमीन का मुआवजा दिया गया और न मकानों का मुआवजा दिया गया । बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक तरफ तो उन लोगों के खेतों के अन्दर तीस-तीस फीट पानी है और दूसरी तरफ उन लोगों से 4 रुपया फी बीघा के हिसाब से मालकाना व लैण्ड रेवेन्यू चार्ज किया जा रहा है। इसके अलावा जो आराजी काश्तकार थे उनके पट्टे हर साल रिन्यू होते थे। उपनिवशन विभाग ने उनके पट्टे इसलिये रोक दिये कि वह जमीन पानी के नीचे सबमर्ज हो गयी। दूसरी तरफ इसी विभाग ने दफा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्यवाही करके लाखों रुपये तावान के आयद कर दिये हैं। दोहरी नीति के कारण वहां का काश्तकार बहुत परेशान है। इसलिए मैं, मान्यवर, आपके माध्यम से उपनिवेशन मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इस तरीके का काश्तकारों पर लगाया हुआ सारा का सारा तावान माफ कराया जाये, उन लोगों को मुआवजे में जमीन के बदले जमीन

(श्री हरचन्द सिंह)

दिलाई जाये और मकान के बदले मुआवजा दिलाया जाये । नोहर क्षेत्र में सेलाइन वाटर बैल्ट है,और पीने का पानी लोगों को मुहैय्या नहीं होता । हमारी सरकार की नीति है कि हम मीठा पीने का पानी लोगों के लिए मुहैय्या करेंगे । ऐसा प्रपोजल भी है अगर कैनाल उन डिप्रेशन से निकाल कर नोहर क्षेत्र में ले जायें तो पीने का मीठा पानी मुहैय्या कराया जा सकता है । वाटर लोगिंग की समस्या से बड़ोपल, मानकथेड़ी, रंगमहल, किशनपुरा आदि गांव बरबाद हो गये हैं, इन गांवों को भी इससे राहत मिल सकती है । इसी तरीके से सूरतगढ़ ब्रान्च 196 आर. डी. के ऊपर 494 एकड़ जमीन के अन्दर पानी राजस्थान कैनाल का छोड़कर के सन् 1960 से लगातार वहां के काश्तकारों की फसल बरबाद की जा रही है । आज तक उसका भी मुआवजा नहीं दिया गया । इसी साल जून के महीने में दफा 6 आफ लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट का नोटिस जारी करके जमीन 16 साल के बाद एक्वायर की गयी है । न तो फसल का मुआवजा दिया गया है और न उन लोगों को मुआवजा दिया गया है जिन लोगों की अवाप्तशुदा जमीन पर नाजायज तरीके से पानी डाला गया । अगर एक कैनाल धमन्डिया साइड से निकाल कर सिंचाई के लिए साधन उपलब्ध कराये जायें तो बहुत सारा इलाका खुशहाल हो सकता है और सिंचित हो सकती है । इससे वहां के काश्तकारों की खुशहाली भी बढ़ेगी और आबपाशी बढ़ने के साथ ही साथ सरकार को भी आय होगी ।

जो 6 और 7 नम्बर की डिप्रेशन मेन कैनाल की है अगर उनका डिप्रेशन नम्बर 5 से संबंध विच्छेद कर दिया जाये तो बहुत कम लागत आयेगी और इस वाटर लोगिंग की समस्या का भी हल हो सकता है । बड़ोपल गांव वाटर लॉगिंग से त्रस्त है । सारे के सारे गांव के मकान गिर चुके हैं और 1½ लाख रुपये की बिल्डिंग काश्तकारों की बिलकुल जीर्णशीर्ण हो चुकी हैं । उनको भी इससे राहत मिल सकती है । इसके अलावा यह सारे का सारा बैल्ट जिप्सम का बैल्ट है जो कि सिन्दरी के कारखाने के लिए रॉ-मैटीरियल देता है । अगर इस 5 नम्बर की डिप्रेशन का 6 और 7 से संबंध विच्छेद कर दिया जाये तो राजस्थान कैनाल का पानी उन-डिप्रेशन में नहीं जायेगा और सिन्दरी का रॉ-मैटीरियल सिन्दरी भेजा जायेगा जिससे कि खाद बनेगी । मैं आशा करता हूं कि सिंचाई मंत्री महोदय इस डिप्रेशन नम्बर 5 का संबंध विच्छेद 6 और 7 से करवायेंगे । मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि. . . .

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकृष्ण दास ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कालायत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय काफी हो चुका है इसलिए कम समय लूंगा। मैं आज अपने मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि जब वह अपोजीशन साइड में बैठा करते थे तब उनकी मांग हुआ करती थी कि राज्य सरकार के इकानामिक साधन कम हैं इसलिए राजस्थान कैनाल परियोजना को सैन्टर को देना चाहिए और इसको राष्ट्रीय योजना का रूप दे देना चाहिए । 98 करोड़ रुपये का घाटा हमारी पहली सरकार छोड़ कर गयी है और इस नये बजट में भी जो राशि दी गयी है वह इतनी कम है कि राजस्थान नहर का द्वितीय

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

चरण पूरा करने में अगले 20-25 साल और लग जायेंगे। राष्ट्रीय सरकार के साधन अधिक है। साधन और भी अधिक हो सकते हैं। वह विश्व बैंक से ले सकती है। राजस्थान नहर का निर्माण जितना जल्दी से जल्दी खतम होगा, उतनी जल्दी बेरोजगारी कम होगी और गरीबी कम होगी। आपकी अन्त्योदय की योजना है उसके अन्तर्गत हर गांव से 5 परिवार ढूंढने पड़ेंगे और उनकी रोटी-रोजी की व्यवस्था की जावेगी राजस्थान नहर जल्दी से जल्दी पूरी कर दें तो मैं समझता हूं कि हजारों और लाखों परिवारों का भला होने वाला है। आज देश में इन्जीनियर्स हैं, मजदूर हैं, साधन हैं परन्तु रुपया नहीं होने के कारण राजस्थान नहर नहीं बन रही है। 1970 में जो पानी हमें मिलना चाहिये था, जिस पानी का उपयोग राजस्थान नहर से रेगिस्तानी इलाके में होना चाहिये था, जिसके लिये हमने 80 करोड़ रुपया पाकिस्तान को महज इसलिये दिया है कि पानी पर उसका क्लेम न रहे। उस राजस्थान नहर के पूरा न होने से आज भी पानी पाकिस्तान को जा रहा है। यह नेशनल वेस्टेज है और क्रिमिनल नैगलीजेंस है। मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जब वे उधर पक्ष में बैठते थे तब जो बाते कहते थे उन बातों को ध्यान में रखकर राजस्थान नहर को जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करें।

मैं इस सदन के जरिये मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान नहर का जिस क्षेत्र में पानी आ गया है उस क्षेत्र में बीकानेर व अन्य शहरों में हजारों बेरोजगार लोगों को, जो खेती करना चाहते हैं, काश्त के लिये जमीन दी जाये। जब किसान का बेटा इंजीनियर, डाक्टर आदि बन सकता है तो शहर में रहने वाले, जिनका पुश्तेनी धन्धा खेती नहीं है, बेरोजगारी को खतम करने के लिये खेती क्यों नहीं कर सकते ? जो कानून बना हुआ है वह डिफेक्टिव है। उसमें भूमिहीन उसको मानते हैं जिसका पुश्तेनी धन्धा खेती रहा हो। हर व्यक्ति को धन्धा चुनने का अधिकार है। तो शहरी की बेरोजगारी मिटाने के लिये जमीन क्यों नहीं देंगे ? जमीन न देकर उनको मूलभूत अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। बीकानेर जैसे शहर में औद्योगिक विकास बिल्कुल ही नहीं किया गया इसलिये वहां के लोगों के साथ न्याय कीजिये।

तीसरी बात यह कहना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि सम्वत् 2012 में जो लोग भूमि पर काबिज थे, जिनकी काश्त थी उनको जमीन पर अधिकार मिलना चाहिये था। मगर राजस्थान टिनैंसी एक्ट की धारा 15 (ए) लगा दी और रातोंरात अधिकार छीन लिया गया। पीढ़ी दर पीढ़ी 100, 200, 300 सालों से जिनकी मिट्टी उस मिट्टी में मिली है उनको उनके अधिकार से आपने नहर आने पर वंचित करके भूमिहीन कर दिया है। वे चक्कर काटते फिर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि उनको जमीन अलाट की जाये। लेकिन सरकार की आज तक की नीति यह रही है कि 35 हजार रुपया प्रति मुरब्बा लेकर जमीन अलाट की गई है। इस योजना से पीढ़ियों के अधिकार छीने गये हैं जब कि अकाल की मार उन्होंने सही है और बन्जर इलाके में उन्होंने आबादी की है। माननीय मंत्रीजी, आप उनको अधिकार दें जिससे इस विकास में उनको हिस्सा मिले और वे भी समझें कि यह देश हमारा है, नहर हमारी है।

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

अन्त में, मैं राज्य मंत्री, पर्यटन से कहना चाहूंगा कि पर्यटन के हिसाब से हमें फिर पीछे रख दिया गया है। मैं समझता था कि इस विभाग के जो मंत्री महोदय हैं वे कुछ दिन बीकानेर रहकर आये हैं इसलिये उस साइड में कुछ पैसा लगायेंगे। जो टूरिस्ट आते हैं वे बीकानेर भी जायें। वहां नेचुरल सीन हैं और रशियन बर्ड वहां पर आकर रुकती हैं। विदेशी पर्यटक हन्टिंग चाहते हैं। वहां हन्टिंग की व्यवस्था भी की जा सकती है। बीकानेर में एक ऐसा मन्दिर है जो यूनिक है। करनी माता का मन्दिर है देशनोक में है जहां हजारों की संख्या में चूहे मिलेंगे। वहां चूहों को मारने नहीं देते और चूहों का आदर होता है। इतना होते हुए भी इस कस्बे में कोई बीमारी नहीं फैली है। यह एक विशेषता है। अगर विदेशों में इस बात का प्रचार किया जाये तो सैंकड़ों की तादाद में विदेशी पर्यटक बीकानेर आयेंगे। राजस्थान सरकार को अगर टूरिज्म का विकास करना है.....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

चाहे देशी पर्यटक हों या विदेशी, उनकी सुविधा के लिये वहां टूरिस्ट बंगले बनवाइये। अब धर्मशालाओं की व्यवस्था टूट रही है, धर्मशालायें खतम हो रही हैं इसलिये टूरिस्ट विभाग द्वारा ऐसे होटल बनाये जायें जिसमें 5 रुपये, 7 रुपये और 3 रुपये में बैड मिले। ऐसे चीप होटल्स बनाये जायें तभी टूरिज्म का विकास किया जा सकेगा। मैं चाहूंगा कि इन्डियन एयर लाइन या राजस्थान सरकार अपनी एयर लाइन चालू करे। जयपुर में लैण्ड करने के बाद बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर जाये ताकि बीकानेर दुबारा अपना स्थान प्राप्त कर सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जिपिंग।

(अनुपस्थित)

श्री भंवर लाल ऐरन !

(अनुपस्थित)

श्री माधवसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री भंवर लाल शर्मा !

(अनुपस्थित)

श्री सूर्यनारायण !

(अनुपस्थित)

श्री नरेन्द्र पाल सिंह !

(अनुपस्थित)

श्री सूर्य प्रकाश !

श्री सूर्य प्रकाश (खैरवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा क्षेत्र खैरवाड़ा पहाड़ों से घिरा हुआ है। वहां के 95 प्रतिशत लोगों का मुख्य धन्धा कृषि है। कृषि के लिये पानी अनिवार्य है। वहां पर सिंचाई के लिये बांध बनाना जरूरी है। पहाड़ी इलाका होने से काफी स्थानों पर पानी उपलब्ध नहीं होता है। अतः सिंचाई के लिये वहां बांध बनाना जरूरी है। हमारी तहसील में खास तौर पर सोमु बांध बनाना जरूरी है तभी सिंचाई हो सकेगी। इस वक्त हमारी तहसील में सोमु चैक डैम बन रहा है और वरोटी बांध बन रहा है लेकिन उसका फायदा डूंगरपुर तहसील को हो रहा है। उसमें जो पैसा खर्च हो रहा है वह खैरवाड़ा तहसील के नाम पर हो रहा है लेकिन वहां की जनता को

(श्री सूर्य प्रकाश)

इससे कोई फायदा नहीं है । वहां के व्यक्ति आसपुर जा रहे हैं और आस-पास के क्षेत्र हैं, वहां जा रहे हैं क्योंकि उनको वहां रहने से कोई फायदा नहीं है । मेरा आपसे, अपनी सरकार से निवेदन है कि वहां का सोमारा का जो डैम है उसके पानी का स्थानीय क्षेत्र में उपयोग करने के लिए उस क्षेत्र का पहले सर्वे कराकर पानी उपलब्ध करायें तो अधिक जमीन सिंचित हो सकेगी । उस क्षेत्र की सिंचाई के उपरान्त पानी अन्य जगह पर पहुंचे तो ज्यादा अच्छा हो । इसके साथ ही मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि नीचे के क्षेत्र तो सिंचित होते हैं, वहां तो सुविधा दी जाती है लेकिन जिनके घर-बार डूब में आये हैं उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती है । उन्होंने क्या कसूर किया है सरकार का ? एक तरफ तो सुविधा मिलती है और दूसरी तरफ सुविधा नहीं मिलती है । मेरा निवेदन है कि जिन लोगों को सुविधा उपलब्ध नहीं है और जिनके घर-बार डूब में आ रहे हैं उनको तुरन्त सुविधा दी जाय ताकि वे भी अपनी जमीन की सिंचाई कर सकें और उनका अपना जीवन निर्वाह हो सके ।

इसके साथ में इस वक्त हमारे क्षेत्र के अन्दर जो बान्ध बनाये जा रहे हैं उनमें भी जो नहरें हैं वे नहरें अभी तक कच्ची हैं इसलिये उन नहरों को पक्की बनाना जरूरी है । यदि पक्की नहीं बनाते हैं तो पानी बेकार जायगा और नहर के आस-पास की जो फसलें हैं वे भी खराब हो जायेंगी । मेरा आपसे निवेदन है पहले वे नहरें पक्की बनाई जायें ताकि उन लोगों को फायदा हो । इस वक्त बजट को देखते हुए हमारी जनता पार्टी के द्वारा जो घोषणा की गई है हमें इस पर बहुत ही विचार करना पड़ेगा कि किस प्रकार हर क्षेत्र को पानी दें । राज्य सरकार की इस दिशा में जो रफ्तार है उससे बहुत लम्बा समय लगेगा । इसलिये निवेदन है जो घोषणा की गई हैं उन घोषणाओं को ध्यान में रखते हुये बजट में राशि सिंचाई के लिये रखी जाय या खेती के लिये रखी जाय तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मेघराज !

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण !

(अनुपस्थित)

श्री अब्दुल अजीज !

श्री गोपाल !

एक माननीय सदस्य : अब्दुल अजीज हैं ।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में माननीय सदस्यों की तो कमी है लेकिन समझदारों की कोई कमी नहीं है । सदन में सिंचाई और बिजली के संयुक्त मंत्रीजी विराजमान हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सिंचाई के सम्बन्ध में अपने कटौती प्रस्ताव के द्वारा एक सुझाव यह है कि मकराना क्षेत्र आज के 25 साल पहले इस प्रकार की दो दो फसलें करने के काबिल नहीं था । जब से वर्षा अच्छी हुई है वहाँ का वाटर लेवल बढ़ा है और वहाँ लोगों ने बहुत से कुए खोदने शुरू किये हैं । अगर मालूमात की जायं तो 50 साल पहले 200 फीट गहराई पर कुए में पानी मिलता था लेकिन अब 50 फीट पर पानी आने लगा है । मंत्री

(श्री अब्दुल अजीज)

महोदय, आप इस ओर ध्यान दें। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि मकराना में एक मगराने का क्षेत्र है उसमें वाटर का लेवल काफी ऊंचा है। विभाग के द्वारा मगराने का बान्ध बना हुआ है। सिंचाई विभाग के द्वारा यह काम किया गया था जिससे गेहूं की फसल अच्छी होने लगी है। अब चूंकि वर्षा हुई है और वाटर लेवल और बढ़ा है तो वहाँ बहुत से लोगों ने कुए खोदे हैं। अब सरकार लघु सिंचाई के हिसाब से उनको ऋण दे, बिजली की मोटरें उपलब्ध कराई जायं तो मैं समझता हूं हमें अच्छी खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सकती है। पहले पानी से फसल पैदा नहीं होती थी। अब सिंचाई से हम अच्छी पैदावार कर सकते हैं। हालांकि मकराना संगमरमर देने से भूखा तो नहीं है लेकिन पेट की भूख तो सिर्फ अनाज से ही खतम हो सकती है। इस तरफ हमेशा हमारा ध्यान होना चाहिये। मैं गुजिश्ता सरकार को, कांग्रेस की सरकार को बधाई देता हूं कि पिछले सालों में मकराना में खाद्य सामग्री पैदा नहीं होती थी, आज के 15 साल पहले खराब स्थिति में से हमारा देश गुजर रहा था लेकिन आज हमारे पास लाखों टन अनाज हमारे भण्डारों में है और इतना है कि हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में हैं। इसलिये यह कहना गलत है कि सरकार ने कुछ नहीं दिया और सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों ने कुछ नहीं किया। जो बातें उचित हैं वे हमें मान लेनी चाहिये और कोई सुदृढ़ सुझाव हो तो वह सरकार को देना चाहिये। अगर किसी व्यक्ति को कोई कहने की बात हो तो वह बात अलग है।

मैं सदन में आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं वरिष्ठ इंजीनियर्स और उनके विभाग के जो वरिष्ठ आफिसर्स बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, माननीय सदस्य बैठे हैं उन सबकी और हम सबकी अपनी-अपनी जिम्मेदारी है। करोड़ों रुपये की योजनायें हैं उन्हें सही रूप में क्रियान्वित करना चाहिये। उस पैसे को सही तरीके से खर्च करने का हमारा फर्ज है। उस पर माननीय सदस्यों की निगाह रहे या एक कमेटी बन जाय जो हरएक को इसका ध्यान दिलायें। मैं विश्वास करके चलता हूं हर आदमी विश्वास से जिन्दा है और आप भी अविश्वास करते चले जायेंगे तो सदन में कोई खूबसूरती आने वाली नहीं है। आपको वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर, आफिसर्स के ऊपर विश्वास करना ही होगा। ठीक है, मैं मानता हूं कुछ करप्ट आफिसर्स होते हैं, लेकिन हरएक आफिसर के ऊपर अविश्वास करें तो उचित नहीं है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि मकराना में कोई बान्ध नहीं है। एक छोटा सा बाँध है मखरी का। मकराने की तरफ छोटा सा बाँध है, एक किलोमीटर दूर है मकराने से उसका पानी छोटी खाटू तक जाता है। वहाँ बाँध बनाया जाय तो हालांकि सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध नहीं हो सकता है लेकिन उस पानी से कुओं को बनाने में मदद हो सकती है। यह मेरा विशेष अनुभव है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कुओं पर बिजली की मोटरें ऋण देकर उपलब्ध कराई जायं और ऋण दिया जाय तो गेहूं की फसल हमारे यहाँ बहुत अच्छी हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा कटौती का प्रस्ताव टूरिस्ट के लिये है। मैं उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं, मकराना

(श्री प्रफुल प्रजीज)

संगमरमर के कारण दुनियां भर में प्रसिद्ध है। दूर-दूर देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी मकराना का पत्थर लेने के लिये लोग आते हैं। फिर भी उस जगह कोई होटल नहीं है। अगर टूरिस्ट डिपार्टमेंट एक अच्छा सा सुन्दर होटल बनायें तो लाभ होगा। केवल पर्यटन के हिसाब से नहीं बल्कि उससे अच्छी आमदनी होगी। एक भी अच्छा होटल आज वहां नहीं है। हर प्रकार के अच्छे-अच्छे लोग वहां आते हैं। जो शहर की हालत है वह तो जैसी है वैसी ठीक है लेकिन आने वालों के लिये और उनके रहने के लिये टूरिस्ट होटल खोल दें तो सरकार को घाटा नहीं होगा, उससे फायदा होगा। सरकार से अगर आप मालूम करें तो, उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम होगा कि कम से कम पंचासों विदेशी लोग वहाँ साल भर में आ जाते हैं। वे मारबल इन्डस्ट्रीको देखने आते हैं और मारबल इन्डस्ट्री में क्या-क्या होता है वे सब तरह की जानकारी लेने आते हैं। वहां पर नेपाल के लोग आज कल आए हुए हैं। ट्रेनिंग लेने के लिए नेपाल के लोग आए हुए हैं। मेरा निवेदन है कि मकराना बहुत ही अनकल्चर्ड और पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। अगर आपका टूरिज्म डिपार्टमेंट उस ओर दिलचस्पी लें तो कम से कम देश की इज्जत बचा सकेगा।

तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना ही अर्ज करूंगा कि कुओं के लिए बिजली की मोटरें और उन के लिए ऋण दिया जाय और सिंचाई के लिए और इस पर्यटन के लिए जो मैंने सुझाव दिए हैं उन पर गौर किया जाय यही कहता हुआ मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपाल !

(अनुपस्थित)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

(अनुपस्थित)

श्री रामप्रसाद लड्ढा !

माननीय सदस्य आपके 20 कटमोशन हैं। मुझे आशा है कि एक कटमोशन पर आप आधा मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे। मैं आपको किसी भी हालत में दस मिनट से अधिक नहीं दूंगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (मांडल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके आदेश की पालना अवश्य होगी लेकिन यह मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा नाम बराबर लास्ट में आता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से राजस्थान में पीने के पानी की कमी रही उसी प्रकार से राजस्थान की जमीन भी पानी के बिना प्यासी रही। विदेशी नकल के आधार पर कुछेक बांध बने हैं परन्तु बांधों से जितनी जमीन की सिंचाई हुई उससे कहीं अधिक बरबादी हुई है। बड़े-बड़े बांधों के निर्माण से खेत और गांव उजड़ गए क्योंकि उन बांधों के निर्माण से नीचे के कुए काफी सूख गए हैं। जिन कुओं से जमीन सिंचित होती थी वह जमीन सूख गई और गांव उजड़ गए और जमीन बरबाद हो गई।

इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि देश में

(श्री रामप्रसाद लड्डा)

सरकार बदली है और जनता सरकार बनी है। जनता सरकार के बनने के नाते जनता सरकार के मंत्री बैठे हैं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जिस चीज को कांग्रेस तीस साल में नहीं कर सकी, जनता सरकार निश्चित रूप से पांच-दस साल में पूरा करेगी। मगर मैं जनता सरकार को आपके माध्यम से सुझाव देना चाहूंगा कि किसी तरीके से ऐसी व्यवस्था कराई जाय कि जो देश का मूलभूत आधार धन्धा खेती का है उसके लिये सिंचाई की व्यवस्था की जा सके–इसका मूल आधार लघु सिंचाई योजना है जिसको एकदम पूरा किया जाय। इन अधूरी सिंचाई योजनाओं पर लाखों-करोड़ों रुपया लगा हुआ है। उन्हें पूरा करें ताकि उनका उपयोग हो सके, उन के द्वारा लाखों बीघा जमीन सिंचित हो सके और हर खेत को पानी दिया जा सके। मेरा निवेदन है कि बड़ी-बड़ी योजनाओं को छोड़ कर, उन पर से ध्यान हटा कर लघु सिंचाई पर जोर दिया जाय ताकि हर खेत को पानी दिया जा सके। ज्यादा इन्वेस्टमेन्ट बड़ी-बड़ी योजनाओं पर किया जाता है। उसके साथ ही लम्बे समय तक इन्तजार करना पड़ता है। इसलिए अगर लघु सिंचाई योजनाओं पर ध्यान दिया जाय तो ज्यादा समय तक इन्तजार नहीं करना पड़ेगा। एक बड़ी योजना को पूरा होने में दस साल का, पांच साल का, चार साल का समय लगता है। किन्तु छोटी योजनायें थोड़े समय में और थोड़े से पैसे में पूरी कर सकते हैं और उनका जल्दी ही लाभ मिलना शुरू हो जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो बड़े-बड़े बांध बने हैं, तालाब बने हैं, तीस साल के कांग्रेस शासन ने बड़े-बड़े बांधों और तालाबों को बनाया है, उनके पानी को पचास–साठ माइल तक ले जाया जाय। मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि ऐसे बांधों और तालाबों के पानी को निश्चित क्षेत्र में ले जाकर पानी दिया जाय तो अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। इसके लिए ग्रीन बेल्ट बनाई जाए।

एक मुख्य बात यह कहना चाहता हूं कि खेत के लिए पानी जैसी आधार भूत वस्तु को राष्ट्रीय वस्तु घोषित किया जाय। इससे क्या होगा कि जो बड़े-बड़े कुए हैं, बड़े बड़े तालाब बने हैं, उन तालावों और कुओं में बड़ी मात्रा में पानी है उसके बावजूद पास के आदमी पानी का उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए पानी को राष्ट्रीय वस्तु घोषित किया जायगा तो इसका बहुत ही उपयोग हो सकेगा।

मैं आपके माध्यम से एक सुझाव सरकार को और दूंगा कि काश्तकारों को जो ऋण दिया जाता है, तीन हजार का ऋण या पांच हजार का ऋण दिया जाता है तो न पांच हजार से कुआ बनने वाला है और न तीन हजार में कुआ बनने वाला है। मैं आपके माध्यम से सरकार को यह सुझाव दूंगा कि कुए सरकार खुद बनवाये और काश्तकारों को सौंप दिये जावें। जो पैसा लगे वह साधारण किश्तों में उनसे वसूल किया जाय। गत तीस सालों में जितना ऋण कुओं के लिए दिया गया उससे कुए धरती पर तो बने नहीं, कागजों में ही रह गए। उसी का फल है कि आज हमको यह दिन

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

देखना पड़ा है कि अभी भी राजस्थान मे पानी की कमी है । इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार कुए बनावें ताकि कुओं का पानी काम में आ सके ।

इसके साथ-साथ बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आपके माध्यम से सरकार को दूंगा कि आज जितना पानी काश्तकारों के कुओं के अन्दर, तालाबों के अन्दर राजस्थान में मौजूद है उस पानी का उपयोग अधिकाधिक पक्की नालियां, धोरे बना कर किया जा सकता है । मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि काश्तकार नाली बनवाने को तैयार नहीं होगा इसलिए हमारी जनता सरकार को चाहिए कि नालियां बनवायें । मैं तो कहूंगा कि जबरदस्ती नालियां बना कर सरकार दे और उन पर लगा पैसा साधारण किश्तों में लम्बे समय में वसूल किया जाय । इसके कारण पानी का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकेगा और उत्पादन लिया जा सकेगा ।

आज राजस्थान के अन्दर कुछ तालाब पंचायत समितियों के पास हैं, कुछ पंचायतों के पास हैं और कुछ सिंचाई विभाग के तहत हैं । मैं देखता हूं कि छोटे-छोटे तालाब ऐसे हैं जो कुछ हजार, दो-चार हजार रुपये लगा कर तैयार हो सकते हैं । जिनसे पचास बीघा, सौ बीघा जमीन सिंचित हो सकती है उनको तैयार कराना चाहिए । पंचायतों से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है । इसलिए मैं आपके माध्यम से सुझाव दूंगा कि जितने तालाब पंचायत समितियों के तहत, पंचायतों के तहत हैं उन सब तालाबों को सिंचाई विभाग के तहत लेकर उनको ठीक करवाया जाय तो लाखों बीघा जमीन की सिंचाई कर सकते हैं ।

इसके साथ ही साथ अब मैं मेरे क्षेत्र की समस्याओं की तरफ आपका ध्यान दिलाऊंगा । भीलवाड़ा जिले में मेजा बांध सबसे बड़ा पिलाई का साधन है । मैं बताऊं कि 1956 से लेकर 1977 तक केवल चार-पांच बार पूरा भरा है । मेजा बांध की मेजा फीडर बन रही है । दुर्भाग्य की बात है कि गत पांच-छः साल से यह योजना चल रही है । पहले यह योजना पौने दो करोड़ की थी लेकिन समय पर पूरी नहीं होने के कारण यह पौने दो करोड़ की योजना अब पांच-सात करोड़ की योजना बन चुकी है । आपके माध्यम से मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि मेजा फीडर की योजना भीलवाड़ा जिले की पिलाई का सबसे बड़ा साधन है, इसलिये इसको युद्धस्तर पर पूरा किया जाय और उस मेजा बांध पर वर्ल्ड बैंक की योजना लागू की जाय । इससे क्या होगा कि आज तक जो 22 हजार एकड़ जमीन की सिंचाई होती है वर्ल्ड बैंक योजना लागू होने के बाद 40 हजार एकड़ में पिलाई होगी । मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि यह वर्ल्ड बैंक की योजना मेजा बांध पर अवश्य लागू की जाय ।

इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि मेजा बांध के नजदीक बसे हुए सुरास गांव को उस मेजा बांध की वेस्ट वियर ने एक तरह से अलग कर दिया है । उस सुरास गांव को खेतों से अलग कर दिया है । अधिक वर्षा होती है तो नदी चलती है और तीन-तीन, चार-चार दिन तक नाले चलते हैं, काश्तकार खेत में खड़ा रह जाता हैं । घर

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
का घर में रह जाता है और खेत का खेत में रह जाता है। ऐसी हालत में उस मेजा बांध के नीचे सुरास में एक काजवे बना कर इस प्रकार की व्यवस्था की जाय कि सुरास के ग्रामवासियों को उनके खेतों पर जाने हेतु रास्ता मिल सके।

मांडल तालाब के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि इस तालाब को आज अगर बनाया जाय तो करोड़ों रुपयों की लागत आएगी। इस तालाब से पांच हजार बीघा में पिलाई होती है लेकिन इसकी रिपेयरिंग के नाम पर कुछ खर्च नहीं किया जाता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि मांडल तालाव पर ध्यान देकर इसकी रिपेयरिंग की जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अन्तिम एक मिनट और समापन करने के लिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आवश्यक बातें कहनी हैं। मेरे बीस कटौती प्रस्ताव हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अगर सौ कटौती प्रस्ताव होंगे तो क्या सौ मिनट लेंगे।

श्री रामप्रसाद लडढा : थोड़ा सा निवेदन करना है, कुछ समय दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बीस कटमोशन ही पेश किए। जल्दी समाप्त करिये।

श्री रामप्रसाद लडढा : इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मांडल तालाब एक पुराना तालाब है। उसको भरने के लिए मेवाड़ सरकार ने 60/70 साल पहले एक चेनल का निर्माण किया था। वह खाली रहता था, इसलिए एक चेनल बनाई थी। उसका केचमेन्ट एरिया है उस केचमेन्ट एरिया में काम नहीं होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस सरकार ने मांडल के केचमेन्ट एरिया को डिस्टर्ब किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि पिछले तीन-चार साल तक मांडल को कोठा बना कर भरा गया। कांग्रेस ने गत बीस वर्षों में जिन तालाबों में पानी था, उनको सुखाया है। बांध के निर्माण के आधार पर खुशहाली की जगह बरबादी की है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मांडल को भरा जाए जैसे बीच में तीन-चार साल तक भरा गया व कोठा रखा जाए।

इसके बाद मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वागौर व घोडास के बीच हर वर्ष पानी के लिए संघर्ष होता रहता है। कांग्रेस बंदरबांट कर दोनों गांवों को खुश रखती थी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नवलपुरा तालाब की नहर को पक्का बनाया जाए ताकि पिलाई ठीक ढंग से हो सके और जो पानी व्यर्थ जाता है वह बच सके।

(समय-समाप्ति–सूचक घण्टी)

मेजा बांध भीलवाड़ा जिले के अन्दर अच्छा सुन्दर बांध है। उसको डवलप किया गया है। जो एक्स. ई. एन., राजवंशी हैं उन्होंने उसको बहुत डवलप किया है। वे गबन के मामले में निलम्बित हुए हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि लाखों रुपयों का

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

इन्वेस्टमेन्ट हो गया है । बहुत कम लागत में यहां पर पर्यटन केन्द्र बन सकता है । राज्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि मेजा बांध को भी पर्यटन केन्द्र में शामिल किया जाए ।

मुझे यही निवेदन करना था ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नूरा !

श्री नूरा (मसूदा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर की योजना भूतपूर्व सरकार ने जनता की जोरदार मांग उठने पर हाथ में ली थी । यह काम शुरू किया गया तो बाहर के देशों ने इस काम में रुकावट इसलिए डाली कि हिन्दुस्तान में यह एक बहुत बड़ी योजना है, यह पूरी हो जाएगी तो हिन्दुस्तान के लोग खुशहाल हो जाएंगे । इस नहर का काम कभी का पूरा हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक इस नहर का काम धीमी गति से चल रहा है । महत्वपूर्ण योजना होने पर भी इस काम में अभी भी धीमी गति चल रही है । इस नहर से पानी लेने के लिए सैकड़ों काश्तकार इन्तजार कर रहे हैं । वे अच्छे दिनों की आशा कर रहे हैं । इस काम को जितनी तेजी से पूरा किया जाना चाहिए, उतनी तेजी नहीं बरती जा रही है । इस नहर का काम पूरा हो जाने पर राजस्थान का काफी हिस्सा हरा-भरा होगा । यह सिंचाई की बहुत मददगार योजना है । इस योजना को पूरा करने में तेजी लाई जाए, यही मेरा अर्ज करना है ।

साथ ही छोटी सिंचाई के बारे में मेरा ऐसा अर्ज करना है कि बहुत जिले ऐसे हैं जो पहाड़ी इलाकों में हैं । उन इलाकों की ऊंची धरती है । वहां का पानी बह कर बाढ़ आने वाले इलाकों की मदद करता है । वह पानी बह कर चला जाता है । कुछ अर्से बाद वह इलाका पानी का मोहताज हो जाता है । ऐसे इलाकों में अजमेर जिला भी एक है और अरावली पहाड़ी इलाका है । उस पानी को रोका जाए तो वह सिंचाई की योजना में मददगार होगा और बाढ़ को मदद पहुंचाने के लिए वह जो पानी जाता है, उससे बाढ़ को रोकने में भी काफी मदद मिलेगी । उस पानी के उपयोग के लिए कुछ इलाकों में रपटें और तालाब बनाये जायं । अजमेर जिला एक ऐसा जिला है, जिसमें हर काश्तकार कुए बना कर सिंचाई करता है । तालाब बन जाते हैं तो पानी का स्तर ऊंचा रहेगा । आज अकाल पड़ता रहता है । मेरे से पहले विधायक महोदय ने कहा था इस इलाके में बड़े कुए बनायें । जमीन की तह में गहरा पानी चला गया है, उसके कारण काश्तकार खेती नहीं कर सकता है इसलिये सरकार की तरफ से कुए बनाए जाएं, सरकार गहरे कुए खोदे जिनसे पानी बाहर लाकर काश्तकारों को दिया जा सके । राजस्थान में जहां भी ऐसे कुए खोदे गए हैं, उनमें सफलता मिली है । काश्तकार गरीबी की वजह से और पैसे की कमी की वजह से इलाके में कुए का पूरा काम नहीं कर सकता है । वह अपना कुआ बना कर थोड़ा गहरा कर ही छोड़ देता है । वह बिजली भी नहीं ले पाता है । इसलिए राज्य सरकार की तरफ से कुए खोद कर रपटें और तालाब बना कर पानी को रोका जाए तो कुओं के पानी का स्तर भी ऊंचा होगा और खेतों को पानी देने में मदद मिलेगी । ऐसे इलाकों में योजना शुरू की जाये तो हमारी पैदावार भी बढ़ेगी और सिंचाई योजना काफी हद तक पूरी

(श्री पूरा)

होगी। इसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसको प्राथमिकता देने पर हमारा सिंचाई का कार्य काफी पूरा होगा। मैं आशा करता हूं कि सरकार इन सुझावों के अनुसार कदम उठायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हजारीमल !

(अनुपस्थित)

श्री बजरंग लाल !

(अनुपस्थित)

श्री बंशीलाल !

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) : सम्माननीय सभापति महोदय, कटौती प्रस्तावों पर मेरे विचार संभवतया पूर्णाहूति के के रूप में होंगे।

मैं यहां पर यह निवेदन कर दूं कि आज राजस्थान के उत्तरी-पश्चिमी प्रदेश में चलने वाली नहर का अधिकांश पानी पाकिस्तान में जाता है। सीमेंट, पैट्रोल की जो कीमत बाजार में है या परमिट की कीमत है, उससे 75-60 प्रतिशत कम कीमत पर वहां पर मिलती है।

वहां पर शायद ही कोई असिस्टेन्ट इन्जीनियर या कोई ओवरसियर होगा जो लखपति नहीं हो। कितनों ही के बीकानेर और जयपुर जैसी जगहों पर सुन्दर भवन होंगे। भवानीसिंहजी जैसे कुछ अपवाद हो सकते हैं। यह संकट पैदा करने वाले लोग हैं। इनके कारण अभी भी आधे से भी अधिक योजनाएं पूरी नहीं हुई। वहां ऐसे हालात है, जिन पर विचार किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। पर वहां जो गड़बड़ है उसका क्या कारण है? प्रारम्भ में मूल व्यवस्था में सिंचाई विभाग के भवन में प्रवेश करते हैं। पुस्तिका में लिखे जो आंकड़े हैं, उनसे यह मालूम होता है कि शुरू में योजना पर जहां 270 करोड़ के खर्चे का अनुमान था वहां बाद में 400 करोड़ की राशि हो गई है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इन पर अच्छी प्रकार से गौर करना चाहिए। अभी जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इस तरह से कार्य पूरा किया जाना चाहिए। मुख्य कैनाल पर ही सारी राशि नहीं ले जानी चाहिए। हम नागौर के रहने वाले दूरस्थ लोग हैं। एक तरफ तो पंजाब की नदियां हैं और दूसरी तरफ चम्बल है हम उनसे बहुत दूर हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा प्रदेश पाकिस्तान से लगा हुआ है। जैसलमेर में न कुओं का इन्तजाम है, न बांध हैं और न नदियां हैं। इसलिये हमारे प्रदेश को प्रधानता मिलनी चाहिये।

श्री किशनसिंह भाटी : आपका ससुराल है वहां पर ?

श्री बंशीलाल सारस्वत : हां ससुराल है मेरा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका भ्रष्टाचार पर कटौती प्रस्ताव है।

श्री बंशीलाल सारस्वत : इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि नागौर का जिला सबसे उपेक्षित जिला है। इस जिले को सिंचाई योजना में सम्मिलित किया जाना चाहिये था। कम से कम राजस्थान सरकार की जो अन्त्योदय योजना है वह नागौर जिले से

(श्री बंशीलाल सारस्वत)
प्रारम्भ होनी चाहिए। इस जिले के गरीब आदमियों को इस योजना में योगदान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा लिफ्ट कैनाल में इस क्षेत्र को लिया जाना चाहिए। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि भारत के कृषि आयोग की रिपोर्ट है, उसमें लिफ्ट कैनाल के बारे में काफी चर्चा है।

श्री किशनसिंह भाटी : उसी कृषि आयोग की जिसके नाथूराम मिर्धा अध्यक्ष हैं ?

श्री बंशीलाल सारस्वत : एक तो उसकी यह मान्यता थी कि 90 फीट ऊंचा डैम हो तो नागौर तक पानी आ सकता है। बांध परिवर्तन की बात इमर्जेन्सी के टाइम की थी। उस समय क्या स्थिति हुई और क्या नहीं हुई ? बाद में कोई टिप्पणी योजना आयोग की आई, उसमें यह बताया गया कि इस पर खर्च ज्यादा पड़ेगा। मैं निवेदन करूंगा कि यदि इसको तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाये तो खर्च ज्यादा नहीं होगा। इसके बारे में दोनों तरह की रिपोर्ट हैं। मेरा निवेदन है विशेषज्ञों की रिपोर्ट है उसमें पूरा विचार किया गया है। मैं यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार इस पर पुनर्विचार करे। इसको लिफ्ट योजना में लिया जाये तो राजस्थान नहर योजना में सम्मिलित किया जा सकता है। वर्षों से यह योजना पैन्डिंग है, यह तुरन्त पूरी करा ली जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजिए। बार-बार घंटी बजाने से घंटी बन्द हो जाती है।

श्री बंशीलाल सारस्वत : इस सम्बन्ध में मुझे आशा है कि आप विचार कर नागौर लिफ्ट योजना में योगदान करेंगे। और जो योजना चल रही है, उसमें परिवर्तन करने के बारे में कुछ ध्यान देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कल्याणसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रामसिंह विश्नोई।

(अनुपस्थित)

श्री रामेश्वर प्रसाद।

(अनुपस्थित)

सुश्री पुष्पा जैन।

(अनुपस्थित)

श्री नवलराय बच्चाणी।

श्री नवलराय बच्चाणी (अजमेर पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर राजस्थान का हृदयस्थल है। अजमेर में हिन्दुओं का पुष्कर तीर्थ है, मुसलमानों की दरगाह है, आर्यसमाजियों का स्थान है और ईसाइयों का बड़ा चर्च भी है। वहां लोको और कैरिज वर्कशोप भी है। अजमेर पृथ्वीराज की नगरी और भारत का हृदयस्थल है। यहां पर सभी प्रान्तों के लोग रहते हैं। गुजराती, मराठी और बंगाली लोग रहते हैं। यहां अनेकों मन्दिर और दर्शनीय स्थान हैं। यहां पर नाग पहाड़, हैप्पीवेली, तारागढ़, सोनी जी का मन्दिर, बजरंगगढ़ आदि पर्यटन के स्थान हैं। कई ऐसे ऐतिहासिक मन्दिर हैं जो कि देखने के लायक हैं। उन स्थानों को पर्यटन का केन्द्र बनाया जा सकता है। वहां पर तारागढ़ तक पक्की सड़क बनाई जाये ताकि तारागढ़ देखने पर्यटक जा सकें।

(श्री नवलराय बच्चाणी)

यहां पर काफी पुराना संग्रहालय है जिसमें बघेरा की मूर्तियां हैं। लेकिन देखने में यह आता है कि बाहर के कई लोग संग्रहालय का पता पूछते हैं तो वहां के स्थानीय लोग भी नहीं बता पाते हैं। इसलिए छोटी-छोटी पुस्तकें छपवा कर अजमेर के दर्शनीय स्थानों का प्रचार किया जाना चाहिए और उनके पोस्टर बनाकर प्रमुख बाजारों में लगाने चाहिए ताकि बाहर वालों को भी इसके बारे में मालूम हो सके और इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें।

अजमेर में दौलतबाग और आनासागर ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हैं, वहां पर टूरिस्ट होटल बड़ी शानदार जगह खोला जा सकता है। मैं यह सुझाव दूंगा कि वहां पर एक जनता होटल प्रारम्भ किया जाय जिससे कि रहने और खाने की सुविधाएं मिल सकें।

आनासागर झील में नौका चलाने की व्यवस्था की जानी चाहिए और इसका प्रमुख स्थानों में प्रचार करना चाहिए। इसी प्रकार से कई पुरानी ऐतिहासिक मीनारें और राजा-महाराजाओं के स्थान हैं, कई ऐसी ईमारतें हैं, मैं चाहूंगा कि ऐसी चीजों का प्रचार किया जाय जिससे जो भी विदेशी आयें वे इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें, इससे विदेशी मुद्रा का स्रोत बढ़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नवनीत पालीवाल !

श्री नवनीत पालीवाल (नाथद्वारा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दो कटौती प्रस्ताव पर्यटन के सन्दर्भ में हैं। जो पर्यटन विभाग, राजस्थान का प्रगति विवरण हमको दिया गया है उसमें लिखा है :

"राजस्थान सदियों से अपने ऐतिहासिक महत्व के स्थलों, परम्परागत त्यौहारों एवं शिल्पकला के लिये विश्व-विख्यात रहा है"।

जब राजस्थान में इतनी विस्तृत सम्भावना पर्यटन की है तो फिर नाथद्वारा और हल्दी-घाटी की तरफ क्यों नजर नहीं जाती, यह बात समझ में नहीं आती। मुझे याद है, उपाध्यक्ष महोदय, कुछ समय पूर्व जब इधर बैठने वाले लोग उधर बैठते थे तो जो पर्यटन मन्त्री थे उनसे मैंने हल्दीघाटी के विकास के बारे में चर्चा की थी। उनके मन में एक कॉम्प्लेक्स न मालूम क्यों आ गया कि इससे एक साम्प्रदायिक मामला उठ खड़ा होगा। प्रताप और अकबर की लड़ाई का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे उस दिन भी उनकी ऐतिहासिक अज्ञानता पर हंसी आई। मेरा विश्वास है कि हल्दीघाटी को अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से ऐतिहासिक स्थल बनाया जा सकता है। उसको साम्प्रदायिक सौमनस्य का प्रतीक समझा जाना चाहिए। मेरे कुछ दोस्त साम्प्रदायिक सौमनस्य की बात सुनकर थोड़ा चौंकेंगे। मैं उनको बताना चाहता हूं कि आज से चार सौ-पांच सौ वर्ष पहले 15वीं शताब्दी की बात है, प्रताप एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लोकतन्त्र की शुरुआत की थी। मैं यह बताना चाहता हूं कि अकबर की सेना का सेनापति एक हिन्दु राजा मानसिंह था और महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति पठान हकीम खान सूर था। इस लड़ाई में भीलों ने, महाजन भामाशाह ने, ब्राह्मणों ने, राजपूतों ने, किसानों ने संघर्ष किया और समान रूप से भाग लिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे पवित्र ऐतिहासिक स्थान की तीस वर्षों तक उपेक्षा की गई है। मैं माननीया मन्त्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं कि वे वहां पधारें

(श्री नवनीत पालीवाल)

ग्रौर देखें कि सारी दुनिया जिसको थर्मोपोली कहती है, जहां पर ग्राजादी की लड़ाई लड़ी गई उस स्थान की किस प्रकार से उपेक्षा की गई है । वहां पर एक डाक बंगला बनाकर रिपोर्ट दे दी है । पर्यटन के लिहाज से वहां पर कुछ नहीं किया गया है । उदयपुर में चतुष्पदी के नाम पर इन्दिरा गांधी की यात्रा पर लाखों रुपया खर्च किया गया । ग्रापने पैसों की बरबादी की, हेलीपेड पर खर्च किया लेकिन उस क्षेत्र में बसने वाले लोगों के लिए कुछ नहीं किया । मैंने कल भी याद दिलाया था कि नाथद्वारा से हल्दीघाटी का ग्रौर उदयपुर का जो रास्ता है वह 36 मील की दूरी साढ़े तीन घंटे में पर्यटक पार कर सकते हैं यानी एक घंटे में 10 मील की रफ्तार से चलना पड़ता है । नाथद्वारा से 10 बजे चलें तो तीन बजे हल्दीघाटी ग्रौर फिर डेढ़ बजे उदयपुर ग्राता है । रास्ते में चाय भी नहीं मिलती । ऐसे पवित्र स्थान की उपेक्षा की गई है । केवल डाक बंगला बनाकर यह समझ लेना कि पर्यटन का विकास किया गया है, उचित नहीं है । जो स्थान पर्यटन की दृष्टि से विकास करने योग्य हैं उनकी उपेक्षा की गई है । यह दुर्भाग्य ही कहना चाहिए ।

ग्रापने कुछ हस्तकलाग्रों की भी बात कहीहै इस पुस्तक में । मैं यह निवेदन करता हूं कि नाथद्वारा की कला विश्व में प्रसिद्ध है, नाथद्वारा शैली की, पेन्टिंग, भित्ति चित्र बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन वहां कला को कोई संरक्षण नहीं दिया गया । न वहां पर पर्यटकों के लिए कोई सुविधायें ही हैं । यह मैं माननीया पर्यटन मन्त्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं कि वह नाथद्वारा पधारीं, मेरा दुर्भाग्य था कि मैं साथ नहीं था, पर ग्राप से निवेदन है कि ग्राप वहां पधारें, मैं ग्रापको दिखाना चाहता हूं वहां का चप्पा-चप्पा ऐतिहासिक दृष्टि से कितना महत्व रखता है । लेकिन उसकी उपेक्षा की गई है । नाथद्वारा से 13 मील की दूरी पर मचींद है जहां पर प्रताप ने छिप कर जिन्दगी बिताई थी । मैं माननीया मन्त्री महोदया से निवेदन करूंगा कि वहां तक पहुंचने के लिये कोई साधन नहीं है । बोलना भी एक महत्वपूर्ण स्थान है पिछली सरकार ने सिवाय पैसा बरबाद करने के ग्रौर कुछ नहीं किया । ग्रब मैं जनता पार्टी की सरकार से ग्राग्रह करता हूं कि वह इस ग्रोर ध्यान दे ग्रौर पर्यटन की दृष्टि से इसको उचित स्थान दिलाये ।

मैंने एक स्लिप दी थी, जिसमें निवेदन किया था कि दो मिनट के लिये सिंचाई विभाग के बारे में भी बोलने दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : ग्रापने कहा था दो मिनट ।

श्री नवनीत पालीवाल : मैं 120 सैकिन्ड से 121 नहीं लूंगा ।

नवाना बांध नाथद्वारा से 8 मील की दूरी पर है वहां से खारी फीडर का पानी रोंद में पहुंचा दिया जाता है । इससे मालूम पड़ता है कि हमारा सिंचाई विभाग किस दृष्टि से सोचता है । मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि मांडक पर बांध बन जाता है तो ...

श्री ग्रब्दुल ग्रजीज : वह भी इसी दृष्टि से सोचेंगे, फर्क न करिये ।

श्री नवनीत पालीवाल : माननीय सदस्य, इन्दिरा गांधी तानाशाही दृष्टि से सोचती थीं, ग्रब लोकतंत्र की दृष्टि से सोचेंगे ।

मांडक ग्रौर रेलमगरा में 40 प्रतिशत ग्रादिवासियों का क्षेत्र है । वे गरीब इन्सान

(श्री नवनीत पालीवाल)
हैं जिनके पास खाने के साधन नहीं है, एक मात्र नाथद्वारा कस्बा है वहां पहाड़ी क्षेत्र में पानी जोर से आ गया तो फसल बह जाती है। हमारा क्षेत्र भूखा है, गरीब है, नंगा है। वहां पर छोटी-छोटी योजनाओं के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था करें, 30 साल तक मुख्य मंत्री हमारे यहां के रहे, राज्यपाल भी रहे, राज्य सभा के सदस्य नाथद्वारा के बिराज रहे हैं, फिर भी प्रगति के बजाय ऐसी दुर्गति हो रही है कि न भूतो न भविष्यत: । ऐसा क्षेत्र है जहां सारा ....

श्री **सम्पतराम** (सिंचाई मंत्री) : आपने पर्यटन मंत्री को तो न्यौता दिया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा ?

श्री **नवनीत कुमार** : मेरा स्वार्थ है, मैं आपको जरूर ले जाना चाहूंगा। ऐसा कोई अवसर आए तो सारे दो सौ सदस्यों को मैं निमंत्रण दे सकता हूं लेकिन वह तब होगा जब हमारे यहां हरियाली होगी, खुशहाली होगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सिंचाई मंत्रीजी, मैंने आपको रामगढ़ बांध पर चलने का न्यौता दिया था, जब वहां बाढ़ आई थी ?

श्री **सम्पतराम** (सिंचाई मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में सिंचाई की मांग पर बहस के दौरान माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे हैं। उन्होंने सही वक्त पर सही तरीके से विचार रखे हैं जिनके लिये मैं ही नहीं बल्कि कोई भी विचारशील व्यक्ति, जो सरकार में होगा, धन्यवाद दिये बगैर नहीं रह सकता। मौजूदा समय का संकेत मैं इसलिए कर रहा हूं कि छठी पंच-वर्षीय योजना का थोड़े दिनों में राजस्थान अपना प्रारूप तैयार करेगा। तो ऐसे समय में बुनियादी सवालों पर खास तौर से सिंचाई जैसे मामले पर माननीय सदस्यों की बहुत चिंतित विचारधारा हमारे सामने आई है, यह खुशी की बात है। जब सिंचाई के बारे में सोचते हैं तो स्वत: ही पानी की तरफ हमारा ध्यान जाता है। पानी एक शक्ति का प्रतीक है, पानी शांति का भी प्रतीक है, पानी इन्सान को यौवन और जीवन भी देता है, जितना महत्व हिंदुस्तान में पानी का है उतना दुनिया के किसी भी देश में नहीं, और उससे कम पानी का महत्व राजस्थान में नहीं है। इसका कारण यह है कि राजस्थान एक सूखा राज्य है, यहां धोरे हैं, बालू के टीले हैं। राजस्थान एक बहुत लम्बा-चौड़ा प्रांत है। आज चाहे बिजली की कितनी मांग करते हों, मैं मानता हूं कि बगैर बिजली के विकास के हमारा प्रांत और देश आगे नहीं बढ़ सकता लेकिन जितना पानी का महत्व इस प्रदेश में है कहीं नहीं है। आज हम बिजली व सड़क की बात नहीं करते लेकिन पानी की जरूर करते हैं। पंजाब के लोग जब इन्टर-स्टेट कान्फ्रेन्सेज में आते हैं तो पानी के मामले का जिक्र नहीं करते, वे सिर्फ बिजली की मांग करते हैं। मैं भी उस दिन की आशा करता हूं जब राजस्थान पानी की मांग न करके बिजली की मांग करेगा लेकिन इसमें काफी समय लगेगा। जब हम अपने देश की और राज्यों की तुलना में अपने राज्य को देखते हैं तो सिंचाई का काफी कम पर्सेंटेज है। एरिया काफी है लेकिन जब हम देखते हैं कि कितना पर्सेंटेज है तो मेरे खयाल से हमारा स्थान पांचवा है, गुजरात, महाराष्ट्र, नागालैंड, मध्य प्रदेश का पर्सेंटेज सिंचित भूमि का हमसे कम है। भारतीय पर्सेंटेज को लें और आज

(श्री सम्पतराम)

के दिन जो हमारी सिंचाई की योजनायें चल रही हैं जो सिंचित योजनायें पूरी हो चुकी हैं उन सबको मिलाकर सोचें तो ऐसा लगता है कि निकट भविष्य में हमारे राष्ट्रीय स्तर को हम पकड़ नहीं सकेंगे । अभी राष्ट्रीय पर्सेंटेज 22 है और हमारा पर्सेंटेज अभी करीब 17 है जिसमें 13.69 लाख कैनाल और टैंक्स से सिंचाई होती है और 14.26 कुओं से सिंचाई होती है । इस तरह 27.96 पर्सेंट जमीन राजस्थान में सिंचाई में आती है । जब आंकड़ों को देखते हैं तो स्वतः ही हमारा ध्यान जाता है कि जो हमारी कन्वेंशनल सिंचाई की व्यवस्था थी वह कुओं और चरस की थी, ढेकली की थी । जब हम सिंचाई के बारे में सोचते हैं तो कम से कम सर्फेस वाटर है उसकी कल्पना ही न करके चलें, बल्कि सोचना होगा कि अंडरग्राउन्ड वाटर सोर्सेज हैं, जितना पानी जमीन की सतह के नीचे है उसको बाहर निकालें । यह व्यवस्था भी चल रही है ।

तो मैं निवेदन कर रहा था, आप लोगों ने विभिन्न पहलुओं पर अच्छी बातें की हैं । वे वास्तव में विचारणीय हैं । कल्पना तो सरकार ने भी यही की थी कि बुनियादी सुधार सिंचाई व्यवस्था में लायें लेकिन किसी वजह से ला नहीं सके । बहुत से क्षेत्र हैं जिनका इन्वेस्टीगेशन सर्वे करना है । जिनके जरिए से सिंचित एरिया बढ़ सकता है उनकी ओर भी ध्यान गया था लेकिन यह छः महीने का छोटा बजट है । इससे पहले बहुत सी योजनायें जैसे अन्त्योदय योजना हमने चालू की है लेकिन जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा है छठी योजना का जब प्रारम्भ हो रहा है, उस समय हम सब चिंतन कर रहे हैं इसका रिफलेक्शन छठी पंचवर्षीय योजना पर पड़ेगा । बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, काम हैं, वह उसमें लिये जायेंगे ।

अभी जो मुद्दे माननीय सदस्यों ने उठाये जितने कटौती प्रस्ताव हैं शायद उनका उत्तर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो पॉलिसी आम तौर से है, बड़े-बड़े सवाल हैं उन पर ज्यादा प्रकाश डालूं । हो सकता है किसी माननीय सदस्य के कटौती प्रस्ताव का जवाब मैं नहीं दे सकूं । यदि आवश्यक समझेंगे तो लिखित में उनका जवाब भेज दूंगा । अभी मैं मोटी बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

मोडर्नाइजेशन स्कीम दरअसल जरूरी है क्योंकि राजस्थान जैसे राज्य में पश्चिमी राजस्थान में जायें तो वहां पर धोरा बनाकर किसान पानी ले जाते हैं तो बहुत सा पानी मिट्टी में सूख जाता है और 25 प्रतिशत पानी खेत में दे पाते हैं । ऐसे प्रांत में जहां रेगिस्तान है, जहां पहाड़ी इलाका है, जहां चिकनी मिट्टी है, काली मिट्टी है वहां मोडर्नाइ-जेशन प्रोग्राम बहुत आवश्यक है । इस तरह से हम न केवल अपनी सिंचित भूमि में वृद्धि कर सकेंगे बल्कि साथ-साथ जहां बहुत कीमती जमीन है, जैसे अलवर की मैं छोटी सी बात कहता हूं, जहां 10 हजार रुपया प्रति एकड़ जमीन के भाव हैं वहां खार पैदा हो गया है, वाटर लोगिंग हो गया है, उसके कारण छोटे-छोटे किसान बेकार होते चले जा रहे हैं, इस स्कीम से वहां भी लाभ होने वाला है ।

बारां से आने वाले माननीय सदस्य ने सुझाव दिया था, वह यहां नहीं है, उन्होंने कहा था कि यदि फ्लो वाटर को रोक कर सिंचाई की व्यवस्था करते हैं तो 4-5 हजार रुपए प्रति एकड़ खर्च आता है लेकिन मोडर्नाइजेशन के माध्यम से नई जमीन को

(श्री सम्पत राम)

पानी देना पड़ेगा तो उसकी कीमत 1500 रु. से लेकर 2000 रु. तक आएगी। इसलिये मोडर्नाइजेशन आवश्यक है। कैनाल का पक्का बनाना, किसान के खेत तक पानी जाना, फसल का अच्छा पैटर्न बनाना, जमीन का लेवलिंग होना: ये आवश्यक चीजें हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, वर्ल्ड बैंक से भी एरिया के डवलपमेन्ट की बात चल रही है। अभी राम प्रसाद जी हाउस में नहीं हैं पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब मेजा डैम के एरिया का भी वर्ल्ड बैंक के माध्यम से डवलपमेन्ट किया जाना चाहिये। यह बात सरकार के विचाराधीन है। मैं समझता हूं कि सरकार इस बारे में निर्णय लेगी। इससे 19400 एकड़ भूमि को और 1840 एकड़ भूमि को समतल करेंगे। इसके अलावा कुछ छोटी-मोटी कार्यवाही भी की जायगी।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर मोडर्नाइजेशन आफ कैनाल्स के बारे में कई माननीय सदस्यों ने अपनी राय व्यक्त की। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मैं समझता हूं कि कैनाल्स का सुधार करने के काम को प्राथमिकता देनी चाहिये। हम इसके लिये कोशिश करेंगे।

इसके साथ-साथ, उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर लिफ्ट इर्रिगेशन के बारे में काफी माननीय सदस्यों ने चर्चा की। उपाध्यक्ष महोदय, आर्थिक पाइन्ट आफ व्यू से चाहे यह कम्परेटिवली थोड़ी मंहगी पड़ती है लेकिन यह प्रश्न एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको लागू करने की हमें कार्यवाही करनी पड़ेगी। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान जैसे छोटे प्रदेश में लिफ्ट इर्रिगेशन बहुत ही आवश्यक है। आज कई जगह पर पानी बहुत है, पानी पड़ा रहता है और वह काम नहीं आने के कारण वेस्ट होता है। उसका उपयोग हो, उससे हमारी खेती बढ़े इसलिये हमें लिफ्ट इर्रिगेशन लागू करनी पड़ेगी। यहां पर लिफ्ट इर्रिगेशन के के काफी चार्जेज लेने की बात कही है और उसी के आधार पर लिफ्ट इर्रिगेशन को मंहगी बताया गया है पर मैं समझता हूं कि हमारे यहां के जो काश्तकार हैं उनकी समझ में यह नहीं आया है कि कौनसी क्राप करनी चाहिये, किस प्रकार क्राप का डवलपमेन्ट किया जाय इसीलिये लिफ्ट इर्रिगेशन मंहगी ज्यादा बताते हैं। आज क्राप डवलप-करने से हमें ज्यादा फायदा हो सकता है और वही मंहगी योजना सस्ती होकर हमारे लिए ज्यादालाभ दायक हो सकती है और कीमती चीज भी सस्ती पड़ सकती है। तो सरकार के यह विचाराधीन है। जैसा कि अभी श्री नाथू राम जी ने कहा कि हमारे भील लोग इसको नहीं समझ पाये हैं। यह सही है, हमारे भाई हैं भील लोग हैं वह पिछड़े हुए हैं, आज से नहीं बल्कि सदियों से पिछड़े हुए हैं यही कारण है कि जो चीज पैदा करने से ज्यादा फायदा हो सकता है वह पैदा नहीं कर पाये हैं। इसके अलावा पहाड़ी इलाके में अभी तक इसके फायदे को ज्यादा नहीं समझ पाये होंगे। इस विषय में कोई न कोई निर्णय आज नहीं तो कल हमें लेना पड़ेगा। लिफ्ट इर्रिगेशन का महत्व बहुत अधिक है क्योंकि इसमें जो इधर-उधर पानी पड़ा रहता है उसका सदुपयोग किया जा सकता है। इसलिये लिफ्ट इर्रिगेशन यहां पर लागू करने के लिये सरकार विचार करेगी। यहां पर कई माननीय सदस्यों ने कहा

(श्री सम्पतराम)

कि पंजाब और हरियाणा में जिस तरह से इसे लागू किया गया है उसी तरह राजस्थान में लागू किया जाय। मैं उनकी जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि हम हमारे यहां के एक्सपर्ट को वहां भेजेंगे, हमारे यहां के टैक्निकल लोगों की टीम को वहां भेजेंगे जो कि वहां पर देखेंगे कि किस तरह से वहां लागू किया गया है। उसके बाद जहां तक सम्भव होगा उसे यहां पर लागू किया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिये मैं इतना जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि आज नहीं तो कल इसको हमारे यहां पर लागू करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, इसके अलावा वाद-विवाद के दौरान बहुत से माननीय सदस्यों ने यहां पर कुछ बुनियादी सवाल किये। यह कहा कि जब कैनाल एरिया में सिंचाई होती है तब टेल वाले एरिया में लोगों को इरिगेशन के लिये पानी नहीं मिलता है। उसका कारण यह है, आज भी हम देखते हैं कि गांवों में जो जमीनें हमने गरीब तबके के लोगों को दी हैं, उन गरीब तबके के लोगों को शक्तिशाली लोग बेदखल कर देते हैं उसी तरह कैनाल एरिया में जो अच्छी-अच्छी जमीन है वह पहले बड़े-बड़े शक्तिशाली लोगों ने अपने पास ले रखी हैं और वही शक्तिशाली लोग जबरदस्ती पानी ले लेते हैं। इस प्रकार पानी के बंटवारे में गरीब तबके के लोग, जो कि टेल पर होते हैं, पानी से वंचित रह जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हालांकि पानी के बंटवारे के लिये ऑफि-शियल्स और नॉन-ऑफिशियल्स की समिति बनी हुई है और वही प्रोग्राम पानी के बंटवारे के लिये बनाती है पर फिर भी टेल तक पानी पहुंचने के पहले शक्तिशाली लोगों के द्वारा पानी ले लेने के कारण गरीब तबके के लोग पानी से वंचित रह जाते हैं। माननीय सदस्यों ने इस बात को रोकने के लिये यह राय दी, सुझाव दिये कि वहां पर मजिस्ट्रेट्स कैनाल मजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति की जाय। यह भी कहा कि पुलिस की मदद ली जाय। अगर पुलिस का उपयोग चैकिंग के लिये किया जाय तो थोड़ा फायदा हो सकता है। मैं मानता हूं कि यह एक अच्छा सजेशन है। पर आज भी जब वहां पर झगड़े होते हैं तो हमारे पास कोई चारा नहीं है, पुलिस के पास जाना ही पड़ता है। फिर भी माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग इस ओर विशेष रूप से ध्यान रखेगा कि कमजोर वर्ग के लोगों को पानी मिले। यह उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिये कि कमजोर तबके के लोगों को पानी मिले।

इसके साथ-साथ बहुत से सवाल, उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कई माननीय सदस्यों ने अन्डर डिस्प्यूट तो नहीं कहना चाहिये इन्टर-स्टेट मामलों के उठाये मैंने उन मामलों को देखा और डिटेल में जाने पर मैंने यह देखा कि जिस मजबूती से सरकार को अपने यहां के मैटर्स को प्रेस करना चाहिये था उस मजबूती से पुरानी कांग्रेस सरकार ने प्रेस नहीं किया। जो काम राजस्थान सरकार को करना चाहिये था वह काम उसने नहीं किया। अगर किया होता तो मैं समझता हूं कि उससे बहुत लाभ मिलता। आज पंजाब और हरियाणा में इन्डस, सतलज, व्यास, रावी का पानी है उसमें जो हमारा हिस्सा है वह हमें अब मिलेगा, यह निश्चित रूप से मैं आपको कह सकता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि एक कण्ट्रोल

(श्री सम्पतराम)

बोर्ड है जिसको व्यास कन्ट्रोल बोर्ड कहा जाता है उसमें इन नदियों के पानी के इन्टर स्टेट मामले तय होते हैं। अगर पानी पंजाब और हरियाणा ने अधिक ले लिया था तो उसके लिये पुरानी सरकार व्यास बोर्ड में जाती, तो मैं समझता हूं कि हमें जो आज दिन तक कम पानी मिला है वह इतना कम नहीं मिलता। यह प्रथम अवसर था जब मैंने यह प्रश्न बार बार वहां पर उठाया कि जो राजस्थान का हिस्सा है जो हमारे हिस्से में आता है वह हमें नहीं मिला है। वह हमें अब मिलना चाहिये। उस कान्फ्रेन्स में केन्द्रीय सिंचाई मन्त्री जी थे। उनसे मैंने कहा कि इस तरह से हमारी स्टेट के साथ ज्यादती हुई है। उन्होंने कहा कि आप प्रधान मंत्रीजी से बात कर सकते हैं। मैंने उन्हें कहा, मैं प्रधान मंत्रीजी से क्या बात करूं जब कि यह हमारे रिआर्गेनाइजेशन एक्ट में है। वह एक्ट हमारी पार्लियामेन्ट के द्वारा पास किया हुआ है और पार्लियामेन्ट हमारे यहां पर प्रधान मंत्री से भी ऊंची है। पार्लियामेन्ट तो सर्वोच्च सत्ता है, हमारे यहां इससे बड़ा कौन है। मैंने उनसे कहा कि जब हमारे यहां पर पार्लियामेन्ट सुप्रिम है और उसके द्वारा पास किये गये रिआर्गेनाइजेशन एक्ट में यह है तो फिर उसमें हमारा हिस्सा मिलना चाहिये। हमारी भी यह नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि हम इस मामले को आर्बिट्रेशन में उठायें। हमने प्रधान मंत्री जी के सामने भी यह प्रश्न उठाया है। इसको हमने व्यास बोर्ड के सामने भी रखा है। तो यह सभी बातें हैं जो हम कर रहे हैं। इसके अलावा रावी, व्यास, सतलज, गंगा जमुना सभी से हमें पानी मिलना चाहिये, इन सभी से जब हमें हमारे हिस्से का पानी मिलने लग जायेगा तब भरतपुर, सीकर, झुंझुनू को भी पानी मिलने लग जायेगा और यह सारा इलाका सरसब्ज हो जायेगा। हम हमारी पूरी शक्ति लगा देंगे कि यह पानी हमें मिले।

यहां पर कई माननीय सदस्यों ने थीन बांध के बारे में भी कहा है। उसके लिये मेरा निवेदन है कि यह थीन बांध का सबसे पहले एग्रीमेन्ट सन् 1960 में हुआ था। इन्डस बेसिन में जो तीन चार नदियां हैं उनमें अलग अलग हमारा एक्सप्लाइटेशन किया गया है। जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी हमारा हिस्सा है जैसे भाखरा में 15 प्रतिशत, पौंग डेम में 58 प्रतिशत और थीन में 52 प्रतिशत। लेकिन थीन डेम के बारे में हमारा जो एग्रीमेन्ट है उसके पूरे होने में और भी कई बातें देखने की है। उपाध्यक्ष महोदय, आज इन सभी जगह से पानी का ही झगड़ा नहीं, झगड़ा इस बात का भी है कि जितना हमें पानी मिलना चाहिये उतनी ही हमें पावर मिलनी चाहिये। आज हमें पानी से ज्यादा पावर की आवश्यकदा है। पावर से दूसरे और भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा हम फिशरीज को भी डवलप कर सकते हैं। पावर अगर मिलती है तो इससे दूसरे कई काम और करने की कोशिश करेंगे। इतना होने के साथ साथ एक बात और है कि जो हमारा राइट है उसको लेने में हम पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि यह सभी मामले एमीकेबली सैटल हो जायं। हम एमीकेबली सैटलमेन्ट करना चाहते हैं। इसलिए इस मामले को हमने आर्बिट्रेशन में उठाया है और हमने यह सारा का सारा मामला प्रधान मंत्रीजी के सामने रखा है, उन्हें बताया है कि क्या एग्रीमेन्ट हुआ था।

(श्री सम्पतराम)

इसमें जो इन्टर-स्टेट प्राब्लम हो गयी है उन्हें आप देखिये। उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। हमने कहा, प्रधान मंत्रीजी स्वयं देख लें या जगजीवन बाबू को यह डिस्प्यूट सौंप दें और वे इस सारे मामले को निपटा दें। यह चिन्ता का मामला रहा है इसलिये मैंने आपको थोड़े में अर्ज किया।

श्री अब्दुल अजीज : माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस और आकर्षित करता हूं कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के मुख्य मंत्रियों की मीटिंग हुई उनमें मुख्य मंत्री को दावत दी गयी थी। वे नहीं जा सके इस कारण शेअर खत्म कर दिया ?

श्री सम्पत राम : यह बात बिलकुल निराधार और बेबुनियाद है कि मुख्य मंत्रीजी नहीं गये। मैं स्वयं मौजूद था। यह जरूरी नहीं है कि मुख्य मंत्रीजी ही जायें। ऐसी हालत होती है कि मुख्य मंत्रीजी नहीं जा सकते तो दूसरा आदमी भी जा सकता है। इसको बिलकुल सही ढंग से, सही रूप से उनके सामने रखा गया। मेरे सामने एक बात आयी कि "Are you in a position to take decision" ये शब्द थे जो कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूं मैंने उनको जवाब दिया था कि मैं शत प्रतिशत थीन डेम पर फैसला करने आया हूं तो मंत्रीमण्डल का डिसिजन लेकर आया हूं। ये सारी बातें उनके सामने लायी गई।

श्री अब्दुल अजीज : फिर डिस्प्यूट क्यों हुआ ?

श्री सम्पत राम : तो यह बात उनसे कह दी गयी। उन्होंने मुद्दा उठाया कि मुख्य मंत्री से बात कर लें। मैंने कहा कि मुख्य मंत्री से बात कर लीजिये, विधान सभा में कर लीजिये। जो स्टेन्ड है वह वैल थोट आफ है। हमने सोच समझ कर ही स्टेप लिया है। उससे हम थोड़ा बहुत भी डेवियेट नहीं हो सकते। इसलिये यह कहना गलत है कि मुख्य मंत्री नहीं पहुंचे इसलिये फैसला नहीं हो सका। पहले भी मीटिंग हुई। सारे पहलू पर बात कर ली। जब पार्लियामेन्ट के इलेक्शन में गये, पावर मिनिस्टर साथ थे रामचन्द्रन साहब, उनसे डिटेल्स में बात कर ली। इसलिये अब यह जो कहा जा रहा है यह पोलिटिकली मोटीवेटेड है। जानबूझ कर कह रहे हैं कि थीन डेम का मसला इसलिये हल नहीं हो सका क्योंकि मुख्य मंत्री नहीं गये थे। मुख्य मंत्रीजी ने निश्चित डाइरेक्शन दिये थे और मैंने उस सारे मामले को रखा। मैंने यही बात प्रधान मंत्री को कही। मैंने जैसा पहले भी कहा, हमने जितनी शक्ति इसमें लगायी है, उपाध्यक्ष महोदय, उतनी शक्ति पहले लगादी गयी होती तो वाटर डिस्प्यूट ही नहीं होता। मैंने साफ तौर पर कहा था कि सारा डिसिजन लेकर आया हूं। मुख्य मंत्रीजी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त था, और आपका आशीर्वाद प्राप्त था, हालांकि विधान सभा में यह बात नहीं कही थी लेकिन फिर भी मैंने कोट किया था, ताकि डेम का मसला एमीकेबल वे में हल हो और राजस्थान को उसका सही हिस्सा मिले।

श्री अब्दुल अजीज : यह विश्वास अच्छा दिलाया। प्रोसिडिंग्स में पहली बात पढ़ लीजिये।

श्री सम्पत राम : यह बात समझ में आयी नहीं। सेक्रेटेरियेट की फाइल दिखायी

(श्री सम्पतराम)
नहीं जा सकती तो सेन्ट्रल वाटर बोर्ड की फाइल कैसे दिखायी जा सकती थी ।

श्री रतनलाल वर्मा : क्योंकि ये भूत हो गये इसलिये इन्हें वर्तमान का ज्ञान नहीं है ।

श्री अब्दुल अजीज : आप घबराइये नहीं ।

श्री सम्पत राम : बहुत से माननीय सदस्यों ने कई स्कीमों का जिक्र किया । उन स्कीमों के बारे में मैंने पढ़ा है । और विभागीय अधिकारियों के कागजात आये हैं, उन्हें मैंने देखा है । काफी मैं उस पर बोल सकता हूं । काफी बोलने के लिये मसाला है लेकिन एक दो डेम को मैंने देखा है उनके बारे में कहे बगैर नहीं रह सकता ।

राजस्थान में पानी की कमी है, राजस्थान के पास पैसा भी नहीं है लेकिन कुछ योजनायें ऐसी हैं जो सन् 1953 से बनना शुरू हुईं और आज तक पूरी नहीं हुई हैं । पैसा खर्च होता रहा, रिवाइज प्लान बनते रहे लेकिन उन्हें कभी पूरा करने के लिये सोचा नहीं । तीन बांध थे, जिनकी योजना 1953 से थी लेकिन आज तक वे पूरे नहीं हुए और न शुरू हुए । भीमसागर बांध की यही हालत हुई, एक दो डेम और हैं । हरिश्चन्द्र डेम है, उसकी भी यही हालत है । उनके बारे में मैं विभागीय अधिकारियों से पूछ रहा हूं । दुःखपूर्ण बात यह है कि कितने ही लाख रुपया खर्च कर दिया, पांच-छः वर्ष तक स्कीम पड़ी रही । सिंचाई विभाग में लापरवाही किस आधार पर हुई ? उस समय की सरकार का कोई संकेत होगा । मैं साफ कर देना चाहता हूं कि किसी स्तर पर अधिकारियों की गलती पायी गयी तो मैं स्पेयर नहीं करूंगा, यह मैं दावे के साथ कहता हूं ।

अकाल राहत कार्य जो हुए उसको, उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा देखा था । उसका अन्दाज हुआ कि उन सब को देखें तो आधा पी. डब्ल्यू. डी. खाली हो जाय । बीस-बीस साल पूर्व की योजनायें हैं जिन पर दस-दस लाख रुपये खर्च हो गये, पन्द्रह-पन्द्रह लाख रुपये खर्च हो गये लेकिन वह पैन्डिंग पड़ी हैं । पांच-सात लाख का काम बाकी था लेकिन योजना को बन्द कर दिया । कोई अधिकारी पैन्डिंग नहीं रख सकता जब तक कि सरकार का इशारा न हो । मैं चाहता हूं कि सारी पैन्डिंग योजनायें पूरी हों लेकिन जो साधन होंगे उसके हिसाब से काम करना चाहेंगे ।

दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि इस वर्ष बरसात की ऋतु शुरू होने के साथ-साथ तेजी से बरसात हुई । अच्छी हुई, डेम, तालाब भर गये-यह खुशी की बात है, फसल भी काफी अच्छी हुई है । लेकिन हमारे यहां बहुत नुकसान हुआ । पुल 65 टूटे, बांध 63 टूटे । डेमेज 391 । कैनाल डेमेज्ड 490 । 944 के करीब कुल । हमने यह प्रयत्न किया कि जो बांध टूट गये हैं जिनमें पानी नहीं हैं उनको बाद में हाथ में लेंगे । सबसे पहले राजस्थान में वे बांध लें जिनकी नहरें टूट गयी हैं । जिनके टूटने से सिंचाई में अवरोध पैदा होता है उनको हर हालत में प्रायोरिटी देना चाहते हैं । हम उनके लिय उत्तरदायी हैं । इसलिये उनको ठीक करके किसान के खेत में पानी पहुचायें । उन नहरों को ठीक करने के लिये हमने अभी बजट में प्रपोजल्स रखे हैं । इसके अलावा दो करोड़ रुपया सेन्टर से मिला है । इसके

(श्री सम्पतराम)

साथ-साथ, उपाध्यक्ष महोदय, अभी आपने देखा कि सड़कें टूट गयीं, तालाब टूट गये, बन्धे टूट गये, कितनी मानव हानि हुई है, कितनी जानवरों की हानि हुई उसके सम्बन्ध में मेमोरेन्डम तैयार किया है जो कि भारत सरकार को भेजा जा रहा है। जो कुछ भी नुकसान हुआ है वह उसमें बताया गया है। वहां की टीम आयेगी। जो डेमेज हुआ है हेवी रेन्स से उसको खास तौर से देखेंगे वे और अधिक से अधिक सहायता देंगे ऐसी आशा लेकर चलते हैं।

बहुत सी डिमान्ड्स के लिये जिक्र किया गया। जमुआ रामगढ़ बांध के लिये कहा गया कि सिंचाई डेम ड्रिंकिंग वाटर डेम क्यों बना? प्रारम्भ में इस बांध से सिंचाई की ही बात थी। उसके बाद में जयपुर राजस्थान की राजधानी है, बढ़ता हुआ शहर है, पानी की आवश्यकता ज्यादा बढ़ रही है, पर-केपिटा कन्जम्पशन अधिक हो रहा है यहां सिवाय रामगढ़ बन्धे के और कोई बन्धा नहीं है इसलिये यह सिंचाई का डेम न होकर ड्रिंकिंग वाटर डेम बन गया। निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि कमान्ड एरिया है उसको मेन्टेन करेंगे। इस साल बहुत एब्नोर्मेलिटीज हुई हैं, 100 साल का नहीं तो कम से कम 50 साल का जयपुर का एवरेज रेन फाल 485 एम. एम. है जो इस साल बढ़ कर 1202 एम. एम. हुआ है। कम से कम ढाई-पौने तीन गुनी वर्षा हुई है। ऐसी कल्पना करके नहीं चल सकते थे। डेम टूट गये, नुकसान हुआ 50 साल का रिकार्ड है, 100 साल का वर्षा का रिकार्ड है वह तोड़ दिया है। उम्मीद यह की जा सकती है कि खेती में बढ़ोतरी हो सकेगी। लेकिन डेमेज तो है।

भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भरतपुर में आये फ्लड का जिक्र किया। उपाध्यक्ष महोदय, इसका दुःख है, अफसोस है और वेदना है। दिल्ली में चार-पांच बार टेलीफोन करता था और भरतपुर से 1-2 बजे रात्रि तक सम्पर्क में रहता था। जितनी कोशिश कर सकते थे हमने कोशिश की। रात भर सोये नहीं। प्रधान मंत्री से बात की' इर्रिगेशन मिनिस्टर से बात की। इस समस्या को जितना हल कर सकते थे, किया और जितना इस मानवीय समस्या पर ध्यान दे सकते थे ध्यान दिया। इसके बावजूद भी क्योंकि अधिक बारिश हुई इसलिए हमारे सामने कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि यह समस्या हमारे सामने खड़ी रहे। अभी हरियाणा से बहुत ज्यादा पानी आया है। 400 क्यूसेक पानी आया। यू. पी. 1400-1500 क्यूसेक पानी ले रहा है लेकिन इसके बावजूद भी पानी काफी तादाद में फैला हुआ है। मैंने हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी को कल ही कहा। वह इस विषय में चिन्तित थे। इस संबंध में हम सदन में स्टटमेन्ट भी देना चाहते थे लेकिन हमने यह उचित समझा कि इस समस्या को जितना मानवीय ढंग से सुलझा सकें उतना ज्यादा अच्छा होगा। माननीय मुख्य मंत्री जी अभी गये थे गोगामेड़ी, । माननीय मुख्य मंत्रीजी नहीं जाते। अगर भरतपुर की समस्या नहीं होती तो उनका जाने का कोई मानस ही नहीं था। लेकिन वह स्वयं गये और इस विषय पर उन्होंने हरियाणा वालों से बातचीत भी की है। वह भी क्या करें। हरियाणा में भी तबाही मची हुई है और वहां बहुत बड़े पैमाने पर पानी भरा

(श्री सम्पतराम)

हुआ है। आप देखें तो एक मानवीय हालत उनके यहां पैदा हो गयी है। इसी सन्दर्भ में एक बात और अर्ज करना चाहता हूं, भरतपुर के अन्दर भी इस समय 75 हजार एकड़ जमीन में पानी भरा है। वहां के 146 गांव प्रभावित हैं। अब जरा देखिये, 40 हजार एकड़ जमीन पर पहले पानी आ गया और 30 हजार एकड़ जमीन पर बाद में पानी आ गया। इस तरह से बड़े पैमाने पर पानी इकट्ठा हुआ है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वह पानी खाली हो। हम यह गम्भीरता से चाहते हैं लेकिन हमारे सामने कोई चारा नहीं है कि क्या रास्ता अपनाया जाये। हो सकता है कि उस पानी को हम ड्रेन-आउट करें लेकिन वह भी तभी सम्भव हो सकता है जब कि मेन डैम में पानी कम हो। यदि मेन डैम में पानी कम हो तब तो सरकार पैसा भी खर्च करे। मैं माननीय सदस्यों को कह देना चाहता हूं कि ऐसे मानवीय प्रश्न पर ही नहीं बल्कि आवश्यकता की जगह सरकार कभी भी पैसा खर्च करने में कोताही नहीं करना चाहती है। लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं है जब तक कि डैम में पानी कम नहीं हो। यदि डैम में पानी उतना ही खड़ा रहता है तो हम पम्प आउट नहीं कर सकते हैं।

तो यह बड़ी बड़ी बातें मैंने अर्ज की हैं। मैं समझता हूं कि जिन माननीय सदस्यों के कट मोशन थे उनमें से बहुत का जवाब मैं नहीं दे सका होऊंगा लेकिन फिर भी यह अर्ज करना चाहता हूं कि जितनी सिंचाई के मामले में बुनयादी बातें हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान सबसे पहले गया है। इसके अलावा एक बात मैं और माननीय सदस्यों को बताना उचित समझता हूं कि नये कामों को हम पहले हाथ में नहीं लेंगे और जो पुराने काम हैं पहले उनको पूरा कराना चाहेंगे। हम राजनैतिक तरीके से सोचते तो हम अपने लोगों के क्षेत्रों में नयी सड़कें दे सकते थे और पुरानी सड़कों को छोड़ सकते थे। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने मानवीय तरीके से सोचा कि राजस्थान का सही मायने में विकास करना है। चाहे प्लान पहले गलत बने हों या सही बने हों लेकिन जिनमें राजस्थान की कमाई लगी हुई है सबसे पहले उन सड़कों को बनाकर तैयार करेंगे।

इसके अलावा एक बात की ओर ध्यान दिलाया कि बहुत सी जगह कैनाल के लिये, सड़कों के कामों के लिये या और किन्ही कामों के लिए किसानों की जमीन अक्वायर की है। बड़ा दुर्भाग्य है कि आज तक उनको उनकी जमीनों का कम्पेन्सेशन नहीं दिया गया, उनको मुआवजा नहीं दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं इस सदन के जरिये चाहे हमारे अधिकारी हों या कोई भी हों उनका भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस प्रकार की समस्या जहां कहीं भी हैं इन समस्याओं को जल्दी से जल्दी हल किया जाये। इस संबंध में हमारे मुख्य मंत्रीजी ने एक डी. ओ. लैटर अभी 15 दिन पहले सभी विभागाध्यक्षों को लिखा था कि जहां कहीं भी जमीन को अवाप्त किया गया है, कैनाल बनाने में जमीन आ गयी और जमीन अपने प्राप्त कर ली उसके बाद भी उनको मुआवजे का भुगतान नहीं हुआ है तो ऐसी सूचना एकत्रित करो और जल्दी से जल्दी उसके भुगतान की कोशिश करो। इस प्रकार का

Page No.198

(श्री सम्पतराम)

लैटर हमारे मुख्य मंत्रीजी ने हाल ही में लिखा है। मैंने थोड़े में आपसे यह बात कही।

इसके साथ ही साथ प्रद्युम्नसिंह जी ने जिक्र किया था कि यू० पी० लिफ्ट इर्रिगेशन की स्कीम बना रहा है। हमारे चम्बल का पानी जायेगा और उसको वह अपने काम में लेगा। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं लेकिन वह हैं नहीं, हमारी सरकार ने कमेन्ट्स दिये हैं कि आप योजना बना रहे हैं तो आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा प्रान्त सूखा है और हमको ज्यादा पानी की जरूरत है। चाहे जितना खर्चा हो हम स्वयं लिफ्ट इर्रिगेशन से चम्बल के पानी का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा हमने यू० पी० गवर्नमेन्ट को लिखकर दिया हुआ है। यह सब बातें हमने उनको लिख दी हैं।

मैंने सदन का काफी समय ले लिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभारी होऊंगा कि आप इस मांग को एक मत से पारित करें।

श्री **रतनलाल वर्मा** : मेरा एक निवेदन है। ऐसा है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा इन्डस्ट्रीज के लिए 5 पैसे प्रति यूनिट बिजली दी जाती है और सिचाई के लिए 25 पैसे प्रति यूनिट बिजली दी जाती है। यह बहुत बड़ा अन्याय है। मुख्य मंत्रीजी यहां विराजमान हैं और विद्युत मंत्रीजी भी हैं मेरा उनसे निवेदन है कि किसानों ने क्या गुनाह किया है जो उनको इतनी मंहगी बिजली दी जा रही है ?

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप तो भोजन करके आ गये हैं। आप मांगें पास होने दीजिए।

श्री **सम्पतराम** : उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी खुशी की बात है, मैं वर्माजी को भूल गया था, इन्होंने एक बात की तरफ मेरा ध्यान दिलाया। वह बड़े संजीदा आदमी हैं, काफी सोच समझकर बोलते हैं और गम्भीरता भी इनमें काफी है लेकिन कभी-कभी यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि संसदीय परम्परा भी कुछ होती है और कोई बात समझ में नहीं आये तो समझ लेनी चाहिए। इतनी नाराजगी दिखाना स्वयं के लिए भी ठीक नहीं है और इस सदन जैसी संस्था के लिए भी ठीक नहीं है। आपने कहा था कि रिपोर्ट में यह लिखा है कि 24 लाख 40 हजार घन फीट पानी से 6 लाख हेक्टेयर की सिंचाई कर देंगे, यह कैसे सम्भव होगा ? इसका मतलब तो यह है कि एक हेक्टेयर में 4 घन फीट पानी लेगा तो सिंचाई कैसे होगी ? अब बात यह है कि माननीय वर्मा जी यह पढ़ना भूल गए कि उसके आगे लाख लिखा हुआ है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय सदस्य इस तरह स्ट्रक्चर पास करके नाटकीय ढंग से किताब फेंकने के पहले पढ़ लेते तो यह बात नहीं कहते और सदन की शांति भी भंग नहीं होती तो मेरा अनुरोध है। यह मैंने बीच में कह दिया, इसके लिये मुझे माफ करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अनुरोध करूंगा सभी माननीय सदस्यों से कि सिचाई की मांग को एक मत से पास किया जाये।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री केदारनाथ।

श्री **केदारनाथ** (उपनिवेशन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सिंचाई मंत्री जी द्वारा सिंचाई संबंधी जो पालिसी स्टेटमेन्ट दिया गया उसके बाद मैं ऐसा नहीं

(श्री केदारनाथ)

सोचता कि और लम्बा रिप्लाई दूं । राजस्थान कैनाल के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने यहां कुछ सुझाव दिये. इसके वर्किंग के बारे में और कुछ कालोनाइजेशन के बारे में मेरा ध्यान आकर्षित किया है, इसलिए थोड़ा निवेदन करना मुनासिब समझता हूं ।

मान्यवर, जो इन्टर-स्टेट एग्रीमेन्ट्स हुए हैं जो पिछली सरकार ने किये हैं उनको मुझे पढ़ने का मौका मिला है । इस ट्रेजरी बेंच पर बैठने के बाद में एक चीज रिफ्लेक्ट होती है कि पिछली सरकार इन्टर-स्टेट एग्रीमेन्ट, इन्टर-स्टेट डिस्प्यूट्स और इश्यूज के बारे में राजस्थान के इन्ट्रेस्ट और इसके क्लेम को सही तौर से रिप्रेजेन्ट नहीं कर पाई और न ही उनको सेफगार्ड कर पाई । वह लैप्सेस, वह कमियां आज सारी स्टेट की इकानामी को रिफ्लैक्ट करती हैं । आज जब भी कभी इम्पलीमेन्टेशन का सवाल आता है तो वह इन्टरप्रिटेशन देते हैं कि उनका इन्टर-स्टेट एग्रीमेन्ट हुआ है । मैं मिसाल के तौर पर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब ऐसे जितने हैड वर्क्स हैं रोपड़ का, माधोपुर का वह पंजाब के कन्ट्रोल में हैं । उनकी कास्ट में हमारा हिस्सा है, पावर में हमारा हिस्सा है और पानी में हमारा हिस्सा है उसके बावजूद भी फिजिकल कन्ट्रोल पंजाब के हाथ में है, जब चाहे रिलीज कर देते है, जब मर्जी आये शार्टेज क्रियेट कर देते हैं । आज तीनों जगहों, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में हमारी जनता पार्टी की सरकार है । दिल्ली में भी हमारी जनता पार्टी की सरकार है । इसलिये मुख्य मंत्री ने कहा कि हैड वर्क्स जहां भी दूसरी स्टेट्स में हों वहां पर जॉइंट कन्ट्रोल हो । जिस स्टेट का हिस्सा है वह उसको मिल जाये तो उससे बड़ा फर्क पड़ेगा । गंग कैनाल में हमारा एक्सक्लूजिव डिस्ट्रीब्यूशन है लेकिन पंजाब ने अपनी मर्जी से नहरें निकाल दी । हमसे पूछा तक नहीं, हमारे राइट्स को एरोगेट कर दिया । हमने कहा जो लिंक है उसका फिजिकल कन्ट्रोल राजस्थान सरकार को दे दें । वह लिंक हरियाणा की टैरीटरी में है, कन्ट्रोल उस पर पंजाब का है और पैसा हमने खर्च किया । पंजाब को उसे बन्द रखने से कोई फायदा नहीं । हम इस्तेमाल करें तो पंजाब को नुकसान नहीं । फिर भी फिजिकल कन्ट्रोल हमें नहीं दिया जा रहा है । माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पहली बार हरियाणा और पंजाब के मुख्य मन्त्रियों से बात की है । भाखड़ा के नीचे जो लाइन है उसके बारे मे, वहां के सिस्टम को सप्लीमेन्ट करने में हमें फायदा मिलेगा । मान्यवर, यह भी सूचना देना चाहता हूं, गोगामेढ़ी में काफी डिस्कशन हुआ दोनों स्टेट्स के चीफ इन्जीनियर्स लेवल पर कुछ रास्ता निकालने के लिये । पहली बार यह इन्ट्रेस्ट क्रियेट किया गया । पिछली सरकार में राजस्थान से सैन्ट्रल कबिनेट में मिनिस्टर भी रहे फिर भी न एम. पीज ने लोकसभा में लाबी क्रियेट की न कैबिनेट ने पोलिटिकली दबाव डाला । पिछली सरकार की यह बहुत बड़ी कमी रही । अब पहली बार दो नौजवान कैबिनेट में गये हैं, वे कैबिनेट मिनिस्टर तो नहीं हैं, और 24 एम. पीज. की टीम गई है इस बार हमें विश्वास है, लोकसभा में लाबी क्रियेट करने की बात आज तक इग्नोर की गई वह राजस्थान के इन्ट्रस्ट में क्रियेट की

(श्री केदारनाथ)

जायगी । मैं ज्यादा नहीं कहता हूं लेकिन हरियाणा स्टेट ने अपनी मर्जी के अनुसार एक्शन ले लिया है और पानी का शेयर छः पर्सेंट कम दिया है । इससे टोटल 40 हजार एकड़ सिंचाई का नुकसान हुआ है । उसके लिये क्या स्टेप उठायें, पानी को कैसे पूरा करायें, यह हमारे देखने की बात है ।

राजस्थान कैनाल के बारे में काफी कुछ कहा गया । रोलिंग प्लान की फिलासफी है कि हर साल के अन्दर दरें रिवाइज की जायें, प्रायोरिटी रिफिक्स की जाये । मुझे विश्वास है कि राजस्थान कैनाल की जो इम्पोर्टेन्स है, उसको देखते हुए केन्द्र स्पेशल असिस्टेंस देगा, यह आशा है ।

यहां यह भी कहा जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने; उनकी सारी फिलासफी बड़े ऊंचे टीलों से आती है, जमीन की तरफ से नहीं जाती, आकाश की तरफ से आती है ।

श्री किशनसिंह भाटी : माननीय मुख्य मंत्री जी की आज्ञा से बात की है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री): कभी आपकी संगत में चला गया होऊंगा ।

श्री केदारनाथ : इसलिये प्रेक्टिकल नहीं है । विचार की दृष्टि से संभव हो सकता है लेकिन जब इम्पलीमेंट करेंगे तो मुश्किल आ सकती है । दूसरी स्टेज में बहुत बड़ी डिफीकल्टी आई इसलिये राज्य सरकार ने फैसला किया है कि राजस्थान कैनाल की योजना को इम्प्लीमेंट करने में मदद करने के लिये, सलाह के लिये एम. एल. एज. और एम. पीज. की कमेटियां बनाई जायें ताकि मासेस की तरफ से एम. एल. एज., एम. पीज. अपनी बात को कह सकें । हर दो माह में इन कमेटीज की मीटिंग हों । आज, मान्यवर, सीमेंट ब्लेक से मिल रहा है । वहां पर ब्लेक में बेचते हैं, सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा । अनेक समस्यायें यहां पेश की गई हैं । कमेटी के बनने से उनमें काफी सुधार आ जायेगा ।

अब कोलोनाइजेशन के बारे में कुछ बातें कही, ज्यादा तो नहीं । मान्यवर, सम्वत् 2012 के पहले की जो स्थिति काश्तकार की थी उनके इन्ट्रेस्ट में कोई कमी नहीं आयेगी । जमीन के ऊपर उनका क्लेम है । 15 (ए) के बारे में लां के अन्दर अमेंडमेंट करने के लिये एक कमेटी बनाने का तय किया है । वह कमेटी अपनी रिपोर्ट तीन माह के अन्दर दे देगी । मान्यवर, इसके पीछे आर्गुमेंट है । कोलोनाइजेशन डिपार्टमेंट, राजस्थान कैनाल का डिपार्टमेंट है । हर डिपार्टमेंट के साथ एक पर्मानेंट फीचर बन जाये कमेटी का जो हर डिपार्टमेंट में काम करती रहे । मान्यवर, हमने एक प्रयास किया है । 2, 3, 4 तारीख को बीकानेर में एक कान्फ्रेन्स की, सारे एफर्ट्स किये, कामन एग्रीमेंट हुआ है । जो राज्य सरकार के विचाराधीन है । उसके बारे में स्टेप्स लिये जा रहे हैं । ऐसी कान्फ्रेन्स हों, जिनमें एम० एल. एज., एम. पीज. हों, आफिशियल्स हों तो यह बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा । आइन्दा हर दो माह के बाद ऐसी कमेटियां काम करेंगी । उनके नामों की घोषणा कर दूंगा । उनका स्कोप क्या है, वह विचाराधीन है । मैं आपकी पेशेन्स को टेस्ट नहीं करना चाहता

(श्री केदारनाथ)

मालरेडी श्राप श्रोवर-टैक्स्ड हैं। इसलिये इन्हीं बातों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री श्रब्दुल श्रजीज : किसानों को सिचाई के लिये बिजली की दर........

श्री रतनलाल वर्मा : पांच पैसा श्रौर 25 पैसा का जो भेदभाव है.......

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक।

श्री श्रब्दुल श्रजीज : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। क्या सरकार किसानों के लिये बिजली की दर कम करने पर विचार कर रही है ?

श्रीमती विद्या पाठक (राज्य मंत्री, पर्यटन)। उपाध्यक्ष महोदय,, विधान सभा के इतिहास में पर्यटन विभाग की मांगों पर पहली बार विचार किया जा रहा है। इसलिये इस सदन को बधाई देना चाहती हूं। पर्यटन विभाग को जो महत्व दिया है इसके लिये माननीय सदस्यों के प्रति श्राभार प्रकट करती हूं। साथ ही मुझे दुःख है कि श्राज सारा दिन चर्चा हुई, बहुत सुझाव भी दिये श्रौर श्रच्छी चर्चा भी हुई लेकिन जो बातें कही गई उनका जवाब सुनने के लिये माननीय सदस्य उपस्थित नहीं है। इस बात का सचमुच मुझे बहुत श्रफसोस है।

मुझे इस बात की खुशी है कि सभी माननीय सदस्यों ने इस विषय पर चर्चा की। जहां हम लोग पर्यटन की बात करते हैं, पर्यटन श्रौर श्रातिथ्य सत्कार हमारी संस्कृति का एक मुख्य विषय रहा है जो विश्व भर में कहीं नहीं है। परन्तु जैसे-जैसे समय बदलता जा रहा है हम टूरिस्ट पोटेंशियलिटीज को रियलाइज कर रहे हैं। इसलिये ही हमने पर्यटन को इण्डस्ट्री के रूप में लिया है। पर्यटन को इण्डस्ट्री के रूप में रखकर श्रपनी योजनायें बनाते हैं। विश्व में चार संगठनों द्वारा दी गई रिपोर्ट के श्रनुसार प्रत्येक वर्ष 22 करोड़ लोग श्रन्तर्राष्ट्रीय भ्रमण करते हैं। यदि हम इन पर्यटकों को सुविधा देते हैं तो निश्चित रूप से स्थान को महत्व देने के लिये ही नहीं देते या विश्व को श्राकर्षित करने के लिये नहीं करते हैं, हम यह भी एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन एक श्रोर जहां हम इस इण्डस्ट्री में पैसा डालते हैं, मेहनत करते हैं वहां हमारे एतिहासिक श्रौर सांस्कृतिक स्थलों को राजस्थान की जानकारी के साथ एक इण्डस्ट्री के रूप में भी महत्व देते हैं। यह एक इस प्रकार का प्रोजेक्ट है कि देश श्रौर विदेश के जो श्रन्डर डवलप्ड कन्ट्रीज हैं वे इस इण्डस्ट्री से काफी डवलप हो सकते हैं श्रौर इससे रिटर्न भी है। इससे हमें काफी बेनिफिट हो सकता है श्रौर उस बेनिफिट को श्रन्य योजनाश्रों में लगा सकते हैं। इसीलिये श्राज हम इसे इण्डस्ट्री के रूप में जानते हैं। इसमें कोई विशेष रिसोर्सेज लगाने नहीं पड़ते हैं श्रौर जो लगाते हैं वह भी केपीटल इन्वेस्टमेंट के रूप में होता है। यह इन्वेस्टमेंट एक तरह का एक्सपोर्ट होता है जो विश्वास के साथ किया जाता है श्रौर जिसका रिटर्न डाइरेक्ट या इन-डाइरेक्ट होता है, यह भी कहा जाय तो कोई श्रतिशयोक्ति नहीं होगी।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पिछले साल 1 करोड़ 20 लाख रुपये खर्च हुए श्रौर उससे स्टेट को डाइरेक्ट इन्कम 6 करोड़ की हुई। इतना रिटर्न किसी भी इन्डस्ट्री में श्रब तक प्राप्त नहीं है, टाटा श्रौर-बिड़ला जैसी कम्पनियों में भी श्रौर यहां तक कि हमारे देश की इन्डस्ट्रीज में ही नहीं विश्व की इन्डस्ट्रीज में इतना रिटर्न नहीं देखा गया है।

(श्रीमती विद्या पाठक)

इसलिये यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह एक महत्वपूर्ण इन्डस्ट्री के रूप में है और इसको अभी हमारे यहां काफी डवलप किया जा सकता है। आज तक राजस्थान ने सिस्टेमेटिकली और आर्गेनाइज्ड वे में इस इण्डस्ट्री को कभी डवलप नहीं किया, कभी इसकी प्रायोरिटी फिक्स नहीं की। हमारा यह विभाग और विभाग से संबंधित जो योजनायें थीं वह व्यक्तियों के लिये रखी गई। अगर इससे विपरीत हुआ होता या हमने इस योजना को अधिक महत्व दिया होता तो राजस्थान प्रान्त को काफी लाभ हुआ होता। लेकिन इस इन्डस्ट्री को महत्व दिया व्यक्तिगत लोगों के रूप में। यदि हमने व्यक्तिगत महत्व न दिया होता तो अन्डर डवलप्ड स्थिति में भी ज्यादा बेनिफिट होता जो आज हमें प्राप्त नहीं हुआ। इस स्कोप के साथ-साथ इसमें अनिंग भी बहुत ज्यादा है। यह सबसे पहला विश्व का उद्योग हो जाय यदि हम इसके महत्व को समझ सकें।

आज बहुत से लोगों ने चर्चा की और उस चर्चा में काफी बातें यहां कही गई पर ऐसा लगता है माननीय सदस्य बहुत सीरियस नहीं थे। इसलिये जानकारी प्राप्त करना या सुनना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं रहा।

जहां तक इस इण्डस्ट्री का सम्बन्ध है स्पेन में, स्विट्जरलैंड में, यू० एस० ए० में और न्यूजीलैंड में इकोनोमी बेस्ड इण्डस्ट्री रही है। इसके अतिरिक्त स्विट्जरलैंड में 1970 से और न्यूजीलैंड में 1958 से यह इण्डस्ट्री के रूप में चल रही है। जब वहां डेफिसिट इकोनोमी चल रही थी तो उसका डेफिसिट को पूरा करने का स्रोत टूरिस्ट डिपार्टमेंट से जाता है। इस नाते से हम इस चीज को रियलाइज कर सकते हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण इण्डस्ट्री है।

इटली में 1976 में 30 हजार 298 होटल बनाये। यह नहीं बड़े-बड़े होटल बनाये गये हों और उनके लिये लैंड एक्वायर की गई हो, लोगों के प्राइवेट मकान थे उनको ही सरकार ने सब्सिडाइज करके 10-10, 5-5 कमरे, जितने हो सकते थे, प्राइवेट ओनरशिप में डवलप किये। पब्लिक का इन्वेस्टमेंट होता था। कम इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद भी वे मेक्सिमम अनिंग कर सके और अपनी इण्डस्ट्री को और इकोनोमी को साउन्ड कर पाये। इसलिये हम कहते हैं टूरिस्ट में पैसा जाता है या टूरिस्ट में पैसा लगाया जाता है तो वह मल्टीप्लाई होकर लौटता है। इस नाते हम इस इण्डस्ट्री के लिये यह कहते हैं कि यह महत्वपूर्ण इण्डस्ट्री है। फारिन एक्सचेन्ज जितना मेक्सिमम हमें मिल सकता है वह इसी से मिल सकता है। इस इण्डस्ट्री के माध्यम से जो हमारी कलात्मक वस्तुएं हैं, उनको हम एक्सपोर्ट करते हैं। इस एक्सपोर्ट के साथ-साथ हम अन्य बहुत सारी चीजों को, अपने विचारों को, अपने प्रोडक्ट को भी एक्सपोर्ट करते हैं और साथ ही हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर को और भव्यता को भी एक प्रकार से एक्सपोर्ट करते हैं। अतः कहा जा सकता है कि यह सबसे अधिक रेपिडली ग्रोइंग इण्डस्ट्री है जिसमें इन्वेस्टमेंट कम होता है और रिटर्न दुनियां की अन्य इण्डस्ट्रियों से कहीं ज्यादा मिलता है। राजस्थान में ही नहीं भारत में, स्पेन में, इटली में, फ्रान्स में, जर्मनी में लोग अधिक से अधिक जागरूक होते जा रहे हैं और उन्होंने यह समझ लिया है कि डवलपिंग इण्डस्ट्री के रूप में पर्यटन बहुत बड़ा आय का स्रोत है। बहुत से अन्डर डवलप्ड कन्ट्रीज

(श्रीमती विद्या पाठक)

इसको महत्व देने के बाद इस इण्डस्ट्री को डवलप करने से काफी हद तक उन्नत हो सकते हैं। इतना ही नहीं निश्चित रूप से एम्पलायमेंट सोर्सेज भी इससे बढ़ सकते हैं। देश में बेरोजगारी और अर्द्ध बेरोजगारी को कम करने की दृष्टि से भी इसका महत्व है। इस टूरिस्ट विभाग को प्रापर महत्व देकर या इसकी प्रॉयोरिटी, प्राथमिकता देकर, ऊंचा स्थान देकर डवलप करते हैं तो इसके आंकड़े बताते हैं कि आय प्रदेश स्तर पर हुई उसके साथ ही 50 पर्सेंट एम्पलायमेंट बढ़ा है। किसी भी क्षेत्र में देखा जा सकता है—शिक्षितों, अशिक्षितों, स्किल्ड लेबर और अन-स्किल्ड लेबर, लोकल मेन्यूफेक्चरर्स के लिए यह इण्डस्ट्री एम्पलायमेंट के साधन पैदा करती है। बहुमूल्य से बहुमूल्य वस्तुओं के बेचने वाले से लेकर पालिश करने वाले तक, धोबी, रंगाई-छपाई करने वाले, तकनीकी काम करने वाले व्यक्ति, इंजीनियर्स, व्यापारी, कपड़ा बुनने वाले और बेचने वाले, नक्काशी करने वाले, हाथी दांत के खिलौने बनाने वाले, तराशने वाले, ज्वैलरी बनाने वाले, कहने का मतलब है, इस इण्डस्ट्री के थ्रू स्किल्ड लेबर और अन-स्किल्ड लेबर फॉरिन एक्सचेन्ज पैदा करते हैं और बैटर कन्डीशन में आ जाते हैं। इस हिसाब से अगर हम इस इण्डस्ट्री की तरफ देखते हैं तो यह स्वयं में बहुत महत्वपूर्ण स्थान बना लेती है। विशेषकर हमारे राजस्थान में एक हाथी पालक को लीजिये। कहते हैं हाथी रखना बहुत ही महंगा पड़ता है और हर किसी के वश की बात नहीं है कि वह हाथी रख सकें। पर राजस्थान में इस तरह के 35 हाथी हैं और हाथी वाले हैं जो रोज के कार्यक्रम के साथ अपनी अच्छी खासी अर्निंग कर लेते हैं और उन हाथियों के द्वारा ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं। उस अर्निंग से ही हाथियों को मेन्टेन कर सकते हैं वरना हाथियों की लक्जरी को कौन पाल सकता है। पर इस टूरिस्ट विभाग में यह एक सोर्स ऑफ इन्कम बना हुआ है और इसका महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य में बहुत से रिसोर्सेज हैं और जो अन्य प्रॉयोरिटीज हैं अगर उनमें इस इण्डस्ट्री को रखते हैं तो सरकार को अपने अन्य विकास के कार्यक्रमों के लिये इस मद से काफी पैसा मिल सकता है। अन्य विकास के कार्यक्रमों में इस विभाग का अच्छा सहयोग प्राप्त हो सकता है। चार विभाग में इसका बजट थोड़ा है और यह निश्चित रूप से इस चीज का प्रतिफल है कि इसके महत्व को समझा नहीं है। बजट के आंकड़े बतायेंगे कि पर्यटन के विकास का कितना काम हुआ है और कितना हाथ में लिया गया है। यह शुभ लक्षण है कि लोगों की आकांक्षायें जाग रही हैं और दिन प्रतिदिन जागरूक हो रहे हैं। इसलिये अब हम इसके सुन्दर भविष्य की आशा कर सकते हैं।

आज के दिन स्थिति यह है कि प्लान और नोन-प्लान में कुल 73 लाख 75 हजार रुपयों का प्रावधान है। इसकी स्थापना राजस्थान में 1956 में हुई। पहले प्लान में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं था। जैसे जैसे विभाग के कार्यकलापों में वृद्धि होती गई, प्रशासन का स्वरूप भी थोड़ा बहुत बढ़ता गया। जितनी वृद्धि होनी चाहिए थी उतनी वृद्धि तो नहीं हुई परन्तु कुछ वृद्धि होती गई। इस प्रकार पर्यटन विभाग 307 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है और लाखों व्यक्ति इन-डायरेक्ट रूप से इस पर्यटन उद्योग से एम्पलायमेंट पाते हैं जिनमें चाहे होटल में काम करने वाले व्यक्ति हों या इससे सम्बन्धित

(श्रीमती विद्या पाठक)

किसी उद्योग में हों, चाहे प्राइवेटली काम करते हों, चाहे हैंडीक्राफट में हों, चाहे स्किलड और अनस्किल्ड हों-हर टाइप के लोग इससे डाइरेक्टली और इन-डाइरेक्टली एम्पलायमेंट पाते हैं। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पर्यटन विभाग के लिए 2 करोड़ का प्रावधान रखा गया था जिसमें से लगभग 16 लाख रुपया कर्मचारियों को प्रति वर्ष वेतन के रूप में दिया गया जो प्लान और नान-प्लान दोनों में शामिल है।

1955 में 1,500 विदेशी पर्यटक आये और 1970 में 39,500 पर्यटक आये। 1975 में 66,207 पर्यटक आये और 1976 में इन्हीं पर्यटकों की संख्या एक लाख के आस-पास हो गई। अब हम और भी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से राजस्थान की ओर टूरिस्ट आकर्षित हो रहा है, चाहे वह डोमेस्टिक हो या विदेशी हो, उससे आशा कर सकते हैं कि इससे कहीं ज्यादा पर्यटक अगले वर्ष में आने वाले हैं। स्वदेशी पर्यटकों की संख्या भी बढ़ते बढ़ते 1976 में 13 लाख 3 हजार 633 हो गई थी। मैं सोचती हूं कि ये आंकड़े भी कम्पलीट नहीं हैं। इसका कारण यह है कि बहुत से पर्यटक ऐसे आते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं मिल पाती। हमारा जानकारी करने का मैंन सोर्स होटल्स, धर्मशालायें आदि हैं, टूरिस्ट सेंटर्स से आंकड़े प्राप्त होते हैं और रेल्वे स्टेशन से इन्फार्मेशन मिलती है। ये एक्यूरेट आंकड़े नहीं हैं। बहुत से लोग गाड़ियों से आते हैं, दूसरे वाहनों से आते हैं, सुबह आते हैं और शाम को वापस चले जाते हैं जो कहीं पर भी रजिस्टर्ड होते नहीं हैं। इसलिए एक्यूरेट आंकड़ों के आधार पर देखें तो इसका नम्बर निश्चित रूप से कहीं ज्यादा होगा। विदेशी पर्यटक जो भारत आता है उसमें 14 पर्सेंट पर्यटक निश्चित रूप से राजस्थान आता है। यहां आने वाला पर्यटक, देशी पर्यटक बीस-पच्चीस रुपये एक दिन में और विदेशी पर्यटक दो सौ से तीन सौ रुपये तक प्रतिदिन हमारे राजस्थान में खर्च करता है। इस वर्ष और भी अधिक पर्यटक एक्सपेक्ट कर सकते हैं।

विदेशी पर्यटक सन् 1975 में राजस्थान में आए उनसे 1,33,41,400) रुपये की आमदनी हुई और 1976 में यह आय बढ़ कर 1,84,55,000) रुपये हो गई। 1977 में 4 करोड़ 40 लाख की आमदनी होने की सम्भावना है।

माननीय सदस्यों ने यहां पर चिंता व्यक्त की उससे ऐसा लगता है कि पर्यटन विभाग विदेशियों के लिए तो प्रयत्न करता है, उनके आंकड़े रखता है लेकिन स्वदेशी पर्यटकों का खयाल नहीं रखता। निश्चित रूप से मैं यह बताना चाहती हूं कि स्वदेशी पर्यटक भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने की विदेशी पर्यटक। स्वदेशी पर्यटक सन् 1975 में जो राजस्थान में आए उनसे 2 करोड़ 23 लाख 53 हजार 260 रुपयों की आमदनी हुई वहां 1976 में 2 करोड़ 60 लाख 72 हजार 660 रुपयों की इन्कम हुई। अगर हम फैसेलिटी ज्यादा देते हैं तो इससे कहीं ज्यादा इन्कम बढ़ने की आशा है। राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान की अभी पिछले महीने दिल्ली में बैठक हुई थी, मैं भी उसमें भाग लेने के लिए गई थी, वहां मेरी केन्द्रीय पर्यटन मंत्री से बात हुई थी। यू. एन. ओ. की इस तरह की स्कीम चल रही है कि पर्यटन संस्थान का आफिस दिल्ली में खोला जाय जो इसकी साइंटिफिक स्टडी करे और स्टडी करके

(श्रीमती विद्या पाठक)

साइंटिफिक आधार पर एक्सपर्ट ओपिनियन फार्मूलेट करें। इसके लिए मैंने केन्द्रीय मंत्री महोदय को यह सुझाव दिया है और आग्रह किया कि हमारा राजस्थान पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा पोटेंशियल रखता है टूरिज्म में। हम इसके लिए यथासम्भव हर प्रकार की मदद करेंगे, लैंड देंगे और जो भी काम होगा, वह करेंगे, जहां तक बन पड़ेगा मदद करने की कोशिश करेंगे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि यह संस्थान हमारे राजस्थान में खोला जाय। इसी प्रकार से जोधपुर को हवाई सेवा से जोड़ने के बारे में भी बात की है कि दिल्ली-जोधपुर और दिल्ली-बीकानेर को जोड़ा जाय। यह बात भी हुई है कि बीकानेर से डेजर्ट एरिया जैसलमेर तक होपर सर्विस से जोड़ा जाय। ऐसी आशा करते हैं कि केन्द्र की तरफ से हमको इस बारे में प्रोत्साहन मिल सकेगा।

इसके अतिरिक्त टूरिस्ट्स की हैल्प के लिए ट्रेवल एजेंसीज राजस्थान में काम करती हैं जिनमें पांच ट्रेवल एजेंसीज प्रमुख हैं, राजस्थान टूअर्स, आमेर टूअर, टूरिस्ट गाइड सर्विस, मयूर ट्रेवल्स और भारतीय पर्यटन विकास निगम। इसके अतिरिक्त राजस्थान गाइड सर्विस, हाथी मालिक एसोसियेशन भी पर्यटन के विकास के लिए प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। भारतीय पर्यटन विकास निगम, पर्यटन विभाग, राजस्थान और ट्रेवल राजस्थान आदि अन्य संस्थाएं दर्शनीय स्थानों के भ्रमण के लिए टूअर्स आयोजित करते हैं। यदि कोई हाथी की सवारी करके आमेर के महल देखना चाहे तो ट्रेवल एजेंसीज फैसेलिटी प्रोवाइड करती है।

अभी कुछ समय पहले सेंट्रल सर्वे स्टडी टीम राजस्थान में आई थी जिसमें एक्सपर्ट्स थे। उन्होंने अपनी कुछ राय दी हैं उसके आधार पर हमने केन्द्र को मास्टर प्लान भिजवाने में सहायता प्राप्त की है। इस मास्टर प्लान में जो राजस्थान की बेसिक आवश्यकतायें हैं उनको इन्क्लूड करने का प्रयास किया है। प्रायोरिटीज क्या हों और नई सरकार किन बातों को महत्व देती है उनको शामिल किया गया है।

इसके अतिरिक्त टूरिस्ट बंगलोज जो हैं वह 11 हैं, पर्यटक विश्राम गृह के नाम से जो जाने जाते हैं जिनमें कुल पलंगों की संख्या 740 है। वहां पर पर्यटकों को कम दरों पर अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। कोटा में विश्राम गृह अक्टूबर, 1977 तक पूरा होने की संभावना है। सवाई माधोपुर, बीकानेर, रणकपुर, रिखबदेव में हम विश्राम गृह और टूरिस्ट बंगलोज नए शुरू करने जा रहे हैं। इसी तरह से राष्ट्रीय मार्गों पर पर्यटकों को बहरोड़ एवं महुवा में रेस्ट हाउस प्रारम्भ करके सुविधायें इस वर्ष दी गई हैं। इस तरह से जयपुर-अजमेर के बीच में और अहमदाबाद-उदयपुर के बीच में फैसेलिटी देने की योजना है। इस तरह की फैसेलिटी इस प्लान में हम दे रहे हैं। जैसा अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि मिड वे फैसेलिटी हों, कुछ विश्राम गृहों में विश्राम करने की फैसेलिटी हों, उन्होंने यह भी कहा है कि वहां पर बैड्स नहीं है, अगर कोई रास्ते में थोड़ी देर आराम करना चाहे तो कोई साधन नहीं है, परन्तु मैं माननीय सदस्यों की सूचना के लिए बताना चाहती हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि हम पर्याप्त संख्या में यह फैसेलिटी नहीं दे पाये लेकिन हरएक विश्राम गृह के साथ एक-दो बैड रूम होते हैं और वहां

(श्रीमती विद्या पाठक)

पर अगर कोई चाहे तो विश्राम की फंसेलिटी देते हैं। आगे और ज्यादा फेसेलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इस तरह के 17 मिड वे विश्राम स्थल हैं जिनको हम जल्दी से जल्दी चालू करना चाहते हैं।

इसके अतिरिक्त पर्यटक सूचना केन्द्र का जहां तक सवाल है माननीय सदस्यों ने यह आशंका व्यक्त की थी और कहा था कि सम्भवत: उनकी कांस्टीट्यूएंसी में बहुत पोटेंशियल है टूरिज्म का लेकिन उसकी लोगों को सूचना नहीं मिल पाती है। इसलिए देश और विदेश में उनका प्रचार होना चाहिए। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह बताना चाहती हूं कि हम लोगों ने सारे राजस्थान में ही नहीं, बाहर भी कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, अहमदाबाद में हमारे पर्यटन विभाग के सूचना केन्द्र खोले हुए हैं। और इनके द्वारा हम निश्चित रूप से राजस्थान के कल्चर, यहां की संस्कृति, यहां के दर्शनीय स्थलों के बारे में प्रचार-प्रसार करते हैं। इसके अतिरिक्त यहां पर जयपुर में रेल्वे स्टेशन और बस स्टेशन पर सूचना केन्द्र हैं जहां से सूचना प्राप्त हो सकती है।

इसी तरह से दर्शनीय वाहनों के बारे में कहा गया। यद्यपि हमारे पास इनकी कमी है। माननीय भाटीजी ने चिन्ता व्यक्त की थी कि जैसलमेर की टूअर के लिए, कण्डक्टेड साइट सीन टूअर के लिए डीलक्स कोच प्रोवाइड की जावे। इस तरह की व्यवस्था राजधानी में तो पहले ही है, अन्य स्थानों पर भी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से बर्ड सेंचुअरी और एनीमल सेंचुअरी हैं वहां पर वाहन वगैरह की सुविधा नहीं है। यद्यपि उनकी संख्या पर्याप्त नहीं है फिर भी हैं और हम अधिक वाहन प्राप्त करने में प्रयत्नशील हैं।

इसके अतिरिक्त जहां तक प्रचार-प्रसार का सवाल है, मैं कहना चाहूंगी कि कुछ तो फिल्म्स बन रही हैं जो राजस्थान के कल्चर, ट्रेडीशन्स के बारे में जानकारी देंगी। इसके अतिरिक्त एक मासिक पत्रिका "पर्यटन" भी निकलती है। कुछ पुस्तिकाएं, फोल्डर्स हैं और इसी तरह से कुछ नक्शे हैं जिनको हम प्रकाशित कर रहे हैं। इसी तरह से हम बाहर से ट्रेवल एजेंट्स, लेखक, फोटोग्राफर्स, टी. वी. टीम्स को इनवाइट करते रहते हैं जो बाहर जाकर बहुत कम दामों में राजस्थान का प्रचार कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त कुछ मेले भी यह विभाग आयोजित करता है। पुष्कर का ऐतिहासिक मेला, जयपुर के तीज और गणगौर के मेले हैं इनमें विदेशी पर्यटकों को इनवाइट करते हैं। इसी तरह से रामदेवरा का मेला भी शामिल करने का प्रस्ताव है। इस तरह से और भी ज्यों-ज्यों प्रस्ताव सामने आते रहेंगे हम उनको शामिल करने का प्रयास करेंगे।

इसके अतिरिक्त एक विशेष फीचर इस विभाग का होने वाला है। जयपुर नगर की स्थापना 18 नवम्बर, 1727 को हुई थी। 18 नवम्बर, 1977 को इसकी स्थापना हुए 250 वर्ष पूरे हो जाने के अवसर पर जयपुर अढ़ाई शती समारोह बनाने का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए दो समितियों का गठन किया गया है। इसमें जितने आयोजन होंगे वे पब्लिक कोआपरेशन से ही होंगे, अलग-अलग

(श्रीमती विद्या पाठक)

एजेंसीज और अलग-अलग एसोसियेशन्स के सहयोग से होंगे, निश्चित रूप से इन्हें जनता ही मनायेगी और टूरिज्म विभाग का कण्ट्रीब्यूशन केवल कोआर्डिनेशन का रहेगा। इसके अलावा जो विशेष आयोजन करने जा रहे हैं वह है ज्योतिष और टाउन प्लानिंग का, जो जयपुर की विशेषताएं हैं। इसमें हम लोग पासीबली इन्टरनेशनल कान्फ्रेन्स आयोजित करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि यह संभव नहीं हुआ तो नेशनल कान्फ्रेन्स तो जरूर ही आयोजित करेंगे। 250 वर्ष जयपुर के पूरे हो जाने के अवसर पर जयपुर पर एक फिल्म बनाने का विचार है।

पर्यटन विभाग को एक दिक्कत, कठिनाई जरूर हो रही है। सब से बड़ी कठिनाई तो यह है, जैसा माननीय सदस्य, मथुरादासजी माथुर ने कहा कि इस डिपार्टमेन्ट को कोआर्डिनेशन की आवश्यकता है। इसके सन्दर्भ में मैं यह कहना चाहती हूं कि विशेष तौर से राज्य के मुख्य सचिव इस विभाग के निदेशक हैं, इससे दूसरे डिपार्टमेन्ट से कोआर्डिनेशन में कोई दिक्कत नहीं आती है। दूसरे विभागों से सहयोग नहीं मिलता है तो कठिनाई होती है। पुरातत्व विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, म्युनिसिपैलिटीज इन सब से कोआर्डिनेशन करना पड़ता है। एक विशेष कठिनाई यह आती है कि जयपुर के आस-पास का वातावरण जितना स्वच्छ होना चाहिए उतना नहीं होता है। जहां तक नगरपालिका का सम्बन्ध है, अन्य विभागों का सम्बन्ध है, जन प्रतिनिधियों का सवाल है, उनसे मैं यह आग्रह करूंगी कि जहां तक संभव हो, उनका महत्वपूर्ण रोल हो। वे वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए जनता को प्रोत्साहित करें। कई लोग फॉरिन टूरिस्ट का हैरेसमेन्ट करते हैं। उनको छेड़ते हैं। यह जानकारी जैसे ही प्राप्त हो, संबंधित विभागों से सहयोग लेकर इस विभाग की सहायता करें।

जब टूरिस्ट, चाहे विदेशी हो, चाहे देशी, आमेर की तरफ से आता है तो कुछ कल्पनाएं लेकर इस शहर की ओर आता है। लेकिन जल महल के पास आते ही सड़े हुए पानी की बदबू उसका स्वागत करती है। यदि वह आगरा की तरफ से प्रवेश करता है तो घाट की टूटी हुई सड़कें उसका स्वागत करती हैं। जब वह गेटोर की छतरियां देखने जाता है तो वहां आवारा पशु देख कर उसका उत्साह समाप्त सा हो जाता है। संबंधित विभागों से मेरा यह आग्रह रहा है कि वे इस सम्बन्ध में विशेष ध्यान रखें। नगरपालिका एवं अन्य स्वायत्त संस्थाएं इस ओर ध्यान दें। जब किसी विभाग की इस सम्बन्ध में सहायता मांगते हैं तो वे एस्टीमेट बना कर यह अल्टीमेटम दे देते हैं कि आपका विभाग इतना पैसा खर्च कर सकता है तो हम यह काम कर सकते हैं। मेरा मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीगणों से यह आग्रह है कि वे इस सम्बन्ध में अपने विभागों को निर्देश दें।

इसके अतिरिक्त, उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय पर्यटकों की प्राथमिकता हमारी नई सरकार नये रूप से निर्धारित करने जा रही है। यूथ होस्टल का जिस तरह का एक्सपीरियेंस है उसको देखते हुए एक नये ट्रेडीशन, नए सिद्धान्त के रूप में हम जनता होटल, यूथ होस्टल को बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे टूरिस्ट हमारे यहां पर

(श्रीमती विद्या पाठक)
सस्ती प्रकोमोडेशन में रह कर राजस्थान को देख सकें।

इसके प्रतिरिक्त पिछली सरकार की कुछ बातें भी मैं आपको बताना चाहूंगी। इस विभाग की ओर जितना ध्यान देना चाहिए था, वह नहीं दिया गया। विशेष रूप से मैं यह कहना चाहती हूं कि जो पीरामल होटल है, उसमें आज स्टेट इन्श्योरेन्स डिपार्टमेन्ट है। यह डिपार्टमेन्ट और कहीं हो सकता है। पीरामल होटल में टूरिज्म के लिए बड़ा स्कोप है। यह निश्चित रूप से टूरिस्ट विभाग के पास आना चाहिए। इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, जो एडवर्ड मेमोरियल है, इसमें आज पुलिस विभाग है। यह जयपुर शैली की महत्वपूर्ण बिल्डिंग है। यह बिल्डिंग भी टूरिस्ट विभाग के पास आ जाती है तो इसकी इम्पार्टेन्स बहुत ज्यादा हो जाएगी, पुलिस विभाग किसी अन्य बिल्डिंग में भी हो सकता है। इस के अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहती हूं कि पुराने जागीरदारों की जो बिल्डिंग्स है, वे भी यदि इस विभाग को मिल जाती हैं तो उनका महत्व और ज्यादा हो जाएगा। हम इससे कुछ और अधिक रिटर्न दे सकेंगे। जहां हम जनता होटल की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से बजट और इकोनोमी को भी देखना पड़ेगा। यहां की जनता की जो डेफिसिट इकोनोमी है, उसको देखते हुए यह आवश्यक है कि हमारे यहां के पर्यटकों को भी सस्ती दर पर आवास सुविधाएं प्राप्त हों। इसलिए यह आवश्यक है कि ये बिल्डिंग्स हमें मिल जाएं तो हम टूरिस्ट होटल इनमें चला सकते हैं। जो असेन्शियल बातें हैं उनकी तरफ अब तक ध्यान नहीं दिया गया है। जहां से रिटर्न अधिक मिल सके, उसकी तरफ भी हमें ध्यान देना है।

इसमें अभी तक यह खामी रही है, पहले जहां विभाग के लिए व्यक्ति हुआ करता था, वहां व्यक्ति विभाग के लिए नियुक्त किए गए। इससे नुकसान हुआ। इस नाते इसको जो प्रापर इम्पार्टेन्स मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिली। मैं यह निश्चित रूप से कह सकती हूं कि जितना पैसा इस पर अब तक खर्च किया गया, उतना रिटर्न अभी मिलना शुरू नहीं हुआ। परन्तु अब जितना पैसा रखेंगे उससे रिटर्न जरूर आएगा। मैं यह विश्वास के साथ सदन को निवेदन कर सकती हूं कि मुझे कुछ भी सहयोग मिला तो मेरे कार्यकाल में इसको रिटर्न मिलेगा।

एक माननीय सदस्य : धन्यवाद।

श्रीमती विद्या पाठक : जो विभाग की ओर से सड़क बनाने का काम है, जो मसूरिया,-सज्जनगढ़ की सड़क बनी हुई है, वह विभाग की धनराशि से बनाई गई है। जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि जो मसूरिया रोड बनी है, वह कम्पलीट इस विभाग के पैसे से बनी है। इससे अधिक पैसे देने की विभाग क्षमता नहीं रखता है। इस सम्बन्ध में वे कृपया अन्य विभागों करस्पोन्डेन्स करें।

जहां तक आगे आने वाली नीतियां हैं हमारी प्रायोरिटीज हैं उनके अन्तर्गत हम विदेशी पर्यटकों को प्रायोरिटीज देंगे। फाइव स्टार होटल्स भी होंगे। यह विभाग कुछ संस्थाओं को इम्पोर्टेड कार लेने की सुविधा देना चाहता है। कुछ एसे परेटक

(श्रीमती विद्या पाठक)

भी आते हैं जो हाई क्लास होते हैं। वे ज्यादा पे कर सकते हैं। तो उनसे एक्सचेन्ज का बेनिफिट क्यों नहीं हम उठावें। इम्पोर्टेड कार उन्हें दे सकते हैं। हम इसको एक्सप्लाइट क्यों न करें। हम विदेशी पर्यटकों को सुविधाएं प्रायोरिटीज पर देंगे।

मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वस्त कर देना चाहती हूं कि जो सुविधाएं हम विदेशी पर्यटकों को देंगे, वही लोअर क्लास विदेशी पर्यटकों को भी देंगे। उनको भी वही बेनिफिट मिलेगा। निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि आने-जाने के साधनों की पर्याप्त सुविधाएं दी जानी चाहिए।

हमारे यहां पर कई उच्च वर्ग धर्मशालाओं पर पैसा खर्च करते हैं। यात्रियों की सुविधाओं के लिए वे धर्मशालाएं बनाते हैं। मेरा यह निवेदन है कि जो बड़े लोग हैं वे यहां पर धर्मशालाएं बनवा दें, नामीनल रेट पर वे हम को दे दें। विभाग उनको चलाएगा। इससे बहुत कम पैसे में टूरिस्टों को हम सुविधाएं दे सकेंगे।

जहां तक प्रायोरिटी का सवाल है, जो प्राकृतिक सौंदर्य के स्थान हैं, उनका ध्यान रखा जाता है। राजस्थान में हमारे पास ट्रेण्ड गाइड्स नहीं हैं। उसके लिए डिप्लोमा कोर्स चल रहा है। इससे जो कलात्मक वस्तुएं हैं उनको और अच्छा बनाने का प्रयास किया जाएगा।

जो कट-मोशन्स आये, उनके जवाब दे दिये हैं।

एक माननीय सदस्य : मजदूरों के बारे में कुछ नहीं बतलाया है।

श्री नवनीत पालीवाल : मैंने एक कट-मोशन दिया था।

(व्यवधान)

मेरा यह निवेदन है कि पिछली सरकार ने हल्दी घाटी के बारे में श्रीमती इन्दिरा गान्धी ....

(व्यवधान)

उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इसी प्रकार से नाथद्वारा के बारे में ....

श्रीमती विद्या पाठक : आपका जो सवाल है, उसके बारे में निश्चित रूप से जो बजट में प्रावधान होगा, उसके अनुसार प्रयास किया जाएगा।

श्री सम्पतराम : आपने जवाब तो दिया था वहां के बारे में।

श्रीमती विद्या पाठक : आपका कटौती प्रस्ताव हल्दी घाटी के सम्बन्ध में है।

श्री नवनीत पालीवाल : हल्दी घाटी और नाथद्वारा से सम्बन्धित है।

श्रीमती विद्या पाठक : नाथद्वारा में विदेशी पर्यटकों को मन्दिर के अन्दर जाने ही नहीं दिया जाता है। वहां पर्यटक जाता ही नहीं है। जहां तक अन्य बातों का सम्बन्ध है, वह पी. डब्ल्यू. डी. से सम्बन्धित है। हल्दी घाटी और नाथद्वारा के बारे में अभी हमें पूरी जानकारी नहीं है, वह हम करेंगे।

श्री नवनीत पालीवाल : हल्दी घाटी के बारे में.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप समाप्त करें ।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : जिनके कट-मोशन्स हैं, वही पूछ सकते हैं ।

श्री अब्दुल अजीज : मकराना के बारे में कुछ नहीं कहा गया है ।

श्रीमती विद्या पाठक : मकराना ऐसी जगह है ....

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : मकराना में माननीय सदस्य के अलावा वहां और कुछ नहीं है ।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मांगों को पारित करें ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 45 सिचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,19,57,59,000 रु. तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 46 पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 46,78,000 रु. तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 23 सितम्बर, 1977 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि के 10.19 बजे, शुक्रवार, दिनांक 23 सितम्बर, 1977 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गयी ।)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या 339 की सूची)

LIST OF PERSONS AGAINST WHOM ACTION UNDER GUNDA ACT TAKEN, DISTRICT JODHPUR

S.No.	Name, parentage and address	From which P.S.	Date of sending case to D.M.
1	2	3	4
1.	Sh. Baboora @ Babu Singh s/o Jairam Singh Rajput, 11th D Road, Sardarpura, Jodhpur.	P. S., Sardarpura	8-2-77
2.	Devisingh s/o Jayant Singh Rajput r/o Loco Running Shed, Jodhpur.	-do-	-do-
3.	Bhanwar Singh s/o Jugraj Singh Purohit r/o Tinwari, P. S., Mathania.	P. S., Mathania	-do-
4.	Jawarilal s/o Champalal Nai r/o Tinwari, P. S. Mathania.	-do-	-do-
5.	Bhabhootaram s/o Bhormaram Bishnoi r/o at present Banganga, P. S., Bilara.	P. S., Bilara	11-3-77
6.	Baniya @ Banney Singh s/o Bhoordan Charan r/o at present Haryadhana, P. S. Bilara.	-do-	-do-
7.	Laxminarayan s/o Jawanaram Jat r/o Ship House, Jodhpur.	P. S., Mahamandir	-do-
8.	Shivjiram s/o Kishori Lal Nai r/o Dangiawas.	P. S., Dangiawas	-do-
9.	Shivlal s/o Kojaram Bishnoi r/o Luni	P. S., Luni.	-do-
10.	Sabir s/o Bashir Khan Musalman r/o Udaimandir.	P. S., Udaimandir	-do-
11.	Shivkaran s/o Dhana Sansi r/o Naya gaon, Distt. Pali at present Asop.	P. S., Bhopalgarh	30-3-77
12.	Harira Ram s/o Tejaram Bishnoi r/o Nandia Probhawati.	-do-	-do-

1	2	3	4
13.	Bhika Ram s/o Ghamandaram Mali r/o Pipar City.	P. S., Pipar City	30-3-77
14.	Gera Ram s/o Amra Ram Jat r/o Chandi Chautina, P. S. Bhojasar.	P. S., Bhojasar	-do-
15.	Budh Karan @ Budhan s/o Senidan r/o Mathania.	P. S., Mathania	-do-
16.	Murlidhar s/o Jasraj Sunar r/o Singhpol, Jodhpur.	P. S., Sadar Kotwali.	19-7-77
17.	Om Prakash s/o Sirkishan Nai r/o Udaimandir Asan, Jodhpur.	P. S., Mahamandir	-do-
18.	Mahesh @ Mahcashia s/o Tarachand Brahmin r/o Gulabsagar, Jodhpur	P. S., Udaimandir	31-8-77

परिशिष्ट–2

(तारांकित प्रश्न संख्या 344 की सूची)

(सूची–क)

	सड़क का नाम	स्वीकृति का मद	प्रशासनिक स्वीकृति राशि	ठेके की राशि	कम की गई राशि 31-8-77 तक	स्वीकृत राशि व्यय न होने का कारण .
1.	कालबाड से मूण्डोता	(अ) अकाल राहत कार्य	1.50 लाख	विभागीय तौर पर	0.83 लाख	अकाल राहत कार्य बन्द हो जाने के कारण कार्य बन्द कर दिया गया ।
		(आ) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	2.53 लाख	1, 85, 818.00	0.85 लाख	कार्य प्रगति पर है ।
2.	आंटवाड़ा से निवारू	ग्रामीण रोजगार योजना	1.34 लाख	विभागीय तौर पर	1.34 लाख	योजना बन्द होने पर कार्य बन्द करना पड़ा ।
3.	नीदड़ से जयरामपुरा	अकाल राहत कार्य	3.50 लाख	विभागीय तौर पर	1.54 लाख	अकाल राहत कार्य बन्द हो जाने के कारण ।
4.	राजास से नागछ पुरोहित	इस सड़क की कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गई ।	..	..	..	..
5.	रामपुरा डाबड़ी से टोडी	अकाल राहत कार्य	3.00 लाख	विभागीय तौर पर	0.60 लाख	अकाल राहत कार्य बन्द हो जाने के कारण ।

परिशिष्ट—3

(तारांकित प्रश्न संख्या 23 की सूची)

तारांकित प्रश्न संख्या 34/भेंट सं. के भाग (1) से संबंधित सूचना

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	पद	निलम्बित किये जाने का दिनांक	निलम्बित-पत्र दिये जाने का दिनांक	निलम्बित किये जाने का कारण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री भगवानसिंह	अध्यापक	31-7-63	10609-14 31-7-63 (डिस्पैच पंजिका के अनुसार)	स्थानान्तरण के कारण पत्रावली शिक्षा विभाग, झुन्झुनू को भेजी जा चुकी है। अतः कारण देना संभव नहीं है।	..
2.	श्री शिवकुमार	अध्यापक	26-8-66	2619-23 26-8-66	स्थानान्तरण आदेशों की अवहेलना करना।	..
3.	श्री कन्हैयालाल	अध्यापक	29-12-66	6494-97 29-12-66	दूध की चोरी करने बाबत।	पुलिस केस होने पर
4.	श्री रघुनाथ प्रसाद	अध्यापक	29-12-66	6503 29-12-66	दूध की चोरी करने बाबत।	पुलिस केस होने पर
5.	श्री दयानन्द शर्मा	कनिष्ठ लिपिक	30-12-66	6531 30-12-66	बीज की फाइल गायब करना।	पुलिस केस होने पर

6.	श्री गिरधारीलाल	अध्यापक	7–5–66	387 7–5–66	स्थानान्तरण आदेशों की अवहेलना करने पर ।	..
7.	श्री बनवारीलाल	अध्यापक	28-10-68	6052-57 28-10-68	टी. सी. बुक में गड़बड़ी एवं व्यवहारिकता का न होना ।	..
8.	श्री किशन लाल	अध्यापक	13–2–70	13–2–70	पुलिस केस बकरी के साथ बलात्कार करने पर ।	पुलिस केस होने पर
9.	श्री उमेदसिंह	अध्यापक	5–10–68	5563 5–10–68	दि. 9–9–68 से 28–9–68 तक शाला से अनुपस्थित रहने के कारण ।	..
10.	श्री अर्जुन लाल वर्मा	ग्रामसेवक	22–4–71	2040–43 22–4–71	निलम्बन आदेश सं. 2040–43, दि. 22-4-71 में यही अंकित है कि ग्रामसेवक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन है ।	..
11.	श्री गोपी कृष्ण	अध्यापक	31–8–74	2217–19	ड्यूटी से अनुपस्थित रहना, कार्यालय के पत्रों का जवाब समय पर न देना व सन्देहजनक रोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना ।	..
12.	श्री बंशीधर मीना	अध्यापक	28–1–75	248–55 28–1–75	पुलिस केस चोरी का होने बाबत ।	पुलिस केस होने पर
13.	श्री सुल्तानसिंह	अध्यापक	25–9–75	2918–21 25–9–75	शाला से अनुपस्थित रहने के कारण ।	..
14.	श्री रिछपालसिंह	अध्यापक	2–9–75	2047–51 2–9–75	सरकारी रिकार्ड में गड़बड़ी कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही व पढ़ाई का स्तर निम्न पाया जाना ।	..
15.	श्री प्रतापसिंह चक्रवर्ती	अध्यापक	2–9–75	2052-55 2–9–75	शाला से अनुपस्थित रहने, कार्यालय में गलत कागज प्रस्तुत करने व कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही ।	..

1	2	3	4	5	6	7
16.	श्री ओमप्रकाश गजराज	अध्यापक	25-9-75	2922-25 25-9-75	(1) शाला से लम्बे समय तक अनुपस्थित रहना। (2) पढ़ाई का स्तर निम्न पाया जाना। (3) कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही। (4) कार्यालय द्वारा मांगा गया जवाब न देना। (5) कार्यालय की बिना स्वीकृति के बी. एड. प्रशिक्षण में जाना।	..
17.	श्री प्रतापसिंह आर्य	अध्यापक	10-2-76	स्पे० 2 10-2-76	(1) पढ़ाई का स्तर निम्न पाया जाना। (2) शैक्षणिक कार्य असन्तोषजनक होने बाबत।	..
18.	श्री ब्रह्मदत्त यादव	अध्यापक	10-2-76	स्पे० 1 10-2-76	शाला से अनुपस्थित रहने के कारण।	..
19.	श्री किशोरीलाल भार्गव	वरिष्ठ लिपिक	25-9-75	2931-33 25-9-75	कर्त्तव्य के प्रति विमुख रहने के कारण व शिकायत।	..
20.	श्री छैलूराम यादव	अध्यापक	19-8-75	स्पे० 1-5 19-8-75	ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण।	..
21.	श्री दुलीचन्द कुलहरी	अध्यापक	29-7-76	3476-79 29-7-76	(1) शाला में अनुपस्थित रहना। (2) सरकारी धन का दुरुपयोग करने बाबत।	..
22.	श्री रामकुमारसिंह	अध्यापक	2-8-76	2-8-76	(1) कार्यालय आदेश की अवहेलना। (2) कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही। (3) पढ़ाई का स्तर निम्न पाया जाना। (4) राष्ट्रीय योजनाओं की सरे आम आलोचना करना।	..
23.	श्री रामनिवास	ग्रामसेवक	20-10-75	3547-49 20-10-75	(1) अनुपस्थित रहने के कारण। (2) आवासीय भू-खण्ड आवंटन अभियान में सहयोग न देना।	..
24.	होशियारसिंह	अध्यापक	5-10-76	5138-40 5-10-76	(1) कर्त्तव्य के प्रति शिथिलता वरतने। (2) परिवार नियोजन कैम्प से अनुपस्थित रहना।	..

परिशिष्ट--4

(तारांकित प्रश्न संख्या 45 की सूची)

गबन एवं दुरुपयोग की सूची

वर्ष	राशि
62-63	53.52
63-64	16.56
64-65	3,659.90
65-66	9,995.39
67-68	5,387.49
योग ..	19,112.86

Page No.218

परिशिष्ट-5

(तारांकित प्रश्न संख्या 342 की सूची)

वर्ष 74 से भंडार के लाभ की स्थिति

	वर्ष	राशि
1.	1973-74	3,248.72
2.	1974-75	1,675.60
3.	1975-76	317.45

सूची कार्यकारिणी समिति

1.	रिक्त स्थान	अध्यक्ष
2.	श्री राधा रमण	उपाध्यक्ष
3.	श्री माधोसिंह कछवाह	मंत्री
4.	श्री रमजान खां	सदस्य
5.	श्री भांगी लाल गोयल	,,
6.	श्री भगवान दास	,,
7.	डूंगरराम सुथार	,,
8.	श्री राम प्रताप स्नेही	,,
9.	श्री उदयसिंह	,,

परिशिष्ट-6

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

सिरोही जिले में फोरेस्ट गार्डों की नियुक्ति

351. श्री **अलवाराम मीणा** (पिण्डवाड़ा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जिला सिरोही में एक महीने में दो-तीन बार फोरेस्ट गार्डों के इन्टरव्यू लेने का क्या कारण है ? इसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

जिला सिरोही में तीन बार फोरेस्ट गार्डों के इन्टरव्यू रखने का कारण सामान्य प्रशासन विभाग से विभिन्न समयों पर अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त होना है । इसमें 3 अनुसूचित जाति व 1 अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों की नियुक्ति की गई जिसकी सूची संलग्न है ।

सूची

क्र.सं.	नाम	नियुक्ति का दिनांक	अनु. जाति/जन-जाति	विशेष विवरण
1.	श्री अचला राम पुत्र श्री हुकमा राम मेघवाल	9-7-77	अनुसूचित जाति	असुरक्षित स्थान के विरुद्ध
2.	श्री रूपा राम पुत्र श्री सदी राम मेघवाल	16-7-77	,,	असुरक्षित स्थान के विरुद्ध
3.	श्री बाबू लाल पुत्र श्री तेजा राम	16-7-77	,,	सुरक्षित स्थान के विरुद्ध
4.	श्री मीठा लाल पुत्र श्री नाना राम मीन	23-7-77	अनुसूचित जन-जाति	

नोटीफाइड एरिया एकमेटी, सवाई माधोपुर द्वारा सड़क बनाने का ठेका

352. श्री **चुन्नीलाल** (खण्डार) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नोटिफाइड एरिया कमेटी, सवाई माधोपुर के बाल मंदिर कालोनी, इन्दिरा कालोनी आदि नई कालोनियों में नई सड़कें बनाने के लिए किस व्यक्ति को ठेका दिया था ?

(2) उक्त सड़कों का निर्माण अभी तक किन-किन कारणों से अधूरा पड़ा है एवं कब तक पूर्ण होने की सम्भावना है ?

उत्तर

(1) नोटिफाइड एरिया, मानटाउन सवाई माधोपुर में बाल मंदिर कोलोनी में सड़कें बनाने का ठेका श्री लल्लू प्रसाद सिसोदिया व श्री लल्लू खां ठेकेदार को पार्टनरशिप में दिया गया था ।

(2) इन दोनों ठेकेदारों ने अपने आपसी सम्बन्ध ठीक नहीं होने के कारण निर्माण कार्य छोड़ दिया । इस पर नगरपालिका ने इनको नोटिस देकर हटा दिया एवं अब पुनः टेंडर आमंत्रित कर लिए गए हैं परन्तु अधिक वर्षा के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है । शीघ्र ही चालू किया जा रहा है ।

बिक्री कर की बकाया राशि

353. श्री **वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में बिक्री कर की कितनी राशि विभिन्न जिलों में बकाया है तथा यह राशि कितने वर्षों से बकाया चली आ रही है ? जिलेवार सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) उक्त राशि अब तक बकाया चली आने के क्या कारण रहे हैं ?

(3) राज्य सरकार उक्त बकाया राशि वसूली के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) जिलेवार बकाया राशि का विवरण दिनांक 1-4-77 तक का तालिका "ए" में दिया गया है । जो सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) राशि बकाया रहने के मुख्य कारण ये हैं:—

1. राशि किश्तों में जमा करने की अनुमति देने से,

2. वसूली के विरुद्ध स्थगन आदेश जारी होने से,

3. व्यापारी की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाने से या उनके दिवालिया हो जाने या लापता हो जाने से, इत्यादि ।

(3) उक्त बकाया राशियों की वसूली शीघ्र करने हेतु हर सम्भव कानूनी प्रयास किये जा रहे हैं । इसमें प्रगति भी हुई है ।

बिक्री कर के अन्तर्गत जिलेवार दिनांक 1-4-77 को बकाया राशि का विवरण

तालिका (ए) (हजारों में)

क्र. सं.	जिले का नाम	दिनांक 1-4-77 को बकाया राशि	एक वर्ष से कम पुरानी बकाया	एक वर्ष पुरानी बकाया	दो वर्ष पुरानी	तीन वर्ष पुरानी	तीन वर्ष से अधिक पुरानी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(1)	अजमेर	2762	648	161	113	82	1758	
(2)	अलवर	1146	227	262	129	53	475	
(3)	भरतपुर	5359	1254	668	429	273	2735	
(4)	जयपुर	21798	5431	3502	2216	625	10024	
(5)	सीकर	346	50	43	18	11	224	
(6)	झुन्झुनू	299	20	80	22	25	152	
(7)	बीकानेर	585	58	113	75	132	207	
(8)	चूरू	410	181	127	13	33	56	
(9)	गंगानगर	1738	720	202	328	19	469	

Page No.221

परिशिष्ट – 22 सितम्बर, 1977 – परिशिष्ट [433

(10)	जोधपुर (बाड़मेर, (जैसलमेर सहित)	3555	1620	621	368	82	864
(11)	नागौर	198	74	54	22	—	48
(12)	पाली	775	332	95	39	5	304
(13)	सिरोही एवं जालोर सहित	233	96	29	18	1	89
(14)	झालावाड़	678	355	94	23	16	190
(15)	कोटा एवं बूंदी सहित	15024	6048	7668	307	324	677
(16)	सवाई माधोपुर एवं टोंक सहित	1043	501	211	118	22	191
(17)	भीलवाड़ा	868	246	280	92	54	196
(18)	चित्तौड़गढ़	1223	523	80	132	205	283
(19)	बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर सहित	213	116	56	3	14	24
(20)	उदयपुर	4530	3574	364	167	240	185
	योग ..	62783	22074	14710	4632	2216	19151

Page No.222

लाल बहादुर शास्त्री कालेज के प्राचार्य पद पर नियुक्ति

354. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री ललित शंकर तिवाड़ी जो कि लाल बहादुर शास्त्री कालेज की प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष श्री देवी शंकर तिवाड़ी के भतीजे होने के नाते कालेज के प्राचार्य पद पर पदोन्नत किये गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि ललित शंकर तिवाडी प्राचार्य पद के चयन के समय निर्धारित शैक्षणिक अनुभव एवं योग्यता नहीं रखते थे ? यदि हां, तो इनकी किस आधार पर नियुक्ति की गई ?

(3) क्या विश्वविद्यालय में श्री तिवाड़ी की प्राचार्य पद पर नियुक्ति को 29 जुलाई, 1977 के पत्र द्वारा अवैध माना है ? यदि हां, तो राज्य सरकार श्री तिवाड़ी को इस पद से हटाने के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां । महाविद्यालय की प्रमोशन कमेटी के निर्णयानुसार श्री ललित शंकर तिवाड़ी को उनकी प्रबन्ध समिति ने प्राचार्य के पद पर पदोन्नत किया है ।

(2) जी हां । इन्हें महाविद्यालय की प्रमोशन कमेटी की अनुशंसा पर वहां की प्रबन्ध समिति ने नियुक्त किया है जिसकी स्वीकृति न तो राज्य सरकार द्वारा दी गई है और न विश्वविद्यालय ने दी है ।

(3) जी हां । श्री तिवाड़ी ने विश्वविद्यालय के निर्णय को सिविल जज कोर्ट, जयपुर में चुनौती दी है । तथा मामला न्यायालय के विचाराधीन है ।

सरकार पर कर्जे की राशि

355. श्री **मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य सरकार को कुल कितना धनराशि कर्ज के रूप में केन्द्रीय सरकार को आज के रोज देनी है और आज उसकी प्रतिमाह कुल कितनी धनराशि ब्याज के रूप में चुकानी पड़ती है ?

उत्तर

वर्तमान वर्ष के आरंभ में राज्य सरकार पर केन्द्रीय सरकार का 845.00 करोड़ रुपये का ऋण था । ऋणों की स्थिति समय-समय पर ऋणों की प्राप्ति एवं चुकारे के फलस्वरूप बदलती रहती है, अतः वर्ष के दौरान किसी दिन की स्थिति बताई जाना संभव नहीं है । वर्तमान वर्ष के आय-व्यय अनुमानों के अनुसार इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को 41.61 करोड़ रुपया ब्याज के रूप में देने हैं । प्रतिमाह की स्थिति इस प्रकार है :—

(अंक लाख रुपयों में)

अप्रेल	0.55	वास्तविक आंकड़े ।
मई	3.31	
जून	9.31	
जुलाई	20578	
अगस्त	6.31	
सितम्बर	4.11	
अक्टूबर	1,775.00	

नवम्बर	1.60	
दिसम्बर	2.86	
जनवरी	249.23	अपेक्षित आंकड़े ।
फरवरी	10.28	
मार्च	1874.83	

इसके अतिरिक्त इस वर्ष में अभी तक अल्पकालीन ऋण रुपये 4.00 करोड़ का ऋण हेतु प्राप्त हो चुका है जिसका चुकारा मय ब्याज के इसी वीत्तीय वर्ष में करना है। इस ऋण पर ब्याज की अनुमानित राशि रुपये 10.00 (दस लाख) होगी।

ग्राम पांचोली में महाजन की हत्या का मामला

356. श्री रंग जी (सपोटरा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पांचोली, सब–तहसील मडणाल में महाजन की हत्या की गई है ?

(2) क्या यह सही है कि भूतपूर्व विधायक के कहने से पुलिस ने इस केस में कोई कार्यवाही नहीं की ?

(3) क्या यह सही है कि विधायक के कहने से डाक्टर ने आदमी की हड्डी को जानवर की बतलाया है ?

(4) क्या यह सही है कि ग्राम पांचोली के मीणाओं ने यह कत्ल किया है ?

(5) क्या यह सही है कि कातिलों को बचाने में भूतपूर्व विधायक ने काफी बड़ी धनराशि लेकर पुलिस में केस का चालान पेश नहीं होने दिया ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। इस मामले में अपराध संख्या 20, दिनांक 13-11-72, धारा 302/34 भा० दं० सं० थाना मण्डरावल दर्ज होकर तफतीश पूर्ण की गई और चालान सात अभियुक्तों के विरुद्ध अदालत में पेश किया गया।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। जो मीनयान इस अपराध में मुलजिमान पाये गये थे वे ग्राम पांचोली के न होकर ग्राम सुरसुमपुर के थे।

(5) जी नहीं।

राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय

357. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़): क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जब राजस्थान बना था उस वक्त प्रति व्यक्ति आय क्या थी ? यह आय सन् 60–61 में बढ़कर क्या हो गई ? अब प्रति व्यक्ति आय सन् 76–77 में कितनी है ?

(2) प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से राजस्थान का कौनसा जिला सर्वप्रथम है ? और कौन सा जिला सब से पीछे है ?

(3) राजस्थान में व्यय की दृष्टि से सबसे अधिक प्रति व्यक्ति व्यय कौन से जिले में किया गया और सबसे कम व्यय प्रति व्यक्ति कौन से जिले में हुआ है ?

उत्तर

(1) राजस्थान निर्माण के समय की प्रति व्यक्ति आय नहीं आंकी गई है। 1960–61 में तैयार किये गये अनुमानों के आधार पर वर्ष 1960–61 में प्रति व्यक्ति आय 284 रुपये थी जो वर्ष 1975–76 में प्रचलित वर्ष कीमतों पर बढ़कर 894 रुपये हो गई। वर्ष 1976–77

Page No.224

(आयोजना मन्त्री)

की प्रति व्यक्ति आय संबंधित समंक अप्राप्त होने के कारण अभी तक नहीं आंकी गई है।

(2) जिलेवार प्रति व्यक्ति आय नहीं आंकी गई है।

(3) संपूर्ण व्यय (आयोजना एवं आयोजना भिन्न) के जिलेवार आंकड़े संकलित नहीं किये जाते हैं। केवल आयोजना व्यय के आंकड़े उपलब्ध है जो सदन के मेज पर रखे जा रहे हैं।

झालावाड़ जिले में राजस्व के अनधिकृत कब्जों के विचाराधीन मामले

358. **श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा** (मनोहर थाना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झालावाड़ जिले में राजस्व के अनधिकृत कब्जे के कितने मामले किस-किस तहसीलों में कितनी संख्या में कितने समय से विचाराधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या उक्त अनधिकृत कब्जों की नियमन करने के लिये कोई आदेश राज्य सरकार ने दिये है ? यदि हां, तो उस आदेश के तहत कितने-कितने मामलों का किस-किस तहसील में फैसला किया गया ?

(3) इस प्रकार के नाजायज कब्जों को नियमन करने या कब्जे हटाने के मामले कब तक निपटा दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जिला झालावाड़ में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अनधिकृत कब्जों के कुल 11,259 मामले जिले की विभिन्न तहसीलों में विचाराधीन हैं। इनकी तहसीलवार एवं समयवार विभाजन की तालिका सदन की मेज पर प्रस्तुत करदी गई है। (सूची 'अ')

(2) जी हां। राजस्व विभाग ने दिनांक 14-4-77 को आदेश जारी किये हैं जिनके द्वारा 1-7-75 तक के कृषि भूमि पर अनधिकृत अतिक्रमण के मामलों को नियमित करने की व्यवस्था की गई है। इसके तहत इस जिले में 2,839 मामलों का नियमन किया जा चुका है। तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत है। (सूची 'ब')

(3) आगामी मास में राजस्व अभियान मनाया जा रहा है जिसके दौरान इन प्रकरणों को अधिकाधिक संख्या में फैसला करने का प्रयास किया जावेगा।

सूची (अ)

क्रम संख्या	नाम तहसील	मामलों की सं०	एक साल से कम समय के	दो साल से कम समय के	तीन साल से कम समय के	तीन साल से अधिक समय के	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	झालरापाटन	813	813	..	..	..	813
2.	पिड़ावा	599	599	..	..	..	599
3.	पचपहाड	1489	..	1489	..	..	1489

4. गंगधार	412	..	375	37	..	412
5. खानपुर	1657	..	1657	..	..	1657
6. अकलेरा	6289	4089	1407	501	292	6289
योग ..	11259	5501	4928	538	292	11259

सूची (ब)

० सं०	नाम तहसील	मामलों की संख्या
1.	झालरापाटन	430
2.	पचपहाड़	450
3.	पिड़ावा	72
4.	गंगधार	572
5.	अकलेरा	532
6.	खानपुर	783
	योग ..	2839

गुडाणा ग्राम के निवासी की हत्या का मामला

3..9. श्री **रावत राम आर्य** (सुजानगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गत दिनांक 7-3-77 की रात्रि को श्री मूंगाराम पुत्र गंगाराम, जाति चमार, निवासी गुडाणा, सील राजगढ़, जिला चूरू का मर्डर कर या गया ? यदि हां, तो इसकी एफ० आई० आर० कब और किस थाने में दर्ज हुई ?

(2) उक्त केस में कितने मुल्जिम पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये ? तथा इस केस का चालान कब हुआ ?

उत्तर

(1) दिनांक 19-2-77 को श्री ओंकार राम पुत्र श्री मूंगाराम चमार, निवासी गुडाणा की तहरीरी दर्खवास्त पर अपराध संख्या 7 अन्तर्गत धारा

(गृह मंत्री)

302/34 भा० दं० सं० थाना हमीरबास, जिला चूरू में पंजीबद्ध किया गया ।

(2) इस केस में दो मुलजिमान सर्व श्री प्रताप सिंह पुत्र दोदराम एवं रामसिंह पुत्र श्री सुगना राम, जाति जाट, साकिन गुडाणा गिरफ्तार किये गये थे । डॉक्टरी बोर्ड की रिपोर्ट से मौत प्राकृतिक कारणों से होना पाया जाने पर तथा मुकदमे में सबूत काबिले चालान न होने के कारण दिनांक 20-4-77 अन्तिम प्रतिवेदन बसीगे अदम सबूत देदी गई है ।

भूतपूर्व जागीरदारों के मुआवजे के मामले

335. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है भूतपूर्व कोटा स्टेट के जागीरदार जिन्हें 'कोटरियाद' के नाम से कहा जाता था की कोई एक्साइज (Excise) का मुआवजा का मामला राज्य सरकार में चल रहा है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह भी सही है कि जागीर कमिश्नर, राजस्थान ने इन लोगों का मुआवजा यह कह कर नहीं दिया था कि इन लोगों का इस एक्साइज (Excise) के मामले में राज्य सरकार या आबकारी आयुक्त निर्णय देगा ?

(3) क्या यह भी सही है कि इनमें से कुछ भूतपूर्व जागीरदारों को मुआवजा दे दिया गया है ? यदि हां, तो किन-किन को ?

(4) क्या अभी यह मामला राज्य सरकार के और आबकारी आयुक्त के व विचाराधीन है? यदि हां, तो इसका निण कब तक हो जायगा ?

(5) क्या यह भी सही है कि वि इन मामले में यह कहता है कि उनके ० कोई ऐसा मामला Pending नहीं है यदि हां, तो इसका निर्णय कब हुआ अ क्या हुआ ?

(6) क्या यह सही है कि उक्त माम करीब 20 वर्ष से राज्य सरकार के प विचाराधीन चल रहा है ।

उत्तर

(1) जी नहीं । प्रश्न ही नहीं उठता

(2) जागीर कमिश्नर ने 8-6-195 को आबकारी विभाग को मुआवजा दि जाने हेतु लिखा था ।

(3) जी हां । कोटरियात के 8 जागीरदारों को 1-5-48 से 17-5-52 तक का आबकारी मुआवजे के रुपये 34,967.06 राज्य सरकार के आदेश दिनांक 22-2-62 द्वारा स्वीकृत किये गये थे । तालिका सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(4) जी नहीं । प्रश्न ही नहीं उठता

(5) जी हां । उक्त स्वीकृति के बाद य मामला कई बार पुनः उठाया गया । कि उनकी मागें न्यायोचित नहीं होने के का यह मामला 9-7-68 को समाप्त कर दि गया ।

(6) जी नहीं ।

STATE FROM [illegible] 2004 to

Name of Kotri		Sambat 2004 1-5-48 to 30-9-48	Sambat 2005 1-10-48 to 30-9-48	Sambat 2006 1-10-49 to 31-3-50	Sambat 2007 1-4-50 to 31-3-51	Sambat 2008 1-4-52 to 31-3-52	Sambat 2009 1-4-52 to 17-7-52	Total
1		2	3	4	5	6	7	8
Antanda	Fixed	166.59	399.83	199.91	399.83	399.83	177.98	1683.97
	Excess	—	—	12.23	16.08	288.87	126.56	443.74
	Total	166.59	399.83	212.14	415.91	688.70	244.54	2127.71
Balvan	Fixed	215.36	516.89	258.44	516.89	516.89	152.52	2176.99
	Excess	—	—	15.81	20.86	373.52	163.64	573.83
	Total	215.36	516.89	274.25	537.75	890.41	316.16	2750.82
Ganta	Fixed	205.42	493.05	246.52	493.05	493.05	145.47	2076.56
	Excess	—	—	15.08	19.91	356.27	156.08	547.34
	Total	205.42	493.05	261.60	512.96	849.32	301.55	2623.90
Indergarh	Fixed	1342.92	3223.11	1611.55	3223.11	3223.11	951.05	13574.85
	Excess	—	—	88.62	130.09	2329.12	1020.39	3568.22
	Total	1342.92	3223.11	1700.17	3353.20	5552.23	1971.44	17143.07
Karwad	Fixed	108.52	260.47	130.23	260.47	260.47	76.86	1097.02
	Excess	—	—	7.97	10.52	188.25	82.45	289.19
	Total	108.52	260.47	138.20	270.99	448.72	159.31	1386.21

Page No.228

1		2	3	4	5	6	7	8
Khatoli	Fixed	418.80	1005.58	502.78	1005.58	1005.58	296.70	4235.02
	Excess	—	—	30.77	40.58	700.59	318.33	1090.27
	Total	418.80	1005.58	533.55	1046.16	1706.17	615.03	5325.29
Pusod	Fixed	53.44	128.28	64.14	128.28	128.28	37.85	540.27
	Excess	—	—	3.89	5.17	92.67	40.59	142.32
	Total	53.44	128.28	68.03	133.45	220.95	78.44	682.59
Pipalda	Fixed	229.20	550.09	275.05	550.09	550.09	162.30	2316.82
	Excess	—	—	16.83	22.20	397.50	174.12	610.65
	Total	229.20	550.09	291.88	572.29	947.59	336.42	2927.47
TOTAL	Fixed	2740.25	6577.30	3288.62	6577.30	6577.30	1940.73	27701.50
	Excess	—	—	191.20	265.41	4726.79	2082.16	7265.56
	Total	2740.25	6577.30	3479.82	6842.71	11304.09	4022.89	24967.06

Page No.229

सिवाना एवं बालोतरा थाना में दर्ज चोरी के मामले

361. **श्रीमती मदन कौर** (पचपदरा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बाड़मेर ज़िले के सिवाना और बालोतरा पुलिस थानों में माह मई और जून, 1970 में कितने चोरी के मामले दर्ज हुए?

(2) ये चोरियां किस-किस तिथि को किन-किन स्थानों पर हुई ? प्रत्येक में क्या और कितना माल चोरी गया ?

(3) क्या संबंधित पुलिस इनमें से किसी चोरी का पता लगा सकी ? यदि हां, तो किस-किस चोरी में कितना माल बरामद किया गया और इनमें कौन दोषी पाये गये ?

उत्तर

(1) थाना सिवाना में माह मई, 1977 में कोई चोरी की घटना घटित नहीं हुई। माह जून में 2 अपराध चोरी के दर्ज हुए हैं। थाना बालोतरा में माह मई, 1977 में कुल 2 मुकदमात व माह जून, 1977 में 3 मुकदमात चोरी के दर्ज हुए हैं।

(2) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है (परिशिष्ट 'क')।

(3) जी हां। इनमें से पुलिस ने निम्न-लिखित चोरियों में पता लगाया है यह माल बरामद किया है :–

(अ) दिनांक 2-6-77 को मौजा बाबरू में हुई चोरी के सम्बन्ध में मुलजिमान रडिया पुत्र हरजी वादी साकिन बादरू व अलीखां पुत्र उसमान खां मुसलमान साकिन मीठड़ी के विरूद्ध चालान अदालत में पेश किया गया। कोई माल चोरी नहीं गया था, अतः बरामदगी का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ब) दिनांक 19/20-6-77 की दरम्यानी रात को बालोतरा में हुई चोरी के तीनों कपड़े के थान कीमतन 160) रुपये पुलिस ने बरामद कर मुलजिम धनया पुत्र संगार राम जाट, सा. शहर थाना, मिठा के विरुद्ध चालान पेश अदालत में किया।

परिशिष्ट 'क'

जिन 2 तिथियों व स्थानों पर यह घटना हुई उनका ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

थाना सिवाना :

(अ) दिनांक 2-6-77 को मौजा बादरू में मुलजिमान ने चोरी की नियत से मुस्तगिस के मकान में प्रवेश किया लेकिन कोई माल चोरी नहीं गया।

(ब) दिनांक 19/20-6-77 की दरमियानी रात को मौजा दुरीवाड़ा में 1,600 रुपये के नोट चोरी गये।

थाना बालोतरा :

(अ) दिनांक 30/31-5-77 की दरमियानी रात को मौजा टापरू में जेवर सोना-चांदी कीमतन 3,000/ चोरी गये।

(ब) दिनांक 14/15-6-77 की दरम्यानी रात को कस्बा बालोतरा में जेवर सोना-चांदी, घड़ी व रोकड़ कुल कीमतन 5,000 रुपये का माल चोरी गया।

(स) दिनांक 30-6-77 को दिन में कस्बा बालोतरा में जेवर सोना-चांदी इत्यादि कीमतन 25,000 रुपये चोरी गये।

(गृह मंत्री)

(द) दिनांक 19/20-6-77 की दरमियानी रात कस्बा बालोतरा में 3 कपड़े के थान कीमती 160 रुपये चोरी गये ।

बनेड़ा तहसील में हरिजनों, आदिवासी व भूमिहीनों को दी गई खेती की जमीन

362. श्री **उमराव सिंह दार्बरिया (बनेड़ा)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बनेड़ा तहसील में सन् 1970 से 1977 तक कितने हरिजनों, आदिवासी व भूमिहीनों को खेती की जमीन दी गई ?

(2) बनेड़ा तहसील के किन-किन गांवों में हरिजनों, आदिवासी व भूमिहीनों को खेती के लिये दी गई जमीनों पर किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं ? इन गांवों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) इनके द्वारा जमीन पर खेती न करने का क्या कारण है ?

(4) क्या यह सही है कि राक्षी, कमालपुरा, बनेड़ा आदि गांवों में हरिजनों को 1970–71 में दी गई जमीनों पर कुछ लोग उन्हें खेती नहीं करने दे रहे हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने उनके खिलाफ क्या कारवाई की ?

उत्तर

(1) बनेड़ा तहसील में सन् 1970 से 1977 तक निम्न प्रकार भूमि आवंटित हुई :—

	संख्या आवंटी	क्षेत्रफल (एकड़ों में)
अनुसूचित जाति	481	1011
अनुसूचित जन-जाति	420	1034
अन्य भूमिहीन	758	2015
योग ..	1659	4060

(2) केवल ग्राम राक्षी के 30 आवंटियों को छोड़ते हुए अन्य आवंटियों का कब्जा आवंटित भूमि पर है। ग्राम राक्षी के खसरा नं. 520 में 30 व्यक्तियों का सन् 1971 में भूमि का आवंटन करके भूमि नाप कर उन्हें कब्जा दे दिया गया था और नामान्तकरण भी दर्ज कर दिया गया था परन्तु इन आवंटियों ने अभी तक काश्त नहीं की है ।

(3) ग्राम राक्षी के इन आवंटियों ने काश्त स्वेच्छा से नहीं की । तहसीलदार, बनेड़ा द्वारा दिनांक 1-8-77 को इन्हें नोटिस भी दिया गया । जिसके उत्तर में उन्होंने यह कहा है कि वे अपनी इच्छा से काश्त नहीं कर रहे हैं । इस समय भूमि पर तालाब का पानी आया हुआ है पानी हट जाने पर रवी की फसल की काश्त वे कर सकेंगे ।

(4) ग्राम कमालपुरा व बनेड़ा में इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। ग्राम रावी की स्थिति ऊपर स्पष्ट की जा चुकी है इसको देखते हुए कोई कार्यवाही वांछित नहीं है ।

ग्राम चिण्डालिया में हुई मारपीट का मामला

363. श्री **अब्दुल अजीज** (मकराना): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या चिण्डालिया ग्राम पंचायत समिति, मकराना में 13-6-77 को चुनाव के दिन मारपीट हुई ? यदि हां, तो पुसिल ने दोषी मुलजिमों को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया ?

उत्तर

जी हां । इस सम्बन्ध में मुकदमा नं. 59, दिनांक 18-6-77, धारा 147/148/149/323/324/325/326/307/452 भा. दं. सं. थाना परबतसर दर्ज होकर अनुसंधान जारी है । मुकदमा जेर तफतीश है ।